नवम माला, खंड 4, अंक 23

सोमवार, 16 अप्रैल, 1990
26 चैत्र, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(नौवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

29-11-91

(खंड 4 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा ।]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 16 अप्रैल, 1990/26 चैत्र, 1912 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
22	(नीचे से 8 14)	"महादीप" के स्थान पर "महादीपक" पढ़िये ।
71	4	मंत्री के नाम से पहले प्रश्न संख्या "4835" पढ़िये ।
75	7	मंत्री के नाम के पश्चात् "(क)" अंतःस्थापित करिये।
139	3	"कल्पनाण" के स्थान पर "कल्पनाथ" पढ़िये ।
149	नीचे से 7	"(ख)" के स्थान पर "(ख) और (ग)" पढ़िये ।
199	नीचे से 13	"रमेन्द्र कुमार यादव रवि" के स्थान पर "रमेन्द्र कुमार रवि यादव" पढ़िये ।
203	3	शीर्षक में "लीनी" के स्थान पर "चीनी" पढ़िये ।
224	9	"क से ख" के स्थान पर "(क) से (ग)" पढ़िये ।
226	नीचे से 12	"महम्मद" के स्थान पर "मोहम्मद" पढ़िये ।
227	4	"सैददीन" के स्थान पर "सैफुद्दीन" पढ़िये ।
234	4	"तुलसीमुद्दीन" के स्थान पर "तस्लीमुद्दीन" पढ़िये ।
244	4	"अरुणाचयम" के स्थान पर "अरुणाचलम" पढ़िये ।

विषय-सूची

नवम माला, खण्ड 4, दूसरा सत्र, 1990/1911-12 (शक)

अंक 23, सोमवार, 16 अप्रैल, 1990/26 चैत्र, 1912 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 451 से 456	1—24
प्रश्नों के लिखित उत्तर	24—334
तारांकित प्रश्न संख्या : 457 से 471	24--48
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4808 से 4842, 4844 से 4857, 4859 से 4885, 4887 से 4916 और 4918 से 5019	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	234—237
राज्य सभा से संदेश	237
जांच आयोग (संशोधन) विधेयक, 1990	238
राज्य सभा द्वारा यथा संशोधित	
मन्त्रियों द्वारा वक्तव्य	238—240 तथा 246—249
(एक) पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अलीपुरद्वार डिवीजन में 12 अप्रैल, 1990 को 5718 दुआर्स एक्सप्रेस और 13 अप्रैल, 1990 को 5609 अवध असम एक्सप्रेस में बम विस्फोटों की घटना तथा 16 अप्रैल, 1990 को 383 अप मोकामा-दानापुर यात्री रेलगाड़ी में आग लगने की घटना	
श्री जार्ज फर्नान्डीज	238
(दो) दिल्ली में 13 अप्रैल, 1990 को रिंग रोड पर प्रेमबाड़ी पुल पर एक बस में बम-विस्फोट की घटना	
श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद	246

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिम्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था ।

विषय	पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले	240—243
(एक) बंगलौर-मैसूर मीटरगेज रेल लाइन का निर्माण शीघ्र पूरा किए जाने के लिए अधिक धनराशि आबंटित किए जाने की मांग	
श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर	240
(दो) हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन, रेणुकूट (उत्तर प्रदेश) द्वारा कोयले की सप्लाई केवल रेल द्वारा मंगाई जाना सुनिश्चित किए जाने तथा पूर्व में ऐसा न किए जाने पर रेलवे को हुए नुकसान की राशि हिन्डालको से वसूल किए जाने की मांग	
श्री हरि केवल प्रसाद	241
(तीन) पश्चिम बंगाल में रानाघाट और लालगोला के बीच रेल लाइन को दोहरा किए जाने की मांग	
डा० असीम बाला	241
(चार) ठाणे-बेलापुर क्षेत्र में स्टैंडर्ड अल्काली फैक्टरी में क्लोरीन गैस के रिसाव जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोके जाने के लिए कदम उठाए जाने की मांग	
श्री विद्याधर गोखले	241
(पांच) यह सुनिश्चित किए जाने की मांग कि "झुडपी जंगल" सम्बन्धी वन कानून नागपुर शहर में गन्दी बस्ती क्षेत्रों का सुधार किए जाने में बाधक न बन सके	
श्री बनवारी लाल पुरोहित	242
(छः) मराठवाड़ा, महाराष्ट्र में विभिन्न रेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ऋण-पत्र जारी किए जाने की मांग	
डा० वेंकटेश काबडे	242
(सात) हिमाचल प्रदेश में कार्यरत केन्द्रीय सरकार तथा सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को पहाड़ी पूरक भत्ता दिए जाने की मांग	
प्रो० प्रेम कुमार धूमाल	243
अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1990-91	243—246 तथा 249—321
(एक) उद्योग मन्त्रालय	243—246 तथा 249—312
श्री एम० अरुणाचलम	244
श्री ईश्वर चौधरी	249

विषय	पृष्ठ
श्री मुरली देवरा	251
श्री प्रह्लाद सिंह पटेल	254
श्री छेदी पासवान	256
श्री मित्रसेन यादव	258
श्री पी० नरसा रेड्डी	260
श्री मान्धाता सिंह	262
श्री पीयूष तिरकी	266
श्री आर० मुथिया	267
श्री जनक राज गुप्त	270
श्री पी० सी० थामस	272
श्री बाबूभाई मेघजी शाह	273
श्री हरपाल सिंह पंवार	275
श्री आर० जीवरत्नम	278
श्री एम० एस० पाल	279
श्री अमर रायप्रधान	281
श्री बालासाहिब विखे पाटिल	282
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	284
श्री रामेश्वर प्रसाद	287
प्रो० के० वी० थामस	288
श्री राम कृष्ण यादव	290
डा० एस० पी० यादव	293
श्री एन० डेनिस	295
श्री चांद राम	297
श्री अजित सिंह	299
(दो) मानव संसाधन विकास मंत्रालय	312—321
श्री एन० टोम्बी सिंह	317

लोक सभा

सोमवार, 16 अप्रैल, 1990/26 चैत्र, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अध्यापकों का स्थानान्तरण

[अनुवाद]

+

*451. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :
डा० सुधीर राय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अध्यापकों के स्थानान्तरण के बारे में क्या मार्गनिदेश हैं;

(ख) इनमें पिछले एक वर्ष में क्या परिवर्तन किया गया है;

(ग) क्या इन निर्धारित मार्गनिदेशों का अनुपालन सभी श्रेणियों के अन्तर्गत किए जाने वाले स्थानान्तरण के मामलों में किया जाता है;

(घ) यदि नहीं, तो किन-किन मामलों में मार्गनिदेशों का अनुपालन नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्रीय विद्यालय टीचर्स एशोसिएशन ने स्थानान्तरण सम्बन्धी मार्गनिदेशों का अनुपालन करने के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अध्यापकों के स्थानान्तरण और तैनाती सम्बन्धी मार्गदर्शी रूप-रेखाएं संगठन के शासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाती हैं। इन मार्गदर्शी रूपरेखाओं को ध्यान में रखते हुए संगठन ने शैक्षिक सत्र, 1989-90 के लिए संगठन के तत्कालीन अध्यक्ष के अनुमोदन से संचालनात्मक मार्गदर्शी रूपरेखाएं तैयार की थी। इस स्थानान्तरण सम्बन्धी मार्गदर्शी रूपरखाओं में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संलग्न अनुबन्ध-1 और 2 में प्रस्तुत है।

स्थानान्तरण सम्बन्धी मार्गदर्शी रूपरेखाओं में वर्ष 1989-90 के दौरान निम्नलिखित परिवर्तन किए गए थे :—

(1) "प्रशासनिक कारणों" की पहले के मानदण्ड के मुकाबले स्थानान्तरण के लिए पृष्ठ आधार के रूप में "बाध्य प्रशासनिक तथा अनुकंपा के कारणों" को जोड़ना।

(2) स्थानान्तरण के लिए पहले का चिकित्सा आधार विशिष्ट था। इसे और व्यापक तथा सामान्य बना दिया गया है।

(3) पहले अध्यापक के परिवार में हुए निधन को स्थानान्तरण के लिए एक विशिष्ट आधार के रूप में उल्लेख किया जाता था। इस विशिष्ट उल्लेख को समाप्त कर दिया गया है।

(4) पहले अविवाहित लड़कियों के स्थानान्तरण उनकी सुविधानुसार स्थानों पर करने का प्रावधान नहीं था। अब इसकी व्यवस्था कर दी गई है।

(5) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में नियोजन के दौरान अध्यापक में अपंगता के विकास के आधार उसके स्थानान्तरण का भी प्रावधान किया गया है।

(6) पहले प्रधानाचार्यों के लिए किसी केन्द्र पर 5 साल का कार्यकाल निर्धारित था अब इसको समाप्त कर दिया गया है।

स्थानान्तरण की मार्गदर्शी रूपरेखाओं में अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की व्यवस्था है कि पहले-पहल पदोन्नतियों के स्थानान्तरणों को प्रभावी बनाने के बाद ही सामान्य स्थानान्तरण किए जाएंगे। इस नीति का चालू शैक्षिक सत्र के दौरान प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों की स्नातकोत्तर अध्यापकों के रूप में पदोन्नति करने पर उनके स्थानान्तरण के मामले को छोड़कर इस सत्र (1-5-89 से 30-4-90) के दौरान भी अपनायी गई थी। पदोन्नति पर स्थानान्तरणों को शारीरिक शिक्षा अध्यापकों द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय में दर्ज रिट याचिका के कारण प्रभावी नहीं बनाया जा सका जिन्होंने ये प्रार्थना की थी कि उनके लिए भी स्नातकोत्तर अध्यापकों के पदों पर पदोन्नति के लिए अनुपूरक वर्ग बनाया जाए जैसाकि प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के मामले में किया जाता है। कानूनी सलाह को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने मद्रास न्यायालय में एक याचिका दायर कर उपयुक्त प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों को स्नातकोत्तर अध्यापकों के रूप में पदोन्नति करने की अनुमति मांगी है। न्यायालय ने इस मामले को निपटाया नहीं है। अत: प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों की स्नातकोत्तर अध्यापकों के रूप में पदोन्नति कर तैनाती को प्रभावी बनाने से पूर्व वर्तमान स्नातकोत्तर के केन्द्रीय विद्यालय संगठम के तत्कालीन अध्यक्ष के अनुमोदन से स्थानान्तरण किए गए थे।

मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार अध्यापकों के वार्षिक स्थानान्तरण को प्रभावी बनाने की अन्तिम तारीख 31 अक्तूबर है। इसको केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यक्ष के अनुमोदन के 20-12-1989 तक बढ़ाया गया था ।

अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ ने प्रधानमंत्री को सम्बोधित एक खुले पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ स्थानान्तरण सम्बन्धित मार्गदर्शी रूपरेखाओं के तथाकथित उल्लघन का उल्लेख किया और इसकी जांच करने का सुझाव दिया। इसकी जांच की जा रही है ।

अनुबन्ध-1

अध्यापकों के स्थानान्तरण के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाएं-1989-90

(1) सामान्य नीति यह होगी कि प्रधानाचार्य सहित अध्यापकों को बार-बार स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा । सामान्य स्थानान्तरण केवल संगठनात्मक कारणों अथवा चिकित्सा आधार पर किए जायेंगे ।

(2) ऐसा कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं होगा जिसके बाद किसी अध्यापक/उप-प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्य/शिक्षाधिकारी/सहायक आयुक्त को स्थानान्तरण करना जरूरी हो ।

(3) प्रतिवर्ष पदोन्नति के प्रस्ताव करने के बाद ही स्थानान्तरण किए जायेंगे ।

(4) आमतौर पर स्थानान्तरण गर्मी की छुट्टियों के दौरान ही किए जायेंगे । 31 अक्तूबर के बाद स्थानान्तरण नहीं किए जाएंगे ।

(5) पदोन्नति और सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली आशान्वित रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए स्थानान्तरण किए जाएंगे ।

(6) निम्नलिखित प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थानान्तरण किए जायेंगे :—

(क) प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण ।

(ख) ऐसी गम्भीर बीमारी के कारण स्थानान्तरण जिसके लिए तैनाती के स्थान से दूर उपचार करना अपेक्षित हो ।

(ग) परिवार में शामिल होने के लिए पति-पत्नियों का स्थानान्तरण और इसी प्रकार से अविवाहित लड़कियों का उनके सुविधानुसार स्थान पर स्थानान्तरण ।

(7) उपरोक्त 6 में उल्लिखित मामलों को छोड़कर साधारणतया किसी भी अध्यापक का स्थानान्तरण के लिए अनुरोध पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने तीन शैक्षिक सत्र पूरे नहीं कर लिए हों ।

(8) समान वेतनमानों में अध्यापकों के अन्य वर्ग तथा पी० आर० टी०, और टी० जी० टी० को उस क्षेत्र के बाहर तैनात नहीं किया जाएगा जिसमें उनका प्रवरण किया गया है ।

(9) नियुक्ति पर सभी वर्गों के अध्यापकों को यथासम्भव दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा।

(10) रिक्तियों की उपलब्धता की शर्त पर पी० टी० टी०/उप-प्रधानाचार्यों/प्रधानाचार्यों/शिक्षाधिकारियों/पदोन्नति पर सहायक आयुक्त अथवा सीधी भर्ती पर उन्हें जहां वे तैनात हैं उस स्थान के अलावा किसी भिन्न राज्य में तैनात किया जाएगा। अथवा निवास स्थान में नियुक्त किया जाएगा इनमें से जैसे भी मामलों हो और उन्हें साधारणतया उस राज्य से बाहर कम से कम 5 वर्षों के लिए तब तक स्थानान्तरण नहीं किया जाएगा जब तक कि इसके लिए बाध्य करना न हो।

(11) ऐसे पी० जी० टी०/उप-प्रधानाचार्यों/प्रधानाचार्यों/शिक्षाधिकारियों/सहायक आयुक्तों को जिनके सेवानिवृत्ति के 3 साल अथवा इससे कम समय रह गया है, रिक्तियों की उपलब्धता की शर्त पर यदि वे पहले से अपने मूल राज्य में कार्यरत है, को पदोन्नति/सीधी भर्ती पर बाहर तैनात नहीं किया जाएगा।

(12) कार्मिक विभाग द्वारा पता लगाए गए कठिन स्टेशनों पर तैनात अध्यापकों/उप-प्रधानाचार्यों/प्रधानाचार्यों को कठिन स्टेशनों पर तीन वर्ष के पड़ाव को पूरा करने के बाद और रिक्तियों की उपलब्धता की शर्त पर उनकी मनमर्जी का स्टेशन दिया जाएगा फिर भी यह शर्त उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए विशिष्ट रूप से भर्ती किए गए अध्यापकों के लिए लागू नहीं होगा।

(13) किसी भी आधार पर स्थानान्तरण सम्बन्धी अनुरोध के लिए स्थानान्तरण यात्रा भत्ता की अदायगी तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उस अध्यापक ने तैनाती के अपने उस स्थान में पांच वर्ष पूरे न कर लिए हों।

अनुबन्ध-2

स्थानान्तरण के परिचालानात्मक ब्यौरे वर्ष 1989-90 के लिए के० वि० सं० के शिक्षण स्टाफ हेतु मार्गदर्शी रूपरेखाओं पर राज्य मंत्री के निजी सचिव के साथ आयुक्त, के०वि० सं० की दिनांक 15-5-89 तो हुई बैठक में जिन बातों पर चर्चा की गयी थी उनकी सूची नीचे दी गई है :—

के० वि० संगठन के शासी निकाय ने 27-12-88 को हुई अपनी 52वीं बैठक में अध्यापकों, उपप्रधानाचार्यों और प्रधानाचार्यों के स्थानान्तरण और तैनाती सम्बन्धी मार्गदर्शी रूपरेखाएं अनुमोदित की इन मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अन्तर्गत मोटे तौर पर स्थानान्तरणों को निम्नलिखित दो शीर्षकों में वर्गीकृत किया जाता है :—

(क) जनहित में स्थानान्तरण

(ख) अनुरोध पर स्थानान्तरण

(क) **जनहित में स्थानान्तरण** : इस वर्ग के अन्तर्गत निम्नलिखित स्वरूप के स्थानान्तरणों की संकल्पना की गयी है :—

(i) बाध्य प्रशासनिक और अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण।

(ii) उन स्नातकोत्तर शिक्षकों, उप-प्रधानाचार्यों और प्रधानाचार्यों के स्थानान्तरण जिन्होंने (असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, अरुणाचल) प्रदेश, मिजोरम सहित उत्तरपूर्वी क्षेत्र में तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं, यह भारत सरकार की नीति के अनुसरण में है। (फिर भी इसमें विशेषरूप से 1984 में उत्तरपूर्वी क्षेत्र के लिए भर्ती किए गए पी० जी० टी, टी० जी० टी० और पी० आर० टी० शामिल नहीं हैं।)

(iii) उन अध्यापकों/उप-प्रधानाचार्यों/प्रधानाचार्यों के स्थानान्तरण जिन्होंने कठिन स्थान पर तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये तीन वर्ष कठिन स्थान पर कार्यभार संभालने की तारीख से शुरू होंगे। (कठिन स्थानों का पता भूतपूर्व के० वि० संगठन समिति द्वारा लगाया गया क्योंकि कार्मिक विभाग इस प्रकार की सूची नहीं रखता।

(ख) अनुरोध पर स्थानान्तरण : शासी निकाय द्वारा अनुमोदित मार्गदर्शी रूपरेखाओं में निम्नलिखित प्रावधान हैं :

(क) नियुक्ति के स्थान से दूर इलाज की आवश्यकता वाली गम्भीर बीमारी के कारण स्थानान्तरण।

(ख) परिवार में आने के लिए पति/पत्नी का स्थानान्तरण और समान रूप से अविवाहित लड़कियों का उनके सुविधा के अनुसार स्थान पर स्थानान्तरण।

उपरोक्त को कार्यान्वित करने के क्रम में, निम्नलिखित प्राथमिकताओं और ब्यौरों का सुझाव दिया जाता है :—

(i) नियुक्ति के स्थान से दूर इलाज की आवश्यकता वाली गम्भीर बीमारी पर स्थानान्तरण। इस शीर्ष के अन्तर्गत, हम कार्डियक समस्याओं, लकवे, रेनाल असफलता, केन्सर, टी० बी० आदि पर ध्यान देते हैं और मेडिकल चिकित्सा/ध्यान की आवश्यकता वाले शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के मामलों को शामिल करें। तथापि, मात्र उन शारीरिक रूप से विकलांग मामलों पर विचार किया जाना चाहिए जिनमें के० वि० संगठन में कार्यभार संभालने के बाद ही विकलांगता विकसित हुई। यह सूची सोदाहरण है न कि समाप्त होने वाली है। गम्भीर रूप से बीमारी के समर्थन में सी० एम० ओ०/जिला अस्पताल के सिविल सर्जन अथवा सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक अथवा मेडिकल कालेजों/संस्थाओं से सम्बद्ध अस्पतालों के प्रमुखों अथवा परियोजना स्कूलों के परियोजना अस्पतालों के सी० एम० ओ०/प्रतिरक्षा क्षेत्र के स्कूलों के प्रतिरक्षा क्षेत्र अस्पतालों के प्रभारी अधिकारियों से चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने चाहिए। स्थानांतरण करते समय इस बात पर विचार किया जाएगा कि वर्तमान केन्द्र में उपचार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और वे उस स्थान पर उपलब्ध है जहां पर स्थानान्तरण के लिए अनुरोध किया गया है। इस प्रकार के अनुरोधों पर विचार करते समय किसी विशेष स्थान पर कर्मचारियों के न्यूनतम पड़ाव के सम्बन्ध में विचार करना अपेक्षित नहीं हैं।

(ii) पति-पत्नि के आधार पर स्थानांतरण उपरोक्त श्रेणी के अन्तर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण नीति का सुझाव दिया जाता है :—

(क) के० वि० संगठन कर्मचारी की पति/पत्नी/यह इसलिए सुझाया है कि इससे यह निश्चित होगा कि विद्यालयों का कार्यकरण सुविधाजनक चलेगा ।

(ख) केन्द्रीय सरकार/रक्षा विभाग के कर्मचारी और स्वायत्त निकायों के कर्मचारी तथा केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों की पत्नी/पति तथा राज्य सरकारों के उपक्रमों के कर्मचारियों की पत्नियों/पतियों, जिनके लिए वर्तमान स्थान पर ठहरने की अवधि एक निर्णायक घटक होगी ।

(ग) अन्य सभी पति/पत्नियां ।

(iii) सुविधा वाले स्थान पर अविवाहित लड़कियों का स्थानान्तरण । वर्तमान स्थान (स्टेशन) पर एक वर्ष का न्यूनतम प्रवास, स्थानान्तरण के विचारार्थ अपेक्षित होगा (अर्थात् पति/पत्नि के मामलों/अविवाहित लड़कियों के मामले) ।

(iv) उन प्रधानाचार्यों/उप-प्रधानाचार्यों/स्नातकोत्तर अध्यापकों का स्थानान्तरण जिनकी सेवानिवृत्ति में 3 वर्ष कम हैं । एक विशेष स्थान (स्टेशन) पर कोई अधिकतम प्रवास अपेक्षित नहीं है । इसका सुझाव इसलिए दिया गया है क्योंकि मार्गदर्शी रूपरेखाओं में एक पदोन्नत व्यक्ति को उसी स्थान पर तैनात किए जाने का प्रावधान है, यदि उसे तीन वर्ष में ही पदोन्नत किया जाता है ।

मार्गदर्शी रूपरेखाओं का अन्य महत्वपूर्ण मात्र तैनातियों तथा स्थानान्तरणों को प्रभावी बनाने में पालन किया जाने वाला अनुक्रम है । इस सम्बन्ध में, मार्गदर्शी रूपरेखाओं का पैरा-3 यह निर्धारित करता है कि "स्थानान्तरण प्रत्येक वर्ष पदोन्नतियां दिए जाने के बाद किए जाएंगे ।"

उपर्युक्त से, पदोन्नत नियुक्तियों, स्थानान्तरणों तथा सीधे ही भर्ती किए गए शिक्षकों, उप-प्रधानाचार्यों तथा प्रधानाचार्यों की नियुक्ति का निम्नलिखित अनुक्रम इस प्रकार है :—

1. टी० जी० टी०, एच० एम० एस० और उप-प्रधानाचार्यों के रूप में पदोन्नत किए गए शिक्षकों के सम्बन्ध में पदोन्नत नियुक्तियां सबसे पहले की जाए । इसी प्रकार, प्रधानाचार्यों की रिक्तियां पदोन्नत उप-प्रधानाचार्यों को प्रधानाचार्यों के पदों की पेशकश करते हुए, सबसे पहले भरी जाएं ।

2. (i) सभी श्रेणियों, उप-प्रधानाचार्यों तथा प्रधानाचार्यों के शिक्षकों का अन्तर-क्षेत्रीय स्थानान्तरण ।

   (ii) सभी क्षेत्रीय के शिक्षक का अन्तर-क्षेत्रीय स्थानान्तरण ।

3. सीधी भर्ती किए गए शिक्षकों तथा प्रधानाचार्यों की नियुक्ति । कृपया स्थानान्तरण के उपर्युक्त परिचालन ब्यौरे सामान्य अनुमोदन के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाएं देखें ताकि उन्हें तदनुसार कार्यान्वित करने के कदम उठाए जा सकें ।

सीधी भर्ती की समय-सारणी के सम्बन्ध में एक पृथक नोट अध्यापन स्टाफ की पदोन्नति तैनाती, स्टाफ संख्या का निर्धारण, राज्य मंत्री के निजी सचिव तथा आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के साथ

15-5-89 को की गई चर्चा के अनुसार प्रस्तुत किया जा रहा है।

ह०/-
(डी० आर० नांगिया)
16-5-89

कृपया राज्य मंत्री से आगे कोई निर्देश के लिए देख लें।

ह०/-
(एल० आर० मल)
16-5-89

राज्य मंत्री

एन० एस० पी० 1 से 3 के प्रस्ताव निम्नलिखित टिप्पणियों के आधार पर अनुमोदित किए जाते हैं :—

(i) एन० एस० पी०-1 में क(i) में विद्यमान "पति/पत्नी की मृत्यु सहित" शब्दों को निकाल दिया जाए।

(ii) एन० एस० पी०-2 में ख(i) में, इस आशय का एक वाक्य जोड़ा जाए कि शारीरिक रूप से विकलांग के केवल उन्हीं मामलों पर विचार किया जाएगा जहां शारीरिक-विकलांगता कर्मचारी के केन्द्रीय विद्यालय संगठन में कार्यभार ग्रहण करने के बाद हुई है। तदनुसार, ऐसी कोई भी विकलांगता जो व्यक्ति द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व थी, उसे स्थानान्तरण मांगे जाने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। उसी धारा में मेडिकल कालेज/अनुसंधान संस्था से सम्बद्ध अस्पताल के प्रमुख के प्रमाण पत्र को कालेज अथवा अनुसंधान संस्था के प्रमुख से प्रमाण पत्र की अपेक्षा के बजाए स्वीकार्य माना जाना चाहिए।

ह०/-
(एल० पी० शाही)
ह०/-
(वाई० एन० चतुर्वेदी)
3-5-89

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : अध्यक्ष महोदय, क्या यह बात सही है कि अक्तूबर-नवम्बर 1989 के महीने में मानवीय आधार पर 181 शिक्षकों का स्थानान्तरण किया गया और उनसे चार करोड़ रु० नजायज वसूल किया गया?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० एम० जी० के० मेनन : महोदय, यह ठीक नहीं है। महोदय, जिन स्थानांतरण के मामलों के बारे में मुझे जानकारी है, केवल वही मामले प्रभावी हुए हैं जो ऐसे हैं कि कोई अध्यापक अत्याधिक गम्भीर बीमारी से पीड़ित है और जिसका अन्त मौत ही है जैसे कि कैंसर आदि।

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : मानवीय आधार की परिभाषा क्या है ? मानवीय आधार पर शिक्षकों के इतने तबादले हुए हैं जितने कि शिक्षा विभाग के इतिहास में पहले कभी नहीं हुए।

[अनुवाद]

प्रो० एम० जी० के० मेनन : महोदय, सम्भवतः बड़ी संख्या में अध्यापकों के स्थानान्तरण प्रभावी हुए हैं, लेकिन ऐसा पिछले वर्ष हुआ था। माननीय सदस्य विशेषरूप से यह जानना चाहते थे कि पिछले एक महीने या शायद पिछले कुछ महीनों में क्या हुआ है और मैंने इसी का जवाब दिया है। पिछले कुछ महीनों में मुख्य रूप से ऐसे कोई स्थानांतरण नहीं हुए हैं। माननीय सदस्य ने जिन लोगों के स्थानांतरण का जिक्र किया है, वे सब पूर्ववर्ती सरकार द्वारा, भूतपूर्व मन्त्री द्वारा पिछले वर्ष किए गए थे।

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : अध्यक्ष महोदय……

अध्यक्ष महोदय : वर्मा जी, आपके दो सवाल हो गए हैं। डा० सुधीर राय।

[अनुवाद]

डा० सुधीर राय : महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में यह स्वीकार किया है कि अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ ने माननीय शिक्षा मन्त्री को एक ज्ञापन भेजा है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि पत्र में कौन-कौन से मामले उठाए गए और क्या इन मामलों की कोई जांच की जानी है।

प्रो० एम० जी० के० मेनन : महोदय, सभा पटल पर रखे गए वक्तव्य में, अन्तिम पैरा में कहा गया है :

> "अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ ने प्रधानमन्त्री को सम्बोधिक एक खुले पत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ स्थानान्तरण संबंधी मार्गदर्शी रूपरेखाओं के तथाकथित उल्लंघन का उल्लेख किया और इसकी जांच करने का सुझाव दिया। इसकी जांच की जा रही है।"

वक्तव्य में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्थानान्तरण सम्बन्धी मार्गनिर्देश दिए गए हैं और 1-5-89 से 30-4-90 तक शैक्षिक वर्ष में उनका अनुसरण किया गया। लेकिन अब उन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में परिवर्तन किया गया है, जो पिछले वर्ष पूर्ववर्ती सरकार द्वारा प्रभावी थीं और चालू वर्ष में बड़ी संख्या में स्थानांतरण किए गए।

प्रो० के० वी० थामस : महो य, प्रो० एम० जी० के० मेनन जैसे व्यक्ति से ऐसा जवाब सुनकर मुझे बहुत दुःख हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसा पिछली सरकार, भूतपूर्व मन्त्री द्वारा किया गया था। महोदय, यह एकदम भिन्न बात है क्योंकि मन्त्री तो आते जाते रहेंगे, बदलते रहेंगे। लेकिन, यदि आप केन्द्रीय विद्यालय के ढांचे और मार्गदर्शी सिद्धान्तों को देखें तो आप पाएंगे कि ऐसे कोई मार्गदर्शी सिद्धांत हैं ही नहीं। ऐसे कई मार्गदर्शी सिद्धांत हैं, आप किसी को भी देख लीजिए, उदापरण के तौर पर, पहले के "(1)" प्रशासनिक कारणों" के मानदण्ड के मुकाबले स्थानान्तरण के लिए आधार के रूप में "बाध्य प्रशासनिक तथा अनुकंपा के कारणों को जोड़ना।" अब इसमें यह परिवर्तन किया गया है। यह क्या है? 'बाध्य प्रशासनिक और अनुकंपा के कारण।'

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, अब प्रश्न पर आइए।

(व्यवधान)

प्रो० के० वी० थामस : यह इतना व्यवहार्य है कि इसे बदला जा सकता है। अब हुआ यह है कि अध्यापकों के हस्तान्तरण का समूचा मामला प्रशासन के हाथों में चला गया है···(**व्यवधान**) इसके परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इसे 'सुस्पष्ट' बनाएंगे। यदि सुस्पष्ट मानदण्ड होगा तो किसी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। मैं यही कह रहा हूं।

प्रो० एम० जी० के० मेनन : महोदय, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा था; मैं केवल तथ्य बता रहा था। माननीय सदस्य ने पहले महीने किए गए स्थानांतरणों के बारे में प्रश्न पूछा था और मैंने कहा था कि ऐसे कोई स्थानांतरण नहीं किए गए हैं। मैंने कहा कि सम्भवतः पिछले वर्ष काफी लोगों के स्थानांतरण किए गए थे। आगे मैंने बताया कि पिछले वर्ष प्रभावी संचालनात्मक मार्गदर्शी रूप रेखाओं में कुछ परिवर्तन किए गए थे।

श्री मान्धाता सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय, हमें यह बताएंगे कि क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देशों को केवल तत्कालीन मंत्री के कहने पर बदला गया था या इसके लिए समूचे शासी निकाय का अनुमोदन प्राप्त किया गया था? साथ ही मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि विभिन्न राज्यों में कई मामले उच्च न्यायालयों में भेजे गए हैं और यदि हां, तो उन मामलों पर क्या कार्यवाही करने का विचार है?

प्रो० एम० जी० के० मेनन : महोदय, मैं सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ ने प्रधानमंत्री को लिखे एक खुले पत्र में जो कहा है वह यह कि अध्यापकों के स्थानांतरण सम्बन्धी मार्गनिर्देशों और पदोन्नति नियुक्तियों सम्बन्धी मार्गनिर्देशों का उल्लंघन कर किए जा रहे हैं और वार्षिक स्थानांतरण की तिथि को स्वैच्छिक रूप से समाप्त कर दिया गया है। उनके पास ये शिकायतें आती थीं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हम जानते हैं कि अब स्थानांतरण किए जाएं तो वे केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्धारित आवेदन फार्म के आधार पर किए जाने चाहिएं। कई स्थानातरण इस तरह से किए गए जिनमें इन आवेदनों फार्मों को आधार नहीं माना गया। साथ ही, जब स्थानांतरण के आदेश अध्यक्ष द्वारा दिए जाते हैं तो वे अनुरोध पर किए गए स्थानांतरण माने जाते हैं। तीसरे, स्थानांतरण के सभी मामलों की निर्धारित मानदण्डों के सन्दर्भ में जांच करनी होगी और केन्द्रीय विद्यालय संगठन शिक्षक संघ ने इन्हीं के उल्लंघन किए जाने

की शिकायतें की हैं। इन पर निश्चित रूप से विचार किया गया है। वास्तव में इस आधार पर प्रभावित स्थानांतरणों की संख्या मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार 742 की तुलना में 181 थी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि :

(क) उस वर्ष या दो वर्ष पूर्व कितने अध्यापकों का स्थानांतरण किया गया;

(ख) लिखित पत्र प्रधानमंत्री के कार्यालय में कब पहुंचा; और

(ग) प्रधानमंत्री या शिक्षा विभाग को इन स्थानांतरणों में बरती गयी अनियमितताओं के संबंध में की गई जांच की रिपोर्ट सभा पटल पर रखने में कितना समय लगेगा ?

प्रो० एम० जी० के० मेनन : महोदय जहां तक पहले पूछे गए प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि अध्यक्ष द्वारा स्थानांतरण सम्बन्धी संचालनात्मक मार्गदर्शी रूप-रेखाओं में किए गए परिवर्तनों का अनुमोदन किए जाने के बाद, उन्हें राज्यपालों के बोर्ड के समक्ष रखा गया और अनुमोदित किया गया। दूसरा मुद्दा यह है कि हमें पिछले वर्षों में प्रभावित स्थानांतरणों की वास्तविक संख्या के बारे में देखना होगा तथा पृथक रूप से उसकी सूचना सदन में देनी होगी। प्रधान-मंत्री को पत्र हाल ही में प्राप्त हुआ है और इस पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि स्थानांतरण दिशा-निर्देशों के बावजूद प्रतिवर्ष स्थानांतरण किए जाते हैं। इसके अनुसार पदोन्नति और पदांकन सुनिश्चित करके स्थानांतरण किए जाने चाहिए, इस प्रक्रिया का पालन पिछले समय में नहीं हुआ है। क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि अब इस प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन करने के बाद ही स्थानांतरण किए जाएंगे।

[अनुवाद]

प्रो० एम० जी० के० मेनन : महोदय, प्रक्रिया यह है कि, पहले पदोन्नत किए गए अध्यापकों के स्थानांतरण को प्राथमिकता दी जाती है। उसके बाद सामान्य स्थानातरण के मामले लिए जाते हैं और इन्हीं मार्गनिर्देशों का पालन किया जाता है। जहां तक मेरा, मंत्रालय का और सरकार का सम्बन्ध है, निर्धारित मार्गनिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पिछली सरकार के समय में 181 अध्यापकों का स्थानांतरण दूसरी जगह कर दिया गया था, ट्रांसफर कर दी गयी थी। इतना ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान में सैंट्रल स्कूलों में जिन लड़कों की भर्ती हुई, अकेले बिहार में 3 हजार से ज्यादा लड़कों की भर्ती पैसा लेकर की गयी और सभी स्थानों को मिलाकर इसमें करीब 3-4 करोड़ रुपये की रिश्वत ली गयी है। मैंने सरकार को भी लिखा था। आज मिनी बोफोर्स एजूकेशन में हो गया है, मैं साफ शब्दों में मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उसके बारे में क्या उच्चस्तरीय जांच करवायेंगे और जवाबदेह जो लोग होंगे, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

[अनुवाद]

प्रो० एम० जी० के० मेनन : माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के तत्कालीन अध्यक्ष के विशेष निदेशों के तहत 181 अध्यापकों के स्थानांतरण के आदेश दिए गए थे। इसमें और क्या-क्या बातें शामिल थीं, इस प्रश्न के उत्तर का मैं कोई जवाब नहीं दे सकता।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, मैंने आपको नहीं बुलाया। आप बैठ जाइए।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

प्रो० एम० जी०के० मेनन : मैं सदन को केवल यही बता सकता हूं कि यह सुनिश्चित करने कि ऐसी धांधलियां नहीं हुई, जिनसे सन्देह पैदा हो, जिनसे ऐसी स्थिति पैदा हो सके। जिसका माननीय सदस्य ने जिक्र किया है, एक ही तरीका है कि इस उद्देश्य के लिए सुस्पष्ट मार्गनिर्देश होने चाहिएं चाहे वह प्रवेश/भर्ती के सम्बन्ध में हों या स्थानांतरण के सम्बन्ध में और उनमें बिना कुछ परिवर्तन किए उनका कड़ाई से अनुसरण किया जाए और मैं यही चाहता हूं। पिछली घटनाओं के सम्बन्ध में, मैं निश्चित रूप से सदन को यह आश्वासन दे सकता हूं कि मैं इन पर विचार करूंगा (**व्यवधान**)

प्रशासकीय फाइलों की जांच

*452. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कार्यालयों में प्रशासकीय/स्थापना सम्बन्धी फाइलों की जांच करने का कोई प्रस्ताव है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि निर्णय विद्यमान नियमों और विनियमों/सरकारी अनुदेशों/आदेशों के अनुसार किए गए हैं और इनका कोई उल्लंघन नहीं हुआ तथा अधिकारियों द्वारा किसी सरकारी कर्मचारी को उत्पीड़ित नहीं किया गया और किसी के साथ पक्षपात नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार की जांच से प्रशासन में भ्रष्टाचार/पक्षपात/भाई/भतीजावाद के मामलों का पता लगाया जा सकेगा; और

(घ) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें इस प्रकार की जांच शुरू कर दी गई है अथवा शुरू की जा रही है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा था, इसमें यह कहा गया था कि सरकारी दफ्तरों में इतनी अनियमितताएं होती हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उन सबको तोड़ा जाता

है, ट्रांसफर की जाती हैं, अपाइंटमेंटस की जाती है, उसमें रिश्वत होती है, पॉलिटीकल चलता है, ऐडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर चलता है, किसी को तंग किया जाता है और किसी को फायदा पहुंचाया जाता है, इस तरह की शिकायत कोई आदमी किससे करे? हर एम० पी० के पास सैकड़ों शिकायतें आती हैं और एम० पी० ऐसी शिकायतें मिनिस्टर को लिख देते हैं, मिनिस्टर उसको रख लेते हैं, मैंने पूछा था कि क्या ऐसी एजेंसी नहीं बना सकते या ऐसी एजेंसी बनाने का विचार है जिसके पास ऐसी शिकायतें जाएं और जो गाईड-लाईन्स हैं, नियम हैं उनके मुताबिक काम किया जाए? कोई आदमी 20 साल से एक ही जगह बैठा रहता है और किसी को तीन महीने में ही ट्रांसफर कर दिया जाता है। किसी से रिश्वत ली जाती है, लाखों रुपया रिश्वत में लेते हैं। इस तरह का मामला है। इन सारी चीजों के बारे में कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रूटनी कायम करेंगे जिसके पास लोग शिकायत लेकर जायें। मेम्बर्स के पास और मिनिस्टर्स के पास क्यों जाते हैं, क्यों मिनिस्टर डिस्क्रीशनरी पावर रखना चाहते हैं? क्यों उन्होंने कह दिया कि ऐसा विचार नहीं है?

प्रो० मधु दण्डवते : मैं स्पष्ट तरीके से बताना चाहता हूं कि सवाल तो इतना ही था कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रूटनी द्वारा जांच करने का सरकार का इरादा है या नहीं। संविधान की धारा 77 है उसके अन्तर्गत जो रूल्स और अधिनियम बनाए गए हैं उन अधिनियमों में काफी गुंजाइश है कि किसी प्रकार की शिकायतें अगर सरकार के सामने आए तो उसके बारे में जांच करने के लिए काफी यन्त्र हैं। माननीय सदस्य को शायद इससे असन्तोष होगा कि जो शिकायतें आती हैं उनकी जांच ठीक तरह से नहीं होती, लेकिन विभाग की तरफ से जांच ठीक नहीं हो तो हमारे पास विभिन्न प्रकार की मशीनरीज हैं जिसके द्वारा जांच की जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव विजिलेंस जो कि डिपार्टमेंट आफ पर्सोनल एण्ड ट्रेनिंग के अन्दर है, एक सी० बी० आई० है और एक अच्छी खबर आपको देना चाहता हूं पिछले सत्र में हम लोगों ने एक और इंतजाम किया है कि सिर्फ अधिकारी नहीं, अगर मंत्रि मंडल के सदस्य और प्रधानमंत्री भी किसी प्रकार की रिश्वतखोरी में शामिल हों, उनके खिलाफ इल्जाम हो, तो उनके खिलाफ भी जांच करने के लिए लोकपाल बिल का प्रावधान किया गया है। मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि किसी प्रकार की शिकायत अगर हमारे सामने आ जाए तो सन्तोषजनक कार्यवाही की जाएगी।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : सी० बी० आई० या जो दूसरी एजेंसी हैं इन एजेंसीज का ताल्लुक इनसे नहीं है जिसका जिक्र मैंने किया था। अगर कहीं पर तीन साल से ट्रांसफर नहीं हुई तो वहां किसी की 6 महीने में ही हो जाती है। कहीं पर आदमी 15 साल तक बैठा रहता है और दूसरे का प्रमोशन हो जाता है। कहीं मिनिस्टर के आर्डर चले जाते हैं, हाई कोर्ट में 20 साल बाद लोगों को न्याय मिलता है आज एक भी आदमी के खिलाफ जिसने डिस्क्रीशनरी पावर यूज की हो कोई कार्यवाही नहीं की गई। आप ऐसी मशीनरी बनाएं जिससे हैरासमेंट और पक्षपात केस भेजे जायें तो वह फाइनल स्क्रूटनी करके कार्यवाही हो और उसको न्याय मिल सके। कौन सी० बी० आई० में जाएगा, और कौन विजिलेंस में जाएगा। उसी जगह काम हो सकता है। इस सुझाव को केशुअली रिजेक्ट क्यों कर दिया।

प्रो० मधु दण्डवते : केशुअल रिजेक्ट करने का सवाल नहीं है, जवाब देने का एक तरीका होता है उस तरीके से मैंने जवाब दिया है। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि अगर विजिलेंस कमीशन और दूसरी संस्थाओं के जरिए यह काम नहीं कराना है तो जो अधिनियम बनाए गए हैं उनके मुताबिक दूसरी मशीनरीज हैं।

मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी गम्भीर परिस्थिति आ जाए कि विभाग के अन्तर्गत जो इंतजाम किया गया है उसके जरिए भी जांच ठीक नहीं हो या किसी की शिकायत हो तो अन्य संस्थाओं के जिरिए जांच की जा सकती है और की जाएगी ।

कुमारी मायावती : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री विजय कुमार मल्होत्रा की बात से मैं काफी हद तक सहमत हूं। देखने में यह आया है कि सरकार की तरफ से, चाहे वह राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार हो या पहली सरकार हो—जो उच्च पदों पर अधिकारी नियुक्त हैं, वे अपने से नीचे के कर्मचारियों को परेशान करते हैं । या तो रिश्वत के सहारे या अपने मनमाने ढंग से कार्य नहीं होने पर उनका दूर-दूर ट्रांसफर कर दिया जाता है और वीकर्स सेक्शन्ज के साथ तो बड़े पैमाने पर हो रहा है और काफी लोगों की शिकायतें हमारे पास आयी हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मायावती जी, आप भाषण मत कीजिए, प्रश्न कीजिए ।

कुमारी मायावती : इस समय मेरी मंत्री जी से गुजारिश है कि आप जो लोग कानून-कायदे बनाते हैं तो सरकारी कर्मचारियों को जो नुकसान या हर किस्म की उनको दिक्कतें आयी हैं तो उनको दूर करने के लिए आप प्रैक्टीकल अमलीजामा पहनाने के लिए कोई ऐसे स्टैप्स उठायेंगे जिससे कर्मचारियों को फायदा हो सके और खासकर वीकर्स सैक्शन्ज के लोगों को ?

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या को मैं बताना चाहता हूं कि किसी डिपार्टमेंट के प्रमुख के सिलसिले में उनकी कोई शिकायत हो कि उनके पास मामला सुपुर्द करने के बाद जांच ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए मैं समझता हूं कि एक रास्ता यह है कि सम्बद्ध मंत्री के पास शिकायत लेकर जाएं तो वे जरूर हस्तक्षेप करेंगे और अगर विभाग के प्रमुख ने कोई गलती की है तो उनकी जांच भी की जाएगी, यह मैं सदस्य को आश्वासन दिलाना चाहता हूं । अगर मन्त्री के बारे में कोई शिकायत हो तो प्राईम मिनिस्टर से शिकायत की जा सकती है ।

श्री हरिकेवल प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो महत्वपूर्ण एक सवाल खड़ा करके सदन का ध्यान आकर्षित किया है, तो क्या इस सिलसिले में माननीय मल्होत्रा जी ने कोई पत्र मंत्री को लिखा है जिसकी जांच करायेंगे ?

प्रो० मधु दण्डवते : मल्होत्रा जी की ऐसी आदत है कि इतनी बड़ी संख्या में पत्र लिखते हैं कि किसी एक पत्र का जिक्र करना आसान नहीं है । लेकिन मैं जरूर तलाश करूंगा कि उनका इस सिलसिले में कोई पत्र आया है। फिर भी मेरी बुरी आदत है कि मैं हर पत्र का जवाब देता हूं। इसलिए मैं देखूंगा कि जो कुछ कार्यवाही करनी होगी, करूंगा ।

श्री के० डी० सुल्तानपुरी : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो क्वश्चन उठाया गया है कि अधिकारी का ट्रांसफर दो महीने में, तीन महीने में होता है तो मैं हिल एरिया से आता हूं। हिमाचल प्रदेश से जो लोग दिल्ली, लखनऊ या पंजाब में ट्रांसफर होकर जाते हैं, उनको कई-कई सालों तक वहीं रहने दिया जाता है और उनकी जगह पर दूसरों को नहीं भेजा जाता है। इसके बारे में मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं ।

प्रो० मधु दण्डवते : स्थानान्तरण के बारे में परम्परा तो यह है कि यदि कोई आदमी एक स्थान

पर काफी समय से रहा है तो जब किसी प्रकार का ट्रांसफर करना हो तो सबसे पहले उनका ट्रांसफर होना चाहिए। अगर किसी की शिकायत है कि ट्रांसफर करते समय जो लोग एक पोस्ट पर एक साल या दो साल रहे हैं, अगर उनके ट्रांसफर की कोशिश हो रही है तो सम्बन्धित मंत्रालय के पास जरूर अपने आप शिकायत भेज दीजिए। मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इस प्रकार का अन्याय नहीं होगा।

भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षण परिषद के महानिदेशक की भर्ती

*453. **श्री पी० नरसा रेड्डी** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में देहरादून स्थित भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षण परिषद के महानिदेशक की भर्ती हेतु कोई विज्ञापन दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस पद के लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई थी; और

(ग) साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को बुलाने हेतु क्या मानदण्ड अपनाया गया ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के महा-निदेशक के पद के लिए निर्धारित योग्यताएं इस प्रकार थे :—

(1) **वन पालों के लिए**

(1) भारतीय वन सेवा के अधिकारी जो राज्य में मुख्य वन संरक्षक/अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक के स्तर से नीचे के नहीं होने चाहिए और जिन्होंने आबंटन के वर्ष से अब तक 25 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

(2) वन अनुसंधान स्थापना में कम से कम तीन वर्ष कार्य किया हो।

(3) आयु 1-1-1990 को 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(2) **वैज्ञानिकों के लिए**

(1) वानिकी, वनस्पति विज्ञान, कृषि अथवा अन्य सम्बद्ध विज्ञान में प्रथम श्रेणी की स्नातकोत्तर डिग्री अथवा समकक्ष अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अभियांत्रिकी अथवा प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक डिग्री; तथा

(2) वानिकी अनुसंधान/वानिकी शिक्षा में 30 वर्ष का अनुभव (जिन उम्मीदवारों के पास डॉक्टरेट की डिग्री है उनके लिए 25 वर्ष का अनुभव) जिसमें कम से कम पांच वर्ष का प्रशासनिक अनुभव शामिल होगा।

(3) आयु 1-1-1990 को सामान्यतः 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वांछनीय अर्हताएं : वानिकी अथवा अन्य सम्बन्धित विज्ञान विषयों में डॉक्टरेट। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाने में उक्त मापदण्डों को अपनाया गया।

श्री पी० नरसा रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, सदन के सभापटल पर रखे गए बयान में दो श्रेणियां दिखाई गई हैं। अरण्यरक्षक के पद के लिए पच्चीस वर्ष की सेवा और वनों के मुख्य संरक्षक अथवा अतिरिक्त संरक्षक की न्यूनतम अर्हता की आवश्यकता होती है और दूसरी श्रेणी में अर्थात् वैज्ञानिकों के लिए शोधकार्य में 30 वर्ष का अनुभव और पांच वर्ष के अनुभव सहित डॉक्टरेट डिग्री का होना आवश्यक है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने साक्षात्कार के लिए उन उम्मीदवारों को आमंत्रित करते समय इन निर्धारित शर्तों एवं नियमों को अनदेखा कर दिया है जो इन सब शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, यदि ऐसा है तो किस आधार पर ?

प्रो० एम० जी० के० मेनन : महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है कुछ अर्हतायें निर्धारित की गई हैं। इन विशेष पदों के साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों को आमंत्रित करने में इन्हीं अर्हताओं को आधार माना गया है।

श्री पी० नरसा रेड्डी : पहली बार महानिदेशक के पद की नियुक्ति का कार्य सरकार ने अपने हाथ में लिया है। मेरा आपके माध्यम से विनम्र प्रश्न है कि क्या माननीय मंत्री जी ईमानदारी से यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि सर्वोत्तम व्यक्ति का चयन किया जाए और उत्तर और दक्षिण में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जाए। दक्षिण से आने वाले उम्मीदवारों की उपेक्षा की जा रही है।

प्रो० एम० जी० के० मेनन : महोदय, मैं आपके माध्यम से निश्चित रूप से माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हमारा इरादा और प्रयास यह होगा कि इस पद के लिए यथासंभव सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का चयन किया जाए। हम उत्तर, दक्षिण, पूर्व अथवा पश्चिम में कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। किसी भारतीय का ही चयन किया जाएगा जो सर्वश्रेष्ठ ख्याति प्राप्त व्यक्ति होगा।

केन्द्रीय विद्यालयों में नए ऐच्छिक विषयों को शुरू किया जाना

*454. **प्रो० एन० टोम्बी सिंह** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अधिक और नए ऐच्छिक विषय आरम्भ करने के सम्बन्ध में अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ की ओर से मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ग) अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ ने केन्द्रीय विद्यालयों में जमा दो स्तर पर शारीरिक शिक्षा, संगीत, ड्राइंग और नागरिक शास्त्र जैसे और अधिक ऐच्छिक विषयों का आरम्भ करने की मांग की है। केन्द्रीय विद्यालय केन्द्रीय सरकार के

उन कर्मचारियों, जिन्हें भारत में किसी जगह भी स्थानांतरित किया जा सकता है, के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तदनुसार, देश भर में विषयों में एकरूपता का होना जरूरी है। सभी केन्द्रीय विद्यालयों में जमा दो स्तर पर अधिक विषयों में एकरूपता की पेशकश करने से अतिरिक्त अध्यापकों और कक्षा कक्षों के लिए निधियों की आवश्यकता में बेहद वृद्धि होगी। संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए ऐच्छिक विषयों की संख्या सीमित रखी जाएगी।

प्रो० एन० टोम्बी सिंह : मैं अधिक निधियों और क्लास के लिए कक्षों की आवश्यकता के कारण केन्द्रीय विद्यालयों में और अधिक ऐच्छिक विषयों को शुरू करने में सरकार की असमर्थता के बारे में कहना चाहता हूं। जैसा कि सरकार को जानकारी है प्रधानमंत्री की घोषणा के सन्दर्भ में सरकार की शिक्षा पद्धति में परिवर्तन किया जा रहा है, क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि इस सच्चाई के रहते हुए कि इस समय पूरे देश में और बाहर कम से कम 750 केन्द्रीय विद्यालय हैं जिनमें हमारे दूतावास भी शामिल हैं और वे पांच लाख से भी अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे हैं तब क्या केवल निधि-बाधा के कारण ही हम और अधिक ऐच्छिक विषय आरम्भ नहीं कर पा रहे हैं तथा क्या इस प्रकार हम उन पांच लाख से भी अधिक विद्यार्थियों के भविष्य-निर्माण में रुकावट नहीं डाल रहे हैं जो हमारे अपने बच्चे हैं?

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार अधिक निधि-आवश्यकता को शामिल किए बिना कम से कम कुछ नए विषयों को आरम्भ करने की संभावना पर विचार करेगी? मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने उस शिक्षक संघ से भेंट की है, जिसने इस सम्बन्ध में इतनी बार यह ज्ञापन देने का कष्ट उठाया है।

प्रो० एम० जी० के० मेनन : केन्द्रीय विद्यालय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध हैं। वे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अखिल भारतीय उच्चतर विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1976 के अनुसरण में कक्षा 11 और 12 के अध्ययन की योजनाओं का पुनरीक्षण किया था। इस समय उसी नीति को माना जा रहा है।

इस समय विचाराधीन प्रश्न जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है तथा जिसके बारे में अखिल भारतीय शिक्षक संघ और केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ, 20-11-88 को केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यक्ष से मिला था, वह कुछेक नए विषयों को आरम्भ करने की मांग से सम्बन्धित है। विशेषरूप से दिल्ली प्रशासन में जो कुछ हो रहा है, यह निश्चित रूप से उसी का परिणाम है ; मूलभूत समस्या यह है कि यदि इसे आरम्भ किया जाता है तो सभी विद्यालयों में इसे आरम्भ करना होगा। जैसाकि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया था कि देश भर में 744 विद्यालय हैं जिनमें तीन विद्यालय विदेशों में हैं। इसका अभिप्राय यह होगा कि प्रत्येक विषय के लिए प्रत्येक विद्यालय में योग्य शिक्षक होने चाहिएं। इसका अभिप्राय यह भी होगा कि केन्द्रीय विद्यालयों के सम्बन्ध में यह एक और अतिरिक्त खर्च होगा। सीधा सा प्रश्न यह है कि क्या हम इस स्थिति में हैं कि हम यह खर्च वहन कर सकें विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त विषय होते हैं, जिनमें से वह चुन सकते हैं और यह प्रश्न भी उठता है कि क्या हम इस विशेष उद्देश्य के लिए अतिरिक्त धनराशि का खर्च वहन कर सकते हैं। शिक्षा के लिए सरकार द्वारा आवंटित धनराशि पहले कहां खर्च की जाए, इस वरीयता के प्रश्न का निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का पुनरीक्षण कार्य के पूरा होने के बाद ही लिया जाएगा।

प्रो० एन० टोम्बी सिंह : मैं कुछ कठिनाईयां जिनका हमने सामना किया है, उनका उल्लेख करूंगा क्योंकि यह एक अत्यन्त बड़ा संगठन है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा जैसाकि मैंने अपने पहले अनुपूरक प्रश्न में कहा है कि क्या सरकार केन्द्रीय विद्यालय बाहुल्य क्षेत्र जैसे दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में और अधिक विषय आरम्भ करने की सम्भाव्यता पर विचार करेगी। निस्सन्देह एकरूपता का प्रश्न पुनः उठेगा। परन्तु ऐसे मामलों में, जिनमें निधियों का प्रश्न नहीं होता, क्योंकि यह पहले ही हैं, यदि उनकी सेवाओं के सदुपयोग से इस सम्बन्ध में हम कोई शुरूआत कर सकें, तब क्या सरकार इस पर विचार करेगी और यथाशीघ्र निर्णय लेगी ?

प्रो० एम० जी० के० मेनन : महोदय, जहां तक उस बात का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहूंगा कि केन्द्रीय विद्यालयों का उद्देश्य उन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा देने का है जिनका स्थानान्तरण किया जाता है। अतएव, ऐसा हो सकता है कि किसी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी की सन्तान हो जो दिल्ली में केन्द्रीय विद्यालय में पढ़ रही हो। यहां उस बच्चे को कुछ विषय दिए जाते हैं। यदि सरकारी कर्मचारी का स्थानान्तरण हैदराबाद अथवा मद्रास हो जाता है और यदि वही विषय उसे वहां नहीं मिलते हैं तो उस बच्चे को परेशानी हो जाएगी। अतएव, पूरी योजना में विषय के सम्बन्ध में एकरूपता होनी चाहिए। यही कारण है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से एकरूप शिक्षा देने की पद्धति तैयार की जा रही है और जिसे लागू किया जा रहा है। परन्तु यदि शिक्षकों के अथवा माननीय सदस्य के कोई सुझाव हैं, तो इस पूरी शिक्षा पद्धति के पुनरीक्षण के समय निश्चित रूप से, उनको भी ध्यान में रखा जाएगा जिससे माध्यमिक शिक्षा में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। वास्तव में, विद्यालयी शिक्षा जैसे केन्द्रीय विद्यालयों में काफी बड़े परिवर्तन हो सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री तस्लीमुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जितने भी अभी केन्द्रीय विद्यालय हैं, वे देहात में कितने परसेंट हैं और बड़े-बड़े शहरों में कितने परसेंट हैं ? सरकार की यह नीति है कि वह देहातों में और पिछड़े हुए क्षेत्रों में नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करेगी। क्या यह सरकार ऐसा इरादा रखती है कि वह देश के सभी प्रखण्डों में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करेगी ?

[अनुवाद]

प्रो० एम० जी० के० मेनन : आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहूंगा कि माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न में हम दो भिन्न पहलुओं को देख रहे हैं। एक तरफ केन्द्रीय विद्यालय और दूसरी तरफ नवोदय विद्यालय। जहां तक नवोदय विद्यालयों का संबंध है उनको स्थापित करने का प्राथमिक उद्देश्य जैसाकि योजना में दिया है विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों, में ऐसे स्कूलों को स्थापित करना है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को शिक्षा के स्तर में शहरी क्षेत्र के छात्रों के बराबर लाया जा सके। यही कोशिश भी की गई है। लेकिन, केन्द्रीय विद्यालय दूसरे उद्देश्य को लेकर स्थापित किए गए हैं जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इनका मुख्य उद्देश्य स्थानान्तरण वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की आवश्यकता की पूर्ति करना रहा है और इनको ग्रामीण क्षेत्रों में खोलने का कोई लाभ नहीं है। जहां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का स्थानान्तरण नहीं होता वहां यह योजना अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाएगी। अतएव हम इन्हें देश के उन सभी क्षेत्रों में खोलते हैं जहां इस श्रेणी के बच्चों की पर्याप्त संख्या है। अतः यह केन्द्रीय विद्यालय के उद्देश्यों के आधार पर खोले जाते हैं।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय विद्यालय खोलने के क्या नॉम्स हैं ? क्या 750 केन्द्रीय विद्यालय होने के बावजूद भी अनेक जिले आज इससे अछूते हैं और विशेषरूप से राजस्थान के जिले ? राजस्थान के बूंदी जिले में केन्द्रीय कर्मचारी बहुत बड़ी तादाद में हैं । वहां का एक प्रतिवेदन भी माननीय मंत्री महोदय के पास इससे सम्बन्धित आया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना नहीं की जा रही है । क्या माननीय मंत्री महोदय इसको प्राथमिकता देकर वहां केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करेंगे ?

[अनुवाद]

प्रो० एम० जी० के० मेनन : महोदय, मैं निश्चित तौर पर ऐसा कर सकता हूं और मेरा विश्वास है ऐसा ही कुछ उपबंध में भी दिया हुआ है। स्कूल के लिए भूमि की उपलब्धता, भवन, कुछ संख्या में छात्रों का होना आदि संबंधित शर्तें हैं और क्या यह राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार संस्थानों जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, उच्च शिक्षा संस्थानों आदि के द्वारा पूरी की जायेंगी।

अतः किसी केन्द्रीय विद्यालय को खोलने के लिए आधारभूत विशेषता है कि कुछ निश्चित शर्तें हैं, भूमि की उपलब्धता, अस्थायी आवास, पर्याप्त संख्या में छात्र और यह उन्हें उपलब्ध करानी होती है, जो प्रायोजक होते हैं । एक बार यह शर्तें पूरी हो जायें तब हम संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए इन्हें खोलते हैं। सम्पूर्ण केन्द्रीय विद्यालय संगठन गैर-योजना कोष/धन पर आधारित हैं और संसाधनों की कमी है अतः आवश्यकता के अनुरूप हम इन्हें नहीं खोल सकते हैं ।

लेकिन दूसरी तरफ यदि यह शर्तें पूरी हो जाती हैं तो मुझे निश्चित रूप से किसी व्यक्तिगत मामले, जो माननीय सदस्य के ध्यान में हो, पर विचार करने में प्रसन्नता होगी और निश्चित रूप से वहां विद्यालय खोले जा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री बृज भूषण तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा उन्होंने जो केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए मानक बताए हैं, क्या उनको ऐसी कोई शिकायतें मिली हैं कि राजनैतिक दबाव के कारण केन्द्रीय कर्मचारियों के बच्चों की संख्या कम होने के बावजूद भी यह विद्यालय खोले गए हैं ?

[अनुवाद]

प्रो० एम० जी० के० मेनन : इस समय मुझे इसकी जानकारी नहीं है । मैं निश्चित रूप से इसे देखूंगा । मुझे इस बारे में माननीय सदस्य से जानकारी प्राप्त करके प्रसन्नता होगी।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो केन्द्रीय विद्यालय अलग-अलग स्थानों पर खोले गए हैं, उनमें मेरे चुनाव क्षेत्र हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में भी एक केन्द्रीय विद्यालय है। वहां एक-एक सैक्शन में 35 विद्यार्थियों को दाखिल किया जाता है लेकिन केन्द्रीय कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है और एडमिशन लेने के लिए बहुत रश होता

है। आम तौर पर वह कहते हैं कि एम० पी० दो छात्रों को रिकमण्ड कर सकता है लेकिन जहां हजारों की संख्या में छात्र एडमीशन लेने वाले हैं और एक क्लास में 35 सीटें हैं तो क्या केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन यह प्रश्न है कि वहां 2-2, 3-3 सैक्शन कर दिए जायें ? दूसरा, नलेटी, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा नाम का एक स्थान है जहां पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने कहा था कि आप सारी फोरमलिटीज पूरी कर दो, पिछले साल, तो केन्द्रीय विद्यालय खोल दिया जाएगा। वह फारमेलिटीज पूरी की जा चुकी हैं तो क्या सरकार इस सत्र से वहां स्कूल शुरू करने जा रही है या नहीं ?

[अनुवाद]

प्रो० एम० जी० के० मेनन : महोदय, माननीय सदस्य ने केन्द्रीय विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में पूछा था। मैं उन्हें आशवासन देना चाहूंगा कि उन्होंने जिन शर्तों का उल्लेख किया है यदि वह सभी पूरी कर ली गई हैं फिर निश्चित तौर पर नये विद्यालय और नए सेक्शन खोले जा सकते हैं।

जहां तक कांगड़ा में विशेषतौर पर स्कूल खोलने का विचार है इस पर विचार किया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में हम इस ओर प्रगति करेंगे।

इस अवसर पर मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दों का उल्लेख करूंगा जहां उन्होंने कहा है कि प्रत्येक संसद सदस्य के लिए दो केन्द्रीय विद्यालय आबंटित हैं। और कुछ ऐसे हैं जो यह महसूस करते हैं कि मंत्रियों के लिए भी प्रावधान है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है स्थिति यह है कि केन्द्रीय विद्यालय, स्थानान्तरण वाले सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए खोले जाते हैं। अतः प्रत्येक अनुभाग में उनकी अधिकता होती है और उन बच्चों की जो पात्रता को पूरा करते हैं, प्रवेश दिया जाता है। कुछ सेक्शनों में कुछ खाली पड़ी सीटों/स्थानों को अन्य आधार पर भी भरा जाता है। जैसे अनुकम्पा के आधार पर, जैसे शस्त्र सेनाओं के अफसरों के लिए जो मैदानी स्थानों पर नहीं रहना चाहता और इस प्रकार अन्य पर भी विचार होता है। लेकिन मुझे बड़ी संख्या में प्रवेश के लिए ऐसे अनुरोध प्राप्त होते हैं जो स्थानान्तरण वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चे होने की पात्रता को पूरा नहीं करते। इन स्थानों को इस कारण पूरा कर पाना सम्भव नहीं हो पाता क्योंकि खाली स्थान नहीं होते।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्सक्ष महोदय, व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जो विभिन्न क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालय हैं, ये कुछ एकाउन्टेबल बनें। इसमें एडमिशन में जो इर्रेगुलैरिटीज होती हैं, उसकी जवाबदेही के लिए कोई मैनेजमेंट कमेटी बनायें, ताकि अभिभावकों के इन्टरैस्ट को भी वॉच किया जा सके और वहां जो प्रिंसिपल बैठते हैं, उनके रहमोकरम पर न हो। मैं माननीय मत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या वे कोई मैनेजमेंट कमेटी टाइप, जिसमें इलैक्टेड मैम्बर हों या कुछ और हों, बनाने पर विचार करेंगे ?

[अनुवाद]

प्रो० एम० जी० के० मेनन : महोदय, जहां तक केन्द्रीय विद्यालयों का सम्बन्ध है, विभिन्न विकास स्तरों पर संरचनाएं है जैसे केन्द्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर यह प्रबन्ध समिति के आवश्यक निर्देश हैं। लेकिन यह चुनी हुई संरचना नहीं है। हम इस पर निश्चित तौर पर विचार करेंगे कि समय के साथ प्रबन्ध-संरचनाओं को कैसे बदला जाएं। यदि संस्थान विशेष

के सम्बन्ध में कोई शिकायत है और यह मेरे समक्ष लाई जाती है। तो मुझे इस पर विचार करके प्रसन्नता होगी।

हिमाचल प्रदेश में जंगली गेंदे से तेल निकालने के लिए संयंत्र की स्थापना

*455. **श्री भक्त चरण दास** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में जंगली गेंदे से तेल निकालने के लिए एक संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के पास मंजूरी के लिए विचाराधीन पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना को मंजूरी न दिए जाने के क्या कारण कारण हैं;

(ग) क्या वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने गुलाब के तेल से इत्र बनाने की सम्भावना का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (घ) सदन के सभा-पटल पर विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) सी० एस० आई० आर० कॉम्पलेक्स, पालमपुर की अनुसंधान परिषद् ने सिफारिश की है कि जंगली गेंदे-तेल के लिए बड़े आकार के निष्कर्षण यूनिट की स्थापना की जाए तथा लागत आधार पर उगाने वालों (पैदा करने वालों) को उपलब्ध कराया जाए। इस प्रस्ताव पर वर्तमान में सी० एस० आई० आर० द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है। गेंदे के तेल निष्कर्षण के लिए एक कम क्षमता वाले आसवन यूनिट की वर्ष 1989 में सी० एस० आई० आर० कॉम्पलेक्स, पालमपुर में स्थापना की गई है। बड़े स्तर पर यूनिट की स्थापना करने व वित्तीय सहायता प्रदान करने सम्बन्धी मॉडेलिटिज सहकारी तथा वाणिज्यिक उद्यमियों की प्रतिक्रिया (उत्तर) पर निर्भर करेंगे तथा इन्हें तैयार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय औषधीय और सगंध पौधा संस्थान, (सिमैप) लखनऊ ने काश्मीर घाटी में बुलगारिया से गुलाब की एक किस्म प्रारम्भ की है और गुलाब का तेल संसाधित करने के लिए अर्धवाणिज्यिक (सेमी-कॉमर्शियल) पाइलट प्लांट प्रतिष्ठापित किया है। वर्ष 1989-90 में 5 लाख रुपए कीमत के 5 कि०ग्रा० गुलाब के तेल का उत्पादन किया गया था। सिमैप द्वारा गुलाब के तेल में प्रमुख रासायनिक घटक अभिनिर्धारित किए गए हैं। एक देश के अग्रणी इत्र विक्रेताओं में से दो ने इस गुलाब के तेल के गन्धीय (ऑल्फैक्टरी) परीक्षण किए हैं, जिन्होंने इसे उत्कृष्ट गुणता वाला तथा संसार में सबसे अच्छे (तेल) के समकक्ष पाया है। इत्र का उत्पादन उद्योग द्वारा किया जाता है।

राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (एन० बी० आर० आई०) द्वारा गुलाब के तेल का आसवन करने के लिए एक फील्ड आसवन यूनिट का अभिकल्पन तथा एक प्रक्रम को भी विकसित किया गया है।

श्री भक्त चरण दास : महोदय, भारतीय वैज्ञानिक भारत की ग्रामीण आर्थिक समस्या के समाधान के उपायों का पता लगाने की प्रक्रिया में लगे हैं। लेकिन इन वैज्ञानिकों की उपेक्षा की जा रही है और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् भी इस पहलू की उपेक्षा कर रही है। मेरे प्रश्न के भाग (क) में मंत्री ने कहा था वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने जंगली गेंदे के तेल के संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि तेल निकालने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और सहकारी और वाणिज्यिक उद्यमियों, जो जंगली गेंदे से तेल निकालने के कार्य में लगे हैं, को वित्तीय सहाता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इस प्रस्ताव पर विचार करने और इसे स्वीकृत करने में कितना समय लगेगा ?

प्रो० एम० जी० के० मेनन : जहां तक वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का सम्बन्ध है, हिताचल प्रदेश में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् पालमपुर काम्पलेक्स से इस प्रकार का प्रस्ताव है। उनकी अनुसधान परिषद् ने सुझाव दिया है कि इस विशेष उद्देश्य के लिए एक बड़े आकार के संयत्र की स्थापना की जाएं जो विशेषकर जंगली गेंदे से तेल निकालने के उद्देश्य से लगाया गया हो। इस प्रस्ताव पर विचार की आवश्यकता है क्योंकि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् वाणिज्यिक उपक्रमों को नहीं चलाती। कुज सुविधाओं को यह निश्चित तौर पर चला सकती है और बाद में इन्हें सहकारी और वाणिज्यिक क्षेत्रों द्वारा अपने हाथ में लिया जा सकता है। लेकिन, वह इस बात को प्रदर्शित कर सकते हैं कि इसे कैसे किया जा सकता है, एक छोटी क्षमता की इकाई वहां पहले ही कार्य कर रही है।

श्री भक्त चरण दास : महोदय, जंगली यदि गेंदे को उगाने से एक हेक्टेयर में एक लाख रुपए का लाभ होता है। यदि इस खेती को प्रोत्साहन दिया गया तो इससे हिमाचल प्रदेश के निर्धन परिवारों की दशा में भी सुधार होगा साथ ही इस खेती की बड़ी संभावनाएं हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस पहलू पर कुछ प्रकाश डालें।

प्रो० एम० जी० के० मेनन : जहां तक जंगली गेंदे से तेल निकालने का सम्बन्ध है, पहले ही निजि क्षेत्र में तीन तेल निकालने वाली इकाइयां कार्य कर रही हैं। एक इकाई कुलू और दो इकाई मंडी जिले में हैं जो कि वार्षिक रूप से डेढ़ टन तेल निकालती हैं इसे प्राकृतिक रूप से इकट्ठा किया जाता है। यह भी सही है कि यदि हम जंगलीं किस्म पर निर्भर रहने की बजाय इसकी खेती शुरू कर दें तो 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष उपज में वृद्धि हो सकती है। इससे एक किलोग्राम तेल का उत्पादन हो सकता है, जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है यदि वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाए तो हम 80,000 रु० से 1,00000 रु० प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष तक प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए तेल निकालने के सम्बन्ध में जानकारी विकसित की गई है। इसे 2000 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से फ्रांस और जर्मनी को निर्यात किया जा रहा है। हम इसका विस्तार करना चाहते हैं लेकिन, जैसाकि मैंने कहा है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद वाणिज्यिक संयंत्रों को स्वयं नहीं चलाती है। अत: उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह जानकारी सहकारी क्षेत्र में उनको उपलब्ध हो, जोकि गेंदे का उत्पादन कर सकते हैं और जो वैज्ञानिक और प्रोद्योगिक उद्देश्यों के लिए इसे दे सकते है।

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या कम क्षमता वाले आसवन यूनिट से कोई परिणाम मिले हैं? बड़े यूनिट की स्थापना के लिए

वित्तीय सहायता और मॉडेलिटीज सहकारी तथा कमर्शियल उद्यमियों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी ? क्या सरकार का प्रस्ताव प्राईवेट सेक्टर को आमंत्रित करने का है और यदि हो तो क्या किसी प्राईवेट सेक्टर को एप्रोच किया गया है ? और इसमें कितना समय लगेगा ?

प्रो० एम० जी० के० मेनन : जैसाकि मैंने पहले कहा है निजी क्षेत्र में तेल निकालने की इकाईयां पहले से ही स्थापित हैं । उदाहरण के लिए एक इकाई कुलू और दो मंडी में हैं । इसके लिए जानकारी उपलब्ध है लेकिन कोई यह पूछ सकता है कि यदि बड़े पैमाने पर स्थापित संयंत्र जो अनुसंधान उद्देश्य के लिए हों, यदि कोई अधिक उपजवाले जंगली गेंदों को वाणिज्यिक आधार पर उगाता है, तो वहां तेल निकाला जा सकता है या नहीं । क्या ऐसे लोगों को कोई सेवा सुविधा उपलब्ध है या नहीं ? जो मैंने कहा है, वह यह है कि यह सुविधा है जिसे सहकारी क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है और बिल्कुल इसी पहलू पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् आजकल विचार कर रही है ।

शिक्षा के लिए बजट प्रावधान में कटौती

[हिन्दी]

*456. **डा० महादीप सिंह शाक्य** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान शिक्षा के लिए बजट प्रावधान में निरन्तर कटौती की जा रही है, और शिक्षा की प्रगति की गति धीमी हो गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के शिक्षा विभागों का योजनागत बजट 1986-87 में 1097 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 1989-90 में 2374 करोड़ रुपए तक बढ़ गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

डा० महादीप सिंह शाक्य : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि शिक्षा विभागों का योजनागत बजट 1986-87 में 1097 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 1989-90 में 2374 करोड़ रुपए तक बढ़ गया है । यह बात सही है लेकिन यह धनराशि जो इन्होंने नियोजित की है वह बजट की केवल 2 दशमलव कुछ प्रतिशत है । जब जब शिक्षा के विकास की बात आती है तब तब या तो कोई कमेटी या कोई आयोग गठित कर दी जाती है । कोठारी आयोग ने एक रिपोर्ट दी थी । उसने अपनी सिफारिशों में यह कहा था कि शिक्षा पर बजट राशि का 6 प्रतिशत से कम खर्च नहीं होना चाहिए । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि कोठारी आयोग ने जो सिफारिशें की थीं उन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं ?

[अनुवाद]

प्रो० एम० जी० के० मेनन : जैसाकि आप जानते हैं कि कोठारी आयोग की रिपोर्ट दो दशक से अधिक पुरानी है। अतः यह एक नई स्थिति है। जैसाकि आप यह भी जानते हैं कि इस पर हमारी विस्तृत चर्चा हुई है। इसी कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बनी। अब इस नीति पर पुर्नविचार करेंगे तथा देखेंगे कि क्या किया जाना चाहिए।

माननीय सदस्य द्वारा जो मूल लक्ष्य बताए गए मूल मुद्दे से मैं पूर्णतया सहमत हूं। शिक्षा को अत्याधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इससे देश के लिए मानव संसाधन उत्पन्न होते हैं। किन्तु मैं कुछ सूचना देना चाहूंगा, कि हम शिक्षा पर तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर व्यय की बात कर रहे हैं यह घोषित किया गया था कि 8वीं योजना तथा बाद में इसमें राष्ट्रीय आय के अनुसार छः प्रतिशत समान रूप से वृद्धि की जाएगी। केन्द्रीय सांख्यिकी संस्थान ने हाल में 1988-89 के लिए अनुमानित राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी किए हैं जिसके अनुसार चालू कीमतों पर एन० एन० पी० 306822 करोड़ रुपये है। तथा यदि आप शिक्षा बजट की इस प्रतिशत से तुलना करें तो यह 1989-90 के लिए 4.2 प्रतिशत आता है। यह वास्तव में हमारे लक्ष्य से कम है ओर मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री यह सुनिश्चित करेंगे कि यह यथासमय इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाएगी।

[हिन्दी]

डा० महावीर सिंह शाक्य : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने शिक्षा के लिए जो बजट निश्चित किया है, क्या इसमें जनसंख्या के बढ़ते हुए प्रतिशत का भी ध्यान रखा गया है। प्रतिवर्ष बढ़ने वाली जनसंख्या का मूल्यांकन करते हुए क्या उसी अनुपात में शिक्षा बजट में संशोधन करेंगे?

[अनुवाद]

प्रो० एम० जी० के० मेनन : हम अवश्य ही अपनी आवश्यकताओं को सामने रखेंगे लेकिन दूसरी तरफ, जैसाकि आप जानते हैं कि, हमने पहले ही चालू वर्ष के लिए बजट पेश कर दिया है तथा संसाधनों पर नियन्त्रण के कारण वह वास्तव में प्राप्त नहीं किया जा सकता जो कि हम प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं कि जहां तक 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पुर्नविचार का प्रश्न है, तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक रुपया जो खर्च किया जाएगा, उससे लाभार्थियों को अधिकतम लाभ पहुंचे, तथा प्रणाली कुशल हो तथा उस क्षेत्र की ओर जाती हो जहां अधिकतम प्राथमिकता दी जाती है जैसेकि प्रारम्भिक शिक्षा, साक्षरता, लड़कियों की शिक्षा, व्यवसायिकरण आदि।

[हिन्दी]

श्री युवराज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि शिक्षा बजट में जो दिन-प्रति-दिन कमी होती जा रही है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारा मुख्य उद्देश्य गांवों में बसने वाले लोगों की निरक्षरता दूर करना है। गांवों में जो लोग साधनहीन हैं, उन लोगों की निरक्षरता दूर करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसलिए शिक्षा बजट में कमी करने का सीधा प्रभाव ग्रामीण जनता पर पड़ेगा, जिनको शिक्षित करने का हमारा उद्देश्य है, इस तरह से उनको कैसे शिक्षित किया जा सकेगा।

[अनुवाद]

प्रो० एम० जी० के० मेनन : मैं इस राय को ठीक करना चाहता हूं कि बजट में कमी आई है। मैं आपको आंकड़े बताता हूं। जहां तक केन्द्र तथा राज्यों के कुल बजट का सम्बन्ध है शिक्षा के क्षेत्र में 1986-87 में योजना में यह खर्च 1097 करोड़ रुपए से 1831 करोड़ रुपए तथा बजट में 1848 करोड़ रुपए तथा 2374 करोड़ रुपए तक बढ़ा है। इसी तरह गैर-योजना क्षेत्र में 7049 करोड़ रुपए से 7982 करोड़ रुपए तथा बाद में 9482 करोड़ रुपए से 1124? करोड़ रुपए तक बढ़ा है। अतः इसमें निरन्तर वृद्धि हुई है। किन्तु मैं माननीय सदस्य के साथ सहमत हूं कि जो कुल राशि की आवश्यकताएं थी तथा जो हम चाहते हैं वह पर्याप्त नहीं है तथा उन्होंने वास्तव में एक अत्याधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र के विषय में प्रश्न उठाया है जिसका सम्बन्ध अलाभकारी वर्ग, ग्रामीण क्षेत्र तथा साक्षरता कार्यक्रमों से है। जैसाकि आप जानते हैं इस वर्ष अर्न्तराष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित किया गया है तथा हमारी मुख्य कोशिश साक्षरता से सम्बन्धित है। यह प्रयत्न अनौपचारिक शिक्षा द्वारा, ओपरेशन ब्लैक बोर्ड, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों द्वारा किया जाएगा जोकि यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि 15 से 3? वर्ष के आयु वर्ग के बीच आने वाले 8 करोड़ अशिक्षित व्यस्कों को 1995 तक कार्यात्मक साक्षारता प्रदान की जा सके जिससे ग्रामीण क्षेत्रों, महिलाओं तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जा सके।

डा० बिप्लव दासगुप्त : क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए राशि के आवंटन में कमी की गई है ? मुझे यह जानकारी मिली है कि विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली राशि में इस 'विश्व साक्षरता' वर्ष में 20% की कटौती की गई है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

प्रो० एम० जी० के० मेनन : महोदय, वास्तविक राशि को कम नहीं किया गया है लेकिन जो बढ़ोतरी की आशा थी, वह सम्भव नहीं हो पाई है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अंटार्कटिका की यात्रा

[अनुवाद]

*457. **श्री सुधीर गिरि** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा अंटार्कटिका की वर्ष 1989 के दौरान की गयी यात्रा की क्या उपलब्धियां रही है;

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान अंटार्कटिका की यात्रा पर और वहां किए गए कार्यों के लिए कितनो धनराशि नियत की गयी थी; और

(ग) क्या वर्ष 1990-91 के दौरान भी अंटार्कटिका की कोई यात्रा की जाएगी, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) अंटार्कटिक को वर्ष 1989 के दौरान भेजे गए नौवें भारतीय अभियान ने भूमि तथा वायुमंडलीय विज्ञानों, ताराभौतिकी, जीवविज्ञान तथा ध्रुवीय चिकित्सा के क्षेत्र में उसके लिए अभिकल्पित सभी वैज्ञानिक कार्य पूरे किए। इनकी संक्षिप्त रूपरेखा संलग्न विवरण में दी गई है। नौवें अभियान के ग्रीष्मकालीन दल ने भी दक्षिण गंगोत्री में प्रथम भारतीय अंटार्कटिक केन्द्र को, जिसकी वारण्टी की अवधि समाप्त हो गयी थी, एक आपूर्ति आधार में बदलने का कार्य भी किया। उन्होंने मैत्री में शीशे का पादप गृह भी बनाया। अंटार्कटिक की शीतऋतु के दौरान वैज्ञानिक तथा संभार कार्यों को जारी रखने के लिए एक 22 सदस्यीय दल अंटार्कटिक में रहा। इस वर्ष के दौरान मैत्री क्षेत्र के आस-पास अपनी अनुसंधान गतिविधियों के उपादान तथा स्तर को बढ़ाने के अलावा, अगर बाद में अंटार्कटिक में एक दूसरा स्थायी केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया जाए तो एक उचित स्थल का चयन करने में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए अंटार्कटिक की क्रान्तिक तराइयों की आंखों देखी जानकारी और ज्ञान विकसित करने के लिए एक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अंटार्कटिक के वेडल सागर क्षेत्र को एक विशेष समन्वेषी अभियान भेजा गया।

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान अंटार्कटिक कार्यक्रम पर कुल 12.99 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गयी।

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान, एक अभियान अंटार्कटिक को भेजे जाने का प्रस्ताव है। इस अभियान के उद्देश्यों तथा सहवर्ती कार्यों सम्बन्धी विवरण तैयार किया जा रहा है।

विवरण

1. भूमि विज्ञान

1. मैत्री से लगभग 100 कि० मी० दक्षिण में हम्बोल्ट पर्वत श्रृंखला में 1:50,000 के मान पर 1000 वर्ग कि० मी० क्षेत्र के भूवैज्ञानिक मानचित्रण का कार्य पूरा किया गया। गार्नेटीफरस बायोटाइट नाइस इस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचुर चट्टान यूनिट पायी गई; क्वार्ट्ज, कैल्साइट, प्लेजियोक्लेस तथा बायोटाइट खनिज प्रमुख रूप से पाए गए। आगामी महीनों में अपेक्षाकृत परिष्कृत रासायनिक तथा खनिजीय विश्लेषण किए जाएंगे।

2. मैत्री के निकट श्रिमाचर पर्वत श्रृंखला में सर्वेक्षण किए गए 10 वर्ग कि० मी० क्षेत्र से पता चला कि वहां पर सेफरिन युक्त ग्रैनुलिटिक चट्टानें विद्यमान हैं।

3. दो वर्ष पहले जो चुम्बकीय आंकड़े एकत्र किए गए थे. उनमें पायी गयी कुछ रहस्यमय विशेषताओं का हम ढूंढने के लिए लगभग सौ गुरुत्व केन्द्रों में पांच प्रोफाइलों पर गुरुत्व सर्वेक्षण पूरे किए गए।

4. परमाणु खनिज सान्द्रणों के सम्भव क्षेत्रों का प्रतिरूपण करने के लिए अच्छे भूरासायनिक करने के वास्ते श्रिमाचार पर्वत श्रृंखला में 140 केन्द्रों से चट्टानों के 150 सैम्पल एकत्र किए गए।

2. वायुमण्डलीय विज्ञान

1. मैत्री के मार्ग और मैत्री में सिनाप्टिक मौसम वैज्ञानिक आंकड़े एकत्र किए गए। मैत्री में तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस से 7.8 डिग्री सेल्सियस तक रहा और सतही दबाव 967 से 1009 एम० बी० तक रहा। वायु की गति 9.4 से 40 नॉट तक रही। एकत्र किए गए आंकड़ों को प्रति 6 घन्टे पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, नई दिल्ली को रेडियो से भेजा गया ताकि जलवायु प्रतिरूपण किया जा सके, जिसका कि भारतीय मानसून एक महत्वपूर्ण तत्व है।

2. ओजोन घनत्व के एक मान के रूप में अल्ट्रावायलेट विकिरणों के प्रेक्षणों के साथ-साथ, अंटार्कटिक के वायुमण्डल में ओजोन परत तथा ट्रेस गैसों के बीच सम्बन्ध के भी अध्ययन जारी रखे गए।

3. यूरेनियम 238 की डिके चेन में उत्पादित एक उत्कृष्ट गैस रेडॉन की तीव्रता गोवा से अंटार्कटिक तक कम होती पाई गई और मैत्री में इसका सान्द्रण सामान्य से कम पाया गया।

3. ध्रुवीय ताराभौतिकी

सुपरग्रेन्युलेशन की संरचना तथा विकास के अध्ययन एक ही बार में अनेक दिनों तक सूर्य के अविच्छिन्न प्रकाश का प्रयोग करके किए गए।

4. समुद्रविज्ञान

1. हिमदेशीय झील और अलवय जल की झीलों की उत्पादकता का पता लगाने के लिए मूल उत्पादकता के अध्ययन किए गए। परिणामों से पता चला कि उत्पादन स्तरों में मुख्यतः प्रकाश दशा के कारण भिन्नता आई ना कि पोषकों की उपलब्धता के कारण।

2. झील के अध्ययनों से पता चला कि सूक्ष्म-प्राणिजात की सघनता अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में प्रचुर पाई गई ना कि शुष्क या उन क्षेत्रों में जहां मृदा में मॉस नयी-नयी पैदा हुई है।

3. शिमाचर की झीलों के जीवाणुओं के अध्ययनों से रोगजनक जीवाणुओं के बिल्कुल न होने का पता चला है।

5. ध्रुवीय चिकित्सा

जलवायु तथा विलगन की पराकाष्ठा की स्थितियों के लिए अनुकूलन की पद्धति तथा विधि के बारे में सार्थक निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्यों तथा खरगोशों पर शरीर क्रियात्मक और मनोवैज्ञानिक अध्ययन किए गए।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों का विकास

*458. श्री सी० एम० नेगी : क्या प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले

के बारे में 13 मार्च, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 231 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चमौली, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा और देहरादून के आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के क्या कारण हैं;

(ख) इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या कार्य योजना बनाने का विचार है;

(ग) इस प्रयोजन के लिए आठवीं योजना में कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों की स्थलाकृति, मौसम और दुर्गम स्थिति को ध्यान में रखते हुए इनका विकास करने के लिए कोई विशिष्ट नीति अपनाई जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधानमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) पर्वतीय क्षेत्रों में, भूभाग, परिवर्तनीय कृषि जलवायु दशाएं, आधारभूत संरचना की प्रति इकाई अधिक लागत और पर्वतों में रहने वाले समुदायों को अलग-अलग सामाजिक-सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण कतिपय विशेष समस्याएं हैं। ये कठिनाइयां आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाती हैं और पारिस्थितिकी प्रणाली को खतरे में डालती हैं। सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सुदृढ़ करने तथा उनमें इजाफा करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एच० ए० डी० पी०) शुरू किया था। तथापि, तीव्रतर आर्थिक विकास प्राप्त करने की जिम्मेवारी सम्बन्धित राज्य सरकार की है। चमोली, पौढ़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा और देहरादून जिले पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आते हैं।

(ग) आठवीं योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और इसलिए आबंटनों की सूचना दे पाना सम्भव नहीं है।

(घ) और (ङ) सामान्य दृष्टिकोण जिसके बारे में सम्प्रति आठवीं योजना में विचार चल रहा रहा है, यह है कि सातवीं योजना की ही तरह, विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रमों की श्रृंखला को कम से कम किया जाए और इसकी बजाय, स्थानीय निकायों द्वारा विकेन्द्रित क्षेत्र आयोजना के आधार पर एकीकृत विकास किया जाए। पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय विकास पर स्थानीय विकास में बल दिया जाएगा। केन्द्र नाजुक क्षेत्रों में स्थानीय प्राधिकारियों को सतत आधार पर क्षेत्र विकास के पारिस्थितिकीय रूप से अनुसमर्थित कार्यक्रमों को बनाने तथा कार्यान्वियन करने में पर्याप्त तकनीकी एवं अन्य आदानों को प्रदान करने में सहायता करता रहेगा। सामान्य केन्द्र सहायता के अतिरिक्त विशेष केन्द्र सहायता राज्य सरकारों को उनकी 1990-91 की वार्षिक योजना के लिए दी गयी है।

नई शिक्षा नीति पर व्यय की गई धनराशि

[हिन्दी]

*459. **श्री जगदीश सिंह कुशवाहा** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति, 1986 पर अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : केन्द्रीय और राज्य सरकारों में उनसे सम्बद्ध संस्थाओं तथा संगठनों में अधिकांश कार्यक्रमों को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (एन० पी० ई०), में जो कुछ परिकल्पित किया गया था, उसके अनुसरण में संशोधित किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार केन्द्र तथा राज्य सरकारों की योजनाओं पर 1989-90 तक किया गया प्रत्याशित व्यय 6028 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त, अन्य बजट शीर्षों जैसे कि ग्रामीण विकास से निकाली गयी धनराशियों को प्राइमरी स्कूल भवनों के निर्माण हेतु, भी व्यय किया गया है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन का चेयरमैन

[अनुवाद]

*460. **श्री बाबूराव परांजपे** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1989 से मार्च, 1990 के दौरान केन्द्रीय विद्यालय संगठन का चेयरमैन नियमित आधार पर नियुक्त था; और

(ख) यदि नहीं, तो इस पद को न भरे जाने के क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन नियमावली के नियम 3 के द्वारा प्रधानमन्त्री, शिक्षा मंत्रालय के प्रभारी मंत्री होने के नाते केन्द्रीय विद्यालय योजना के अध्यक्ष थे। तत्पश्चात् दिनांक 19-3-1990 से शिक्षा विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री को के रूप में पदनामित किया गया है।

"आई० पी० के० एफ० अन्डरएस्टीमेटिड एल० टी० टी० ई०" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

*461. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या-सरकार का ध्यान दिनांक 21 मार्च, 1990 के "दि हिन्दू" में आई० पी० के० एफ० अन्डरएस्टीमेटिड एल० टी० टी० ई०" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) प्रेस रिपोर्ट लिट्टे के केवल एक नेता की व्यक्तिगत राय है। सरकार का मत है कि भारतीय शांति सेना ने श्रीलंका में समर्पण की भावना एवं बहादुरी के साथ अपना दायित्व अनुकरणीय ढंग से निभाते हुए एक कठिन कार्य को पूरा किया है।

झुडपी जंगल" सम्बन्धी वन कानून

*462. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के "झुडपी जंगल" सम्बन्धी उपबन्धों के कारण महाराष्ट्र में विशेषकर नागपुर जिले में, गन्दी बस्ती सुधार सम्बन्धी अनेक योजनाएं कार्यान्वित की गयी हैं;

(ख) क्या सरकार का इस मामले को निपटाने के लिए नागपुर में एक उच्च स्तरीय दल भेजने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और सरकार का इस सम्बन्ध में क्या अन्य कदम उठाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) महाराष्ट्र में गन्दी बस्ती सुधार से सम्बन्धित ऐसा कोई प्रस्ताव इस मन्त्रालय में लम्बित नहीं है जिसमें झुडपी जंगल आता है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष भर्ती अभियान

*463. **डा० भगवान दास राठौर :**
डा० किरोड़ी लाल मीणा :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालयों/विभागों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित खाली चले आ रहे बकाया पद के भरने के लिए दूसरा भर्ती अभियान शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब से तथा तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसके लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है ?

प्रधानमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) आरक्षित पदों को भरने के लिए जून, 1990 में कार्यवाही आरम्भ की जाएगी । अक्तूबर, 1990 के अन्त तक यह अभियान पूरा हो जाने की सम्भावना है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और केन्द्रीय विद्यालय संगठन के बीच समझौता

*464. **श्री मान्धाता सिंह :**
श्री रामजी लाल सुमन :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन और विभिन्न क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालयों का प्रायोजन करने वाले प्राधिकारियों के बीच क्या समझौते हुए हैं;

(ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन और नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, भारत अल्यूमीनियम

कम्पनी, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के बीच संगठन के कर्मचारियों के आवास के सम्बन्ध में इन समझौतों में क्या व्यवस्था की गई है;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्यालय, भारत अल्यूमीनियम कम्पनी, कोरबा में इस सम्बन्ध में केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों और प्रायोजकों के बीच असहमति है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह समस्या सुलझाने के लिए संगठन ने क्या कदम उठाए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (घ) प्राधिकारियों द्वारा (i) सिविल/प्रतिरक्षा क्षेत्र; और (ii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्चतर अध्ययन की संस्थाओं में केन्द्रीय विद्यालयों के प्रायोजन सम्बन्धी दी गयी वचनबद्धता (शर्तों सहित) के प्रचलित प्रपत्र संलग्न विवरण 1 और 2 में दिए गए हैं।

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन० टी० पी० सी०), भारत एल्यूमिनियम कम्पनी (बाल्को), तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की परियोजना सेक्टर के अन्तर्गत, केन्द्रीय विद्यालयों के कर्मचारियों के आवास सम्बन्धी ब्यौरे संलग्न विवरण-3 में दिए गए हैं।

कोरबा स्थित बाल्को केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों को क्वार्टरों के आवंटन से सम्बन्धित समस्या पर कुछ अध्यापकों में व्याप्त अशांति की रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है। इस मामले को केन्द्रीय विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष के साथ उठाया गया है और सम्बन्धित सहायक-आयुक्त को इस समस्या के समाधान के लिए वैयक्तिक रूप से प्रायोजित प्राधिकारियों के साथ इस मामले पर चर्चा करने के निर्देश दिए गए हैं।

विवरण-1

सिविल/रक्षा क्षेत्र के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए शर्तें :

नोट : सिविल/रक्षा क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा शर्तों को स्वीकार करना प्रथम शर्त है प्रायोजक प्राधिकारी से अपेक्षित है कि वह चार प्रतियों में शर्तों की स्वीकृति और पुष्टि प्रस्तुत करे

1. सामान्य

(क) संगठन किसी विद्यमान विद्यालय को अपने अधिकार में नहीं लेता।

(ख) संगठन अपनी अनुमोदित शिक्षा पद्धति के अनुसार ही अपने स्वयं के किसी नए केन्द्रीय विद्यालय को खोलता है।

(ग) संगठन बाल बिहार (किंडगार्डन) अथवा पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं का संचालन नहीं करता।

(घ) संगठन किसी भी परिस्थिति में वर्तमान विद्यालय के कर्मचारियों में से किसी एक को भी संगठन में नियुक्त/समाविष्ट करने की जिम्मेदारी नहीं लेगा लेकिन, वर्तमान कर्मचारी संगठन द्वारा समय-समय पर विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए जारी किए गए विज्ञापनों के अनुसार आवेदन करने के लिए स्वतन्त्र हैं और बाह्य उम्मीदवारों के साथ प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं।

2. भूमि और भवन

विद्यालय के स्थायी भवन के निर्माण के लिए लगभग 15 एकड़ आकार के एक उपयुक्त भूमि खण्ड को मुफ्त या नाममात्र के लाइसेंस शुल्क पर मुहैया करना होगा। विद्यालय को चलाने के लिए प्रायोजक प्राधिकारी तब तक उपयुक्त अस्थायी आवास भी मुफ्त या नाममात्र के किराए पर मुहैया करेगा जब तक संगठन अपने सीमित साधनों से अपने स्वयं का स्थायी विद्यालय भवन उस भूमि पर नहीं बना लेता जिसे प्रायोजक प्राधिकारी ने मुहैया करवाया था। संगठन को वास्तविक रूप से भूमि के स्थानांतरण के पश्चात् यह अवधि करीब 5-7 वर्ष की हो सकती है। मुहैया की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का स्थल-नक्शा संलग्न करने की कृपा करें।

3. अस्थायी आवास

विद्यालय आरम्भ करने के लिए मोटे तौर पर 6.1 मी० × 7.3 मी० या 6.9 मी० × 7.3 मी० आकार के कम से कम 20 कमरों की आवश्यकता होती है जिनमें प्रत्येक सैक्शन के कम से कम 40 विद्यार्थी बैठ सकें। यह आवास आरम्भ में दो-दो सैक्शनों की पहली से पांचवीं तक की कक्षाओं को खोलने तथा अगले 3 से 4 वर्षों के दौरान भावी विस्तार, प्राचार्य कक्ष, कर्मचारी कक्ष, प्रयोगशाला कक्ष, विद्यालय कार्यालय और विद्यालय के अन्य विविध क्रियाकलापों के लिए आवास मुहैया कराना आवश्यक है। आवास का एक रेखा-मानचित्र (स्कैच मैप) संलग्न किया जाए जिसमें दिए जाने वाले प्रस्तावित कमरों के आकार का भी उल्लेख किया गया हो। एक बार उपलब्ध करवाया गया अस्थायी आवास किसी भी परिस्थिति में तब तक वापस नहीं किया जाएगा जब तक इस सम्बन्ध में प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाया गया वैकल्पिक आवास संगठन की सन्तुष्टि के अनुसार न हो या जब तक संगठन अपने स्वयं का भवन निर्माण नहीं कर लेता।

4. रिहायशी आवास

प्रायोजक प्राधिकारी को कम से कम 50% रिहायशी आवास प्राथमिकता के आधार पर उन्हीं शर्तों पर उपलब्ध करवाने होंगे जो समनुरूप पद वाले उनके अपने कर्मचारियों पर लागू होती है। विद्यालय के खुलने से पूर्व ऐसे सभी रिहायशी आवासों को चिह्नित करना होगा।

5. प्रवेश प्राथमिकताएं

रक्षा/सिविल क्षेत्रों के केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए निम्नलिखित प्राथमिकताएं निर्धारित की गयी हैं :—

1. रक्षा/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सीमा सुरक्षा बल के वर्दीधारी कार्मिकों, अखिल भारतीय सेवाओं और भारतीय विदेश-सेवा के कर्मचारियों के बच्चों सहित केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चे।

2. केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णरूपेण वित्त-पोषित स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे ।

3. अस्थानांतरणीय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा रक्षा कार्मिकों के बच्चे ।

4. केन्द्रीय विद्यालयों की शिक्षा पद्धति को अपनाने के इच्छुक उन लोगों के बच्चे जो एक जगह स्थायी तौर पर नहीं रहते जिनमें असैनिक लोगों के बच्चे भी शामिल हैं ।

उपरोक्त नीति को भारत सरकार ने अनुमोदित किया है और इस तथाकथित नीति का किसी भी रूप में उल्लंघन नहीं किया जा सकता ।

टिप्पणी :—

(क) उपरोक्त प्रत्येक प्राथमिकता प्राप्त श्रेणी के भीतर प्रवेश-परीक्षा और/या साक्षात्कार में बच्चे के उत्तीर्ण होने पर, उन कर्मचारियों के बच्चों को, जिनके पूर्वगामी सात वर्षों के दौरान अधिक स्थानान्तरण हुए हैं, उन माता-पिता के बच्चों से अधिक वरीयता मिलेगी जिनके इस अवधि के दौरान कम स्थानान्तरण हुए हैं उन्हें भी स्थानान्तरणीय नहीं माना जाएगा जिनका पूर्वगामी सात वर्षों के दौरान ऐसा एक भी स्थानान्तरण नहीं हुआ जिसके कारण उन्हें अपना स्थान बदलना पड़ा हो, प्रवेश की दृष्टि से 3 मास की अवधि से कम के स्थानान्तरण/अस्थायी सेवा (ड्यूटी)/प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम/अन्यत्र कहीं लघु कालिक कार्यों के बारे में संबंद्धता और पृथकता को "स्थानान्तरण" नहीं माना जाएगा । अत: प्रस्तावित केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश "स्वत" (आटोमेटिक) नहीं होगा । विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा में बैठना होगा और कक्षा में उनको ही प्रवेश दिया जाएगा जो उपयुक्त और सही पात्र पाए जाएंगे ।

(ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा समय-समय पर प्रवेश, शुल्क संरचना, पाठ्य विवरण शिक्षण माध्यम, छात्र-निधि का उपयोग, पाठ्य पुस्तकों, परीक्षा, पदोन्नति, कर्मचारियों की स्वीकृति के लिए मानदण्डों, शिक्षकों की अर्हताओं, उनकी नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानान्तरण आदि के सम्बन्ध में जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन केन्द्रीय विद्यालयों को कड़ाई से करना होगा ।

6. कर्मचारी वर्ग

केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा समस्त कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति उनके लिए समय-समय पर निर्धारित किए गए वेतनमानों और शर्तों के आधार पर की जाएगी ।

7. विद्यालय प्रबन्ध समिति

विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन संगठन द्वारा निर्धारित पैटर्न के अनुसार किया जाएगा ।

8. सम्बन्धन

विद्यालय अपने आपको केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से उचित समय पर सम्बद्ध कराएगा ।

9. केन्द्रीय विद्यालय को चलाने हेतु बनी शर्तों का प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा उल्लंघन करने पर संगठन को केन्द्रीय विद्यालय को बन्द करने और सम्पदा और देयताओं के निपटान की जांच करने का अधिकार होगा ।

10. आगे भारत सरकार द्वारा दिए गए निदेशों के प्रकाश में शासी मंडल द्वारा किए गए निर्णयों के अनुरूप उपरोक्त शर्तें संशोधनीय हैं ।

प्रायोजक प्राधिकारी के हस्ताक्षर
और मोहर

स्थान :

दिनांक :

विवरण-2

सार्वजनिक क्षेत्र/उच्च शिक्षा के संस्थानों के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए शर्तें :

नोट : सार्वजनिक क्षेत्र/उच्च शिक्षा के संस्थानों में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा शर्तों को स्वीकार करना । प्रायोजक प्राधिकारी से अपेक्षित है कि चार प्रतियों में शर्तों की स्वीकृति और पुष्टि प्रस्तुत करें

1. सामान्य

(क) संगठन किसी विद्यमान विद्यालय को अपने अधिकार में नहीं लेता ।

(ख) संगठन समान पाठ्यक्रम और शिक्षा-पद्धति वाले अपने स्वयं के नए केन्द्रीय विद्यालय खोलता है ।

(ग) संगठन बाल विहार (किंडर गार्डन) अथवा पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं का संचालन नहीं करता ।

(घ) संगठन किसी भी परिस्थिति में वर्तमान विद्यालय के कर्मचारियों में से किसी एक को भी संगठन में नियुक्त/समाविष्ट करने की जिम्मेदारी नहीं लेगा लेकिन, वर्तमान कर्मचारी संगठन द्वारा समय-समय पर विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए जारी किए गए विज्ञापनों के अनुसार आवेदन करने के लिए स्वतन्त्र हैं और बाह्य उम्मीदवारों के साथ प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं ।

2. वित्तीय दायित्व

किसी नए केन्द्रीय विद्यालय को भारत सरकार के उपक्रम अथवा उच्च शिक्षा संस्थान के परिसर में खोला जा सकता है बशर्ते कि वह आवास, भूमि, भावी विकास हेतु सुविधाओं तथा प्रस्तावित

विद्यालय पर होने वाले आनुपातिक ऊपरी खर्चों सहित आवर्ती तथा अनावर्ती खर्चों को वहन करने के लिए सहमत हो जाता है।

3. प्रस्तावित केन्द्रीय विद्यालय के लिए भूमि एवं भवन

प्रायोजक प्राधिकारी को लगभग 15 एकड़ आकार का एक उपयुक्त भूमिखण्ड निःशुल्क प्रदान करना होगा जिस पर प्रायोजक प्राधिकारी को अपने ही कोष में से संगठन के मानकों के अनुसार विद्यालय भवन/कर्मचारियों के लिए मकान/छात्रावास/क्रीड़ा स्थल विकसित एवं निर्मित करने होंगे। वर्तमान भवन के मामले में यह अनिवार्य है कि इसमें कम से कम 20 कमरे ऐसे आकार के होने चाहिए जिनमें 40 विद्यार्थी प्राप्त प्रति सैक्शन के अनुसार बैठ सकें। यह आवास आगामी 3-4 वर्षों के लिए केन्द्रीय विद्यालय के भावी विस्तार सहित दो-दो सैक्शनों की पांचवीं तक की कक्षाओं के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। इसमें प्राचार्य कक्ष, कर्मचारी कक्ष, पुस्तकालय, कार्यालय तथा संगीत, एन० सी० सी०, स्काउटिंग तथा गाईडिंग, समाजोपयोगी उत्पादन कार्य जैसी अन्य विविध गतिविधियों के लिए आवास भी शामिल होंगे। आवास के एक रेखा मानचित्र को संलग्न करें जिसमें उपलब्ध करवाए जाने वाले प्रस्तावित कमरों के आकार का उल्लेख किया गया हो। एक बार उपलब्ध करवाया गया अस्थायी आवास किसी भी परिस्थिति में तब तक वापस नहीं किया जाएगा जब तक इस सम्बन्ध में प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाया गया वैकल्पिक आवास संगठन की संतुष्टि के अनुसार न हो या जब तक संगठन अपने स्वयं का भवन निर्माण नहीं कर लेता।

4. रिहायशी मकान

प्रायोजक प्राधिकारी को शत प्रतिशत रिहायशी मकान प्राथमिकता के आधार पर उन्हीं शर्तों पर उपलब्ध करवाने होंगे जो समनुरूप पद वाले उनके अपने कर्मचारियों पर लागू होती हैं।

5. प्रवेश

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षा संस्थानों के केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश प्राथमिकताएं।

केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेशों के नियन्त्रण का एकमात्र मूल आधार माता-पिता के स्थानान्तरणीयता की जांच अर्थात् किसी माता-पिता के पूर्वगामी 7 वर्षों के दौरान कुल कितने स्थानान्तरण हुए हैं। पूर्वगामी 7 वर्षों के दौरान जिन कर्मचारियों के स्थानान्तरणों की संख्या अधिक है उन कर्मचारियों के बच्चों को उन कर्मचारियों के बच्चों से वरीयता मिलेगी जिनके इस अवधि के दौरान स्थानान्तरणों की संख्या कम है।

II. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में केन्द्रीय विद्यालय

(क) सम्बन्धित उपक्रम के कर्मचारियों के बच्चे बशर्ते कि यह उपक्रम आवर्ती तथा अनावर्ती, भूमि, भवन तथा उपकरणों इत्यादि पर होने वाले सभी प्रकार के खर्चों को वहन करने के लिए सहमत हो जाता है।

(ख) वर्दीधारी रक्षा/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों तथा अखिल भारतीय सेवा और भारतीय विदेश सेवा के कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चे।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णरूपेण वित्त पोषित स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चे ।

(घ) अस्थानान्तरणीय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और रक्षा कार्मिकों के बच्चे ।

(ङ) केन्द्रीय विद्यालयों की शिक्षा पद्धति को अपनाने के इच्छुक उन लोगों के बच्चे जो एक जगह स्थायी तौर पर नहीं रहते जिनमें असैनिक लोगों के बच्चे भी शामिल हैं ।

III. **उच्च शिक्षा संस्थानों में केन्द्रीय विद्यालय**

(क) उन संस्थानों के कर्मचारियों के बच्चे जो भूमि, भवन, उपस्कर, आवर्ती और अनावर्ती तथा भावी विकास से सम्बन्धित सभी खर्चों को वहन करते हैं।

(ख) वर्दीधारी रक्षा/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों तथा अखिल भारतीय सेवा और भारतीय विदेश सेवा के कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चे ।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णरूपेण वित्त पोषित स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चे ।

(घ) अस्थानान्तरणीय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और रक्षा कार्मिकों के बच्चे ।

(ङ) केन्द्रीय विद्यालयों की शिक्षा पद्धति को अपनाने के इच्छुक उन लोगों के बच्चे जो एक जगह स्थायी तौर पर नहीं रहते जिनमें असैनिक लोगों के बच्चे भी शामिल हैं ।

टिप्पणी : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षा के संस्थानों में स्थापित केन्द्रीय विद्यालय के मामलों में जिनके प्रायोजक-प्राधिकारी सभी प्रकार के खर्चों को वहन करते हैं, उनके कर्मचारियों के बच्चों को प्रवेश में सर्वोपरि प्राथमिकता मिलेगी । तत्पश्चात् उपरोक्त सामान्य श्रेणियां अपनी प्राथमिकता प्राप्त करेंगी । प्रायोजक उपक्रम या उच्च शिक्षा के संस्थानों के कर्मचारियों के बच्चों की मांग को पूरा करने के बाद ही संगठन अन्य प्राथमिकता प्राप्त श्रेणियों के बच्चों को प्रवेश देगा । अन्य केन्द्रीय विद्यालयों से स्थानान्तरण पर आने वाले बच्चों को स्वतः ही प्रवेश दे दिया जाएगा । भारत सरकार द्वारा अनुमोदित उपरोक्त प्रवेश-नीति का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया जाएगा । अतः प्रस्तावित केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश स्वतः नहीं होंगे । विद्यार्थियों को एक प्रवेश-परीक्षा देनी होगी । तदनुसार उन्हें उसी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा जिसके लिए वे सही और उपयुक्त पात्र पाए जाएंगे ।

6. कर्मचारी वर्ग

केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा समस्त कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति उनके लिए समय-समय पर निर्धारित किए गए वेतनमानों और शर्तों के आधार पर की जाएगी ।

7. विद्यालय प्रबन्ध समिति

विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन संगठन द्वारा निर्धारित पैटर्न के अनुसार किया जाएगा ।

8. सम्बन्धन

विद्यालय अपने आपको केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से उचित समय पर सम्बद्ध कराएगा।

9. केन्द्रीय विद्यालय को चलाने हेतु बनी शर्तों का प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा उल्लंघन करने पर संगठन को केन्द्रीय विद्यालय, को बन्द करने और सम्पदा और देयताओं के निपटान की जांच करने का अधिकार होगा।

10. आगे भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के प्रकाश में/शासी मण्डल द्वारा किए निर्णयों के अनुरूप उपरोक्त शर्तें संशोधनीय हैं।

ऊपर दी गई शर्तें स्वीकार की जाती हैं और इसकी पुष्टि की जाती है।

प्रायोजक प्राधिकारी के हस्ताक्षर
और मोहर

स्थान :

दिनांक :

विवरण-3

आवास के ब्यौरे—निम्नलिखित स्कूलों के खोले जाने के समय प्रायोजित एजेंसियों के रूप में भारत एल्मुनियम क० लि०, राष्ट्रीय खनन विकास निगम, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा स्वीकार की गई शर्तें

क्रम सं०	परियोजना प्राधिकारियों द्वारा आवास के लिए स्वीकार की गई शर्तें	स्कूल का नाम	प्रायोजित एजेंसी का नाम
1	2	3	4
1.	प्रायोजित प्राधिकारियों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर स्टाफ के लिए शत प्रतिशत आवास प्रदान किया जाएगा जिन शर्तों पर उसके उसी प्रकार के स्टाफ को आवास दिया जाता है।	1. आकाशनगर, म० प्र०	राष्ट्रीय खनन विकास निगम
		2. डिबीयापुर, उ० प्र०	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन
		3. रिहान्द नगर, उ० प्र०	—वही—
		4. अन्ता कोटा, राजस्थान	—वही—
		5. काहलगांव, बिहार	—वही—
		6. बी० सी० पी० पी० कोरबा, म० प्र०	—वही—
		7. दादरी, उ० प्र०	—वही—
		8. कम्बे, गुजरात	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग
		9. नाजीरा, असम	—वही—
		10. पनवेल, बम्बई	—वही—

1	2	3	4
		11. जोरहाट, असम	—वही—
		12. सिल्चर, असम	—वही—
2.	इस आशय की वचनबद्धता कि शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ को उसी आधार तथा उन्हीं दरों पर उपयुक्त आवास प्रदान किया जाएगा जोकि उसके अपने कर्मचारियों के लिए निर्धारित है।	13. कोरबा, म० प्र०	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन
		14. फरक्का सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, प० बंगाल	—वही—
		15. बदरपुर, नई दिल्ली	—वही—
		16. रामागुड़म, आंध्र प्रदेश	—वही—
3.	परियोजना अधिकारियों द्वारा प्रिंसिपल तथा स्टाफ के लिए किराए आदि के सम्बन्ध में उन्हीं सामान्य शर्तों पर उपयुक्त आवास मुहैया कराया जाएगा जो सम्बन्धित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के उसी प्रकार के स्टाफ को लागू होती है।	17. बचेली, म० प्र०	—वही—
		18. किरनडुल, म० प्र०	—वही—
		19. अंकलेश्वर, गुजरात	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग
4.	परियोजना अधिकारियों द्वारा प्रिंसिपल तथा स्टाफ के लिए किराए आदि के सम्बन्ध में उन्हीं सामान्य शर्तों पर उपयुक्त आवास मुहैया कराया जाएगा जोकि उसी तरह के उनके स्टाफ को लागू होती है।	20. बालको, कोरबा, म० प्र०	भारत एल्यूनियम क० लि०
		21. डोनीमलाई, कर्नाटक	राष्ट्रीय खनन विकास निगम
		22. शिबसागर, असम	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग

1	2	3	4
5.	शत प्रतिशत स्टाफ के लिए आवास ।	23. मेहसाना, गुजरात	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग
6.	प्रायोजित प्राधिकारियों द्वारा प्रिंसिपल, शिक्षण स्टाफ तथा गैर-शिक्षण स्टाफ के लिए उन्हीं सामान्य शर्तों पर किराए आदि के लिए उपयुक्त आवास मुहैया कराया जाएगा जैसी कि उसी पर उनके स्टाफ को लागू होती है।	24. शक्तिनगर, उ० प्र०	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन
7.	प्रिंसिपल के साथ-साथ उनके अन्य शिक्षण तथा गैर-शिक्षण स्टाफ को उनकी पात्रता के अनुसार आवास प्रदान किया जाएगा। सम्बन्धित कर्मचारी से उसके मूल वेतन का 10% किराया लिया जाएगा अथवा मानक किराया लिया जाएगा जो भी कम है ।	25. देहरादून, उ० प्र०	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग
8.	सम्बन्धित अधिकारियों को उनके स्तर के अनुसार शत प्रतिशत स्टाफ क्वार्टर उपलब्ध कराए जाएंगे ।	26. त्रिपुरा, अगरतला	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के बारे में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट

*465. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के क्रियाकलापों के बारे में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नवीनतम रिपोर्ट में दिए गए निष्कर्षों की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में यदि कोई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं तो उनका ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् से सम्बन्धित वर्ष 1987-88 की नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में की गई टिप्पणियां नोट कर ली गई हैं। उन टिप्पणियों पर, सुधारात्मक और उपचारी कार्रवाई, जिनमें यह आवश्यक थी, पहले ही शुरू की जा चुकी है। इस रिपोर्ट में दर्शाए गए प्रमुख मुद्दे, जिनपर कार्रवाई की गई है, निम्नलिखित है :—

क्र०सं०	मुद्दे	की गई कार्रवाई
1	2	3
(i)	रा० शैं० अ० प्र० प० ने विज्ञान किटों के उत्पादन के लिए लाभ-हानि लेखे तैयार नहीं किए हैं और इस बात को सत्यापित करने का कोई उपाय नहीं था कि क्या उत्पादित विज्ञान किटें वास्तव में "बिना लाभ-हानि आधार" पर थीं, जैसी कि अपेक्षा थी।	विज्ञान किटों की कीमत में प्रत्येक चार वर्षों में संशोधित किया जाता है। कीमत तय करते समय, निवेश लागत तथा श्रम और अन्य लागत घटकों का ध्यान रखा जाता है। लाभ-हानि लेखा रखने के लिए भी कार्रवाई शुरू की गई है, जैसाकि लेखा परीक्षा कार्यालय ने सुझाव दिया था।
(ii)	विज्ञान कार्यशाला विभाग ने जनशक्ति तथा मशीनरी की अधिकतम क्षमता और उनकी वास्तविक उपयोगिता की समीक्षा नहीं की, विज्ञान किटों के उत्पादन में जनशक्ति की कम उपयोगिता ध्यान में आई।	स्टाफ निरीक्षण एकक ने कार्यशाला विभाग की समीक्षा की है और इसके निष्कर्षों की प्रतीक्षा है।
(iii)	भण्डारों की वास्तविक जांच प्रत्येक वर्ष नहीं की गई है। 1978 तथा 1985 में की गई वास्तविक जांच के दौरान पाई गई कमी/अधिकता पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।	अब सभी खरीददारियों को केन्द्रीयकृत किया जा रहा है और प्रत्येक विभाग से कहा गया है कि वह एक डेडस्टाक रजिस्टर रखें। परिषद् ने एक वास्तविक जांच दल भी नियुक्त किया है।

1	2	3
(iv)	माप, मूल्यांकन, सर्वेक्षण तथा डाटा प्रोसेसिन्ग विभाग द्वारा .984-85 से 1977-88 के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यशालाओं/सेमीनारों में विकसित सामग्री को अंतिम रूप देने में हुई प्रगति पर नजर रखने के लिए कोई पद्धति तैयार नहीं की गई ।	विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित कार्यशालाओं सेमिनारों के दौरान विकसित सामग्री को अंतिम रूप देने में हुई प्रगति पर नजर रखने के लिए एक उपयुक्त तंत्र तैयार किया गया है ।
(v)	कार्यशाला विभाग ने विज्ञान किटों तथा किट बक्सों के उत्पादन में उपयोग में लाए गए कच्चे माल का लेखा नहीं रखा ।	विज्ञान किटों तथा किट बक्सों के उत्पादन के लिए कार्यशाला विभाग द्वारा प्राप्त किए गए कच्चे माल का उपयुक्त खपत लेखा तैयार करने और उसे रखने के उपाय किए गए हैं ।

शिक्षा के लिए धनराशि

466. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इन राज्यों में साक्षरता में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई;

(ग) प्रत्येक राज्य द्वारा योजना परिव्यय का कितना प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जा रहा है; और

(घ) क्या उन राज्यों को कोई विशेष प्रोत्साहन देने की कोई योजना है जिनके इस क्षेत्र में परिणाम अच्छे रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ग) सातवीं योजना में शिक्षा के लिए राज्यवार परिव्यय और सातवीं योजना में कुल परिव्यय के व्यय की प्रतिशतता दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) सातवीं योजना के दौरान साक्षरता में प्रतिशतता में हुई वृद्धि की सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जनगणना आंकड़े जिनसे साक्षरता दरों के परिकलन का आधार बनता है, 1981 में एकत्र किए गए थे । अगली जनगणना 1991 में ही आयोजित की जानी है ।

(घ) जी, नहीं ।

विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सातवीं योजना में शिक्षा के लिए अनुमोदित परिव्यय	कुल अनुमोदित योजना परिव्यय के प्रत्याशित व्यय की प्रतिशतता
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	208.70	5.71
2.	अरुणाचल प्रदेश	52.50	18.48
3.	असम	186.00	13.32
4.	बिहार	320.75	7.23
5.	गोआ	39.12	16.67
6.	गुजरात	104.96	2.39
7.	हरियाणा	161.41	5.99
8.	हिमाचल प्रदेश	64.70	9.25
9.	जम्मू और कश्मीर	82.62	10.28
10.	कर्नाटक	182.00	3.85
11.	केरल	73.00	3.52
12.	मध्य प्रदेश	212.51	7.06
13.	महाराष्ट्र	324.38	3.41
14.	मणिपुर	37.12	11.42
15.	मेघालय	33.02	9.96
16.	मिजोरम	20.25	10.98
17.	नागालैंड	26.00	8.51
18.	उड़ीसा	175.50	9.47
19.	पंजाब	112.07	3.08
20.	राजस्थान	216.40	10.15
21.	सिक्किम	28.00	18.50
22.	तमिलनाडु	307.65	5.79

1	2	3	4
23.	त्रिपुरा	29.67	18.85
24.	उत्तर प्रदेश	332.25	5.11
25.	पश्चिम बंगाल	320.00	7.10
26.	अंडमान-निकोबार द्वीप समूह	18.40	10.07
27.	चंडीगढ़	31.25	15.03
28.	दादरा और नगर हवेली	8.08	12.83
29.	दमन और दीव	(गोआ में शामिल)	
30.	दिल्ली	291.00	11.85
31.	लक्षद्वीप	4.55	12.87
32.	पांडिचेरी	40.15	29.24

ट्रांजिट कैम्प, गुवाहटी से लापता अधिकारी

*467. **श्री कृपाल सिंह** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 871 लाइट रेजिमेंट के सेकेन्ड लेफ्टिनेंट रैंक के कुछ अधिकारी ट्रांजिट कैंप, गुवाहाटी से 5 मार्च, 1990 से लापता हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन अधिकारियों को खोजने के कोई प्रयास किए गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या लापता अधिकारियों के परिवारों के सदस्यों को इस बात की सूचना दे दी गई है; और

(छ) सरकार का इन अधिकारियों को खोजने के लिए और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) और (ख) 871 लाइट रेजिमेंट का एक सैन्य अफसर सैकिण्ड लेफ्टिनेंट मुनीश शर्मा 5 मार्च, 1990 से गुवाहाटी ट्रांजिट कैम्प से लापता है।

(ग) से (ङ) पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट 16 मार्च, 1990 को दर्ज की गई। सभी

बड़े अस्पतालों से सम्पर्क किया गया है। उस अफसर के फोटोग्राफ और ब्यौरे स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए गए हैं और उनके लापता होने की सूचना गुवाहाटी के दूरदर्शन केन्द्र से प्रसारित की गई है।

इस सम्बन्ध में जांच अदालत बिठाई गई है और जांच कार्य चल रहा है।

(च) जी, हां।

(छ) पुलिस की जांच के परिणामों और जांच अदालत के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाही की जाएगी।

कम्प्यूटर वायरस

*468. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कम्प्यूटर वायरस की ऐसी घटनाएं जानकारी में आई हैं, जिनसे कम्प्यूटरों का कार्यकरण प्रभावित हुआ हो, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है; और

(ग) कम्प्यूटर वायरस से उत्पन्न समस्या से निपटने हेतु इस समय उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ग) विसाखापत्तनम, बम्बई, दिल्ली, बंगलौर आदि में कम्प्यूटरों के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले "कम्प्यूटर विषाणुओं" के बारे में समाचारपत्रों में रिपोर्ट प्रकाशित हुई हैं। इलेक्ट्रानिक विभाग ने समय-समय पर प्राप्त "कम्प्यूटर विषाणुओं की रिपोर्टों के मामले में विस्तृत अध्ययन करने, ऐसे विषाणुओं के फैलने के सम्भावित कारणों का पता लगाने तथा सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति की सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल हैं : सामान्य जागरुकता पैदा करना; कम्प्यूटर के प्रयोगकर्ताओं को सुरक्षा का प्रशिक्षण देना; विभिन्न तरीकों से सॉफ्टवेयर तथा आंकड़ों का संरक्षण और कुछ सुधारात्मक उपाय जैसे कि प्रणाली के डिस्केटों में "लेखन सुरक्षा संकेतकों (राइट प्रोटेक्शन टैग)" का इस्तेमाल; कम्प्यूटरों के बीच परस्पर आंकड़ों तथा प्रोग्रामों के अन्तरण पर सख्त नियंत्रण; संकेत शब्दों का बारंबार परिवर्तन; लेखा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी प्रोग्रामों का प्रयोग; फाइलों के रूप में समुचित सहायता (बैक अप) उपलब्ध कराना आदि। समिति की अधिकांश सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। कम्प्यूटर के विभिन्न विषाणुओं के कई "प्रतिकारी" प्रोग्राम विकसित किए गए हैं। ये प्रतिकारी प्रोग्राम बाजार में उपलब्ध हैं।

पटना विश्वविद्यालय

[हिन्दी]

*469. **श्री नीतीश कुमार : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ग) ऐसा कोई भी प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है । पटना विश्वविद्यालय को राज्य विधान मंडल के एक अधिनियम के अन्तर्गत और एक नीति के तौर पर स्थापित किया गया है । केन्द्रीय सरकार राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित नहीं करती ।

अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की प्रगति

[अनुवाद]

*470. **कुमारी उमा भारती** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा आदि के क्षेत्रों में शैक्षिक परियोजनाओं के माध्यम से विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों की सहायता से राज्य-वार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए; और

(ख) इस सम्बन्ध में उपयुक्त प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी धनराशि खर्च हुई ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार गैर औपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा की परियोजनाओं को चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान देती है । इन परियोजनाओं में प्रत्येक केन्द्र में लगभग 25/30 नौसिखियों के लिए गैर औपचारिक अथवा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को चलाना शामिल है । स्वैच्छिक संगठनों के लिए संस्वीकृत इन केन्द्रों में राज्यवार अनुमानित दाखिला और पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1987-88, 1988-89, 1989- 0 में किया गया खर्च संलग्न विवरण-1 और 2 में दिया गया है ।

चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं पर कोई खर्च नहीं किया गया ।

विवरण-1

क्रम सं०	राज्य संघ शासित प्रदेश का नाम	गै० औ० शि० संस्वीकृत केन्द्रों में अनुमानित दाखिला			प्रौ० शि० संस्वीकृत केन्द्रों में अनुमानित दाखिला		
		1987-88	1988-89	1989-90	1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	35,500	64,000	81,500	46,200	75,600	85,050
2.	असम	—	—	10,750	11,700	20,400	26,850
3.	बिहार	1,625	19,250	49,750	9,600	22,650	41,700
4.	गुजरात	2,500	61,625	61,625	89,250	80,400	81,600
5.	हरियाणा	2,500	15,625	19,625	24,900	8,700	30,900
6.	हिमाचल प्रदेश	—	7,500	7,500	—	—	—
7.	कर्नाटक	—	1,250	3,750	62,100	34,500	40,050
8.	केरल	—	3,750	3,750	6,900	19,800	—
9.	मध्य प्रदेश	2,025	8,275	12,025	18,000	19,800	18,900
10.	महाराष्ट्र	—	65,625	65,625	19,650	59,550	30,000
11.	मणिपुर	—	—	2,500	8,400	12,000	12,600

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	नागालैंड	—	—	—	50	—	—
13.	उड़ीसा	12,500	1,52,625	1,60,750	29,700	21,600	55,500
14.	पंजाब	—	—	—	450	13,800	13,800
15.	राजस्थान	24,900	36,775	43,275	54,300	22,500	92,160
16.	तमिलनाडु	—	17,500	17,500	37,900	29,100	1,17,300
17.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	1,800
18.	उत्तर प्रदेश	17,625	40,125	62,625	1,55,700	71,700	1,68,180
19.	पश्चिम बंगाल	—	18,750	25,000	32,400	43,500	33,630
20.	दिल्ली	5,000	11,250	12,500	33,300	51,900	71,400
	कुल :	2,18,675	5,23,925	6,40,050	6,90,600	6,07,500	9,21,420

विवरण-2

वर्ष	गै० औ० शि० केन्द्रों पर किया गया व्यय (लाख में)	प्रौ० शि० केन्द्रों पर किया गया व्यय (लाख में)
1987-88	218.53	723.28
1988-89	551.02	955.06
1989-90	600.91	1386.82

दिल्ली में पब्लिक स्कूल

[हिन्दी]

*471. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालयों की प्रबन्ध समितियों द्वारा इन विद्यालयों के भवनों में पब्लिक स्कूल शुरू कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विद्यालयों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इन भवनों में पब्लिक स्कूल चलाने की अनुमति देना दिल्ली शिक्षा अधिनियम, 1973 और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो दिल्ली प्रशासन द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिल्ली में सहायता प्राप्त माध्यमिक तथा सीनियर माध्यमिक स्कूलों के भवनों में प्रबन्ध समितियों द्वारा निम्नलिखित 15 पब्लिक स्कूल शुरू किए गए हैं :—

1. सेंट जॉन माध्यमिक स्कूल, खेड़ा खुर्द।
2. मनेन्द्र शक्ति विद्यालय, केशवपुरम।
3. शहीद उद्यम सिंह सह-शिक्षा माध्यमिक स्कूल, शास्त्री नगर।
4. शिशु भारती पब्लिक स्कूल।
5. महावीर जैन सीनियर माध्यमिक स्कूल, नई सड़क।
6. कमलेश बालिका विद्यालय, सीताराम बाजार।
7. रामजस सीनियर माध्यमिक स्कूल, दरियागंज।
8. सन्त निरंकारी सीनियर माध्यमिक स्कूल पहाड़ गंज।
9. सी० एल० भल्ला डी० ए० वी० माध्यमिक स्कूल, झण्डेवालान।

10. नवशक्ति सीनियर माध्यमिक स्कूल, राउज एवेन्यू।

11. दयानन्द माडल स्कूल, मन्दिर मार्ग।

12. जे० वी० एस० डी० स्कूल, लिंक रोड।

13. एस० डी० हरि मंदिर बालिका विद्यालय, नबीकरीम।

14. स्वामी श्रद्धानन्द मैमोरियल स्कूल, पंजाबी बाग।

15. एस० डी० गुजरात माध्यमिक स्कूल, कीर्तिनगर।

सहायता प्राप्त स्कूलों के भवनों में इन पब्लिक स्कूलों को चलाने के लिए दिल्ली प्रशासन ने अनुमति प्रदान नहीं की है। इन स्कूलों के विरुद्ध कार्रवाई के सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन अपने विधि विभाग से परामर्श कर रहा है। इन स्कूलों के विरुद्ध कार्रवाई, यदि कोई हो, तो वह दिल्ली प्रशासन के विधि विभाग की सलाह पर निर्भर होगी।

पंजाब में शहरी क्षेत्रों में शिक्षा संस्थाओं के लिए स्थलों का निर्धारण

[अनुवाद]

4808. **बाबा सुच्चा सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में शहरी क्षेत्रों में शिक्षा संस्थाओं के लिए कितने स्थान निर्धारित किए गए हैं;

(ख) गैर-सरकारी संस्थाओं के लिए ऐसे कितने स्थान आवंटित किए गए हैं;

(ग) ऐसे आवंटनों के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) उनके द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की दर में कितनी भिन्नता है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सेना से भगोड़े सिखों की रिहाई

[हिन्दी]

4809. **स० अतिन्दर पाल सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना से भागे उन सिखों की रिहाई के बारे में क्या कार्यवाही की गई है जो वर्ष 1984 में "आपरेशन ब्लू स्टार" के बाद अपने बैरकों से भाग गए थे;

(ख) उस समय मारे गए सिपाहियों के निकट सम्बन्धियों को क्या लाभ देने का विचार है;

(ग) जिन जवानों को उनके मूल जिलों तथा पंजाब से बाहर सैकड़ों मील दूर की जेलों में बन्द रखा गया और इलाहाबाद में नैनी जेल में जिन बारह जवानों को बन्द रखा गया, उन्हें कब तक रिहा किए जाने की सम्भावना है और उन्हें रिहा करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(घ) सेना से भागे हुए जवानों की कुल संख्या कितनी है, भगोड़ों को उनके बैरकों से भागने से रोकते समय कितने जवान मारे गए थे और कितने जवान अभी तक जेलों में बन्द हैं; और

(ङ) सेना से भागे कितने मृतक जवानों के निकट सम्बन्धियों को वित्तीय सहायता दी गई ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) 15 सैनिकों को छोड़कर, सभी को सिविल जेलों से छोड़ दिया गया है।

(ख) उस समय दिवंगत सैनिकों के निकटतम रिश्तेदारों को निम्नलिखित लाभ दिए गए हैं :—

(1) सामान्य परिवार पेंशन।

(2) सैन्य सामूहिक बीमा के लाभ।

(ग) इस समय नैनी जेल (उत्तर प्रदेश) में केवल दो जवान हैं और उन्हें पंजाब की जेलों में स्थानान्तरित किया जाएगा।

(घ) सेना के भगोड़े सैनिकों की कुल संख्या 2,709 है। इनमें से 49 मारे गए। 15 अभी जेलों में हैं।

(ङ) 49।

टी० वी० की बिक्री में कमी

[अनुवाद]

4810. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष टी० वी० की बिक्री में कोई कमी आई है;

(ख) क्या सरकार का सादे टी० वी० पर लगाए गए उत्पाद शुल्क को हटाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं तो टी० वी० के मूल्य को ग्रामीण लोगों द्वारा इसे खरीदने की सीमा तक लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) दूरदर्शन सेटों के उत्पादन में थोड़ी सी गिरावट आई है। वर्ष 1988 में जहां 44 लाख श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन सेटों का उत्पादन हुआ था वहां वर्ष 1989 में 40 लाख श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन सेटों का उत्पादन हुआ। वर्ष 1988 में जहां 13 लाख रंगीन दूरदर्शन सेटों का उत्पादन हुआ था वहां वर्ष 1989 में 12 लाख रंगीन दूरदर्शन सेटों का उत्पादन हुआ।

(ख) और (ग) 15 से० मी० से अधिक किन्तु 36 से० मी० से कम आकार के पर्दे वाले श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन सेटों को पहले ही उत्पादन शुल्क से छूट दी गई है। इस समय श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन सेटों की अन्य श्रेणियों में छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दूरदर्शन उद्योग को ग्रामीण/अर्धशहरी तथा सुदूर स्थानों पर विपणन सुविधा तथा बिक्री-उपरान्त-सेवा उपलब्ध कराने के कार्य में तेजी लाने की तथा बिक्री बढ़ाने के लिए कल्पनाशील उपाय करने की सलाह दी गई है।

"बांज (ओक) वन"

4811. **श्री सी० एम० नेगी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सम्पूर्ण देश में बांज (ओक) वनों की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो देश में और उत्तर प्रदेश के पौड़ी, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा जिलों में बाज (ओक) वनों का क्षेत्रफल कितना-कितना है;

(ग) उस स्थान और क्षेत्र का नाम क्या है जहां देश मे सबसे बड़ा बांज (ओक) वन हैं; और

(घ) गढ़वाल के पर्वतों में बांज (ओक) वृक्षों के रोपण और उनके संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

परमाणु इंधन कम्प्लेक्स तथा उड़ीसा सैंड कम्प्लेक्स

4812. **श्री भजमन बेहेरा :**
श्री अनादि चरण दास :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परमाणु इंधन कम्प्लेक्स तथा उड़ीसा सैंड कम्प्लेक्स को पूरा करने तथा इसकी उपलब्धियों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : सातवें दशक के आरम्भ में आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद में नाभिकीय इंधन सम्मिश्रण की स्थापना पहली पीढ़ी के विद्युत रिएक्टरों के लिए महत्वपूर्ण किस्म के नाभिकीय सघटकों का निर्माण करने के लिए की गई थी। इस समय ये उत्पादन क्षमता काम कर रहे मौजूदा दाबित भारी पानी किस्म के रिएक्टरों के लिए इंधन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। निर्माणाधीन परमाणु विद्युत परियोजनाओं, अर्थात् नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना-II तक, की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संयन्त्रों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है।

उड़ीसा खनिज रेत उद्योग समूह ने, जोकि इण्डियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड की एक परियोजना है, अक्तूबर, 1986 से वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन शुरू कर दिया था। वर्ष 1989-90 में खनिजों का

उत्पादन निम्नानुसार रहा :

इल्मेनाइट	88671 मीटरिक टन
रूटाइल	223 मीटरिक टन
जर्कन	1118 मीटरिक टन
सिलिमेनाइट	197 मीटरिक टन
सिंथेटिक रूटाइल	7670 मीटरिक टन
मोनाजाइट	589 मीटरिक टन

उड़ीसा खनिज रेत उद्योग समूह में कुछ परिवर्धन/परिवर्तन किए जा रहे हैं। इस कार्य के पूरा हो जाने पर, उत्पादन में काफी वृद्धि होगी।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन समीक्षा समिति की सिफारिशें

[हिन्दी]

4813. **श्री रामजी लाल सुमन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन समीक्षा समिति द्वारा चेयरमैन के पद के लिए नामांकन की विधि और उसकी शक्तियों के बारे में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ये सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) केन्द्रीय विद्यालय की समीक्षा समिति ने सिफारिश की कि "संगठन का एक पूर्ण कालिक अध्यक्ष होना चाहिए जो एक शिक्षाविद् होना चाहिए।"

(ख) और (ग) सरकार का यह मत है कि राज्य मंत्री (शिक्षा) को केन्द्रीय विद्यालय संगठन का और शासी बोर्ड का अध्यक्ष बने रहना चाहिए।

विश्वविद्यालयों को पुस्तकों और पत्रिकाओं के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान सहायता

[अनुवाद]

4814. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न विश्वविद्यालयों को पुस्तकालयों के लिए पुस्तकें और पत्रिकाएं खरीदने हेतु धन उपलब्ध करा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

ने विभिन्न विश्वविद्यालयों को कितनी धनराशि दी; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा के ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय को पुस्तकें खरीदने के लिए कितनी धनराशि दी गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षण और अनुसंधान की कोटि और स्तर को बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान प्रदान करता है । इन अनुदानों में विश्वविद्यालयों द्वारा पुस्तकों और पत्रिकाओं की खरीद के लिए सहायता शामिल है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पुस्तकों और पत्रिकाओं के लिए 101 विश्वविद्यालयों को 1820.74 लाख रुपए का कुल अनुदान प्रदान किया ।

(ग) ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय, उड़ीसा को पुस्तकों और पत्रिकाओं की खरीद के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान 16.50 लाख रुपए का कुल अनुदान प्रदान किया गया था ।

भारतीय भाषाओं के लिए कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी

4815. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल :**
डा० ए० के० पटेल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिकी विभाग भारतीय भाषाओं के लिए कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए उत्तरदायी है; और

(ख) यदि हां, तो योजनाओं, लक्ष्यों, वित्त-प्रबन्ध, उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है तथा उपर्युक्त प्रयोजनार्थ कार्यक्रमों के समन्वय के लिए कितनी पूर्णकालिक जनशक्ति की आवश्यकता होगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास नामक एक कार्यक्रम तैयार किया है जिसे आठवीं योजना के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा । इस कार्यक्रम के मुख्य लक्ष्य और उनसे होने वालो अनुमानित उपलब्धियों में निम्नलिखित शामिल है : पाठ रचना प्रणालियों का विकास, खासकर मंदगति से सीखने वाले मूक तथा बधिर व्यक्तियों के लिए भाषा ज्ञानार्जन प्रणालियां, सीमित क्षेत्र में अनुवाद के लिए कम्प्यूटर साधित अनुवाद प्रणालियां मानव-मशीन अन्तः सम्पर्क (इण्टरफेस) प्रणालियां जैसे कि आशुलिपि तथा अक्षर पहचान प्रणालियां, बहुभाषी सूचना प्रदर्श प्रणालियां, सीमित शब्दावली इनपुट-आउटपुट प्रणालियां आदि ।

इस कार्यक्रम के लिए आठवीं योजना के दौरान 17 करोड़ रु० की राशि व्यय होने का अनुमान लगाया गया है । लेकिन इसे अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के मुख्य ग्रुप द्वारा इस कार्यक्रम का समन्वय किया जाएगा ।

राष्ट्रीय सेवा योजना

4816. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सेवा योजना की मुख्य बातें क्या-क्या हैं; और

(ख) युवा शक्ति को सही दिशा प्रदान करने की दृष्टि से इस योजना को और अधिक प्रभावी एवं सृजनात्मक बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) राष्ट्रीय सेवा योजना (एन० एस० एस०) का लक्ष्य समुदाय सेवा के द्वारा छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना तथा लोगों के साथ रचनात्मक विचार-विमर्श एवं कार्य करने के अवसर प्रदान कर सामाजिक चेतना उत्पन्न करना है। महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में कोई छात्र, जो राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए स्वैच्छिक कार्य करता है, उससे लगातार दो वर्षों की अवधि तक इसमें रहने तथा प्रतिवर्ष कम से कम 120 घण्टे की सामाजिक सेवा करने के अतिरिक्त विशेष शिविर कार्यक्रमों में भाग लेना अपेक्षित है। कुछ राज्यों में इस योजना को +2 स्तर तक भी बढ़ाया गया है।

(ख) योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आठवीं योजना के दौरान निम्नलिखित कदम उठाए जाने प्रस्तावित है :—

I. योजना के अन्तर्गत कार्यक्षेत्र का विस्तार;

II. और राज्यों में +2 स्तर पर योजना को शुरू करना;

III. राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं में छात्रों को शामिल करना;

IV. प्रशिक्षण तथा दिग्विन्यास केन्द्रों (टी० ओ० सी०) तथा प्रशिक्षण दिग्विन्यास एवं अनुसंधान केन्द्रों (टी० ओ० आर० सी०) का विस्तार; तथा

V. उत्कृष्ट स्वयंसेवकों के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कारों की स्थापना।

वैज्ञानिकों द्वारा आत्म-हत्या

4817. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय के विभिन्न अनुसंधान संगठनों में किन-किन वैज्ञानिकों/अनुसंधान छात्रों ने आत्म-हत्या की है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या इन मामलों की कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रक्षा मंत्रालय के किसी अनुसंधान संगठन/प्रयोगशाला में नियुक्त किसी वैज्ञानिक ने आत्महत्या नहीं की है। लेकिन विद्यार्थी ने 25-12-89 को आत्म-हत्या की। यह विद्यार्थी, जो "एम-टैक फैलोशिप" पाठ्यक्रम

कर रहा था, भारतीय वैज्ञानिक संस्थान, बंगलौर में रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा प्रायोजित (स्पान्सर) किया गया था। इस विद्यार्थी के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

नाम — श्री के० सूर्य प्रकाश

आयु — 25 वर्ष

शैक्षणिक अर्हता—बी० ई०

स्थाई पता—मकान संख्या 2-4-108 ८, ठिम्बोलियादा, हैदराबाद।

(ख) कर्नाटक पुलिस ने इस मामले की जांच की थी। शव-परीक्षा (पोस्ट मार्टम) रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु गले में फांसी लगने के परिणामस्वरूप सांस रुकने के कारण हुई। श्री सूर्य प्रकाश आत्म-हत्या के कारण का एक नोट छोड़ गए थे जिसमें उन्होंने आत्महत्या के लिए किसी को उत्तरदायी नहीं ठहराया था।

पिछड़े इलाकों के विकास के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र का सहयोग लेना

4818. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का, निकट भविष्य में मध्य प्रदेश के पिछड़े इलाकों के त्वरित विकास के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र का सहयोग लेने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ कुछ इलाकों का चयन किया गया है,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ) भारत सरकार, मध्य प्रदेश सहित समस्त देश के औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में त्वरित विकास में योगदान हेतु कई उद्यमियों को, जिनमें निजी क्षेत्र के उद्यमी भी शामिल हैं, प्रोत्साहन देती रही है। इन प्रोत्साहनों में अनुज्ञापन, निवेश इमदाद, आयकर में लाभ, और वित्तीय संस्थाओं से रियायती सहायता आदि के क्षेत्रों में उदारीकरण शामिल है। मध्य प्रदेश में अभिनिर्धारित औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की एक सूची, जो ऐसे लाभों के लिए पात्र हैं, संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

मध्य प्रदेश में श्रेणी क, ख और ग के अन्तर्गत शामिल पिछड़े जिलों की सूची

श्रेणी (क)

1. बालाघाट
2. भिण्ड
3. छत्तरपुर

4. छिंदवाड़ा
5. दमोह
6. दतिया
7. धार
8. गुना
9. झाबुआ
10. मान्डला
11. नरसिंहपुर
12. पन्ना
13. राजगढ़
14. सीवनी
15. शिवपुरी
16. सीधी
17. सरगुजा
18. टीकमगढ़

श्रेणी ख (छह क्षेत्र :—5? $\frac{1}{4}$ जिलों अथवा 4 जिलों के समतुल्य)

क्षेत्र I : (पूर्वी प्रदेश से) इसमें समाविष्ट खंडों के नाम हैं :—कोरबा, बलोदा, चम्पा, कोटा, मस्तूरी और बिल्हा (बिलासपुर) खंड (बिलासपुर जिले से) भाटपारा सिम्बा, टिल्दा, भार सिवा (रायपुर) अभनपुर और रजिम खंड (रायपुर जिले से)।

क्षेत्र II : (पश्चिमी प्रदेश से) इसमें समाविष्ट खडों के नाम हैं : देवास और टोंक खुर्द खंड (देवास जिले से) गुलना, शुजलपुर और शाजापुर खंड (शाजापुर जिले से)

क्षेत्र III : (उत्तरी प्रदेश से) इसमें समाविष्ट खंडों के नाम ये हैं : मुरैना और नौरा (मुरैना जिले से)

क्षेत्र IV : मध्यवर्ती जिले से) इसमें समाविष्ट खंडों के नाम ये हैं : भिंड-इटावा, खुरी-बांदा (विनायक), राहतगढ़, सागर, शाहगढ़ (अमरमउ) (सागर जिले से), विदिशा और ग्यारसपुर (विदिशा जिले से)।

क्षेत्र V : (पश्चिमी प्रदेश-II से) इसमें समाविष्ट खंडों के नाम ये हैं : महेश्वर, और बरवाना (खरगौन जिले से), रतलाम और जरूआ (रतलाम जिले से), मंदसौर, मल्हारगढ़ और नीमच (मन्दसौर जिले से)।

क्षेत्र V : (पूर्वोत्तर प्रदेश से) इसमें समाविष्ट खंडों के नाम ये हैं : रीवा और रायपुर (गढ़) (रीवा जिले से)।

श्रेणी-ग : जिलों की संख्या : 19

बस्तर, बेतुल, बिलासपुर (कोरबा, बलोदा, चम्पा, कोटा, मस्तूरी और बेल्हा को छोड़कर) बिलासपुर खंड (देवास) देवास और टोंक खुर्द खंडों को छोड़कर (होशंगाबाद, खरगोन) महेश्वर और बरवाना खंडों को छोड़कर (मन्दसौर) मन्दसौर मल्हारगढ़ और जऊरा खंडों को छोड़कर (रायगढ़, रायपुर) भरतपुर, सिम्गा, टिंडा, धारसिवा, (रायपुर), अभनपुर और रजिम खंडों को छोड़कर (राजनादगांव, रायसेन, शाजापुर) गुलना, शुजलपुर और शाजापुर खंडों को छोड़कर (रतलाम) रतलाम और जरूआ खंडों को छोड़कर (रीवा) रीवा और राजपुर को छोड़कर (गढ़ खंडों) सागर बीना-इटावा खुरी-बांदा को छोड़कर (विनायका) राहतगढ़, सागर, शाहगढ़ (अमरमऊ खंडों) विदिशा (विदिशा और ग्यारसपुर खंडों को छोड़कर) न्यू सीहोर।

रवीन्द्रनाथ टैगोर के भवन का परीक्षण

4819. **श्री अनादि पुजारी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रवीन्द्रनाथ टैगोर के भवन का परिरक्षण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ग) रवीन्द्रनाथ टैगोर के पैतृक घर के भवनों की मरम्मत/नवीकरण के लिए रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय के वित्तीय सहायता के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विचार किया गया और आयोग इस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय को 10 लाख रुपए का अनुदान उपलब्ध करने के लिए सहमत है। विश्वविद्यालय को अनुदान की प्रथम किश्त के रूप में 5 लाख रुपए का पहले ही भुगतान कर दिया गया है।

उड़ीसा में इंजीनियरी कालेज खोलना

4820. **श्री अनादि चरण दास** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा राज्य में उच्च प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए किसी इंजीनियरी कालेज और ऐसे सहयोगी संस्थानों की स्थापना का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में सिंचाई के लिए धनराशि

4821. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को सिंचाई के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में कोई धनराशि आवंटित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस धनराशि का पूरा उपयोग किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सिंचाई के लिए सातवीं योजना के लिए 270 लाख रु० अनुमोदित परिव्यय की तुलना में सातवीं योजना के दौरान संभावित व्यय 278.275 लाख रु० है।

सामाजिक वानिकी

4822. **श्री के० प्रधानी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने प्रतिशत भूमि सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत लाई गई है;

(ख) क्या देश में हरित पट्टी कार्यक्रम का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) हरित पट्टी कार्यक्रम के विस्तार के लिए, यदि कोई कदम उठाए गए हैं, तो वे क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) छठी योजना अवधि (1980-85) में वनीकरण कार्यक्रम, जिसमें सामाजिक वानिकी भी शामिल है, के अन्तर्गत लगभग 4.65 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र पर वृक्षारोपण किया गया। सातवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान अर्थात् 1985-86 से 1988-89 तक 7.14 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया। सातवीं योजना अवधि (1985-91) के दौरान वृक्षारोपण का अनुमानित क्षेत्र लगभग 9.0 मिलियन हैक्टेयर है।

(ख) और (ग) सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में तथा उनके आस-पास हरित पट्टी विकसित किए जाने के कार्यक्रम, राज्य स्तरीय एजेंसियों द्वारा पहले से ही कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इन कार्यकलापों का देशव्यापी मूल्यांकन अभी नहीं किया गया है।

(घ) सातवीं योजना अवधि के दौरान सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को पर्याप्त रूप में व्यापक बनाया गया है और इस प्रवृत्ति को इसी तरह जारी रखा जाएगा।

विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र की परियोजनाएं

4823. **श्री टी० बशीर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र द्वारा केरल में आरम्भ की गई नई यूनिटों अथवा परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1990-91 के लिए इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यक्रम बनाया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) वर्ष 1989-90 की परियोजनाएं और कार्यक्रम 1980-90 दशाब्द के अन्तरिक्ष अनुसंधान के लिए स्वीकृत प्रोफाइल के भाग हैं। 1980-90 के प्रोफाइल में शामिल कार्यक्रम और परियोजनाएं 1989-90 के दौरान प्राप्ति के विविध चरणों में है और इनमें से विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र जिनसे सम्बन्धित हैं, उनमें से प्रमुख कुछ निम्न प्रकार हैं :—

— निम्न भू-कक्षा में परिक्रमा करने वाले 150 कि० ग्रा० भार की श्रेणी के श्रोस उपग्रहों के प्रमोचन के लिए सम्वर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट (ए० एस० एल० वी०) का विकास ।

— पृथ्वी की निकट ध्रुवीय कक्षाओं में 1000 कि० ग्रा० भार की श्रेणी के आई० आर० एस० उपग्रहों के प्रमोचन में सक्षम ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी० एस० एल० वी०) का विकास ।

— भू-तुल्यकालिक कक्षा में द्वितीय पीढ़ी के इन्सैट श्रेणी के उपग्रहों के प्रमोचन में सक्षम भू-तुल्यकालिक प्रमोचक राकेट (जी० एस० एल० वी०) के विकास के लिए अपेक्षित कुछ क्रियाकलापों को प्रारम्भ करना ।

— परियोजना सम्बन्धी क्रियाकलापों के अलावा विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र में अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी और अन्तरिक्ष विज्ञान पर नियमित अनुसंधान तथा विकास क्रियाकलाप भी किए जाते हैं ।

(ख) उपर्युक्त (क) में निर्दिष्ट क्रियाकलाप भी 1990-91 के कार्यक्रम के भाग हैं ।

इलेक्ट्रॉनिकी और कम्प्यूटर शिक्षा का माध्यम

4824. **डा० ए० के० पटेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलेक्ट्रॉनिकी और कम्प्यूटर शिक्षा के लिए हिन्दी माध्यम अपनाए जाने के सम्बन्ध में झा समिति की रिपोर्ट की सिफारिशें क्या हैं;

(ख) इस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इन कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों, पुस्तकों, पत्रिकाओं और प्रयोगशाला परीक्षण सुविधाओं का प्रबन्ध करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) 'झा समिति' की रिपोर्ट में हिन्दी माध्यम से कम्प्यूटर की शिक्षा शामिल है। मुख्य सिफारिशों में ये शामिल हैं : हिन्दी में कम्प्यूटर

पाठ्यक्रम आरम्भ करना, हिन्दी में शिक्षण सामग्री तथा सॉफ्टवेयर का विकास करना, बहुभाषी शब्द संसाधन सुविधा में अभिवृद्धि करना।

(ख) रिपोर्ट पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने 9 संस्थानों में हिन्दी माध्यम से कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ किया है। यह एक केन्द्र में हिन्दी माध्यम से कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है। हिन्दी माध्यम से पुस्तकें लिखने के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा रहे हैं।

(ग) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने हिन्दी में इलेक्ट्रॉनिकी विषय पर मौलिक तकनीकी लेखन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता योजना आरम्भ की है। कम्प्यूटरों में हिन्दी के प्रयोग के लिए सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी के विकास से सम्बन्धित कई कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं। ग्राफिक्स तथा बुद्धि पर आधारित लिपि प्रौद्योगिकी जिस्ट जिसके अन्तर्गत विभिन्न भारतीय भाषाओं में लिप्यन्तरण की सुविधाएं उपलब्ध हैं, को उद्योग को उत्पादन के लिए अन्तरित कर दिया गया है।

भारतीय कम्प्यूटर कम्पनियों का कारोबार

4825. **श्री रामदास सिंह : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय कम्प्यूटर कम्पनियों में से प्रत्येक ने एक सौ करोड़ रुपए का कारोबार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों के नाम क्या हैं और वर्ष 1988-89, 1989-90 के दौरान इनके तथा उनके उत्पादों का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1990-91 में इनका कितना उत्पादन होने का अनुमान है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) जी, हां। ये कम्पनियां हैं : सीएमसी लिमिटेड, हिन्दुस्तान कम्प्यूटर्स लिमिटेड (एचसीएल) तथा विप्रो इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड।

सीएचसी लिमिटेड न केवल आयातित और साथ ही स्वदेशी कम्प्यूटरों का अनुरक्षण करता है बल्कि घरेलू और निर्यात बाजार के लिए सॉफ्टवेयर का विकास करता है, कम्प्यूटर पर आधारित अनुप्रयोगों के लिए प्रणाली इंजीनियरी तथा आद्योपान्त (टर्नकी) समाधान प्रस्तुत करता है, कम्प्यूटर नेटवर्किंग सेवाएं और शिक्षण एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है।

एससीएल लिमिटेड ऐसी कम्प्यूटर प्रणालियों का विनिर्माण करता है जिसमें वैयक्तिक, मिनी, वर्क स्टेशन, सॉफ्टवेयर विकास, परीक्षण एवं परिमापन उपकरणों का उत्पादन, दूरसंचार उत्पादों, रेप्रोग्राफिक प्रणाली, फोटोकापियर आदि शामिल हैं। साथ ही ये कम्पनी आयातित उपकरणों, कम्प्यूटर प्रणालियों, संचार उत्पादों एवं सॉफ्टवेयर का विपणन कार्य भी करती है।

विप्रो इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड (डब्ल्यूआईटीएल) ऐसी कम्प्यूटर प्रणालियों के विनिर्माण में जुटी हुई है, जिसमें सूक्ष्म, मिनी, वर्क स्टेशन तथा मुद्रक जैसे कम्प्यूटरों के उपान्त उपस्कर

(पेरिफरल) शामिल हैं। साथ ही स्वदेशी एवं निर्यात बाजार के दोनों के लिए ही सॉफ्टवेयर का विकास करती है, आयातित कम्प्यूटर प्रणालियों, सॉफ्टवेयर तथा चिकित्सा उपकरणों का विपणन करती है।

इन तीनों कम्पनियों के वर्ष 1988-.9 में हुए कारोबार के आंकड़े और वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के कारोबार के अनुमानित आंकड़े नीचे दिए अनुसार हैं :—

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

वर्ष	एमएमसी	एचसीएल*	विप्रो
1988-89	105	177	94
1989-90	120	300	115
1990-91	152	375	150

*एचसीएल का वित्तीय वर्ष जुलाई से जून तक है।

इलेक्ट्रानिक सामान का आयात

4826. **श्री रामेश्वर प्रसाद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1986 से 31 दिसम्बर, 1989 तक की अवधि के दौरान प्रतिवर्ष कितने मूल्य के इलेक्ट्रॉनिकी सामान का आयात किया गया और कितने मूल्य के सामान का देश में उत्पादन किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रतिवर्ष कितने मूल्य के इलेक्ट्रानिक सामान का निर्यात किया गया; और

(ग) वर्ष 1984-85 और 89-90 के दौरान इस सामान के मूल्य के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ग) वर्ष 1984-85 से 1989-90 की अवधि के दौरान इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में हुए उत्पादन तथा निर्यात का कुल मूल्य निम्नानुसार है :—

वर्ष	उत्पादन (करोड़ों रुपयों में)	निर्यात (करोड़ रुपयों में)
1984-85	2081	155
1985-86	2880	178
1986-87	3855	258
1987-88	5285	343
1988-89	7030	520
1989-90	9210	850

चूंकि विदेशी व्यापार से सम्बन्धित आंकड़े मोटे तौर पर केवल वस्तुओं के समूह के लिए ही रखे जाते हैं, अतः इलेक्ट्रानिक संघटक पुर्जों/सामानों के आयात से सम्बन्धित आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर के अनुसंधान और विकास कार्यक्रम

4827. **श्री एम० एम० पल्लम राजू** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर स्थित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी केन्द्र ने "लेजर और एक्सीलरेटर" प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके उद्योग और चिकित्सा के लिए कोई नए उपकरण विकसित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इससे उद्योग और चिकित्सा को जो प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस केन्द्र की स्थापना के समय से अनुसंधान और विकास पर अब तक कितनी वार्षिक धनराशि खर्च की गयी है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना त्वरकों और लेसरों के क्षेत्रों में प्रमुख कार्य शुरू करने की दृष्टि से की गयी है। त्वरकों के क्षेत्र में जो मुख्य कार्यक्रम हैं वह दो सिंक्रोट्रान विकिरण स्रोतों, इन्डस-1 और इंडस-2 का निर्माण करना है। ये सिंक्रोट्रान विकिरण स्रोत तीव्र निर्वात पराबैंगनी विकिरण और एक्स-किरण उत्सर्जित करेंगे जिनका अनुप्रयोग मूल अनुसंधान, आयुर्विज्ञान और उद्योग के क्षेत्रों में व्यापक रूप मे किया जाएगा। प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र उद्योगों में काम में आने वाले इलेक्ट्रान त्वरक का भी विकास कर रहा है, जिनको ताप प्रतिरोधी केबलों का उत्पादन करने के लिए केबल उद्योग में, खाद्य सामग्री का परिरक्षण करने में, निम्नकोटि के प्लास्टिक का उत्पादन करने में और ताप संकुच्य प्लास्टिक आदि में काम में लाया जा सकता है। लेसर सम्बन्धी कार्यक्रम के एक अंश के रूप में, सामान्य शल्यचिकित्सा के लिए 40 वाट वाली एक कार्बनडाइआक्साइड लेसर प्रणाली का विकास किया गया है तथा अस्पतालों में पशुओं पर इसकी जांच की जा रही है। प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र द्वारा चिकित्सा मे काम आने वाली अन्य लेसर प्रणालियों, जैसे कि लेसर फोटोकोगुलेटर, लेसर एंडोस्कोप आदि का भी विकास किया जा रहा है। औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए 500 वाट पावर वाले एक कार्बनडाइआक्साइड लेसर, जो परिशुद्ध कटिंग और वेल्डिंग आदि कर सकता है, का विकास किया गया है। 1000 वाट, 2000 वाट और 5000 वाट पावर वाले और अधिक शक्तिशाली लेसरों का भी विकास किया जा रहा है।

(ग) व्यय की गई राशि	लाख रुपए
मार्च 1986 तक	609.00
1986-87	272.00
1987-88	644.00
1988-89	940.00
1989-90	1266.00
कुल जोड़ :	3731.00

स्वदेशी उपग्रह

4828. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तरिक्ष विमानों तथा उपग्रहों का अपने देश में ही निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या उपलब्धि हुई है; और

(ग) भारत की अन्तरिक्ष के क्षेत्र में क्षमताओं में वृद्धि करने के सम्बन्ध में सरकार की भावी योजना का ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, हां।

(ख) भारत अन्तरिक्ष अनुसंधान के लिए पहले ही अनेक उपग्रहों का स्वदेशी रूप में निर्माण कर चुका है। प्रथम उपग्रह आर्यभट से प्रारम्भ करके, भारत ने दो प्रायोगिक सुदूर संवेदन उपग्रह भास्कर-I और भास्कर-II, प्रायोगिक संचार उपग्रह "एप्पल" और रोहिणी शृंखला के उपग्रहों का निर्माण किया है। प्रायोगिक कार्यक्रमों के माध्यम से अवसंरचना और क्षमता की स्थापना करके, भारत ने अपना प्रचालनात्मक सुदूर संवेदन उपग्रह, भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई० आर० एस० 1 ए०) का निर्माण किया, जिसे 17-3-1988 को छोड़ा गया और अब यह प्रचालनात्मक है तथा आंकड़े प्रदान कर रहा है, जिन्हें वानिकी, जलविज्ञान, भूविज्ञान और कृषि के क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है। प्रथम पीढ़ी के प्रचालनात्मक इन्सैट-I शृंखला के उपग्रहों की संकल्पना भारत द्वारा डिजाइन की गयी थी, और इन्हें विदेश से प्राप्त किया गया था। द्वितीय पीढ़ी के स्वदेशी इन्सैट-II अन्तरिक्षयान शृंखला पहले ही भारत में निर्माणाधीन है। इन्सैट-II शृंखला, जो कि इन्सैट-I की तुलना में अधिक जटिल और परिष्कृत है, में दो जांच उपग्रह शामिल किए गए हैं, जिनमें से एक को प्रचालनात्मक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने की आशा है, इसके बाद तीन प्रचालनात्मक उपग्रह होंगे।

इन्सैट प्रणाली घरेलू लम्बी दूरी के दूरसंचार, मौसमविज्ञानीय भू-केन्द्र और आंकड़ा रिले, ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में संवर्धित सामुदायिक टी० वी० अभिग्राहियों को राष्ट्रव्यापी सीधे उपग्रह दूरदर्शन प्रसारण, स्थलीय ट्रांसमीटरों के माध्यम से पुनःप्रसारण के लिए राष्ट्रव्यापी रेडियो और टी० वी० कार्यक्रम सम्प्रेषण, विविध स्थानों से टी० वी० और रेडियो कार्यक्रम तथा न्यूज भरण समुच्चय और आपदा चेतावनी सम्बन्धी सेवाएं प्रदान करती है।

(ग) 1900-2000 दशाब्द के दौरान क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित प्रमुख नयी योजनाओं/परियोजनाओं और कार्यक्रमों में अन्तरिक्ष सेवाओं के सतत आधार पर प्रचालनीकरण पर बल दिया गया है, ताकि टी० वी० और रेडियो प्रसारण तथा संचारजाल सहित संचार, प्राकृतिक ससाधनों के सर्वेक्षण और प्रबन्ध, मौसमविज्ञान तथा खोज और बचाव प्रचालनों जैसी विशिष्ट सेवाओं को प्रारम्भ करने और मोबाइल संचार, राष्ट्रीय स्तर की संसाधन सूचना प्रणाली, इत्यादि के क्षेत्रों में देश को अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के पूरे लाभ प्राप्त हो सकें।

निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुसरण में अधिक परिष्कृत उपग्रहों का निर्माण किया जा

रहा है। इनमें आई० आर० एस० 1 बी० और द्वितीय पीढ़ी के सुदूर संवेदन उपग्रह तथा उच्चतर स्पेक्ट्रमी और त्रिविम विभेदन में प्रतिबिम्बिन में सक्षम आई० आर० एस० 1 सी० और 1 डी० उपग्रह, उपर्युक्त (ख) में निर्दिष्ट विविध सेवाएं प्रदान करने के लिए इन्सैट प्रणाली को बनाए रखने हेतु इन्सैट-1 उपग्रहों की तुलना में लगभग दुगुणी क्षमता वाले द्वितीय पीढ़ी के इन्सैट-II उपग्रह शामिल हैं।

प्रमोचक राकेटों के सन्दर्भ में, 1 टन भार के आई० आर० एस० श्रेणी के ध्रुवीय कक्षीय उपग्रहों के प्रमोचन में सक्षम ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी० एस० एल० वी०) प्राप्ति के अन्तिम चरणों में है। निम्नतापी प्रौद्योगिकी भी प्रारम्भ की गयी है, जो 2 टन भार की श्रेणी के भू-स्थायी उपग्रहों के प्रमोचन में सक्षम भू-स्थायी उपग्रह प्रमोचक राकेट के रूप में पी० एस० एल० वी० का उन्नयन कर सकती है।

पूर्वी घाटों के अन्तर्गत क्षेत्रों का विकास

4829. **श्रीमती टी० मनेम्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्रों तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्रों के विकास की भांति दक्षिणी राज्यों में पूर्वी घाटों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों का विकास करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) नए पर्वतीय क्षेत्रों के पुनःनिर्धारण से सम्बन्धित विशेषज्ञ दल का गठन उपयुक्त मानदण्ड विकसित करने तथा दल द्वारा विकसित मानदण्डों के अनुसार नए पर्वतीय क्षेत्रों को सूचीबद्ध करने के लिए किया गया था। दल ने पूर्वी घाट क्षेत्रों पर भी बिचार किया था। रिपोर्ट की जांच की गयी है और निर्णयों की प्रतीक्षा है। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि सातवीं योजना की ही तरह आठवीं योजना में सामान्यदृष्टिकोण विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रमों की शृंखला से बचना है और इसकी बजाय विकेन्द्रित क्षेत्र आयोजना के आधार पर स्थानीय निकायों द्वारा सामान्य ग्रामीण विकास किया जाना है। पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय विकास में पर्वतीय विकास पर जोर दिया जाएगा। तथापि, केन्द्र राज्य नाजुक क्षेत्रों में स्थानीय प्राधिकारियों को पर्याप्त तकनीकी और अन्य आदानों को उपलब्ध कराने में सहायता करेगा ताकि सतत आधार पर क्षेत्र विकास के पारिस्थितकीय रूप से सक्षम कार्यक्रम तैयार करके क्रियान्वित किए जा सकें।

"घाना पक्षी अभयारण्य में उत्प्रवासी पक्षी"

4830. **चौ० जगदीप धनखड़** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भरतपुर स्थित घाना पक्षी अभयारण्य में विदेशों से आने वाले पक्षियों की संख्या घटती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो घाना अभयारण्य में पक्षियों को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा किए गए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकीय अध्ययन की वार्षिक रिपोर्ट (1988) के अनुसार लगभग सभी प्रवासी मुर्गाबियों की संख्या में वृद्धि हुई है। तथापि, साइबेरियाई सारसों के मामले में इस उद्यान में शीतकाल में आने वाले पक्षियों की संख्या में गम्भीर कमी आई है।

(ख) प्रवासी पक्षियों को केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आने हेतु आकर्षित करने के लिए किए जा रहे उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) उद्यान और उसके आसपास चोरी छिपे शिकार और अन्य व्यवधानों के खिलाफ कड़े सुरक्षा उपाय।

(2) उद्यान में नम भूमियों में जल आपूर्ति सुविधाओं में वृद्धि करना।

(3) वन्यजीव, विशेषरूप से संकटापन्न प्रवासी पक्षियों की निगरानी सहित उद्यान की पारिस्थितिकी पर अध्ययन कार्य जारी रखना।

(4) उद्यान के भीतर घरेलू मवेशियों की चराई पर पूर्ण प्रतिबन्ध।

महाराष्ट्र में अभ्यारण्य

[हिन्दी]

483 . **श्री किशनराव बानखेले** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में अब तक स्थापित किए गए अभ्यारण्यों के नाम क्या-क्या हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या महाराष्ट्र के पुणे जिले के ज्योतिर्लिंग-भीमशंकर क्षेत्र में भी अभ्यारण्य का विकास किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप कितने गांवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और प्रभावित गांवों के लोगों तथा उनके पशुओं को संरक्षण देने तथा उनके पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किए गए अभ्यारण्यों और उनके स्थानों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) पुणे/थाणे जिलों में 131 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले भीमशंकर अभ्यारण्य को महाराष्ट्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।

(ग) अभ्यारण्य क्षेत्र में लोगों को कितने अधिकार दिए गए हैं, इस बात की जांच वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 19 के तहत सम्बन्धित जिलाधीशों द्वारा पूरी नहीं की गई है।

विवरण

महाराष्ट्र में वन्यजीव अभ्यारण्य

क्रम सं०	नाम	जिला	क्षेत्र (वर्ग कि०मी० में)
1.	अंधारी	चन्द्रपुर	509.00
2.	अनेर बांध	धूले	82.94
3.	भीमशंकर	पुणे/थाणे	131.00
4.	बोर	बारधा	61.10
5.	चन्दोली	सांगली/सतारा/रत्नगिरी/कोल्हापुर	309.00
6.	छपराला	गाडचिरोली	135.00
7.	गौटाला आट्रम घाट	औरंगाबाद/जलगांव	261.00
8.	ग्रेट इण्डियन वस्टर्ड	सोलापुर/अहमदाबाद	8496.44
9.	जैकवाडी	औरंगाबाद	341.05
10.	कलसूबाई हरीश चन्द्रांगाड	अहमदनगर	362.00
11.	करनाला	रायगड़	4.48
12.	काटेपुरना	अकोला	15.00
13.	कोयना	सतारा	424.00
14.	मालवान	सिंधुदुर्ग	29.12
15.	मेलघाट	अमरावती	1597.23
16.	नगजीरा	भंडारा	152.82
17.	नांदुर मधमेश्वर	नाशिक	100.10
18.	पेंगांगा	यवतमाल/नादेड़	324.62
19.	फानसाड	रायगड़	70.00
20.	राधानगरी	कोल्हापुर	372.00
21.	दुयूलगांव रिहीकुरी	अहमदनगर	2.17
22.	सागरेश्वर	सांगली	11.00
23.	तंसा	थाणे	304.81
24.	यांवल	जलगांव	178.00
	योग :		14,273.88

मिग-27 विमान का नासिक में दुर्घटनाग्रस्त होना

[अनुवाद]

4832. **श्री आर० एन० राकेश :**
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मार्च, 1990 को नासिक में ओजहर एयरफोर्स बेस में एक मिग-27 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें हुई जान और माल की क्षति का क्या ब्यौरा है;

(ग) दुर्घटना के कारण क्या थे; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में इस बीच कोई जांच कराई गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) 30 मार्च, 1990 को नासिक में ओझर हवाई अड्डे पर, उत्पादन परीक्षण उड़ान के दौरान हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित "मिग-27" विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

(ख) से (घ) इस दुर्घटना में विमान चालक ग्रुप कैप्टन ए० वी० अवालेगांवकर (सेवा-निवृत्त) की मृत्यु हो गई थी। वायुयान का ढ़ांचा और इंजन नष्ट हो गए। दुर्घटना की जांच करने व इसके कारण का पता लगाने और विमान तथा सम्पत्ति की क्षति का पता लगाने के लिए एक जांच अदालत गठित की गई है।

पंजाब में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना

4833. **श्री कमल चौधरी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पंजाब में होशियारपुर जिले में अथवा किसी अन्य स्थान पर उच्च प्रौद्योगिकी तथा उच्च शिक्षा के लिए कोई इंजीनियरिंग कॉलेज तथा इसी प्रकार के सहयोगी संस्थान खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) राज्य में कोई नया इंजीनियरी कालेज आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गुरुदेव नानकदेव विश्वविद्यालय ने जैव प्रौद्योगिकी, अनुप्रयुक्त रसायनशास्त्र, चीनी प्रौद्योगिकी और अनुप्रयुक्त भौतिकी तथा संगणक प्रयोज्यता में पाठ्यक्रमों में एम० एस० सी० पाठ्यक्रमों को आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालय परिसर में ही एक अनुप्रयुक्त विज्ञान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। विश्वविद्यालय को सूचित कर दिया गया है कि इस प्रस्ताव पर इस प्रयोजनार्थ

निधियां प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहमति के बाद ही विचार किया जा सकता है।

20-सूत्री कार्यक्रम के लिए आबंटन

[हिन्दी]

4834. **श्री काशीराम राणा** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित की गयी धनराशि का पूर्ण रूप से उपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी प्रतिशत राशि का उपयोग किया गया; और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए निर्धारित की गई धनराशि का पूरा उपयोग हो ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए आबंटन राज्य की वार्षिक योजना के विभिन्न क्षेत्रीय शीर्षों से प्राप्त किए जाते हैं। वर्ष 1987-88 और 1988-89 के लिए राज्य योजना क्षेत्र के सम्बन्ध में वित्तीय निष्पादन को दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है। वर्ष 1989-90 के लिए व्यय के ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है संलग्न विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि धनराशि का उपयोग आमतौर पर सन्तोषजनक रहा है।

विवरण

20-सूत्री कार्यक्रम—आबंटन और व्यय

(राज्य योजना क्षेत्र)
(करोड़ रु०)

क्र० सं०	राज्य/संघ रा० क्षेत्र	1987-88 आबंटन	1987-88 व्यय	%	1988-89 आबंटन	1988-89 व्यय	%	1989-90 आबंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	670.29	641.34	96	716.32	787.25	110	771.12
2.	अरुणाचल प्रदेश	47.09	48.15	102	53.58	84.40	158	55.93
3.	असम	304.47	331.88	109	323.83	227.43	70	335.62
4.	बिहार	794.27	769.45	97	828.33	724.34	87	999.25
5.	गोवा	39.56	35.62	90	43.68	50.74	116	54.67
6.	गुजरात	599.73	547.47	91	656.81	548.77	84	736.81
7.	हरियाणा	295.15	236.46	80	252.48	245.25	97	271.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	हिमाचल प्रदेश	101.50	109.38	108	120.15	132.53	110	142.82
9.	जम्मू और कश्मीर	135.70	156.92	116	160.37	162.29	101	192.12
10.	कर्नाटक	479.46	385.16	80	493.97	449.51	91	545.75
11.	केरला	214.51	200.80	94	261.36	250.71	96	257.50
12.	मध्य प्रदेश	824.56	755.85	92	892.23	788.25	88	942.27
13.	महाराष्ट्र	949.12	911.86	96	996.76	962.59	97	1089.90
14.	मणिपुर	56.84	57.29	101	63.82	63.72	100	75.35
15.	मेघालय	39.10	40.07	102	49.11	44.63	91	56.57
16.	मिजोरम	30.42	31.54	104	37.13	33.69	91	48.45
17.	नागालैंड	36.64	3[illegible].20	96	45.12	44.72	99	51.66
18.	उड़ीसा	414.70	420.30	101	433.22	42[illegible].30	99	480.02
19.	पंजाब	178.99	172.30	96	205.80	192.49	94	238.63
20.	राजस्थान	319.73	290.24	91	370.08	335.65	91	437.74
21.	सिक्किम	24.35	24.10	99	17.99	25.70	143	31.16
22.	तमिलनाडु	477.82	544.36	114	523.39	531.02	101	586.42
23.	त्रिपुरा	75.16	71.72	95	78.87	93.11	118	85.29
24.	उत्तर प्रदेश	1024.47	1101.47	108	1148.43	1229.03	107	1325.98
25.	प० बंगाल	291.77	336.05	115	360.42	363.27	101	434.79

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के तलोजा एकक द्वारा रंगीन टेलीविजन की पिक्चर ट्यूबों का निर्माण

[अनुवाद]

3835. **श्री वामनराव महाडीक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के तलोजा एकक ने रंगीन टेलीविजन की पिक्चर ट्यूबों का निर्माण और विपणन् आरम्भ किया है;

(ख) क्या रंगीन टेलीविजन की पिक्चर ट्यूबों का निर्माण करने के लिए अन्य सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के एककों को भी लाइसेंस दिए गए हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के तलोजा एकक द्वारा निर्मित रंगीन टेलीविजन ट्यूबों का सुचारू रूप से विपणन् के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) रंगीन पिक्चर ट्यूबों के विनिर्माण के लिए मैसर्स जे० सी० टी० इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, मैसर्स अप्ट्रोन कलर पिक्चर ट्यूब्स लिमिटेड तथा मैसर्स सेम्टेल कलर लिमिटेड को अनुमोदन प्रदान किए गए हैं तथा तीनों इकाइयां उत्पादन कर रही हैं ।

(ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए, यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय टेलीविजनों के लिए मिश्रित ब्रांड नाम

4836. **श्री डी० अमात** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ब्लैक एंड व्हाइट और रंगीन टेलीविजनों के मामले में मिश्रित ब्रांड नामों (विदेशी ब्रांड नाम को भारतीय ब्रांड नाम के साथ जोड़कर) के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो कब से और इस सम्बन्ध में जारी की गयी अधिसूचना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) टेलीविजन बनाने वाली उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जो मिश्रित ब्रांड नामों का उपयोग कर रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ग) भारत सरकार (इलेक्ट्रानिकी विभाग) के दिनांक 1 जनवरी, 1986 के संकल्प सं० 23(20) सचिव (इ० आ०) के अनुसार तथा 25 फरवरी, 1983 को संसद में प्रस्तुत रंगीन दूरदर्शन रिसीवर सेटों के लिए औद्योगिक तथा लाइसेंसिंग नीति के अनुसार श्याम तथा श्वेत और रंगीन दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण और उनकी बिक्री में विदेशी ब्रांड नामों के प्रयोग की अनुमति नहीं प्रदान की जाती है । चूंकि हाइब्रिड ब्रांड नामों में विदेशी ब्रांड शामिल है, अतः उपर्युक्त नीति उन पर लागू होगी ।

"फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड के बहिस्राव से उत्पन्न प्रदूषण"

4837. **श्री पी० सी० थामस** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड के कोचीन डिवीजन के बहिस्राव चिथीवापूजा नदी का पानी प्रदूषित होने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां की भूमि अनुपजाऊ हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, हां। फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड के कोचीन डिवीजन के बहिस्रावों से चिथिवापूजा नदी के प्रदूषित होने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थी ।

(ख) और (ग) सरकार को किसी मुआवजे के बारे में कोई विशेष मांग प्राप्त नहीं हुई है ।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा

4838. **श्री ए० आर० अन्तुले** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का सेवानिवृत रेल कर्मचारियों को इस समय दी जा रही छुट्टी यात्रा रियायत (एल० टी० सी०) सुविधा की भांति सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को भी यह सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) रेलवे के कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान केवल सुविधा पास प्राप्त करने के ही पात्र होते हैं छुट्टी यात्रा रियायत के नहीं । उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उनके पद तथा सेवा के वर्षों के अनुसार उन्हें सम्मान सूचक पासों की सुविधा दी गई है। केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान केवल छुट्टी यात्रा रियायत के लिए ही पात्र होते हैं और वे सुविधा पासों के पात्र नहीं होते। चूंकि रेलवे के पेंशन भोगी सेवानिवृत्ति के बाद केवल सम्मान सूचक पासों के ही पात्र होते हैं और वे छुट्टी यात्रा रियायत के पात्र नहीं होते, अतः केन्द्रीय सरकार के अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा प्रदान किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक एकक

[हिन्दी]

4839. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक एकक स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) जी, नहीं। किन्तु, हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक इकाइयों की स्थापना के लिए 6 औद्योगिक लाइसेंस, 40 आशय-पत्र तथा 89 पंजीकरण जारी किए गए हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में पूंजी निवेश

[अनुवाद]

4840. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष और चालू योजना के दौरान समग्र रूप से कुल निवेश में से कितना प्रतिशत निवेश किया गया है;

(ख) क्या सरकार का अगली योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में पचास प्रतिशत निवेश करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कृषि, ग्रामीण दस्तकारों और कृषि श्रमिकों के लिए कितने प्रतिशत धनराशि निर्धारित करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) सभी राज्यों के वार्षिक योजना 1990-91 के परिव्यय के क्षेत्रकीय आबंटन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि केन्द्र और 23 राज्यों के अनंतिम आकलनों को एक साथ लिया जाय तो ज्ञात होता है कि वर्ष 1990-91 के योजना परिव्यय में 5.8 प्रतिशत हिस्सा कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलापों और 41 प्रतिशत अंश सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र के लिए दिया गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए दृष्टिकोण तैयार किया जा रहा है। क्षेत्र-वार और स्कीम-वार निवेश आठवीं योजना से सम्बन्धित दस्तावेज में दर्शाया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का 50 प्रतिशत ग्रामीण और कृषि क्षेत्रकों के लाभ के कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है।

जामा मस्जिद, दिल्ली पर खर्च की गयी धनराशि

[हिन्दी]

4841. **श्री रा[illegible]ी** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अथवा भारत सरकार के किसी अन्य विभाग द्वारा दिल्ली की जामा मस्जिद पर पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ख) जामा मस्जिद का स्वामित्व कब्जा और प्रबन्ध किस ऐजेंसी के पास है; और

(ग) इस भवन की मरम्मत सरकार द्वारा धनराशि खर्च किए जाने के क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) वर्ष 1989-90 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षण पर किए गए व्यय की राशि 32,118.00 रु० है और पूर्व के दो वर्षों की शून्य है।

(ख) इसका स्वामित्व, कब्जा और प्रबन्ध "सुन्नी मजलिस आॅकफ "न्यास के हाथ में है।

(ग) जामा मस्जिद, दिल्ली के पुरातत्वीय, वास्तुशिल्पीय और ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इसके संरक्षण सम्बन्धी कार्य एक विशेष मामले के रूप में आरम्भ किए गए थे।

भारतीय शान्ति सेना पर खर्च

4842. **प्रो० रासा सिंह रावत :**
श्री पी० एम० सईद :
श्री वेंकटेश काबड़े :
श्री पी० सी० थामस :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय शान्ति सेना पर इसके श्रीलंका में रहने के दौरान कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या श्रीलंका सरकार ने भी इस खर्च में योगदान दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) फरवरी, 1990 तक 299.12 करोड़ रुपए।

उपर्युक्त व्यय वेतन और भत्ते, राशन आदि के अलावा है जो तब भी हुआ होता यदि सैन्य दल भारत में ही रहते।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा लेखा विभाग में कम्प्यूटरीकरण

[अनुवाद]

4844. **श्री हरीश रावत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा लेखा विभाग में बड़े पैमाने पर कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कारण कुछ कार्यालयों में कुछ कर्मचारी फालतू घोषित कर दिए गए हैं; और

(ग) क्या कम्प्यूटरीकरण के कारण वर्तमान कर्मचारी संख्या में से ग्रुप "ख", "ग" और "घ" के कर्मचारियों की संख्या में 20 प्रतिशत की कमी करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : इस विभाग में इस समय 14 कम्प्यूटर केन्द्र हैं किन्तु बड़े पैमाने पर कोई कम्प्यूटरीकरण नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

"वन क्षेत्र"

4845. **श्री आनन्द सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व रिकार्ड के आंकड़ों और उपग्रह द्वारा भेजे गए चित्रों के अनुसार देश में वन क्षेत्र के बारे में भारी विसंगति हैं;

(ख) राजस्व रिकार्ड के आंकड़ों और उपग्रह के चित्रों के अनुसार वन क्षेत्र आकलन का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ग) इस विसंगति के क्या कारण हैं; और

(घ) उस परिस्थितिकीय सन्तुलन को बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं जो राजस्व रिकार्ड के आंकड़ों में दर्शाए गए वन क्षेत्रों के ह्रास के परिणामस्वरूप विगड़ गया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ग) वर्ष 1982-83 के राजस्व रिकार्डों के अनुसार 67.16 मिलियन हैक्टेयर में वन थे। उपग्रह प्रतिबिम्बिकी का प्रयोग करके भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार 1981-83 की अवधि में देश में 64.20 मिलियर हैक्टेयर में वन थे। इन दोनों आंकड़ों में अन्तर इस कारण से है कि राजस्व रिकार्डों में कानूनी रूप से दर्ज वन क्षेत्रों को दिखाया गया है, चाहे उन क्षेत्रों में वन हों या न हों, जबकि उपग्रह प्रतिबिम्बकी में उनके कानूनी स्तर का ध्यान किए बिना केवल उस क्षेत्र को दिखाया गया है जिसमें वन हैं।

(घ) वन भूमियों की सुरक्षा करके और अवक्रमित वन क्षेत्रों में फिर से वन लगाकर ही पारिस्थितिकीय संतुलन की बहाली की जा सकती है।

सुरक्षा के लिए 1980 में वन (संरक्षण) अधिनियम बनाया गया था ताकि वनेत्तर प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग को रोका जा सके। 1988 के संशोधन द्वारा इस अधिनियम को अधिक कठोर बनाया गया है। राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में भी वनों के संरक्षण पर अधिक जोर दिया गया

है। वनों को चराई, आग तथा अवैध कब्जों से बचाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा, वनों के संरक्षण के लिए, ऊर्जा, लकड़ी के वैकल्पिक साधनों तथा इमारती लकड़ी के आयात को प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा और उनके संरक्षण के लिए राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों को समय-समय पर मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए जाते हैं। इनमें से कुछ प्राकृतिक वनों की कटाई, पहाड़ों में 1.000 मीटर से ऊपर वृक्षों की कटाई पर प्रतिबन्ध लगाने तथा भौगोलिक क्षेत्र के 4 प्रतिशत क्षेत्र को सुरक्षा क्षेत्र के रूप में अलग रखने से सम्बन्धित हैं।

वनरोपण के लिए अवक्रमित वन भूमि पर फिर से वन लगाने और पारिस्थितिकी संतुलन की बहाली के लिए परती भूमि विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

संयुक्त परामर्शदात्री तन्त्र, केन्द्रीय विद्यालय के अन्तर्गत गठित समिति की बैठक

4846. **श्री राजमंगल मिश्र** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त परामर्शदात्री तन्त्र, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अन्तर्गत गठित समिति की निकट भविष्य में बैठक होगी; और

(ख) यदि हां, तो इसकी कार्य सूची का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में संयुक्त परामर्शदात्री तन्त्र के अन्तर्गत परिषद की बैठक अभी होनी निश्चित नहीं हुई है क्योंकि कर्मचारियों के संगठन उनके बीच सदस्यता के आबंटन पर सहमत नहीं है।

भ्रष्टाचार निवारण

4847. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मन्त्रालयों/विभागों और सभी सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार निवारण के लिए ठोस और प्रभावो उपाय किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। भ्रष्टाचार निवारण एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए लगातार यथा आवश्यक प्रभावी, प्रशासनिक तथा विधायी उपाय अपनाए जाते रहेंगे। वर्तमान भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के प्रावधानों को और प्रभावी बनाने के लिए एक व्यापक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 बनाया गया था। प्रशासन के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार का निवारण करने के लिए एक तीन स्तरीय कार्य नीति अर्थात् निवारक, निगरानी, सुराग रसानी तथा दण्डात्मक कार्यवाही लगातार की जा रही है। उच्च राजनीतिक स्तरों पर भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए संसद में लोकपाल विधेयक 1989 लाया गया है।

"राजस्थान में वनरोपण"

4848. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत ईंधन और चारे की कमी वाले सौ जिलों में समुदाय की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वनरोपण योजना शुरू की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो राजस्थान के इन जिलों के नाम क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) देश में प्रारम्भ में ईंधन लकड़ी की कमी वाले 101 जिलों में वर्ष 1980 में केन्द्र द्वारा प्रायोजित "ग्रामीण ईंधन लकड़ी वृक्षारोपण सहित सामाजिक वानिकी" परियोजना आरम्भ की गई थी। तत्पश्चात् परियोजना को अन्य 58 जिलों में कार्यान्वित किया गया।

(ख) राजस्थान के जिन जिलों में यह परियोजना चलाई गई है वे हैं, जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, बांसवाड़ा, झुंनझुनू, कोटा और सवाई माधोपुर।

"कुम्भ मेलों के दौरान नदियों का प्रदूषित होना"

[हिन्दी]

4849. **श्री सत्यनारायण जटिया** . क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा उन नदियों के जल को, जिनका जल पीने के लिए प्रयोग किया जाता है, विशेषकर उन नदियों के जल को जहां लोग कुम्भ मेलों में नहाते हैं, प्रदूषित होने से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) मध्य प्रदेश में उज्जैन में क्षिप्रा नदी के जल को, जहां वर्ष 1992 में "सिंघस्था" कुम्भ मेले का आयोजन किया जाएगा और लगभग एक करोड़ लोग वहां एकत्रित होंगे, प्रदूषित होने से बचाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने एक व्यापक राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के जरिए उन नदियों अथवा उनके ऐसे हिस्सों का पता लगाया है जिनमें सुधार की जरूरत है। राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के उपबन्धों के अधीन प्रदूषण नियन्त्रण के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। उद्योगों और नगर निगमों को अपने बहिस्रावों को नदियों में विसर्जित करने से पूर्व निर्धारित मानकों के अनुसार साफ करने के निर्देश दिए गए हैं। "कुम्भ मेलों" के दौरान सम्बन्धित मेला प्राधिकारी और राज्य स्वास्थ्य विभाग जल गुणवत्ता पर कड़ी नजर रखते हैं।

(ख) मध्य प्रदेश राज्य सरकार क्षिप्रा नदी की सफाई के लिए एक योजना चला रही है। इस योजना के तहत 605.90 लाख रुपए की अनुमानित लागत से उज्जैन में सीवर और नालों के सुधार की स्कीमों सहित कुल ग्यारह स्कीमें शुरू की गई हैं ताकि जल गुणवत्ता को नहाने के लिए उपयुक्त बनाए रखा जा सके।

महाराष्ट्र को खेलों के विकास के लिए वित्तीय सहायता

4850. **प्रो० महादेव शिवनकर** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र में खेलों के विकास और स्टेडियमों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता हेतु वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कौन-सी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और उनमें से प्रत्येक को कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ग) वित्तीय सहायता हेतु लम्बित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) महाराष्ट्र को खेलों के विकास, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदा करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (घ) 1987-88, 1988-89 तथा 198 -90 के दौरान वित्तीय सहायता के लिए महाराष्ट्र सरकार से केन्द्रीय सरकार को प्राप्त प्रस्तावों के योजनावार विवरण तथा अनुमोदित एवं स्वीकृत धनराशि निम्न प्रकार है :—

(I) राज्य खेल परिषदों आदि को अनुदानों की योजना

वर्ष	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत धनराशि (रुपए लाखों में)	अस्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	केन्द्रीय सरकार के पास लंबित प्रस्तावों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1987-88	82	72	164.41	1	शून्य
1988-89	61	24	17.18	3	शून्य
1989-90	105	01	124.00	—	शून्य
(II) ग्रामीण विद्यालयों को आधारभूत खेल सुविधाओं/अवस्थापना के सृजन के लिए अनुदान की योजना					
1987-88	—	—	—		—
1988-89	48	5	2,98,885		4
1989-90	2	—	—		—

1	2	3	4	5
	(III) सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक तथा कृत्रिम हॉकी सतह बिछाने की योजना			
1987-88	—	—	—	—
1988-89	2	2	95.00	—
1989-90	—	—	—	—

उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत प्रत्येक परियोजना को प्रदत्त वित्तीय सहायता संलग्न विवरण-1 से 4 में दी गई है ।

1987-88 के 9 और 1988-89 के 34 शेष मामलों को कुछ कमियों का निवारण करने के लिए राज्य सरकारों को लौटा दिया गया है और इस प्रकार केन्द्रीय सरकार के पास कोई भी मामला लम्बित नहीं है । इस समय 1989-90 के कोई भी प्रस्ताव विचार के लिए लम्बित नहीं है, चूंकि काफी संख्या में केन्द्रीय सहायता प्राप्त अवस्थापना परियोजनाएं राज्य स्तर पर अधूरी पड़ी हैं, इसलिए केन्द्रीय सरकार ने नई परियोजनाओं को तब तक प्रोत्साहित न करने का निर्णय लिया है जब तक अधूरी परियोजनाएं पूर्ण नहीं हो जातीं । यह नीति सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होती है । महाराष्ट्र में ऐसी 170 परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं । अत: पहले से मंजूर उन परियोजनाओं के अलावा आगे किसी भी परियोजना पर तब तक विचार नहीं किया जा रहा है जब तक पुरानी परियोजनाएं पूर्ण नहीं हो जाती ।

ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के विकास के लिए सहायता को उपरोक्त (II) में दर्शाया गया है । उपरोक्त (I) के अन्तर्गत खर्च का भाग भी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है ।

उपर्युक्त के अलावा, राज्य में ग्रामीण खेल टूर्नामेंटों के आयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित धनराशि खर्च की है :—

वर्ष	व्यय (रुपए लाखों में)
1986-87	1.56
1987-88	शून्य
1988-89	2.75
जोड़ :	4.31

पुरस्कार राशि के जरिए स्कूलों में खेलों के सम्वर्धन के लिए प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत भी जिलों में विजेता स्कूलों को नकद पुरस्कार प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र में गत कुछ वर्षों में निम्नलिखित राशि खर्च की गई है जिसकी बड़ी संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है ।

वर्ष	व्यय (रुपए लाखों में)
1986-87	21.10
1987-88	22.60
1988-89	19.90
जोड़ :	63.60

विवरण-1

राज्य खेल परिषदों आदि को अनुदानों की योजना

महाराष्ट्र

वर्ष 1987-88

क्रम सं०	परियोजना तथा उसका स्थान	स्वीकृत धनराशि (रुपए लाखों में)
1	2	3
1.	प्रवारा नगर (अहमदनगर) में जिला स्तरीय खेल परिसर	10.00000
2.	प्रवारा नगर (अहमदनगर) में खेल मैदान	0.50000
3.	नेवासा (अहमदनगर) में खेल मैदान	0.50000
4.	चिखलदरा (अमरावती) में ओपन स्टेडियम	1.77250
5.	अमरावती में ओपन स्टेडियम	5.00000
6.	वारद (अमरावती) में खेल मैदान	0.50000
7.	वलगांव (अमरावती) में खेल मैदान	0.50000
8.	लेहगांव (अमरावती) में खेल मैदान	0.34000
9.	विदर्भ (अमरावती) में खेल मैदान	0.50000
10.	औरंगाबाद में इन्डोर स्टेडियम	5.00000
11.	औरंगाबाद में तरण ताल	5.00000
12.	पैथन (औरंगाबाद) में खेल मैदान	0.50000

1	2	3
13.	बीड में खेल मैदान	0.50000
14.	गणेशपुर (भान्द्रा) में खेल मैदान	0.50000
15.	बम्बई में बहिरंग स्टेडियम	0.50000
16.	नैपियन सी रोड (बम्बई) पर ओपन स्टेडियम	20.00000
17.	मूलैण्ड (बम्बई) में ओपन स्टेडियम	20.00000
18.	अंधेरी (बम्बई) में ओपन स्टेडियम	20.00000
19.	बुल्दाना में खेल मैदान	0.15700
20.	मल्कापुर (बुलधाना) में खेल-मैदान	0.35000
21.	चन्द्रपुर में तरण ताल	5.00000
22.	मूल (चन्द्रपुर) में खेल मैदान	0.50000
23.	नन्दूरबार (धूले) में खेल मैदान	0.14800
24.	शाहदा (धूले) में खेल मैदान	0.34750
25.	कसारी (धूले) में खेल मैदान	0.39890
26.	धूले में तरण ताल	5.00000
27.	चोपड़ा (जलगांव) में खेल मैदान	0.50000
28.	कसारी (धूले) में खेल मैदान	0.39800
29.	जलगांव में खेल मैदान	0.50000
30.	जालना में खेल मैदान	0.47000
31.	गधिगलज (कोल्हापुर) में खेल मैदान	0.50000
32.	बेदाई (कोल्हापुर) में खेल मैदान	0.50000
33.	बधानगरी (कोल्हापुर) में खेल मैदान	0.50000
34.	चाकूर (लाटूर) में ओपन स्टेडियम	2.50000
35.	महल (नागपुर) में खेल मैदान	0.50000
36.	महल, नागपुर में खेल मैदान	0.50000
37.	नागपुर में खेल मैदान	0.89500
38.	नागपुर में खेल मैदान	0.50000
39.	उमर, जिला : नान्देड में खेल मैदान	0.26400
40.	लोहा, ज़िला : नान्देड में खेल मैदान	0.26400

1	2	3
41.	एस० एस० प्रसार मण्डल, नान्देड जिला : नान्देड में खेल मैदान	0.50000
42.	निफाड़, जिला—नासिक में खेल मैदान	0.50000
43.	माड संगरी, जिला नासिक में खेल मैदान	0.50000
44.	अघदर, जिला : ओसमानाबाद में खेल मैदान	0.49500
45.	परभानी में खेल परिसर	10.00000
46.	हड़पसर, जिला : पुणे में खेल मैदान	0.50000
47.	पानवेल, जिला रायगढ़ में इन्डोर स्टेडियम	4.00000
48.	शिवाजीनगर जिला रतनागिरी में खेल मैदान	0.50000
49.	चिपलूम, जिला रत्नागिरी में खेल मैदान	0.49350
50.	लालूस, जिला सतारा में खेल मैदान	0.81180
51.	रहिमतपुर, जिला सतारा में खेल मैदान	0.50000
52.	न्यू हाई इंगलिश स्कूल, सतारा में खेल मैदान	0.50000
53.	पोकलेनगर, जिला सिन्धूदुर्ग में खेल मैदान	0.49500
54.	डूगास, जिला सिन्धु दुर्ग में खेल मैदान	0.28000
55.	शेलगांव, जिला सोलापुर में खेल मैदान	0.50000
56.	हानूर, जिला—सोलापुर में खेल मैदान	0.31995
57.	जेओर, जिला—शोलापुर में खेल मैदान	0.28300
58.	शोलापुर में इन्डोर स्टेडियम	5.00000
59.	महल, जिला—शोलापुर में खेल मैदान	0.50000
60.	मंगलवेड़ा, जिला—शोलापुर में खेल मैदान	0.50000
61.	शोलापुर में खेल मैदान	0.50000
62.	पी० ई० एस० के० माध्यमिक विद्यालय, शोलापुर में खेल मैदान	0.50000
63.	अक्लूज, जिला शोलापुर में खेल मैदान	0.50000
64.	बर्सी, जिला शोलापुर में खेल मैदान	0.25000
65.	मंगल डब्ल्यू० इडन सोसाइटी, शोलापुर में खेल मैदान	0.50000

1	2	3
66.	शोलापुर में स्टेडियम	0.50000
67.	सूदामापुरी, जिला वर्धा में खेल मैदान	0.50000
68.	असीथी, जिला : वर्धा में खेल मैदान	0.34500
69.	सेवाग्राम, जिला वर्धा में खेल मैदान	0.27500
70.	राम नगर, जिला : वर्धा में खेल मैदान	0.26400
71.	एच० एम० रत्नाबाई विद्यालय, जिला : वर्धा में खेल मैदान	0.50000
72.	वाघापुर, जिला : यावातमल में खेल मैदान	0.50000
	योग :	164.41425

विवरण-2

वर्ष 1988-89

क्रम सं०	परियोजना तथा उसका स्थान	स्वीकृत धनराशि (रुपए लाखों में)
1	2	3
1.	मुधोलकर पेथ (अमरावती) में इन्डोर स्टेडियम	0.48000
2.	राजूरा (अमरावती) में खेल मैदान	0.50000
3.	उत्तमसारा (अमरावती) में खेल मैदान	0.34150
4.	अमरावती में इन्डोर स्टेडियम	0.50000
5.	खेड़े (धुले) में खेल मैदान	0.39500
6.	अर्वी (धुले) में खेल मैदान	0.50000
7.	गंगाखेड (परभानी) में खेल मैदान	0.50000
8.	शीरूर (पुणे) में आऊट डोर स्टेडियम	2.46000
9.	अशथा (संगली) में खेल मैदान	0.50000
10.	संगोला (शोलापुर) में खेल मैदान	0.50000
11.	मोहना (अमरावती) में खेल मैदान	0.36000
12.	लोन खेड़े (धुले) में खेल मैदान	0.47000
13.	सोमई (अमरावती) में खेल मैदान	0.35000
14.	हुडप्सार (पुणे) में तरण ताल	5.00000

1	2	3
	15. हडप्सार (पुणे) में खेल मैदान	0.50000
	16. चीनछानी (संगली) में खेल मैदान	0.39000
	17. जाह (संगली) में खेल मैदान	0.50000
	18. जडरबाबेल्ड (संगली) में खेल मैदान	0.33200
	19. कवालापुर (संगली) में खेल मैदान	0.50000
	20. नाज (संगली) में खेल मैदान	0.50000
	21. बरसी में खेल मैदान	0.46600
	22. शोलापुर में खेल मैदान	0.50000
	23. अगल गांव (शोलापुर) में खेल मैदान	0.23300
	24. वघापुर (यावतमल) में खेल मैदान	0.50000
	जोड़ :	17.18750
	वर्ष 1989-90	
	1. पुणे में राज्य स्तरीय खेल परिसर	124.00000

विवरण-3

आधारभूत खेल सुविधाओं/अवसंरचना के सृजन के लिए ग्रामीण स्कूलों को अनुदान की योजना

महाराष्ट्र

क्रम सं०	प्रयोजन और संस्थान का नाम	अनुमोदित राशि
1	2	3
	1987-88	
—	शून्य	शून्य
	1988-89	
1.	किनी हाई स्कूल, ब्लाक हटकाननगले, जिला : कोल्हापुर द्वारा खेल उपस्करों की खरीद	1,00,000

1	2	3
	2. श्री छत्रपति शिवाजी विद्यालय, मखमलबाद, ब्लाक नासिक, जिला : नासिक, (महाराष्ट्र) द्वारा खेल उपस्करों की खरीद	40,000
	3. महात्मा गांधी विद्यालय, उम्बराज, ब्लाक : करड, जिला सतारा (महाराष्ट्र) द्वारा खेल उपस्करों की खरीद	25,390
	4. श्री बसवेश्वर हाई स्कूल, जेवाली, ब्लाक ओमेरगा, जिला उस्मानाबाद (महाराष्ट्र) द्वारा खेल उपस्करों की खरीद	61,995
	5. श्री एस० एल० शिंदे विद्यालय जूनियर कालेज, सास्त्री, तालुका : पाटूर, जिला अकोला द्वारा खेल उपस्करों की खरीद	71,500
	कुल :	2,98,885
	1989-90	
—	शून्य	—

विवरण-4

सिंथेटिक ट्रैक/कृत्रिम परत बिछाने की योजना

महाराष्ट्र

वर्ष	परियोजना का नाम	अनुमोदित राशि
	1987-88	
	शून्य	शून्य
	1988-89	
	1. पिम्परी चिंचवाड़ा नगर निगम पुणे में कृत्रिम हॉकी परत	45.00 लाख रुपए
	2. प्रियादर्शनी पार्क, बम्बई में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक	50.00 लाख रुपए
	कुल :	95.00 लाख रुपए
	1989-90	
	शून्य	शून्य

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में केन्द्रीय विद्यालय खोलना

4851. **श्री कल्पनाथ सोनकर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आगामी दो वर्षों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, बस्ती, देवरिया और मऊ जिलों में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ये विद्यालय किन-किन स्थानों पर खोले जाएंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ग) एक केन्द्रीय विद्यालय आजमगढ़ में पहले से ही कार्य कर रहा है। इस समय आजमगढ़ में दूसरा केन्द्रीय विद्यालय खोलने अथवा उत्तर प्रदेश के बस्ती, देवरिया अथवा मऊ जिलों में नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कम्प्यूटर हार्डवेयर और साफ्टवेयर का निर्यात

[अनुवाद]

4852. **श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी कासु** :
श्री एम० एम० पल्लम राजू :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कम्प्यूटर हार्डवेयर और साफ्टवेयर के मामले में प्रति वर्ष हुए आयात और निर्यात का ब्यौरा क्या है; और

(ख) अगले तीन वर्षों के दौरान कम्प्यूटर हार्डवेयर और साफ्टवेयर का आयात और निर्यात कितना-कितना होने का अनुमान है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर वार्षिक निर्यात तथा आयात नीचे दिए अनुसार है :—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	वास्तविक प्रयोगकर्ताओं द्वारा कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर के आयात के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा जारी की गई अनुमति	कम्प्यूटर हार्डवेयर का निर्यात	कम्प्यूटर साफ्टवेयर का निर्यात
1987	82.0	40.7	70.0
1988	238.0	137.8	101.0
1989	90.0	233.0	157.0

उपर्युक्त के अलावा, कम्प्यूटर साफ्टवेयर तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर की कुछ विसंरचनाएं खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आती हैं, जिसके लिए आयात के विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों में कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर का कुल आयात प्रतिवर्ष लगभग 160 करोड़ रुपए होने की सम्भावना है ।

अगले तीन वर्षों में साफ्टवेयर तथा हार्डवेयर के निर्यात में प्रतिवर्ष क्रमश: 60 प्रतिशत तथा 35 प्रतिशत की दर से विकास होने की सम्भावना है ।

"सफेदा के वृक्ष लगाना"

[हिन्दी]

4853. **श्री मित्र सेन यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में केवल सफेदा के वृक्ष बड़े पैमाने पर लगाने पर जोर दिया जा रहा है;

(ख) क्या सफेदा के वृक्ष लगाने के कारण भूमिगत पानी का स्तर नीचा होता जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो अन्य फलदार वृक्ष और इमारती लकड़ी के वृक्ष लगाने पर जोर न देने का क्या कारण है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ग) जी, नहीं। भारत सरकार ने राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को एकल कृषि अर्थात् विशेष रूप से केवल यूकलिप्टस जैसी प्रजातियों का ही वृक्षारोपण न करने की सलाह दी है । इस बात पर भी विशेष जोर दिया गया है कि विशेष रूप से ऐसी मिश्रित प्रजातियों के वृक्षारोपण को लोकप्रिय बनाया जाए जिनसे लोगों को ईंधन की लकड़ी, चारा, फल व इमारती लकड़ी की आवश्यकताएं पूरी होती हों।

(ख) इस बात का कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है कि यूकलिप्टस के वृक्षारोपण के कारण देश के विभिन्न भागों में जल के स्तर में कमी आ रही है ।

महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय

[हिन्दी]

4854. **श्री हरि शंकर महाले** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त में महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी;

(ख) क्या इस राज्य में प्रति व्यक्ति आय अन्य राज्यों की तुलना में बढ़ रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति (1978-79) पर महाराष्ट्र का चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद 1803 रु० था।

(ख) वर्ष 1978-79 तथा 1986-87 के मध्य, जिस अद्यतन वर्ष के लिए तुलनात्मक लेकिन अनंतिम अनुमान उपलब्ध हैं उसके अनुसार महाराष्ट्र के प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद में 1974 रु० तक वृद्धि हुई जो हरियाणा और पंजाब को छोड़कर अन्य सभी राज्यों से सम्बन्धित वृद्धि की अपेक्षा ज्यादा हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नोहर-सिधमुख परियोजना को मंजूरी

[अनुवाद]

4855. **श्री दौलत राम सारण** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने नोहर सिधमुख परियोजना को मंजूरी दे दी है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) चल रही मुख्य और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से सम्बन्धित विपुल छूटी हुई वचनबद्धता को देखते हुए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि 8वीं योजना में संसाधनों की उपलब्धता के भीतर ही इन परियोजनाओं को राज्य द्वारा दी जाने वाली प्राथमिकता की सूचना दी जाए।

मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालयों को अनुदान

[हिन्दी]

4856. **श्री छविराम अर्गल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में ऐसे कौन-कौन से विश्वविद्यालय हैं जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान दिया जा रहा है और उन्हें कितना अनुदान दिया जाता है;

(ख) मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कितना अनुदान दिए जाने की संभावना है;

(ग) मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में स्थित उन कालेजों के नाम क्या-क्या हैं जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान दिया जा रहा है अथवा दिए जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के

दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों को आबंटित और जारी किए गए अनुदान सम्बन्धी ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(रु० लाखों में)

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय	7वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कुल आबंटन	मुक्त अनुदान
1.	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा	140.28	118.61
2.	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	184.98	123.97
3.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	163.30	122.85
4.	इन्दिरा कला संगीत, खैरागढ़	98.15	29.25
5.	रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर	131.25	93.00
6.	गुरू घासी दास विश्वविद्यालय, बिलासपुर	50.00	16.00
7.	डा० एस० एस० गौर विश्वविद्यालय, सागर	193.45	135.49
8.	जीवाजी विश्वविद्यालय, जीवाजी	147.75	99.68
9.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	190.32	114.20
10.	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन	180.50	96.46

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार मध्य प्रदेश में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 13 जिले हैं। इन जिलों में 22 कालेज विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12-ख के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता के पात्र हैं। 7वीं योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन कालेजों को दिए गए अनुदान के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्रम सं० जिले	कालेज का नाम	दिया गया अनुदान
1. बस्तर	1. राजकीय डिग्री कालेज, जगदलपुर	3,35,613
	2. राजकीय पी० जी० कालेज, कनकर	4,80,000
2. बेतूल	3. जे०एच० राजकीय डिग्री कालेज, बेतूल	5,23,000
3. देवास	4. राजकीय के० पी० कालेज, देवास	1,20,000
4. धार	5. राजकीय कालेज, धार	6,42,000
5. झाबुआ	6. राजकीय कालेज, झाबुआ	2,51,178
	7. राजकीय कालेज, अलीराजपुर	60,000
6. मंडला	8. रानी दुर्गावती राजकीय कालेज, मंडला	2,32,300
7. पन्ना	9. छत्रशाल राजकीय कालेज, पन्ना	9,761
8. रायसेन	10. राजकीय कालेज, बरेली	1,87,440
	11. राजकीय कालेज, रायसेन	2,41,610
9. राजगढ़	12. राजकीय बाइओरा डिग्री कालेज, बाइओरा	1,00,000
	13. राजकीय कालेज, नरसिंहगढ़	60,000
	14. राजकीय कालेज, राजगढ़	4,32,520
10. सरगुजा	15. एच० सी० गृह विज्ञान कालेज, अम्बिकापुर	3,05,420
	16. राजकीय डिग्री कालेज, अम्बिकापुर	3,95,780
11. सीहोर	17. राजकीय कालेज, सीहोर	4,37,910
12. सिधी	18. एस० जी० एस० महाविद्यालय, सिधी	4,02,500
13. पश्चिम निमार	19. राजकीय कालेज, बारवानी	6,06,450
	20. राजकीय कालेज, खरगोन	8,70,000
	21. राजकीय कालेज, सेन्धवा	1,95,280
	22. जे० एन० राजकीय कालेज, बरवाह	1,11,031
	कुल :	74,99,763

देश में भूतपूर्व सैनिक

[अनुवाद]

4857. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भूतपूर्व सैनिकों की, राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का भूतपूर्व सैनिकों के विषय को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त आकलनों के अनुसार 1-1-1988 को देश में 43.62 लाख भूतपूर्व सैनिक हैं। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1-1-1987 को देश में भूतपूर्व सैनिकों का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	संख्या (लाख में)
1	2	3
1.	आंन्ध्र प्रदेश	3.00
2.	असम	0.70
3.	बिहार	2.22
4.	गुजरात	0.12
5.	हरियाणा	2.18
6.	हिमाचल प्रदेश	0.93
7.	जम्मू और कश्मीर	1.04
8.	कर्नाटक	0.55
9.	केरल	3.20
10.	मध्य प्रदेश	1.00
11.	महाराष्ट्र	3.96

1	2	3
12.	मणिपुर	0.041
13.	मेघालय	0.06
14.	नागालैंड	0.03
15.	उड़ीसा	0.24
16.	पंजाब	4.81
17.	राजस्थान	2.72
18.	सिक्किम	0.085
19.	तमिलनाडु	6.69
20.	त्रिपुरा	0.08
21.	उत्तर प्रदेश	8.72
22.	पश्चिम बंगाल	0.40
23.	अरुणाचल प्रदेश	0.001
24.	गोवा	0.01
25.	मिजोरम	0.10
	संघ शासित प्रदेश	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.004
2.	चण्डीगढ़	0.12
3.	दिल्ली	0.60
4.	पांडिचेरी	0.01
	कुल :	43.62

तेल्लीचेरी, केरल में केन्द्रीय विद्यालय खोलना

4859. **श्री रमेश चेन्नीथाला** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में तेल्लीचेरी में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन को केरल सरकार से तेल्लीचेरी के समीप पल्लयड़ में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

देश में वर्ष 1990-91 के दौरान खोले जाने वाले नए केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या और स्थानों के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

राष्ट्रीय संस्कृति नीति

4860. **श्री कल्पनाथ राय :**
श्री एडुआर्डो फलीरो :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एक राष्ट्रीय संस्कृति नीति बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) सरकार राष्ट्रीय संस्कृति नीति के निर्माण पर विचार कर रही है । अभी तक कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई हैं ।

सर्विस एसोसिएशनों को मान्यता देने सम्बन्धी नियमों में संशोधन

4861. **श्री राम सागर (सैदपुर) : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्विस एसोसिएशनों को मान्यता देने सम्बन्धी नियमों में संशोधन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन्हें अधिसूचित किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इनमें संशोधन करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या मान्यता देने सम्बन्धी नियमों के बिना ही नई सर्विस एसोसिएशनों को मान्यता प्रदान की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी मान्यता प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) क्योंकि कतिपय मामलों का व्यापक प्रभाव होता है इसलिए सरकार कोई अन्तिम निर्णय नहीं ले पा रही है ।

(घ) और (ङ) मान्यता देने सम्बन्धी नए नियमों को अन्तिम रूप देने तक अब किसी भी नई एसोसिएशन को मान्यता नहीं दी जा रही है ।

ध्वनि प्रदूषण

4862. **श्री राम लाल राही : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखने हेतु कोई उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, हां।

(ख) ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए मुख्य कदम इस प्रकार हैं :—

(1) विभिन्न क्षेत्रों के लिए ध्वनि के सम्बन्ध में पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत मानक अधिसूचित किए गए हैं।

(2) संवेदनशील क्षेत्रों में शान्त अंचलों की घोषणा।

(3) लाउड-स्पीकरों के उपयोग को नियन्त्रित करना।

(4) वाहनों में तेज और विद्युत हार्नों के उपयोग पर प्रतिबन्ध अधिसूचित कर दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा रिक्त पदों का विज्ञापन

4863. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा प्रत्येक सत्र के दौरान विभिन्न वर्गों के अध्यापकों के रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरने हेतु रिक्तियों का विज्ञापन दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस सत्र में रिक्तियों का विज्ञापन न देने के क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, हां।

(ख) इस सत्र के लिए (1-5-89 से 30-4-90 तक) विभिन्न श्रेणियों की सीधी भर्ती के लिए, जहां भी ऐसी नियुक्तियां की जानी थी, सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं।

खेल नीति में परिवर्तन

[हिन्दी]

4864. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का लाहौर में हुए विश्व कप हाकी टूर्नामेंट भारत के खराब प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए खेल नीति में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनिक एककों में पूंजीनिवेश

[अनुवाद]

4865. **श्री के० एस० राव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनिक एककों में कितना पूंजीनिवेश किया गया;

(ख) क्या निर्यात में इन सरकारी क्षेत्र के एककों का हिस्सा गैर-सरकारी क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनिक एककों की तुलना में कम है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान दोनों क्षेत्रों का निर्यात प्रतिशत कितना था और उन्होंने वर्षवार कितना पूंजीनिवेश किया तथा कितना निर्यात किया; और

(घ) सरकारी क्षेत्र के एककों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उपक्रमों अर्थात् सी० एम० सी० लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलौजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (ई० टी० एण्ड टी०) और सेमीकण्डक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड (एस० सी० एल०) में पिछले 3 वर्षों के दौरान किया गया पूंजीनिवेश (ऋण तथा साम्यापूंजी दोनों को मिलाकर) नीचे दिए अनुसार है :—

(करोड़ रु०)

वर्ष	सी० एम० सी० लि०	ई० टी० एण्ड टी०	एस० सी० एल०
1987-88	5.49	2.00	4.22
1988-89	1.25	—	7.02
1989-90	1.75	2.75	1.50

(ख) और (ग) सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र की इकाइयों (जिनमें इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अन्तर्गत आने वाली इकाइयां शामिल हैं) द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान किया गया इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं

का कुल निर्यात नीचे दिए अनुसार है :—

वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र (करोड़ रु०)	प्रतिशत अंश	निजी क्षेत्र (करोड़ रु०)	प्रतिशत अंश
1987	6.1	2.0	305.9	98.0
1988	11.3	2.4	463.7	97.6
1989	14.5	1.9	760.5	98.1

सार्वजनिक क्षेत्र में किया गया पूंजीनिवेश मुख्यतः प्रतिरक्षा/सामरिक महत्व की आवश्यकताओं को पूरा करने, आयात प्रतिस्थापन और साथ ही निर्यात के लिए है। निर्यात के लिए किए गए वर्षवार पूंजीनिवेश के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात के लिए सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों की इकाइयों को निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जाते हैं :—

—जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 12 प्रतिशत की दर से नकद प्रतिपूर्ति सहायता।

—20 प्रतिशत की दर से प्रतिपूर्ति लाइसेंस।

—इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिपूर्ति लाइसेंस 2 प्रतिशत की सीमा तक संघटक पुर्जों से युक्त मुद्रित परिपथ बोर्डों (पी० सी० बी०) के आयात की अनुमति प्रदान की जाती है।

—कई वस्तुओं के लिए सर्वउद्योग की शुल्क प्रति अदायगी की दरें नियत की गई हैं।

—पूर्णतः संयोजित/अर्ध संयोजित वस्तुओं के निर्यात के मामले में उद्योग द्वारा निर्धारित शुल्क प्रति अदायगी की दरों की अनुमति प्रदान की गई है।

असम के स्कूलों में भर्ती

4866. **श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को असम में विद्यार्थियों से कोई ऐसी शिकायत मिली है कि हिन्दी और बंगाली पढ़ने के इच्छुक छात्रों को असम में स्कूलों में भर्ती नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में राज्य सरकार से बातचीत की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

लड़कियों को शिक्षा देने के उपाय

4867. **श्री पी० एम० सईद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में लड़कियों में शिक्षा को बढ़ावा देने के बारे में कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह निम्नलिखित कार्यक्रम चला रहा है :—

(क) राष्ट्रीय फोस्टर अभिभावन योजना।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में छात्राओं के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधाएं।

(ग) निःशुल्क वर्दियों की आपूर्ति।

(घ) 6-11 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों के लिए निःशुल्क पाठ्यक्रम पुस्तकें मुहैय्या करना।

(ङ) आर्थिक रूप से जरूरतमन्द छात्राओं के लिए छात्रवृत्तियां।

उपरोक्त के अलावा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित लड़कियां योग्यता छात्रवृत्तियों की सुविधाएं, उपचारात्मक शिक्षण तथा प्रतिभाशाली छात्रों के लिए विशिष्ट शिक्षण सुविधाओं सहित शिक्षण सुविधाएं प्राप्त कर रही हैं।

राष्ट्रीय भौतिक तथा सागर विज्ञान प्रयोगशाला के लिए भवन का निर्माण

4868. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भौतिक तथा सागर विज्ञान प्रयोगशाला, कोचीन के लिए भवन का निर्माण-कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कुल कितनी लागत आई है; और

(ग) राष्ट्रीय भौतिक तथा सागर विज्ञान प्रयोगशाला को नए भवन में कब तक लाया जाएगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, नहीं।

(ख) अनुमानित लागत 7^5.91 लाख रुपए है।

(ग) कोचीन स्थित नौसेना भौतिकी तथा समुद्र-विज्ञान प्रयोगशाला को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान क्रमिक रूप से नए भवन में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है।

औद्योगिक परिसरों में वृक्षारोपण

4869. **डा० व्यंकटेश काबडे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक और वाणिज्यिक परिसरों में वृक्षारोपण के बारे में सरकार के पास कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस महत्वपूर्ण कार्य को बढ़ावा देने के विचार से व्यक्तियों को पारितोषिक देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) उद्योग और वाणिज्यिक परिसरों में वृक्षारोपण करने का दायित्व सम्बन्धित पक्षों का है।

(ग) और (घ) वनीकरण और वृक्षारोपण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए इन्दिरा प्रियदर्शिनी वृक्षमित्र पुरस्कार तथा इन्दिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार रखे गए हैं।

कर्नाटक में पर्यावरण सम्बन्धी समस्या

4870. **श्रीमती बासव राजेश्वरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य के कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में गम्भीर पर्यावरणीय समस्या पैदा हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को क्या सुझाव दिए गए थे; और

(ग) इन सुझावों के कार्यान्वयन हेतु किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, हां। बगलौर के निकट दोड्डाबल्लारपुर औद्योगिक क्षेत्र में एस्पिरिन बनाने वाली यूमिट के औद्योगिक बहिस्राव को विसर्जित किए जाने के कारण वहां जल प्रदूषण की समस्या है।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत यूनिट को बन्द करने के लिए कार्यवाही करने की सलाह दी थी।

स्वीकृति के लिए कर्नाटक की विचाराधीन योजनाएं

4871. **श्रीमती बासव राजेश्वरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक सरकार द्वारा योजना आयोग की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या योजना आयोग ने इन योजनाओं को मंजूरी दे दी है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दे दिए जाने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ) कर्नाटक सरकार की योजना आयोग द्वारा अनुमोदित लम्बित पड़ी स्कीमों से सम्बन्धित स्थिति निम्नानुसार है :

(1) एकीकृत ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना के सम्बन्ध में विश्व बैंक सहायता के लिए वित्त पोषण के दृष्टिकोण से मंजूरी हेतु एक परियोजना की रूपरेखा योजना आयोग को प्राप्त हुई थी। परियोजना में बंगलौर, शिमोगा, मैसूर, मांडया, दक्षिण कन्नड़, बेलगाम और गुलबर्गा जिले शामिल हैं। परियोजना की अनुमानित लागत 96 करोड़ रु० है। परियोजना की रूपरेखा को वित्त पोषण की दृष्टि से सिद्धान्त रूप में दिनांक 12-6-1989 को कुछ शर्तों के अधीन मंजूरी दी गई थी।

(2) विद्युत से सम्बन्धित कर्नाटक की निम्नलिखित स्कीमों को 1985 से ही योजना आयोग ने मंजूरी दे दी है।

क्रम सं०	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु०)	क्षमता में वृद्धि (मेगावाट)	अनुमोदन की तारीख
1.	कोलार, बिदर, जामाखण्डी और इण्डी में डी० जी० सेटों का स्थापन (77.76 मेगावाट)	50.61	77.76	4/2/87
2.	शरावथी टेलरेस एच० ई० पी० (4 × 60 मेगावाट)	160.59	240.00	6/5/87
3.	रायचुर टी० पी० पी० चौथी इकाई (1 × 210 मेगावाट)	225.10	210.00	14/8/87
4.	यहलंका, बंगलौर में डी० जी० प्लांट (120 मेगावाट)	122.03	120.00	29/12/88
5.	वृन्दावन एच० ई० स्कीम (2 × 6 मेगावाट)	15.08	12.00	10/4/90
6.	भद्रा राईट बैंक कैनाल एच० ई० पी० अतिरिक्त इकाई (1 × 6 मेगावाट)	6.90	6.00	10/4/90

कर्नाटक की बिजली पैदा करने की कोई योजना, योजना आयोग में अनुमोदन के लिए लम्बित नहीं पड़ी है।

(3) अपर कृष्णा परियोजना चरण-I के 1207.82 करोड़ रु० की राशि के संशोधित अनुमान योजना आयोग के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है। उक्त स्कीम की योजना आयोग में जांच करायी जा रही है। संसाधनों की उपलब्धता और राज्य में चल रही सिंचाई परियोजनाओं के कारण जो आठवीं योजना के लिए छूट दी गई है प्रतिबद्ध दायित्व को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा इस स्कीम को दी गई प्राथमिकताओं के आधार पर इसकी मंजूरी निर्भर करेगी।

दिल्ली में सहायता प्राप्त स्कूल

[हिन्दी]

4872. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सहायता प्राप्त स्कूलों की संख्या कितनी है;

(ख) इन स्कूलों में अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के लिए कितने पद मंजूर किए गए हैं;

(ग) गत तीन-चार वर्षों के दौरान इन स्कूलों में कितने-कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(घ) इन पदों को न भरने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन पदों को तुरन्त भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ङ) दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली छावनी बोर्ड के अधीन सहायता प्राप्त स्कूलों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा। नई दिल्ली नगरपालिका के अधीन सहायता प्राप्त स्कूलों से सम्बन्धित उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

नई दिल्ली नगर पालिका के अन्तर्गत

सहायता प्राप्त स्कूल का नाम	संस्वीकृत पद		रिक्त पद
	शिक्षक	अन्य	
1. आर० एम० आर्य कन्या प्राथमिक स्कूल नं० 1	11	3	कुछ नहीं
2. आर० एम० आर्य कन्या प्राथमिक स्कूल नं० 2	11	1	कुछ नहीं
3. खालसा बाल प्राथमिक स्कूल	7	2	कुछ नहीं
4. निर्मल प्राथमिक स्कूल	5	3	कुछ नहीं

पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए विशेष कार्यक्रम

4873. **श्री राम सजीवन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ वर्ष 1990-91 के लिए राज्य की योजना पर विचार-विमर्श करते समय राज्य में क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के उद्देश्य से राज्य के बुन्देलखण्ड और पूर्वी क्षेत्र के लिए एक विशेष कार्यक्रम तैयार करने का सुझाव दिया गया था, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड और पूर्वी क्षेत्र के विकास हेतु कोई विशेष योजना भेजी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कोई विशेष स्कीम प्रस्तुत नहीं की गई। तथापि उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री से उपाध्यक्ष, योजना आयोग को सम्बोधित तारीख 23-?-1990 का एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें कहा गया है कि :

(1) वर्ष 1990-91 के लिए उत्तर प्रदेश की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप देते समय यह बात सामने आई कि बुन्देलखण्ड प्रदेश के विकास पर सही प्रकार से तेजी लाने के उद्देश्य से यह वांछनीय होगा कि योजना आयोग के तत्वाधान में एक कार्यदल गठित किया जाए जिसमें राज्य सरकार की सक्रिय सहभागिता रहे।

(2) बुन्देलखण्ड प्रदेश के पांचों, जिलों, अर्थात् जालौन (उरई जिला), झांसी, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर की, जो कि विन्ध्य पहाड़ियों में स्थित हैं, भूमि पथरीली और ऊसर है। पीने और सिंचाई के पानी की उपलब्धता कम है। गर्मियों में यह समस्या बढ़ जाती है। पानी की कमी की वजह से एक ओर कृषि उत्पादन कम हो जाता है तो दूसरी ओर रोजगार की सम्भावनाएं क्षीण हो जाती हैं।

(3) इस प्रदेश में कोई बड़ा उद्योग स्थापित नहीं है। इस क्षेत्र में कुटीर और ग्राम उद्योगों जैसे हस्त निर्मित कागज, हथकरघे आदि की अच्छी सम्भावनाएं हैं।

(4) कार्यदल की सिफारिशें और सुझावों के कार्यान्वयन से इस प्रदेश की कठिनाइयों को हल करने में काफी मदद मिलेगी।

रामायण सम्मेलन

[अनुवाद]

4874. **श्री पी० पेंचालैया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रामायण के बारे में एक सम्मेलन आयोजित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) सरकार का रामायण पर सेमिनार आयोजित करने का अभी कोई विचार नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश में सैनिक छावनी के लिए सर्वेक्षण

[हिन्दी]

4875. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के आवी उप-मण्डल के अवेरी गांव में सैनिक छावनी बनाने के लिए कुछ वर्ष पहले एक सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु कितने एकड़ भूमि की आवश्यकता है; और

(ग) यह प्रस्ताव इस समय किस स्तर पर विचाराधीन है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) लगभग 300 एकड़।

(ग) प्रस्ताव प्रारम्भिक स्थिति में है।

अंग्रेजी माध्यम में स्कूल

[अनुवाद]

4876. **श्री ए० के० राय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्धा संस्कृति वाले बेसिक स्कूल समाप्त होते जा रहे हैं और "दून" संस्कृति वाले अंग्रेजी माध्यम के स्कूल सम्पूर्ण देश में बढ़ते जा रहे हैं, यदि हां तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप विदेशी संस्कृति से प्रभावित एक विशिष्ट वर्ग का विकास हो रहा है; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) वर्धा योजना के एक भाग के रूप में स्थापित बेसिक स्कूलों के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, यह सच है कि ऐसे स्कूल वित्तीय तथा अन्य कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

जो स्कूल अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने का दावा करते हैं, हाल ही के वर्षों में देश भर में बड़ी संख्या में स्थापित हुए हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में गांधीवादी बेसिक शिक्षा के कार्यक्रमों तथा संस्थाओं को सहायता

प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। तथापि हमारी शिक्षा पद्धति में अनेक रूपों में विशिष्ट वर्ग वाद की झलक मिलती है। सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा करने का निर्णय लिया है।

मेडक आयुध फैक्टरी के लिए भूमि देने वाले लोगों को रोजगार

4877. **श्री एम० बागा रेड्डी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा आयुध फैक्टरी, मेडक के प्रबन्ध मण्डल ने उन परिवारों के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का आश्वासन दिया था जिनकी कृषि भूमि इस फैक्टरी के लिए अधिगृहीत कर ली गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त आश्वासन को इस बीच पूरा किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० राजा रमन्ना) : (क) मेढ़क स्थित आयुध निर्माणी के प्रबन्धकों और मेढ़क जिले के अधिकारियों के बीच 20-5-1982 को हुई बैठक में इस बात पर सहमति हुई थी कि अधिगृहीत भूमि से विस्थापित किए गए प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने में प्राथमिकता देने हेतु मेढ़क जिले के अधिकारियों के अनुरोध पर विचार किया जाए।

(ख) उपर्युक्त सहमति के अनुसार अब तक उक्त श्रेणी के 298 व्यक्तियों को रोजगार दिया जा चुका है।

(ग) उपर्युक्त श्रेणी में आगे और भर्ती उत्पादन के भावी लक्ष्य, योग्य और कुशल व्यक्तियों की उपलब्धता तथा विस्थापित व्यक्तियों की आयु पर निर्भर करती है।

भारतीय खेल प्राधिकरण में लिपिकों और चतुर्थ श्रेणी के
कर्मचारियों को नियमित करना

[हिन्दी]

4878. **श्री शंकरसिंह वघेला :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण के कार्यालय में पिछले 4-5 वर्षों से कई लिपिक और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उन्हें कब तक नियमित किए जाने की सम्भावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय खेल प्राधिकरण के कार्यालय में तदर्थ आधार पर इस समय 32 निम्न श्रेणी लिपिक और 79 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। नियमित रिक्तियां होने या अधिक पद सृजित होने पर उनको नियमित करने के मामले पर विचार किया जाएगा।

अंशकालिक आधार पर नियुक्ति

[अनुवाद]

4879. **श्री हेत राम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी सेवाओं में क, ख, ग और घ श्रेणी के पदों पर अंशकालिक आधार पर किसी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की जाती;

(ख) यदि नहीं, तो किन श्रेणियों/पदों पर कर्मचारियों की अंशकालिक आधार पर नियुक्ति की जाती है;

(ग) क्या सफाई कर्मचारियों की सरकारी विभागों/सरकारी उपक्रमों में अंशकालिक आधार पर नियुक्ति की जाती है;

(घ) क्या सरकारी विभागों/सरकारी उपक्रमों में अंशकालिक आधार पर नियुक्त किए गए सफाई कर्मचारियों पर अपने शेष कार्य घण्टों के दौरान अन्यत्र कार्य करने पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) सरकारी सेवा में समूह क, ख, ग अथवा घ के पदों में अंशकालिक आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं। तथापि कुछ मन्त्रालयों में कतिपय विशेष कार्यों के लिए अंशकालिक कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है। कार्यात्मक आवश्यकताओं के कारण कुछ विशेष (आपरेशनल) मन्त्रालयों में यह व्यवस्था चल रही है।

(ग) से (ङ) डाक विभाग जैसे कुछ मन्त्रालयों तथा विभागों में अंशकालिक आधार पर सृजित पदों पर सफाई कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है। इन सफाई कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी के समय (घण्टों) के अलावा इस अवधि के दौरान कहीं और दूसरे रोजगार के लिए कोई रोक नहीं है।

केरल में प्रदूषित नदियों की सफाई

4880. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में प्रदूषित नदियों की सफाई करने सम्बन्धी योजना का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : केरल राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने पेरियार नदी की सफाई के लिए वित्तीय सहायता हेतु भारत सरकार को एक योजना प्रस्तुत की है। योजना में जल गुणवत्ता तथा वर्गीकरण, आबादी की जनसांख्यिकी, प्रदूषण स्रोतों की शिनाख्त, वर्तमान मलजल सुविधाओं आदि के सम्बन्ध में नदी घाटी के अध्ययन शुरू करने का प्रस्ताव है।

शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए टेलीविजनों का प्रयोग

4881. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बेहतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए टेलीविजन की वृहत् क्षमता का उपयोग करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) इनसेट उपयोगिता कार्यक्रम के अन्तर्गत, एक केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान रा० शै० अ० प्र० प० में और राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान उन 6 राज्यों में स्थापित किए गए थे जिनमें इनसेट उपयोगिता सुविधाएं हैं; अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात। के० शै० प्रौ० सं० और रा० शै० प्रौ० सं० द्वारा निर्मित शैक्षिक टी० वी० कार्यक्रमों (ई० टी० वी०) का प्रसारण प्रतिदिन प्रात: लगभग 220 स्कूल दिवसों में 3 घण्टों और 45 मिनटों के लिए किया जाता है, जिसमें पांच भाषा क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात् हिन्दी, गुजराती, मराठी, उड़िया तथा तेलुगू। प्रत्येक प्रसारण का समय निश्चित है (प्रत्येक भाषा के लिए 45 मिनट)। 5-8 वर्ष के आयु वर्ग और 9-11 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए ई० टी० वी० कार्यक्रमों को सोमवार से शुक्रवार तक प्रसारित किया जाता है। प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को प्रसारित किए जाते हैं। 6 राज्यों, जिनमें इनसेट उपयोगिता सुविधाएं हैं, और अन्य हिन्दी भाषी क्षेत्रों में सभी एच० पी० टी० और एल० पी० टी० द्वारा ई० टी० वी० कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, अब तक संशोधित शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के अन्तर्गत 1987-88 से प्रारम्भिक स्कूलों को 24,897 टी० वी० संस्वीकृत किए गए हैं।

दिल्ली, बम्बई, मद्रास तथा श्रीनगर के स्थलीय केन्द्रों के माध्यम से उनके अपने-अपने दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा माध्यमिक स्तर के लिए निर्मित पाठ्यक्रम आधारित स्कूल कार्यक्रम भी प्रसारित किए जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा पर "देशव्यापी कक्षा" शीर्षक से टी० वी० कार्यक्रम प्रसारित करता है। इस कार्यक्रम को सहयोग देने के लिए, वि० अ० आ० ने प्रशिक्षण के लिए और टी० वी० साफ्टवेयर के उत्पादन के लिए विश्वविद्यालयों/कालेजों में चार शैक्षिक संचार माध्यम अनुसंधान केन्द्र और नौ श्रव्य-दृश्य अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए हैं। आयोग ने लगभग 2000 कालेजों को टी० वी० सेट प्रदान किए हैं।

"कान्हा नेशनल पार्क में वन्य जीव"

[हिन्दी]

4882. श्री मोहन लाल झिकराम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कान्हा नेशनल पार्क में इस समय विचरण करने वाले वन्य जीवों का ब्यौरा क्या है, उनकी संख्या कितनी है और पिछले वर्ष की तुलना में उनकी स्थिति क्या है और यदि उनकी संख्या में कमी हुई है तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या कान्हा पार्क में वन्य जीवों के उपचार के लिए कोई स्थायी व्यवस्था है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कान्हा नेशनल पार्क का क्षेत्र सभी वन्य जीवों के विचरण के लिए पर्याप्त है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत वर्ष के दौरान बीमार पड़े वन्य जीवों का ब्यौरा क्या है और उनमें से कितने वन्य जीवों का उपचार किया गया तथा कितने वन्य जीव मर गए ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाली वन्य पशुओं की मुख्य प्रजातियां बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांबर, बारहसिंघा, कांकड़, चौसिंगा, कृष्णसार, गौर, जंगली कुत्ता, जंगली सुअर आदि हैं। राष्ट्रीय उद्यान की वार्षिक रिपोर्ट में दी गई सूचना के अनुसार पशुओं की अनुमानित संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। इससे प्रतीत होता है कि पशुओं की संख्या में कोई विशेष कमी नहीं हुई है।

(ख) जी, नहीं।

वन्य पशुओं को प्राकृतिक अवस्थाओं में सुरक्षित रखना होता है इसलिए राष्ट्रीय उद्यान में चिकित्सा सम्बन्धी उपचार पर विचार नहीं किया जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) इस मंत्रालय की आठवीं योजना के प्रस्तावों में राष्ट्रीय उद्यान में बफर क्षेत्रों की स्थापना की एक नई स्कीम की गई है।

(ङ) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जाएगी और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में वन्य पशुओं की मुख्य प्रजातियों की संख्या

क्रम सं०	पशु का नाम	अनुमानित संख्या	
		1988	1989
1	2	3	4
1.	बाघ	97	97
2.	चीता	62	62
3.	चीतल	17314	18194
4.	साम्बर	1863	1976
5.	काकड़	781	792

1	2	3	4
6.	बारहसिंगा	547	540
7.	नीलगाय	120	111
8.	चौसिंगा	193	206
9.	कृष्णसार	32	32
10.	गौर	671	725
11.	जंगली सुअर	4291	4543
12.	हनमान लंगूर	6548	6555
13.	जंगली कुत्ता	171	176

आन्ध्र प्रदेश में आयुध कारखाना

[अनुवाद]

4883. **श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा जिले में एक आयुध कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति

[हिन्दी]

4884. **श्री राजवीर सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय और इससे सम्बद्ध कालेजों में सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को भर्ती और पदोन्नति के मामले में आरक्षण सुविधाएं दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस आरक्षण सुविधा से कितने लोग लाभान्वित हुए; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ग) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित सरकार के मौजूदा अनुदेशों में सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों के लिए गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वर्ग क, ख, ग और घ तथा शिक्षण पदों के लिए लेक्चररों की नियुक्ति में अनुसूचित जातियों के वास्ते 15% आरक्षण तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए $7\frac{1}{2}$% आरक्षण की व्यवस्था है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने केवल गैर-शिक्षण पदों के लिए अनुभाग अधिकारी के पद तक यह आरक्षण कोटा स्वीकार किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों में दिल्ली विश्वविद्यालय की विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या

वर्ग	अ०जा०	अ०ज०जा०
क	—	—
ख	—	—
ग	8	1
घ	57	4

कालेजों और विश्वविद्यालयों के लिए समान संहिता

4885. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने समयबद्ध शैक्षिक सत्र, परीक्षाओं और उनके परिणामों और वर्ष में कार्यदिवसों की संख्या निर्धारित करने और प्राध्यापकों के लिए प्रतिदिन न्यूनतम शिक्षण घंटे निर्धारित करने को सुनिश्चित करने के लिए देश के सभी कालेजों और विश्वविद्यालयों के लिए एक ही संहिता तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों, विशेषकर बिहार में इसके कार्यान्वियन की क्या स्थिति है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाए जाने के लिए एक माडल शैक्षिक कलेन्डर की मार्गदर्शी रूपरेखाएं परिचालित की है। इन मार्गदर्शी रूपरेखाओं में शैक्षिक वर्ष की शुरूआत के लिए समय ढांचा, दाखिले की अन्तिम तारीख तथा वे तारीखें, जिनको परीक्षाएं पूरी होनी चाहिए तथा परिणाम घोषित किए जाने चाहिए, बताया गया है शैक्षिक कार्यक्रम 1990-91 के शैक्षिक सत्र से क्रियान्वित करना अपेक्षित है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षकों के लिए कम से कम कार्यभार तथा एक शैक्षिक वर्ष में कम से कम 180 शिक्षण दिवसों का पालन करने के लिए विनियम भी बनाएं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान

आयोग ने सूचित किया है कि बिहार के विश्वविद्यालय इसके बारे में कोई सूचना नहीं भेज रहे हैं कि एक शैक्षिक वर्ष में वे कम से कम कितने शिक्षण दिवसों का पालन कर रहे हैं।

महाराष्ट्र में आयुध कारखाने

[अनुवाद]

4887. **श्री वसन्त साठे :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा उत्पादन योजना के अन्तर्गत, महाराष्ट्र में नए आयुध कारखाने स्थापित करने और विद्यमान एककों की क्षमता में पर्याप्त वृद्धि करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कार्यान्वित की रही योजनाओं की प्रगति का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान इस प्रयोजन के लिए कितने परिव्यय का प्रावधान किया गया है;

(ग) आयुध कारखानों में अर्धकुशल/कुशल, नए तकनीकी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों से प्रतिवर्ष कितने नए प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है; और

(घ) क्या प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि करने का विचार है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) महाराष्ट्र में किसी नई आयुध निर्माणी की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि कुछ विद्यमान निर्माणियों में अतिरिक्त क्षमता स्थापित की जा रही है।

(ख) विभिन्न क्षमताओं के गोलाबारूद, गोले, तोप तथा विभिन्न प्रकार के विस्फोटकों के निर्माण के लिए तथा गोलाबारूद भरने के लिए अम्बरनाथ, वारांगांव, चांदा, अम्बाझरी, बांद्रा और किरकी की आयुध निर्माणियों में अतिरिक्त क्षमताएं स्थापित की जा रही हैं। इसके लिए 1989-90 में 13.29 करोड़ रुपए के व्यय की व्यवस्था की गई थी जबकि 1990-91 में इसके लगभग 30 करोड़ रुपए तक व्यय होने की सम्भावना है।

(ग) प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत अर्द्ध-कुशल कर्मचारियों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है। "कुशल शिल्पी प्रशिक्षण योजना" के अन्तर्गत कर्मचारियों को 1½ वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है। दोनों श्रेणियों के कर्मचारी, निर्माणियों में आयोजित विशेष प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भी भाग लेते हैं। प्रशिक्षु संशोधन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत नए डिप्लोमाधारियों और स्नातक इंजीनियरों को प्रशिक्षित किया जाता है। इनके लिए निर्माणियों के भीतर भी अल्पावधि की प्रशिक्षण योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, महाराष्ट्र में जो

नए प्रशिक्षार्थी लिए गए हैं उनकी संख्या इस प्रकार है :—

प्रशिक्षण योजना	1987-88	1988-89	1989-90
(क) प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत ट्रेड अप्रेण्टिस	191	162	308
(ख) प्रशिक्षु संशोधन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत वृत्तभोगी अप्रेण्टिस :—			
(1) स्नातक इंजीनियर	33	33	31
(2) डिप्लोमाधारी	35	35	33

(घ) कर्मचारियों के लिए कम्प्यूटरों और अंकों से नियंत्रित कम्प्यूटरों/कम्प्यूटरीकृत अंक नियंत्रित मशीनों जैसी नई प्रौद्योगिकियों के माध्यम से प्रशिक्षण की सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है।

गुजरात में भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

4888. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) कितने मामलों में जांच कराई गई थी; और

(ग) भ्रष्टाचार के दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

4889. **श्री प्रकाश बी० पाटिल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारियों का भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल होने का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उनमें से कितने अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है ?

प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कैंगा परियोजना

4890. **श्री जी० देवराय नाईक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के कैंगा में परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए एक दुर्लभ ऊष्णकटिबंधीय वन को चुना गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस स्थल में परिवर्तन करने का कोई विचार है; और

(ग) क्या इस क्षेत्र के लोग परमाणु अपशिष्ट के हानिकारक प्रभावों को देखते हुए अपने आप को अत्यधिक असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जिस स्थल पर कैंगा परमाणु विद्युत परियोजना जिसमें 235 मेगावाट क्षमता वाले 2 यूनिट होंगे, लगाई जाएगी वह कर्नाटक के उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र में है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार को इस सम्बन्ध में लोगों के कुछ वर्गों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित ध्यान में लाया जाता है :—

परमाणु विद्युत संयंत्र स्थलों पर केवल बहुत कम स्तर के रेडियोधर्मी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इसलिए इन रेडियो-धर्मी अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करने, उनका संसाधन करने तथा उन्हें निश्चल बनाने के लिए पर्याप्त सावधानियां बरती जाती हैं। जब इन अपशिष्ट पदार्थों को सुरक्षापूर्वक गाड़ दिया जाता है तब इनमें रेडियोधर्मिता की मात्रा बहुत तेजी से घटकर कम स्तर पर पहुंच जाती है। इन अपशिष्ट पदार्थों से पर्यावरण में उन्मुक्त होने वाली रेडियोधर्मिता की मात्रा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा इंटरनेशनल कमीशन आफ रेडियोलाजिकल प्रोटेक्शन जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित की गई सीमा के भीतर ही होगी। स्थानीय लोगों के बीच वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित इन पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करने और उनमें से किसी भी प्रकार के भय को दूर करने की दृष्टि से निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

यदि परियोजना अपने कार्य-स्थल के लिए केवल न्यूनतम वन क्षेत्र (120 हैक्टेयर) का प्रयोग कर रही है। इस परियोजना के लिए पर्यावरण सम्बन्धी अनुमति लेने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय के प्रतिपूर्ति के रूप में जो वन रोपण कार्यक्रम निर्धारित किया है उसको क्रियान्वित किया जा रहा है।

आन्ध्र प्रदेश को कागज की सप्लाई

4891. श्रीमती उमा गजपति राजू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार को पाठ्य पुस्तकों के लिए सरकारी सफेद प्रिंटिंग पेपर (कागज) की सप्लाई मे० हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि पिछले दो वर्षों से मैं० हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य को पेपर की सप्लाई नहीं की जा रही है; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार को देय कोटे की मैं० हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा समय पर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, हां।

(ख) मैंसर्स हिन्दुस्तान कागज निगम द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य को पिछले दो वर्षों के दौरान अर्थात् 1988 और 1989 में सफेद मुद्रण कागज की निम्नलिखित मात्रा आबंटित तथा मुहैय्या की गई थी :—

वर्ष	आबंटित मात्रा (मीटरी टनों में)	मुहैय्या की गई मात्रा (मीटरी टनों में)
1988	5427.00	5103.62
1989	5278.00	1467.64

(ग) मैंसर्स हिन्दुस्तान कागज निगम द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य सहित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में शिक्षा क्षेत्र के लिए कागज की आपूर्ति प्राकृतिक आपदाओं, कागज के उत्पादन में इसके उपनिवेशों की लागत में आयी तेजी के कारण तथा निगम द्वारा सामना की जा रही कुछ कठिनाइयों के कारण इस कार्यक्रम में पिछड़ गई है। इस बीच भारत सरकार ने मूल्य वृद्धि को वहन करने के लिए आर्थिक सहायता के स्तर में कुछ वृद्धि करने की अनुमति दे दी है। शिक्षा विभाग ने निगम को इस आशय की अपेक्षित हिदायतें भी जारी कर दी है कि वह शिक्षा विभाग द्वारा किए गए आबंटनों के अनुसार आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए सभी सम्भव प्रयास करें।

पलामू जिला, बिहार में राष्ट्रीय उद्यान

[हिन्दी]

4892. श्री जोरावर राम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पलामू जिले के वनों में कोई राष्ट्रीय उद्यान स्थित है;

(ख) क्या इस उद्यान के विस्तार की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) इस योजना को कब तक लागू किए जाने की सम्भावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ग) बेतला राष्ट्रीय उद्यान बिहार के पलामू जिले के 213 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मे स्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा तैयार की गई जैव-भौगोलिक रिपोर्ट में दिए गए सुझाव के अनुसार बिहार सरकार से इस उद्यान के क्षेत्र को 213 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर 400 वर्ग किलोमीटर करने का अनुरोध किया गया है। यह विषय राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है।

एल० सी० ए० परियोजना के लिए फ्रांस से ईंधन

[अनुवाद]

4893. **श्री यशवन्तराव पाटिल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एल० सी० ए० परियोजना के लिए ईंधन की सप्लाई के लिए फ्रांस की एक फर्म से बातचीत कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना के लिए अन्य कौन-कौन सी विदेशी फर्मों से सहयोग किया जा रहा है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार, हल्के युद्धक विमान परियोजना के लिए ईंधन हेतु किसी विदेशी फर्म के साथ कोई बातचीत नहीं कर रही है।

रक्षा वाहन डिपुओं द्वारा पुराने वाहनों की बिक्री

[हिन्दी]

4894. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** रक्षा वाहन डिपुओं द्वारा पुराने वाहनों की बिक्री के बारे में 26 मार्च, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2055 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस एजेंसी ने आरोपों की जांच की है;

(ख) क्या जीपों के इंजिन तथा चेसिस बदलने के बारे में भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इन शिकायतों की कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) इस सम्बन्ध में जब भी शिकायतें प्राप्त होती हैं, सेना मुख्यालय तथा सम्बन्धित डिपो के कमांडेंट द्वारा उनकी जांच की जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

"एलेज्ड फ्रॉड बाई कम्प्यूटर कम्पनीज" शीर्षक से समाचार

[अनुवाद]

4895. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**
श्री आर० एन० राकेश :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 मार्च, 1990 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "एलेज्ड फ्रॉड बाई कम्प्यूटर कम्पनीज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो आर० ई० पी० लाइसेंसों का उपयोग करने वाले कम्प्यूटर ब्राइट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आर० ई० पी० लाइसेंस प्राप्त आपरेटरों और उन कम्प्यूटर कम्पनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कम्प्यूटर आयात से सम्बन्धित धोखा-धड़ी की सूचना सरकार को नहीं मिली है। बम्बई स्थित 'कस्टम हाऊस' ने डेस्क टॉप पब्लिशिंग प्रणालियों जिनमें वैयक्तिक कम्प्यूटर, लेसर प्रिन्टर, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क शामिल है तथा "फोटो कम्पोजिंग मशीनों" के नाम के अन्तर्गत सम्बद्ध साफ्टवेयर के आयात की सूचना दी है। ये आयात गैर-खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात की जाने वाली वस्तुओं के प्रतिपूर्ति/अतिरिक्त लाइसेंस धारकों पर लागू आयात-निर्यात नीति के लचीले प्रावधानों (पैरा 177 तथा 215) के अन्तर्गत आते हैं; और अतः इस समय इनके आयात की अनुमति प्रदान की जाती है।

गरीबी कम करने सम्बन्धी नीति

4896. **श्री सत्यपाल मलिक : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सातवीं योजना गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों और इसकी उपलब्धियों सम्बन्धी नीति का कोई आलोचनात्मक विश्लेषण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में कितनी कमी हुई है और समग्र आर्थिक विकास कितना हुआ;

(ग) किन राज्यों में गरीबी में महत्वपूर्ण कमी हुई और अन्य राज्यों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के असंतोषजनक कार्यान्वयन के क्या कारण हैं; और

(घ) आठवीं योजना अवधि के दौरान गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के बारे में तैयार की गई सरकार की नीति की मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान आर्थिक संवृद्धि और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की दोहरी प्रक्रिया के माध्यम से गरीबी में कमी लाने की कोशिश की गई। वर्ष 1987-88 के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अनन्तिम निष्कर्षों पर आधारित अनुमानों से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, वर्ष 1983-84 के अनुमानित 40.4 प्रतिशत से घटकर 32.66 प्रतिशत रह गई है। वर्ष 1983-84 के मुकाबले वर्ष 1987-88 में सकल घरेलू उत्पाद (जी० डी० पी०) की वृद्धि में यथा परिलक्षित समग्र आर्थिक वृद्धि 18.3 प्रतिशत थी।

(ग) वर्ष 1983-84 और 1987-88 के लिए 17 बड़े राज्यों में गरीबी तुलनात्मक अनन्तिम अनुमानों से पता चलता है कि निम्नलिखित राज्यों में इस अवधि के दौरान गरीबी में महत्वपूर्ण रूप से कमी (अर्थात् राष्ट्रीय औसत से उच्चतर प्रतिशत बिन्दुओं के अनुसार कमी) दर्ज की गई : बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल सभी राज्यों में गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम के कार्यान्वियन को सक्रियता के साथ शुरू किया परन्तु अन्य बातों के साथ-साथ विकास के पूर्व में प्राप्त आधारस्तर संसाधनों की मजबूती, प्रशासनिक दक्षता, विकेन्द्रीकरण और प्राकृतिक घटनाओं जैसे सूखा, बाढ़ आदि के प्रभाव पर निर्भर करते हुए प्रगति असमान रही।

(घ) आठवीं योजना अवधि के दौरान गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की कार्यनीति तैयार की जा रही है। नई कार्यनीति में असुरक्षित वर्गों के लिए बुनियादी सेवाओं के अधिक प्रभावी और बेहतर लक्षित प्रावधान के साथ त्वरित रोजगार सृजन के माध्यम से गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केन्द्रित किए जाने हैं। कार्यक्रमों का ब्यौरा योजना दस्तावेज में सम्मिलित किया जाएगा।

बेलरी को हैदराबाद-कर्नाटक विकास बोर्ड में शामिल करना

4897. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने हैदराबाद-कर्नाटक विकास बोर्ड में बेलरी को शामिल करने के मामले का अध्ययन करने के लिए कर्नाटक में एक अध्ययन दल भेजा था;

(ख) यदि हां, तो क्या अध्ययन दल कर्नाटक और बेलरी गया था;

(ग) क्या अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) योजना आयोग द्वारा इस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाई की गई है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

परीक्षाओं में नकल

[हिन्दी]

4898. **श्री गंगा चरण लोधी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मार्च, 1990 में केन्द्रीय बोर्ड की परीक्षा के दौरान भारी पैमाने पर कथित रूप से नकल किए जाने के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इस सम्बन्ध में अब तक कितने मामले दर्ज किए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार मार्च, 1990 में के० मा० शि० बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं के दौरान किसी भी परीक्षा केन्द्र से सामूहिक नकल करने का कोई भी मामला सूचित नहीं किया गया है। तथापि इन परीक्षाओं में व्यक्तिगत रूप से छात्रों द्वारा नकल करने के कुछ मामले सूचित किए गए हैं इन परीक्षाओं के सम्बन्ध में 11-4-90 तक अनुचित साधन अपनाने के मामलों की संख्या निम्नलिखित है :—

(i) अखिल भारतीय उच्च स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा XII)	24 मामले
(ii) अखिल भारतीय माध्यमिक परीक्षा (कक्षा X)	22 मामले
(iii) दिल्ली सीनियर स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा XII)	260 मामले
(iv) दिल्ली माध्यमिक स्कूल परीक्षा (कक्षा X)	361 मामले

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपनी सामान्य प्रक्रिया के अनुसार इन मामलों पर कार्रवाई करेगा।

पण्डित गोविन्द बल्लभ पन्त पर्यावरण अध्ययन संस्थान को अन्यत्र ले जाना

4899. **श्री एम० एस० पाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पण्डित गोविन्द बल्लभ पन्त पर्यावरण अध्ययन संस्थान, अल्मोड़ा को अन्यत्र ले जाने के लिए कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरकार का इस संस्थान को कुमाऊं क्षेत्र से बाहर ले जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितताएं

[अनुवाद]

4900. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा** :
श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विभागों में 2.5 लाख रुपयों की धनराशि के दुरुपयोग की कोई शिकायत मिली है;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं/कदाचारों को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (घ) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचनानुसार, विश्वविद्यालय को अप्रैल, 1989 में अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल में डाक टिकट व फ्रैंकिंग मशीन के सम्बन्ध में करीब 2.32 लाख रु० का गबन करने का पता चला। मामला वित्त अधिकारी को जांच व रिपोर्ट के लिए दिया गया। तथापि, उनकी दिनांक 31-7-89 की रिपोर्ट में दोषी व्यक्तियों का स्पष्ट रूप से पता नहीं चला है।

अतः विश्वविद्यालय के सतर्कता अधिकारी को 6-9-89 को उपर्युक्त गबन में जांच करने के लिए जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। जांच के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :

(i) यह निर्धारित करना कि विश्वविद्यालय के किस व्यक्ति ने लगभग 2.30 लाख रु० का गबन और धोखा किया;

(ii) मामले में जिम्मेवारी निर्धारित करना; और

(iii) इस प्रकार की गम्भीर कमियों को फिर से होने से रोकने के लिए सुझाव देना।

यह जांच अन्तिम चरणों में है।

इसी बीच विश्वविद्यालय ने इस प्रकार की घटनाओं को फिर से होने से रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(i) अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल के प्रेषण का कार्य विश्वविद्यालय के केन्द्रीय प्रेषण के साथ मिला दिया गया है ।

(ii) वित्तीय मामलों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत सभी अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर लिए गए हैं तथा वित्त विभाग के पास रखे गए हैं ताकि जब अग्रिम राशियों के मांग पत्र अथवा तत्सम्बन्धी निपटान के मामले प्राप्त होने पर इनसे इनका मिलान किया जा सके ।

(iii) अग्रिम राशि लेने के सम्बन्ध में प्रावधानों को कड़ाई से लागू किया जा रहा है ।

विकिरण द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि

4901. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकिरण द्वारा कृषि उत्पादन में किस प्रकार वृद्धि की जा सकती है;

(ख) क्या कृषि उपज बढ़ाने हेतु विकिरण के प्रयोग का उपभोक्ताओं पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है;

(ग) क्या किसी कृषि उपज के मामले में इस पद्धति से प्रयोग करके देखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) कृषि सम्बन्धी अनुसंधान कार्य में विकिरण और आइसोटोपों का काम में लाया जाता है । इससे कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सहायता मिलती है । इनका प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है :

(1) फसली पौधों के उत्पत्ति-मूलकों में सुधार । विकिरण प्रेरित उत्परिवर्तनों का काम में लाकर फसली पौधों की बेहतर किस्में तैयार की जाती हैं । देश में पौधों की ऐसी नई किस्में तैयार की गई हैं जिनसे पैदावार अधिक होती है, अनाज का दाना बड़े आकार का होता है और फसल पैदा करने में कम समय लगता है ।

(2) भिन्न-भिन्न प्रवृतियों की फसली मिट्टी के लिए नाइट्रोजन और फास्फोटिक उर्वरकों तथा सूक्ष्म पोषकों की क्षमता बढ़ाने ।

(3) कृषि में कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग की व्यवस्था ।

(4) कृषि उत्पादों का परिरक्षण ।

(ख) कृषि सम्बन्धी अनुसंधान कार्य में विकिरण के प्रयोग से उपभोक्ताओं पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ते हैं ।

(ग) उपर्युक्त सभी तकनीकों का प्रयोग कृषि सम्बन्धी अनुसंधान कार्य में किया जा चुका है । यह प्रमाणित किया गया कि मसालों और प्याज जैसी खराब हो जाने वाली वस्तुओं का परिरक्षण गामा किरणन के प्रयोग द्वारा किया जाना सम्भव है ।

(घ) देश में लगभग 50 फसलों की किस्मों जिनमें अनाज, दालें, तिलहन, कपास, पटसन और गन्ना शामिल है, को खेती के लिए अनुमति दी गई है और किसान पैदावार के लिए इनको काम में ला रहे हैं।

उर्वरकों के अनुप्रयोग के लिए और कीटनाशक दवाइयां के अवशेष से होने वाली संदूषण को कम करने के लिए बेहतर प्रणालियों का विकास किया गया। कृषि उत्पादों का किरणन द्वारा परिरक्षण करने के सम्बन्ध में भामा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में किए गए पर्याप्त अनुसंधान तथा विकास कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा की गई है। सरकार ने निर्यात के प्रयोजन के लिए मसालों, प्याज और समुद्री खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए इस पद्धति को अपनाने के बारे में अपनी अनुमति दे दी है।

हैवी वाटर का उत्पादन

4902. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**
श्री एम० एम० पल्लम राजू :
श्री दाऊ दयाल जोशी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने संयंत्र हैवी वाटर का उत्पादन कर रहे हैं;

(ख) देश में प्रत्येक संयंत्र की उत्पादन क्षमता क्या है और कुल कितनी आवश्यकता है;

(ग) क्या सरकार का विचार हैवी वाटर का उत्पादन करने के लिए कोई और संयंत्र स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित निर्माण स्थल का ब्यौरा क्या है और इस पर कितना खर्चा होगा; और

(ङ) क्या सरकार का हैवी वाटर के आयात में वृद्धि करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) देश में भारी पानी का उत्पादन करने वाले छः भारी संयंत्र हैं।

(ख) काम कर रहे इन संयंत्रों की कुल उत्पादन क्षमता मोटे तौर पर 365 मीटरी टन प्रति वर्ष है। दो और संयंत्र जिनकी क्षमता 300 मीटरी टन प्रतिवर्ष होगी, निर्माणाधीन हैं।

चूंकि भारी पानी एक सामरिक महत्व की सामग्री है इसलिए भारी पानी के उत्पादन संबंधी आंकड़े बताना राष्ट्र के हित में नहीं है।

(ग) जी, हां।

(घ) इन प्रस्तावित संयंत्रों को वहां स्थापित किया जाएगा जहां पर संश्लेषण गैस, पानी, पर्याप्त मात्रा में बिजली, कोयला तथा प्राकृतिक गैस जैसी भरण सामग्री और उपयुक्त भूमि उपलब्ध होगी। परियोजना सम्बन्धी अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।

(ङ) जी, नहीं।

"सामाजिक वानिकी की उपलब्धियां"

4903. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामाजिक वानिकी योजना की उपलब्धियों का किसी भी चरण में मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की मुख्य उपलब्धियां निम्न प्रकार रही हैं :

(i) सातवीं योजनावधि के दौरान वनीकरण और वृक्षारोपण हेतु 20 सूत्री कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है ।

(ii) वनीकरण कार्यकलाप वन क्षेत्रों से बाहर चलाए गए हैं और फार्म/कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया गया है ।

(iii) काष्ठ बायोमास के कुल उत्पादन में वृद्धि हुई है ।

(iv) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय में वृद्धि हुई है ।

तथापि, कार्यक्रम वृक्षारोपण तक ही सीमित रहा और ईंधन लकड़ी और चारा उत्पादन पर बल दिया गया । इसमें जन-सहभागिता की कमी थी ।

(ग) कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने तथा उपर्युक्त कमियों को दूर करने की दृष्टि से परती भूमि विकास कार्यक्रम की हाल ही में पुनः संरचना की गई है और कार्यक्रम की आयोजना और उसके कार्यान्वियन में जन-सहभागिता को शामिल करने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी निवेश जुटाने तथा अन्तर विषयक समन्वय स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं । कार्यनीति का उद्देश्य है, जलाशय आधार पर एकीकृत भूमि उपयोग आयोजना, ग्रामीण स्तर की कार्य योजनाएं तैयार करना, संरक्षण और प्राकृतिक पुनरुत्पादन, ईंधन लकड़ी, चारा और इमारती लकड़ी के उत्पादन और प्रौद्योगिकी विस्तार पर बल देना ।

"वाइल्ड लाइफ एण्ड फ्री फारेस्ट कारीडोर" का निर्माण

4904. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-भूटान सीमा पर वन्य प्राणियों के मुक्त रूप से घूमने के लिए एक "वाइल्ड लाइफ एण्ड फ्री फारेस्ट कारीडोर" के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और इसमें कितना व्यय आएगा; और

(ग) भारत और भूटान दोनों देशों को इससे क्या लाभ होंगे ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन): (क) और (ख) भारत और भूटान के अधिकारियों की एक भारत-भूटान समन्वय समिति गठित की गई है। यह समिति वन, जो जगली पशुओं, मुख्य रूप से हाथियों के लिए एक प्रवास मार्ग है, की सुरक्षा एवं विकास से सम्बन्धित विभिन्न उपायों की जांच एवं सिफारिश करेगी। समिति की बैठक मई, 1989 में हुई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के अधिकारियों को भूटान के अधिकारियों के साथ सीमा सम्बन्धी समस्याओं पर विचार-विमर्श करना चाहिए और संरक्षण से सम्बन्धित विवादों को कम करने के लिए उपयुक्त कार्यक्रम की योजना बनाई जानी चाहिए।

(ग) वन्यजीव गलियारों से वन्यजीव प्रजातियों के संरक्षण और सीमावर्ती क्षेत्र में पशुओं व मानव टकराव को कम करने में मदद मिलेगी।

बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिए धनराशि का आबंटन

[हिन्दी]

4905. **श्री रामेश्वर प्रसाद :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या इन विश्वविद्यालयों में छात्रों, अध्यापकों तथा कर्मचारियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उन्हें आबंटित की गई धनराशि उनके शैक्षिक कार्य-कलापों के निष्पादन के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का धनराशि के इस आबंटन में कितनी वृद्धि करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ग) विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपनाई गई पद्धति के अनुसार, प्रत्येक योजना में अनुमोदित कुल परिव्यय के भीतर प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए अस्थायी आबंटन, प्रत्येक विश्वविद्यालय के विकास के स्तर, इसके द्वारा प्रदान किए गए कार्यक्रमों के स्वरूप और श्रेणी, छात्र और संकाय के आकार और अन्य संगत पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है। विश्वविद्यालय तब अनुमोदन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मार्गदर्शी रूप रेखाओं के आधार पर प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आबंटित अनुदानों के ब्यौरे और बिहार में 7वीं योजना के दौरान अब तक जारी किए गए अनुदान निम्नलिखित हैं :—

(लाखों रुपए में)

विश्वविद्यालय	7वीं योजना के लिए अनुमोदित कुल आबंटन	जारी किया गया अनुदान
पटना	180.50	84.30
बिहार	171.70	110.00
भागलपुर	198.37	105.35
रांची	235.42	91.00
के० एस० डी० संस्कृति	72.62	16.00
मगध	171.00	70.00
एल० एन० मिथिला	72.67	53.50

ये आबंटन आवश्यकता पर आधारित्त नहीं होते अपितु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास उपलब्ध संसाधनों पर आधारित होते हैं । संस्वीकृत राशि को कारगर ढंग से खपाने की विश्वविद्यालय की क्षमता भी एक महत्वपूर्ण बात है । इसलिए जारी किए गए अनुदान अपेक्षाकृत संस्वीकृत अनुदानों से कम होते हैं ।

रक्षा कार्यालय में चोरियां

[अनुवाद]

4906. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रक्षा मन्त्रालय और रक्षा मुख्यालयों में कितनी बार गोपनीय दस्तावेजों की चोरी हुई थी;

(ख) दोषी व्यक्तियों का पता लगाने में कितनी प्रगति हुई और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या सुरक्षा की दृष्टि से रक्षा मुख्यालयों/रक्षा मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारियों को ब्लाकवार पहचान पत्र जारी किए गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और क्या इस नति का पालन किया जा रहा है अथवा इसमें कोई परिवर्तन किया गया है; और

(ङ) क्या सिविल और रक्षा कार्यालयों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के पहचान पत्रों का नवीकरण किया गया है और यदि नहीं, तो इसके विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान रक्षा मंत्रालय

और रक्षा मुख्यालयों में चोरी की केवल एक घटना (जुलाई 1988 में) हुई। लेकिन इसमें किसी गोपनीय दस्तावेज की चोरी नहीं हुई।

(ख) मामला जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया था और सेना मुख्यालय ने भी मामले की जांच के लिए एक जांच अदालत के आदेश दिए थे। जांच अदालत का कार्य पूरा हो गया है और अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले सेवारत कर्मचारियों के खिलाफ उचित कारंवाई शुरू कर दी गई है।

(ग) जी, हां। उन्हें पहचान पत्र दिए जा रहे हैं।

(घ) अराजपत्रित कर्मचारियों को जारी किए गए पहचान-पत्र केवल उनके कार्य करने के स्थान के लिए ही मान्य हैं। राजपत्रित अफसरों को जारी किए गए पहचान-पत्र रक्षा मुख्यालयों के सम्पूर्ण सुरक्षा जोन के लिए मान्य हैं। विद्यमान नीति को 1-1-1990 के कड़ा कर दिया गया है और इसे आवश्यकता के आधार पर बनाया गया है यहां तक कि ग्रुप "ख" के राजपत्रित अफसरों के लिए भी।

(ङ) 31 दिसम्बर, 1989 तक जो पुरानी श्रेणी के पहचान-पत्र मान्य थे उनका नवीकरण क्रमिक रूप से किया जा रहा है। अब लगभग 30,000 पहचान-पत्रों का नवीनीकरण किया जा चुका है। इसी बीच पुराने पहचान-पत्र तब तक मान्य रहेंगे जब तक उनके स्थान पर नए पहचान-पत्र नहीं बन जाते।

उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय

[हिन्दी]

4907. डा० महादीपक सिंह शाक्य : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय की तुलना में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कम है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश में निम्न प्रति व्यक्ति आय के लिए विभिन्न भू-भौतिकीय कारक जैसे राज्य के पूर्वी प्रदेशों के विस्तृत क्षेत्रों की बाढ़ और सूखा प्रवणता और आर्थिक कारक जैसे पर्याप्त जल प्रबन्ध और जल निकास, कृषि निवेश, आधारसंरचना सम्बन्धी सुविधाएं और विद्युत विकास उत्तरदायी हैं।

(ग) इस सम्बन्ध में एकीकृत कृषि जल प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध जल संसाधनों का कारगर उपयोग, कृषि में निवेश, आधारसंरचना विशेष रूप से जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों के लिए रोजगार और आय सृजन के लिए उद्योगों और ग्रामीण विकास प्रस्तावित उपाय हैं।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में संसद सदस्यों को नामित करना

[अनुवाद]

4908. **श्री मान्धाता सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना के समय से इसकी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में नामित किए गए संसद सदस्यों तथा उनके कार्यकाल का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस प्रकार नामित किए जाने हेतु क्या दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) समय-समय पर नामित संसद सदस्यों की सूची तथा उनका कार्यकाल संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) संसदीय कार्य मन्त्रालय द्वारा अनुसंशित सदस्यों को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी कोर्ड पर मनोनीत किया जाता है।

विवरण

शासी बोर्ड

क्रम सं०	संसद सदस्य का नाम	कार्यकाल	
		से	तक
1.	श्री मनु भाई पटेल	8-9-67	7-9-70
2.	श्री राजा राम शास्त्री	8-6-72	7-6-75
		8-6-75	21-12-77
3.	श्री समर गुहा	27-3-74	26-3-77
4.	श्री दिलीप चक्रवर्ती	22-12-77	21-12-80
5.	श्री तपेश्वर सिंह	22-8-80	21-8-83
		25-1-84	20-1-87
6.	श्री चन्दुलाल चन्द्राकर	21-04-87	20-04-90

केरल में राष्ट्रीय खेल संस्थान

4909. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में राष्ट्रीय खेल संस्थान की एक यूनिट स्थापित करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) केरल में खेल प्रतिभाओं का पता लगाने और राज्य में खेलों को और अधिक बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन से प्रस्ताव विचाराधीन हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेल संस्थान की सोसायटी (स्नाइप्स) का भारतीय खेल प्राधिकरण में (1-6-1987 को) विलय होने से पूर्व स्नाइप्स के शासी बोर्ड को केरल में एन० आई० एस० राज्य प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु केरल सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था।

राज्य सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए या अधिक वित्तीय अंशदान के साथ 50 से 100 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराना अपेक्षित था।

स्नाइप्स द्वारा अगले लगभग 10 वर्षों में राज्य प्रशिक्षण केन्द्र में निम्नलिखित सुविधाएं चरणों में शुरू करनी थी :—

(i) 400 मी० का एथलैटिक सिंथेटिक ट्रैक;

(ii) कृत्रिम घास वाली हाकी फील्ड;

(iii) हाकी/फुटबाल फील्ड;

(iv) बास्केटबाल/वालीबाल इन्डोर हाल;

(v) जिम्नास्टिक्स, बैडमिन्टन, टेबल टेनिस, कुश्ती और मुक्केबाजी आदि जैसे इन्डोर कार्यकलापों के लिए एक बहुउद्देशीय हाल;

(vi) 100 बिस्तर वाला छात्रावास;

(vii) प्रशासनिक खंड;

(viii) 50 मी० लम्बा आठ पंक्तियों वाला एक तरणताल;

(ix) आवश्यक उपस्करों सहित शारीरिक अनुकूलन यूनिट की पूर्ति के लिए एक हाल;

(x) खेल पुस्तकालय;

(xi) खेल विज्ञान अनुसंधान प्रकोष्ठ;

(xii) उपयुक्त स्टोर गृह; और

(xiii) "घ" समूह के स्टाफ सहित प्रशिक्षकों और अधिकारियों के लिए रिहायशी आवास।

1987 में स्नाइप्स और भारतीय खेल प्राधिकरण में विलय के पश्चात् भारतीय खेल प्राधि-

करण के शासी निकाय ने 17 नवम्बर, 1987 को हुई अपनी बैठक में भारतीय खेल प्राधिकरण के 6 प्रादेशिक केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया था। चूंकि केरल की आवश्यकताएं बंगलौर केन्द्र द्वारा पूरी की जाएगी इसलिए भारतीय खेल प्राधिकरण ने केरल में अलग से केन्द्र स्थापित करने के लिए इसे आवश्यक नहीं समझा। तदनुसार राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है।

(ग) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अपनी राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना (एन० एस० टी० सी०) जो सम्पूर्ण देश में लागू है तथा विशेष क्षेत्र खेल योजना (एस० ए० जी०) जो आनुवांशिक और पर्यावरणीय लाभ वाले विशिष्ट क्षेत्रों पर केन्द्रित है, के अन्तर्गत खेल, प्रतिभा का पता लगाया जाता है। केवल किसी एक राज्य से खेल प्रतिभा का पता लगाने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपर्युक्त के बावजूद यह उल्लेखनीय है कि केरल में एलापुझा और तलचेरी में क्रमशः जलीय खेल केन्द्र और जिम्नास्टिक्स केन्द्र हैं जो खेलों के इन दो क्षेत्रों में केरल में व्याप्त प्रतिभा के कारण स्थापित किए गए थे। एलापुझा में सभी 40 प्रशिक्षार्थी केरल से हैं, तथा तलचेरी के लिए मूल्यांकन शिविर हेतु सभी 40 लड़के और 24 लड़कियां भी केरल से ही हैं।

"प्रदूषण नियन्त्रण के उपाय"

4910. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में जनवरी, 1990 से प्रदूषण रोकने के लिए किए गए उपायों के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ख) क्या देश के अन्य भागों में ये उपाए अपनाने का विचार है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जनवरी, 1990 से दिल्ली में किए गए विभिन्न प्रदूषण-रोधी उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के दो बायलरों में उच्च क्षमता वाले इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर्स की रेट्रोफिटिंग ताकि बहिस्राव अधिसूचित मानकों के अनुरूप हों।
2. 1 मार्च 1990 से वाहनों के उत्सर्जन मानकों का कार्यान्वयन।
3. दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन उपक्रम द्वारा केशोपुर शोधन संयंत्र में मल-जल के शोधन के लिए अपनी सैकण्डरी शोधन सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए स्कीमों का संचालन।
4. बड़े और मझौले औद्योगों द्वारा एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर प्रदूषण नियन्त्रण उपकरणों की स्थापना।
5. केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा दिल्ली में प्रदूषण नियन्त्रण शिविर के माध्यम से शुरू किया गया जागरूकता अभियान।
6. इस वर्ष के दौरान एक व्यापक वृक्ष-रोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

7. ताप-विद्युत संयंत्र से उड़ने वाली राख को उपयोग में लाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है ।

(ख) देश के अन्य भागों में मुख्य प्रदूषण-रोधी उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं जिसमें मोटर गाड़ियों और उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना शामिल है ।

त्रिभाषा फार्मूला

[हिन्दी]

4911. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 10वीं कक्षा तक त्रिभाषा फार्मूला लागू करने के बारे में कुछ ज्ञापन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) सरकार को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें यह मांग की गई है कि के० मा० शि० बो० से संबद्ध दिल्ली के स्कूलों में कक्षा X तक हिन्दी को एक अनिवार्य विषय बना दिया जाए, जैसाकि त्रिभाषा सूत्र में निर्धारित किया गया है । इस समय, कक्षा IX और X में या तो अंग्रेजी या हिन्दी एक अनिवार्य विषय है । इस कमी को दूर करने के उद्देश्य से, के० मा० शि० बो० ने 16-9-88 को संप्रेषित अपनी संशोधित अध्ययन योजना में कक्षा IX और X में हिन्दी को एक अनिवार्य विषय बनाने की इच्छा व्यक्त की । तथापि, उच्चतम न्यायालय द्वारा 17 मार्च, 89 को पारित अपने अन्तरिम आदेश द्वारा अध्ययन योजना पर, जहां तक कि इसने संस्कृत के शिक्षण को प्रभावित किया, रोक लगा दी गयी थी । चूंकि पुरानी योजना के अनुसार, कक्षा IX तथा X में संस्कृत को हिन्दी के बदले लिया जा सकता था अतः अब भी के० मा० शि० बो० से सम्बद्ध कुछ स्कूलों में इस व्याख्या को अपनाया जा रहा है । अतः कार्यरूप से हिन्दी कक्षा XI और X में वैकल्पिक विषय ही है । यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

अधिकारियों का बारी-बारी से स्थानान्तरण

[अनुवाद]

4912 **श्री मदन लाल खुराना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिशों पर यह निर्णय लिया गया था कि किसी कर्मचारी को किसी सीट विशेष पर तीन वर्ष से अधिक समय तक न रखा जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय का केन्द्रीय सरकार के सभी मन्त्रालयों/विभागों द्वारा पालन किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधान मंत्री (**श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह**) : (क) से (ग) सरकार द्वारा संवेदी पदों पर क्रमिक स्थानान्तरण करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों द्वारा इनका अनुपालन किए जाने के लिए इस विभाग द्वारा 197. में इन निर्देशों को दोहराया गया था। संवेदी पदों पर अधिकारियों का दृढ़ता से क्रमिक स्थानान्तरण करने की आवश्यकता पर फरवरी, 1985 में फिर से बल दिया गया था। संवेदी पदों की पहचान करना तथा क्रमिक स्थानान्तरणों को क्रियान्वित करना अलग-अलग मन्त्रालयों/विभागों की ही जिम्मेदारी है।

भारतीय शान्ति सेना के जवान

[**हिन्दी**]

4913. **प्रो० रासा सिंह रावत** :
श्री जनार्दन तिवारी :
श्री पी० सी० थामस :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका में भारतीय शान्ति सेना के कितने जवान भेजे गए तथा कितने मारे गए;

(ख) श्रीलंका में भारत के कितने जवान अभी भी लापता हैं; और

(ग) श्रीलंका में मारे गए अथवा लापता जवानों के परिवारों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (**डा० राजा रमन्ना**) : (क) श्रीलंका में भेजे गए भारतीय शांति सेना के जवानों की संख्या संक्रियात्मक आवश्यकताओं के आधार पर समय-समय पर अलग-अलग रही। 31-3-1990 तक 1155 जवानों के दिवंगत होने की सूचना थी।

(ख) भारत का केवल एक जवान श्रीलंका में अभी तक लापता है।

(ग) विवरण संलग्न विवरण-1 तथा 2 दिए गए हैं।

विवरण-1

युद्धक्षेत्र/संक्रियात्मक क्षेत्र में वीरगति प्राप्त कार्मिकों के निकटतम सम्बन्धियों को मिलने वाले लाभ

वीरगति प्राप्त होने की स्थिति में

1. **पेंशन सम्बन्धी लाभ**

(क) मृत्यु होने तक या अयोग्य घोषित होने तक आहृत अन्तिम वेतन की दर से कुटुम्ब पेंशन।

(ख) अफसरों के लिए 2,000/- रुपए से 19,000/- रुपए तक और जूनियर कमीशन अफसरों

तथा अन्य रैंक को रैंक के अनुसार 450/- रुपए से 1,600 रुपए तक निर्धारित दरों पर कुटुम्ब उपदान ।

(ग) मृत्यु उपदान इस प्रकार है :—

(1) एक वर्ष से कम सेवा	2 माह का वेतन
(2) एक से पांच वर्ष की सेवा	6 माह का वेतन
*(3) पांच वर्ष से अधिक परन्तु 20 वर्ष से कम सेवा	12 माह का वेतन
(4) 20 वर्ष या इससे अधिक की सेवा	सेवा के पूरे किए गए प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए एक माह का वेतन परन्तु अधिकतम 33 माह का वेतन या एक लाख रुपए, इनमें से जो भी कम हो ।

*संगणना के लिए की गयी वास्तविक सेवा में 5 वर्ष का अधिमान (वेटेज) दिया जाएगा ।

2. **सैन्य सामूहिक बीमा लाभ** : परिवार, सैन्य सामूहिक बीमा योजना से निम्नलिखित दरों पर मृत्यु लाभ भी पाने के हकदार होंगे :—

अफसर	3,50,000/- रुपए (1 अप्रैल, 1989 से)
जूनियर कमीशन अफसर/ अन्य रैंक	1,50,000/ रुपए

प्राधिकार : विशेष सेना आदेश 5/2/78, सेना आदेश 27/81 (यथासंशोधित)

3. **अन्य लाभ** : वित्तीय सहायता निम्नलिखित दरों पर लागू है :—

सैन्य अफसर वात्सल्य निधि (ए० ओ० बी० एफ०) : अफसर के निकटतम सम्बन्धी अधिक-से-अधिक 18,000/- रुपए के वित्तीय अनुदान के हकदार हैं ।

प्राधिकार : विशेष सेना आदेश 13/एस/82 (यथासंशोधित)

आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन :

अफसर	2,000 रुपए
जूनियर कमीशन अफसर	1,200 रुपए
गैर-कमीशन अफसर	1,000 रुपए
अन्य रैंक	800 रुपए

सेना सहायता निधि :

अफसर	1,000 रुपए
जूनियर कमीशन अफसर	300 रुपए
अन्य रैंक	200 रुपए

प्राधिकार : सेना आदेश 179/77

4. रक्षा सेवा अफसर भविष्य निधि/सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि तथा यथास्वीकार्य छुट्टी का नकदीकरण।

विवरण-2

युद्ध क्षेत्र/संक्रियात्मक क्षेत्र में लापता कार्मिकों के निकटतम सम्बन्धियों को मिलने वाले लाभ

1. विशेष कुटुम्ब भत्ता

1. अफसर

रैंक के वेतन 45% के बराबर विशेष कुटुम्ब भत्ता अफसर के लापता होने के बाद की तारीख से 4 माह की अवधि के लिए कुटुम्ब को भुगतान किया जाता है। इसके बाद, विशेष कुटुम्ब पेंशन के बराबर एक विशेष भत्ता मृत्यु हुई माने जाने तक या दो माह की उस अवधि, जिसके बीत जाने के बाद सामान्य रूप से मृत्यु हुई मान ली जाती है, के लिए देय है।

2. जूनियर कमीशन अफसर/अन्य रैंक/अयोधी (नामांकित)

विशेष कुटुम्ब पेंशन की दरें

वेतन	**दरें**
(क) यदि वीरगति प्राप्त कार्मिक की पत्नी नि:संतान है तो	
1500 रुपए से कम	वेतन का 50%
1500 रुपए से 3000 रुपए तक	वेतन का 40% न्यूनतम 750 रुपए
3000 रुपए से अधिक	वेतन का 30% न्यूनतम 1200 रुपए अधिकतम 2500 रुपए

(ख) यदि वीरगति प्राप्त कार्मिक की पत्नी की सन्तान है, तो

सभी मामलों में	वेतन का 60%
	न्यूनतम 750 रुपए
	अधिकतम 2500 रुपए

कुटुम्ब आबंटन

जूनियर कमीशन अफसर/अन्य रैंक, युद्ध क्षेत्र/संक्रियात्मक क्षेत्र में स्थित यूनिट में तैनात होने पर अपने सम्बन्धित अभिलेख कार्यालय को अनुदेश दे जाते हैं कि उनके निकटतम सम्बन्धी को वेतन की कुछ राशि भेज दी जाए। यह राशि कुटुम्ब आबंटन के रूप में जानी जाती है। ऐसी राशि की मात्रा कार्मिक अपने विवेकानुसार निर्धारित करता है।

(1) **जहां कुटुम्ब आबंटन विचारणीय हो**—यदि कुटुम्ब आबंटन की राशि, विशेष कुटुम्ब पेंशन से अधिक होती है तो कुटुम्ब आबंटन की राशि लापता होने की तारीख से 4 माह तक अदा की जाएगी। जब कुटुम्ब आबंटन, विशेष कुटुम्ब पेंशन से कम होता है तो विशेष कुटुम्ब पेंशन के बराबर विशेष कुटुम्ब भत्ते का भुगतान 4 माह तक किया जाता है। इसके बाद, दोनों ही स्थितियों में विशेष कुटुम्ब पेंशन के बराबर विशेष भत्ते का भुगतान अगामी दो माह की अवधि या मृत्यु हुई मान लिए जाने तक के लिए किया जाता है।

(2) **जहां कुटुम्ब आबंटन विचारणीय न हों**—विशेष कुटुम्ब पेंशन के बराबर विशेष कुटुम्ब भत्ते का भुगतान छः माह की अवधि के लिए किया जाता है। इस अवधि के समाप्त होने पर सामान्यतः मृत्यु हुई मान ली जाती है। यदि किसी कारण से मृत्यु हुई नहीं मानी जाती है तो विशेष भत्ते का भुगतान विशेष सरकारी आदेश के तहत किया जाता है।

2. आहार भत्ता

आहार भत्ता, सैन्य सामूहिक बीमा योजना द्वारा निम्नलिखित दरों पर ऐसे कार्मिकों के लाभ प्राप्तकर्त्ताओं को मंजूर किया जाता है जिन्हें लापता होने पर मृतक मान लिया गया है :—

अफसर	1200 रुपए प्रति माह
जूनियर कमीशन अफसर/ अन्य रैंक	500 रुपए प्रति माह

20-सूत्री कार्यक्रम

4914. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रही योजनाओं को जारी रखने का विचार है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए इन योजनाओं को नया रूप देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन महीनों के दौरान इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रही योजनाओं को जारी रखने अथवा न रखने के विषय में निर्णय आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देते समय लिया जाएगा।

कोटा बिजली संयंत्र का कार्य-निष्पादन

4915. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा परमाणु बिजली संयंत्र में बार-बार दोष उत्पन्न होने के क्या कारण हैं;

(ख) गत वर्ष के दौरान कितनी बार इसने काम करना बन्द किया था; और

(ग) भविष्य में इन दोषों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से दिशानिर्देश अनुपालनार्थ जारी किए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) राजस्थान परमाणु बिजलीघर में काम कर रहे 220 मेगावाट क्षमता वाले दो यूनिटों में से, राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट की उपलब्धता इस कारण से कम रही कि इस यूनिट को साउथ एण्ड शील्ड में बार-बार होने वाले रिसाव को बन्द करने और टरबाइन ब्लेड में खराबी आ जाने की वजह से लम्बी अवधि तक बन्द रखना पड़ा।

(ख) वर्ष 1989 में राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले और दूसरे यूनिट को अनिवार्य रूप से तथा योजनाबद्ध तरीके से बन्द करने का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

विवरण

वर्ष 1989 में बिजलीघर को कितनी बार बन्द करना पड़ा

क्रम सं०	ब्यौरा	राजस्थान परमाणु बिजलीघर का पहला यूनिट	राजस्थान परमाणु बिजलीघर का दूसरा यूनिट
1.	अनिवार्य रूप से बन्द	10	7
2.	योजनाबद्ध तरीके से बन्द	1	1
	योग :	11	8

वर्ष 1989 के दौरान राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट और दूसरे यूनिट ने कुल जितने समय काम किया उनकी प्रतिशतता को बताने वाले उपलब्ध गुणक क्रमश: 54.6% और 79.7% हैं। राजस्थान परमाणु बिजलीघर के दूसरे यूनिट की उपलब्धता अच्छी रही जबकि राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट की उपलब्धता ऊपर (क) में बताए गए कारणों की वजह से कम रही।

(ग) बिजलीघरों की विश्वसनीयता बढ़ाने की दृष्टि से न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन उपस्करों के अनुरक्षण में बाधा न आने देने के उपायों को और उनके कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन और प्रभावशाली बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है।

राजस्थान में परमाणु विद्युत संयंत्र

4916. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस समय कितने परमाणु विद्युत संयंत्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का इस राज्य में निकट भविष्य में ऐसे और संयंत्र स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) राजस्थान परमाणु बिजलीघर के दो यूनिट, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 220 मेगावाट नाभिकीय ऊर्जा की है, इस समय राजस्थान में काम कर रहे हैं।

(ख) और (ग) इन काम कर रहे यूनिटों के अतिरिक्त राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना का तीसरा और चौथा यूनिट, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 235 मेगावाट है, उसी स्थल पर निर्माणाधीन हैं। सरकार ने उसी स्थल पर 500 मेगावाट क्षमता वाले चार और यूनिट स्थापित करने का भी अनुमोदन दिया है।

सुपर कम्प्यूटर

491·. **श्री हरीश रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने सुपर कम्प्यूटर का निर्माण करने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं; और

(ख) यदि हां, तो कब तक देश में सुपर कम्प्यूटर का निर्माण करने की सम्भावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) लगभग 1000 मेगा फलाप की अधिकतम अभिकन शक्ति से युक्त सुपर कम्प्यूटर की कार्यक्षमता रेंज में एक समानान्तर संसाधन मशीन के वर्ष 1991 के अन्त तक तैयार हो जाने की सम्भावना है। यह अभी तक एक अनुसंधान तथा विकास प्रयास के रूप में ही है।

इलेक्ट्रॉनिकी अभिकल्पन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र का ज्ञापन

[अनुवाद]

4919. **श्री हरीश रावत : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रॉनिकी अभिकल्पन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र औरंगाबाद की कर्मचारी एसोसिएशन से कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में कोई ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनकी शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ग) औरंगाबाद स्थित इलेक्ट्रॉनिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी० ई० डी० टी०) के कर्मचारी कल्याण संघ के संयोजक के हस्ताक्षर से पत्र प्राप्त हुए हैं। उनमें हस्ताक्षरकर्त्ता के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

आयुध कारखानों में भर्ती नियम

[हिन्दी]

4920. **श्री हरीश रावत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों में कामगारों की भर्ती से सम्बन्धित नियमों में हाल ही में संशोधन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कामगारों की कार्य के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रितों जिन्हें आयुध कारखानों में नौकरी दी जाती है उन पर भी ये नियम लागू होंगे ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) औद्योगिक कर्मचारियों, गैर-औद्योगिक कर्मचारियों और अराजपत्रित अधिकारियों सम्बन्धी भर्ती नियमों को 1989 में निम्न प्रकार से संशोधित किया गया है :—

औद्योगिक कर्मचारी –दिनांक 6-7-1989 के का० नि० आ० संख्या 18ई द्वारा अधिसूचित एवं 19-2-1990 के का० नि० आ० संख्या 36 द्वारा संशोधित।

गैर-औद्योगिक कर्मचारी—दिनांक 4-5-1989 के का० नि० आ० सं० 14ई द्वारा अधिसूचित।

अराजपत्रित अधिकारी—दिनांक 4-5-1989 के का० नि० आ० सं० 13ई द्वारा अधिसूचित।

(ग) जी, हां।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का कार्यान्वयन

4921. **श्री हरीश रावत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय साक्षरता अभियान के अन्तर्गत नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा विभिन्न राज्यों में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान नेहरू युवा केन्द्र संगठन को कुल कितनी आर्थिक सहायता दी गई;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय साक्षरता अभियान के अन्तर्गत चलाए जा रहे प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को बन्द कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए 1988-89 और 1989-90 के दौरान नेहरू युवा केन्द्र संगठन को दी गई कुल वित्तीय सहायता 8,26,90,907 रुपए थी।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

इलेक्ट्रॉनिकी-सम्बन्धी कार्यदल

[अनुवाद]

4922. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रॉनिकी-सम्बन्धी कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इलेक्ट्रॉनिकी का कृषि-कार्य में प्रयोग किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो कार्यदल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्योरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग पर गठित आठवीं योजना के कार्यकारी दल में इलेक्ट्रॉनिकी को कृषि स्तर तक ले जाने की दिशा में निम्नलिखित विशिष्ट सिफारिशें शामिल हैं :—

(1) चूंकि कृषि तथा कृषि उत्पादों की मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से उपज में सुधार लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी एक अहम भूमिका अदा कर सकता है, अतः कृषि, वाणिज्यिक फसल, मत्स्य पालन आदि जैसे अनुप्रयोग के अहम क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिकी प्रयोग को बढ़ावा देने की जरूरत है।

(ii) किसानों में कृषि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बारे में शिक्षण/प्रशिक्षण देने तथा उनको किसानों के सामने प्रदर्शित करके और साथ ही इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की परम्परागत पद्धतियों से तुलना करके जागरुकता पैदा की जानी चाहिए।

(iii) परीक्षण के माध्यम से किसानों तथा दूसरे समुदाय के लोगों को सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिएं। जिसमें न केवल क्षेत्रीय परीक्षण पर जोर दिया जाए बल्कि मौके पर ही सिफारिशें/सलाह भी दी जाएं।

(iv) क्षेत्रीय स्तर पर आवश्यक सुदृढ़ एवं विश्वसनीय उपस्करों का विकास और उत्पादन किया जाना चाहिए।

(v) जनशक्ति को प्रशिक्षण देने के साथ-साथ मरम्मत एवं अनुरक्षण केन्द्रों और सूचना के संग्रहण/प्रसारण को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(ग) परिव्यय तथा प्राथमिकता की दृष्टि से आठवीं योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। लेकिन उपर्युक्त सिफारिशों को उन योजनाओं में प्रभावी बनाया जाएगा जिन्हें आठवीं योजना को अन्तिम रूप देने पर ही तैयार तथा कार्यान्वित किया जाएगा।

मंगलौर तेल शोधक परियोजना के लिए मंजूरी

4923. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने मंगलौर तेल शोधक परियोजना की स्थापना के बारे में कोई निर्णय लिया है, यदि हां, तो लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) सरकार द्वारा 20 करोड़ रु० से अधिक राशि के केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र निवेश सम्बन्धी प्रस्तावों के बारे में निर्णय लोक निवेश बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर लिए जाते हैं। लोक निवेश बोर्ड द्वारा निवेश मूल्यांकन हेतु मंगलौर रिफाइनरी तथा पैट्रो-कैमिकल कॉम्प्लेक्स के एक संयुक्त सेक्टर परियोजना के रूप में प्रस्ताव पर अभी विचार किया जाना है।

पर्यावरणीय विज्ञान के लिए छात्रवृत्तियां

4924. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1978 में पर्यावरणीय विज्ञान के किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करने और बढ़ावा देने के लिए पीताम्बर पन्त राष्ट्रीय पर्यावरण छात्रवृति आरम्भ की थी; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन प्रसिद्ध विशेषज्ञों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई और उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण शोध कार्यों और इस क्षेत्र में अनुसंधान विकास में उनके योगदान का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, सरकार ने पर्यावरणीय विज्ञान से सम्बन्धित अनुसंधान की किसी भी शाखा में उत्कृष्टता को मान्यता तथा बढ़ावा देने के लिए 1978 में पीताम्बर पन्त राष्ट्रीय पर्यावरण अध्येता वृत्ति पुरस्कार शुरू किया था। पिछले तीन वर्षों में पुरस्कार पाने वालों के नाम तथा किए गए अनुसंधान के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

पुरस्कार का वर्ष	पुरस्कार पाने वाले का नाम	किए गए अनुसंधान के ब्यौरे
1987	प्रो० एस० सी० पाण्ड्या	पुरस्कार विजेता 1988 से "पश्चिमी भारत के संदर्भ में मरुस्थल तथा मरुस्थलीकरण के अवरोधी के रूप में चारे में आत्मनिर्भरता" नामक अनुसंधान परियोजना पर कार्य कर रहे हैं।
1988	डा० वी० एम० मेहर होमजी	पुरस्कार विजेता शीघ्र ही "वनस्पति स्तर, जैव-जलवायु परिस्थितियों तथा पेलियो-इनवायरमेंट के सम्बन्ध में भारत के लिए संरक्षण नीति" नामक अनुसंधान परियोजना पर कार्य शुरू करेंगे।
1989	डा० के० एन० मेहरोत्रा	पुरस्कार विजेता शीघ्र ही "भारत में कीटनाशकों के पर्यावरणीय प्रभाव" पर अनुसंधान परियोजना शुरू करेंगे।

"उड़ीसा में लघु वन उत्पाद पौधे"

4925. **श्री भजमन बेहेरा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लघु वन उत्पाद वृक्षारोपणों के नाम क्या हैं और उड़ीसा के जाजपुर कृषि जिले और ढेंकानल जिले में ऐसे कितने पौधे मुफ्त दिए गए अथवा लगाए गए ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : उड़ीसा सरकार को क्योंझार, कालाहाण्डी, सुन्दरगढ़, मयूरभंज, बालासोर, सम्बलपुर, फुलबनी, कोरापुट तथा ढेंकानल जिलों में लघु वनोपज देने वाले वृक्षों को उगाने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है। सातवीं योजना अवधि के दौरान, 2848 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किए जाने के लिए राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड द्वारा 74.80 लाख रुपए प्रदान किए गए।

"मोटर वाहन अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को सहायता"

4926. **श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी कासु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए मोटर वाहन अधिनियम को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने हेतु प्रदूषण नियंत्रक उपकरण खरीदने के लिए राज्य सरकारों के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार का इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ग) पर्यावरण पर केन्द्रीय प्रायोजित केन्द्र-राज्य समन्वित कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार ने वाहनों से होने वाले उत्सर्जनों की माप के लिए उपकरणों के खरीद की मंजूरी दे दी है।

अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह में सामाजिक वानिकी

4927. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए सामाजिक वानिकी हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम, जिसमें सामाजिक वानिकी कार्यक्रम भी शामिल है, के अन्तर्गत वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलापों के लक्ष्य और उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं :—

(पौद लाख में)

	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-00
लक्ष्य	95.00	122.00	100.00	100.00	100.00
उपलब्धियां	95.00	122.32	100.43	107.59	105.79

*फरवरी, 1990 तक।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अभी लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 का प्रस्तावित लक्ष्य निम्न प्रकार है :—

वनीकरण किया जाने वाला क्षेत्र :	2010 हैक्टेयर
फार्म वानिकी	66.90 लाख पौद

स्वीकृति के लिए विचाराधीन उत्तर प्रदेश की परियोजनाएं

[हिन्दी]

4928. **श्री कल्पनाथ सोनकर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश की कौन-कौन सी परियोजनाए स्वीकृति के लिए योजना आयोग के समक्ष विचाराधीन पड़ी है; और

(ख) ये परियोजनाएं कब तक स्वीकृत कर दी जाएंगी ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) योजना आयोग के पास उत्तर प्रदेश सरकार की कोई परियोजना स्वीकृति हेतु लम्बित नहीं पड़ी है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

एम० ई० एस० कार्यालयों में रिक्त पद

4929. **श्री हरि शंकर महाले** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के एम० ई० एम० कार्यालयों में काफी संख्या में पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन पदों को भरने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या इन कार्यालयों में उत्पादकता से जुड़ा बोनस नहीं दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, हां । इन अफसरों को उत्पादकता पर आधारित बोनस नहीं दिया जाता है ।

(घ) वे उत्पाकता पर आधारित बोनस पाने के पात्र नहीं होते क्योंकि एम० ई० एस० के कर्मचारी एक ग्रुप के रूप में एक औद्योगिक इकाई की तरह उत्पादन कार्यों में शामिल नही होते हैं । फिर भी, उन्हें तदर्थ बोनस दिया जा रहा है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रयोगशाला और पुस्तकालय सम्बन्धी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

[अनुवाद]

4930. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रयोगशाला और पुस्तकालय सम्बन्धी कर्मचारियों ने मार्च, 1990 में हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या हैं;

(घ) हड़ताल के कारण हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इस बारे में सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रयोगशाला व पुस्तकालय स्टाफ में मार्च 1990 में अपने मांग पत्र में उल्लिखित शिकायतों को दूर करने के लिए आन्दोलन आरम्भ किया ।

प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय स्टाफ की मुख्य शिकायतें, उच्च वेतनमान देना, स्टाफ की कुछ श्रेणियों को सेलेक्शन ग्रेड का प्रावधान, पदोन्नति के लिए अर्हताओं में छूट, एक-समय उपरिवृद्ध, नए पदों का सृजन, 65 वर्ष तक सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाना आदि से सम्बन्धित है ।

(घ) प्रयोगशाला स्टाफ द्वारा बहिष्कार करने के कारण, कालेजों में कुछ प्रयोगात्मक परीक्षाएं निर्धारित समय पर नहीं हो सकी । पुस्तकालयों के कर्मचारियों के आन्दोलन की वजह से छात्रों को भी असुविधा हुई ।

(ङ) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचनानुसार पुस्तकालय व प्रयोगशाला स्टाफ की कई शिकायतों को दूर करने के लिए कार्रवाई की गई है । विश्वविद्यालय स्टाफ की शिकायतों को दूर करना एक सतत प्रक्रिया होगी । तथापि, विश्वविद्यालय इन कर्मचारियों द्वारा की गई कुछ मांगों को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है ।

विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई की वजह से पुस्तकालय स्टाफ ने अपना आन्दोलन 27-3-90 को समाप्त कर दिया तथा पुस्तकालय सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं । परन्तु प्रयोगशाला स्टाफ ने अभी तक कार्य आरम्भ नहीं किया है । विश्वविद्यालय ने कालेज के प्रधानाचार्य को सूचित किया है कि कार्यकारी परिषद् के निर्णय "काम नहीं तो वेतन नहीं" को लागू किया जाए । इसी बीच विश्वविद्यालय प्रयोगशाला स्टाफ के आन्दोलन के कारण स्थगित किए गए प्रयोगात्मक परीक्षाओं को पुन: निर्धारित करने के लिए कार्रवाई कर रहा है ।

सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स का पुनर्निर्माण

4931. **श्री एम० एम० पल्लम राजू : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, चंडीगढ़ के पुनर्निर्माण की अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) कितने समय में इसका पुनर्निर्माण हो जाएगा; और वार्षिक अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स की उत्पादन के बारे में भावी योजनाएं क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड (एस० सी० एल०) के पुनः निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ग) भारत सरकार ने इस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय सूक्ष्म इलेक्ट्रानिकी परिषद् देश में सेमीकंडक्टर से सम्बन्धित कार्यकलापों के विकास की योजना बनाती है तथा समन्वय स्थापित करती है । चण्डीगढ़ स्थित सेमी-कण्डक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड के अतिरिक्त रक्षा अनुसंधान प्रयोगशालाओं, अन्य राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, विशेषकर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, जो एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान है, तथा सेमी-कंडक्टर के अनुसंधान तथा उत्पादन के विभिन्न पहलुओं पर कार्यरत सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में यह कार्य किया जाता है ।

पोलर उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (पी० एस० एल० वी०) का छोड़ा जाना

4932. **श्री एम० एम० पल्लम राजू** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोलर उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (पी० एस० एल० वी०) के विकास पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है;

(ख) उपग्रह प्रक्षेपण वाहन को किस महीने/वर्ष छोड़े जाने की सम्भावना है; और

(ग) इससे कितने प्रत्यक्ष लाभ होने का अनुमान है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) पोलर उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (पी० एस० एल० वी०) के विकास पर खर्च होने वाली अनुमानित राशि 414.96 करोड़ रुपए है ।

(ख) और (ग) पी० एस० एल० वी० एक प्रमोचक राकेट है। इस राकेट का उद्देश्य भारतीय सुदूर संवेदन (आई० आर० एस०) श्रेणी के उपग्रह को ध्रुवीय सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा मे स्थापित करना है ।

1991-92 में प्रमोचन के लिए निर्धारित पी० एस० एल० वी० की प्रथम विकासात्मक उड़ान में आई० आर० एस० उपग्रह (आई० आर० एस०-1 ई०) के एक स्वदेशी इंजीनियरी मॉडल को भेजा जाएगा । उपग्रह प्राथमिक रूप में परपोषी तकनीकी आंकड़े प्रदान करेगा, जो पी० एस० एल० वी०-डी-1 के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के लिए उपयोगी होगे । इसके अलावा, इस उपग्रह द्वारा पृथ्वी के संसाधनों के सर्वेक्षण और आंकलन के लिए सुदूर संवेदन आंकडे भी प्रदान करने की आशा है ।

शिक्षा का व्यवसायीकरण

4933. **श्री गोपीनाथ गजपति** :
श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यावसायिक शिक्षा पर अधिक बल देने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं योजना में इस दिशा में कार्यवाही हेतु सरकार का क्या विशेष प्रस्ताव है;

(ग) आठवीं योजना अवधि के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि, निर्धारित की गई; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) व्यावसायिक शिक्षा पर और अधिक बल देने की आवश्यकता है। सरकार ने वैयक्तिक रोजगार बढ़ाने तथा उच्चतर शिक्षा के लिए एक विकल्प प्रदान करने के प्रमुख लक्ष्यों के साथ माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिकीकरण की योजना को सुदृढ़ करने तथा उसका विस्तार करने का प्रस्ताव किया है। ऐसे राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में, जो इस कार्यकाल का पहले से ही कार्यान्वयन कर रहे हैं, बड़ी संख्या में स्कूलों को शामिल करने तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। शेष राज्यों में, इस कार्यक्रम को 8वीं योजना अवधि के दौरान आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तथा रोजगार के बीच सम्पर्क स्थापित किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) जबकि वर्ष 1990-91 के दौरान इस योजना के लिए 84.20 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, वहां पर 8वीं योजना के लिए आबंटन का निर्णय अभी करना बाकी है।

गढ़वाल क्षेत्र में पुरातत्व सर्वेक्षण और खुदाई कार्य

4934. **श्री सी० एम० नेगी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में कोई पुरातत्व सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष निकले हैं और इन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किसी पूजा-स्थल/स्मारक को सुरक्षित स्मारक घोषित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी, जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या गढ़वाल क्षेत्र में पुरातत्व विभाग द्वारा कोई खुदाई कार्य किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (भा० पु० स०) उत्तर प्रदेश सरकार और गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा किए गए विभिन्न अन्वेषणात्मक

सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप: (i) मन्दिरों सहित प्रागैतिहासिक आद्य-ऐतिहासिक, प्राचीन ऐतिहासिक और मध्ययुगीन स्थल और संरचनाएं; और (ii) शैल-चित्रकला, मूर्तियां, सिक्के और अन्य पुरावशेष; प्रकाश में लाए गए हैं। भा० पु० स० ने कुछ स्मारकों (संलग्न विवरण-1) को केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों के रूप में घोषित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य स्तर पर अन्य 16 स्मारकों (संलग्न विवरण-2) को संरक्षित करने के लिए कदम उठाने की सूचना है।

(ङ) और (च) जी, हां। निम्नलिखित स्थलों पर उत्खनन कार्य किए गए हैं :—

मालारी, जिला चमोली; देहरादून जिले में जगतग्राम, जीवनगढ़, वीरभद्र और भारत मन्दिर; पुरोला, जिला उत्तरकाशी और रानीहाट, जिला टिहरी। इन स्थलों से आद्य-ऐतिहासिक, प्राचीन ऐतिहासिक और मध्ययुगीन कालों से सम्बद्ध महत्वपूर्ण पुरातत्वीय सामग्री मिली है।

विवरण-1

गढ़वाल क्षेत्र में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक

क्र० सं० स्थान	स्मारक/स्थल का नाम
जिला देहरादून	
1. हानोल या ओनोल	महासु को समर्पित मन्दिर
2. कल्सी	अशोक शिलालेख
3. करमपुर	कर्तिग स्मारक
4. ताखा मंडल	मन्दिर और इसके आस-पास की प्रतिमायें
जिला चमोली	
1. अद्वादरी	सोलह मन्दिरों के अवशेष
2. चान्दपुर	किला, इसकी दीवारें और इसके अन्दर आवास गृहों के ध्वसावशेष और सीढ़ियां।
3. गोपेश्वर	रूद्रनाथ मन्दिर
4. गोपेश्वर	एक प्राचीन और तीन आधुनिक शिलालेखों के साथ एक बरछे सहित लोहे का त्रिशूल।
5. पांडुकेश्वर	दो मन्दिर
6. मंडल	शिलालेख

विवरण-2

उन स्मारकों की सूची जिनके संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कदम उठा रही है :—

1. राथल मन्दिर समूह, जिला उत्तरकाशी।
2. शिव मन्दिर (इन्द्रेश्वर महादेव/राहो मन्दिर) पैथानी, जिला गढ़वाल।
3. देवालगढ़ मन्दिर, जिला पौड़ी गढ़वाल।
4. सुमारी मन्दिर समूह, सुमारी, जिला पौड़ी।
5. वैशवा मन्दिर समूह, देवाल, जिला पौड़ी।
6. अनसूया आश्रम, चमोली।
7. नाला चट्टी मन्दिर, चमोली।
8. नारायण जैसे मन्दिर, जिला, चमोली।
9. वैतरिनी मन्दिर समूह, गोपेश्वर, जिला चमोली।
10. पानीघाट मन्दिर, टिहरी गढ़वाल।
11. दमयन्ति का हुयुन ग्राम मन्दिर, जिला टिहरी गढ़वाल।
12. पालेथी मन्दिर, टिहरी गढ़वाल।
13. देवाल मन्दिर समूह, पौड़ी।
14. गोविन्द मन्दिर समूह, सिमली, चमोली।
15. थान गांव मन्दिर, नरकोट, उत्तरकाशी।
16. पुजेली का महासु मन्दिर, उत्तरकाशी।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संरक्षित मन्दिर

1. शिव और नन्दा देवी मन्दिर, बार्जिगा, टिहरी गढ़वाल।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर

4935. **श्री सी० एम० नेगी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों, विशेषकर पौड़ी और टिहरी गढ़वाल में रोजगार के अवसर अपर्याप्त हैं; और

(ख) यदि हां, इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) पौढ़ी और टिहरी गढ़वाल सहित पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार अवसरों का सृजन करने के

लिए राज्य की अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रकों में विभिन्न विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विशेष रोजगार उन्मुख कार्यक्रमों के साथ-साथ पालिटेक्निक/ग्रामीण पोलिटेक्निक, आई० टी० आई०/शाखा आई० टी० आई० को सुदृढ़ बनाने और ट्रेडों के आधुनिकीकरण तथा पर्वतों के लिए उपयुक्त ट्रेडों को शुरू करने के माध्यम से लोगों की तकनीकी दक्षता के संवर्द्धन के लिए रोजगारोन्मुख शिक्षण भी है।

उपर्युक्त स्कीमों/कार्यक्रमों के अतिरिक्त, औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत लघु, ग्राम तथा कुटीर उद्योगों, इलेक्ट्रोनिक्स, फार्मास्युटिकल, जड़ी-बूटियों पर आधारित इकाइयों फल तथा सब्जी प्रसंस्करण इकाइयों, ऊन तथा रेशम उद्योग पर बल दिया गया है, जो सीधे ही रोजगार अवसरों का सृजन करते हैं। पर्यटन को उद्योग के रूप में मान्यता दी गई है जो स्थानीय लोगों के लिए रोजगार अवसरों में वृद्धि करता है। विभिन्न रोजगार कार्यालयों/कार्य विकास इकाइयों और कोचिंग तथा मार्गदर्शन केन्द्रों के माध्यम से रोजगार सेवा प्रदान की जा रही है। आठवीं योजना में रोजगार सृजन के विशेषतया पिछड़े क्षेत्रों जिनमें पहाड़ी क्षेत्र शामिल हैं, महत्वपूर्ण उद्देश्य पर मुख्य रूप से जोर दिया जाएगा।

आडम्बरपूर्ण वस्तुओं की खपत पर रोक

4936. **श्री कल्पनाथ राय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज में असमानता को कम करने के लिए आडम्बरपूर्ण वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) सरकार प्रदर्शन और आडम्बरपूर्ण उपभोग को कम करने के प्रति वचनबद्ध है। इसके लिए उठाए जाने वाले कदमों में कालेधन के विरुद्ध सुस्थिर और बहुमुखी अभियान चलाना और धन के तड़क-भड़क पूर्ण प्रदर्शन पर कड़ी सतर्कता बरतना शामिल है। यह निर्णय लिया गया है कि "बेनामी" लेनदेनों से सम्बन्धित अधिनियम के विभिन्न उपबंधों को फिर से तैयार किया जाय ताकि "बेनामी" रूप में धन रखने वाले आर्थिक अपराधियों के लिए ऐसा करना मुश्किल हो जाए। काले धन के विरुद्ध प्रशासनिक रोकों को आर्थिक उपायों से मजबूत किया जा रहा है। कर अपवंचन और प्रदर्शन उपभोग को रोकने के उद्देश्य से वर्ष 1990-91 के बजट में दान कर कानून को महत्वपूर्ण रूप से सख्त बना दिया गया है। सरकार ने विलासिता की अनेक वस्तुओं पर, जिनका उपभोग प्रायः सम्पन्न वर्गों द्वारा किया जाता है, उत्पादन शुल्क में भी पर्याप्त वृद्धि की है।

बेरोजगारी और गरीबी समाप्त करने के लिए कदम

4937. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल** :
डा० ए० के० पटेल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सम्पूर्ण विकास दर पांच प्रतिशत से अधिक रही है जबकि बेरोजगारी और गरीबी में बहुत अधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार बेरोजगारी और गरीबी बढ़ने की तुलना में विकास दर क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान समग्र संवृद्धि दर 5 प्रतिशत से अधिक रही है लेकिन पिछले तीन वर्षों के बेरोजगारी तथा गरीबी के वर्षवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि नियोजित विकास के स्थायी महत्व के विषय हैं । इस संदर्भ में आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए दृष्टिकोण में, जो अब तैयार किया जा रहा है, महत्व के जिन कुछ क्षेत्रों पर जोर दिया जाएगा वे हैं : ग्रामीण सेक्टर का विकास, आर्थिक क्रियाकलाप में महिलाओं की भूमिका पर अधिक पैना फोकस तथा रोजगार ।

मध्य प्रदेश में छावनी बोर्ड

[हिन्दी]

4938. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के प्रत्येक छावनी क्षेत्र में निर्माण तथा विकास कार्यों पर अलग-अलग कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) कितने छावनी क्षेत्रों में लोगों को पेय जल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तथा इस समस्या को हल करने के लिए कौन-से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) मध्य प्रदेश में 5 छावनियां हैं । प्रत्येक छावनी में निर्माण एवं विकास कार्यों पर हुआ व्यय इस प्रकार से है :—

(राशि रुपयों में)

क्रम सं०	छावनी का नाम	व्यय हुआ		
		1987-88	1988-89	1989-90
1.	सागर	10,35,200	4,29,870	5,68,000
2.	महू	5,87,350	10,96,480	13,80,700
3.	जबलपुर	18,85,000	43,41,000	78,53,000
4.	मोरार	5,01,215	4,81,342	1,86,059
5.	पंचमढ़ी	2,17,506	1,76,688	3,27,760 (अनुमानित)

(ख) सभी छावनियों में पानी की समस्या है। कहीं अधिक तो कहीं कम है। पानी की मात्रा में वृद्धि करने के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं और कई बनाई जा रही हैं।

खेलकूदों का स्तर सुधारने की योजना

4939. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेलकूदों का स्तर सुधारने के लिए कोई नई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत भवन होस्टलों की स्थापना

[अनुवाद]

4940. **श्री के० एस० राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने समूचे देश के चुनिंदा विश्वविद्यालयों में भारत भवन होस्टलों की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो कितने भारत भवन होस्टलों की स्थापना करने का विचार किया गया है और इन पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है;

(ग) भारत भवन होस्टलों की स्थापना करने के क्या उद्देश्य हैं; और

(घ) क्या इन भारत भवन होस्टलों की स्थापना प्रत्येक विश्वविद्यालय में की जाएगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कुछ चुनिंदा विश्वविद्यालयों में भारत भवन छात्रावास स्थापित करने का प्रस्ताव है, ताकि देश के विभिन्न भागों के छात्रों को शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकता के सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों को अच्छी तरह समझने का अवसर मिल सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक चरणबद्ध कार्यक्रम के रूप में 35 छात्रावास परिसर स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो राशियों की उपलब्धता पर निर्भर होगा। प्रत्येक परिसर में छः, चार या दो यूनिट होंगे और प्रत्येक यूनिट में 50 कमरे होंगे। एक यूनिट की अनुमानित लागत लगभग 28.42 लाख रुपए हैं। अब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली विश्वविद्यालय में भारत भवन छात्रावास परिसरों के लिए एक करोड़ रुपए देने के लिए सहमत हो गया है।

सेव पेरियार प्रोजेक्ट

4941. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक "सेव पेरियार" परियोजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, हां।

(ख) निधियों की उपलब्धता और गंगा कार्य योजना से प्राप्त अनुभव के आधार पर इस परियोजना पर आठवीं योजना में विचार किया जा सकता है।

सरकारी कर्मचारियों की शिकायतें

4942. **श्रीमती बासव राजेश्वरी** :
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988, 1989 और वर्तमान वर्ष के दौरान, अलग-अलग कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मन्त्रालय को सरकारी कर्मचारियों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई;

(ख) इनमें से कितनी शिकायतों का निपटान किया गया है; और

(ग) शेष शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) विभिन्न सेवा के मामलों के सम्बन्ध में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मन्त्रालय को वर्ष 1988, 1989 और वर्तमान वर्ष (1-1-1990 से 31-3-1990 तक) के दौरान क्रमशः 2600, 2200 और 300 अभ्यावेदन प्राप्त हुए। ये अभ्यावेदन/शिकायतें केन्द्रीय, राज्य सरकारों और अन्य विभिन्न संगठनों और एजेंसियों से सम्बन्धित हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मन्त्रालय ने इन्हें सम्बन्धित प्राधिकरणों को उचित कार्रवाही हेतु भेज दिया है। जहां तक भारत सरकार से सम्बन्धित शिकायतों का सम्बन्ध है, मंत्रालयों/विभागों को, सरकारी कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने के लिए अपने यहां संस्थागत व्यवस्थाएं करने का परामर्श दिया गया है। इन व्यवस्थाओं में स्टाफ शिकायत अधिकारी की नियुक्ति, कर्मचारियों द्वारा स्टाफ शिकायत अधिकारी और विभागाध्यक्ष/सचिव से आसानी से मिलने की सुविधा, विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें नियमित समय पर करना आदि शामिल हैं।

दिल्ली में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की शाखाएं

[हिन्दी]

4943. **श्री याादवेन्द्र दत्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की कितनी शाखाएं हैं तथा वे किन-किन स्थानों पर हैं;

(ख) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की विभिन्न शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान कितनी नई शाखाएं खोली गई हैं; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान किन-किन स्थानों पर और अधिक शाखाएं खोलने का विचार किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) दिल्ली में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की सेवाएं 173 स्थानों पर उपलब्ध हैं। इनके नाम विवरण-I में दिए गए हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 844/90**]

(ख) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में 401 कर्मचारी कार्यरत हैं। श्रेणीवार ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 845/90**]

(ग) 1989-90 के दौरान ओंकार नगर में और पेशवा रोड पर दो उप-शाखाएं तथा बादली गांव के पास जमा (डिपोजिट) केन्द्र खोला गया।

(घ) चालू वर्ष के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में एक उप-शाखा और इंदिरा गांधी इन्डोर स्टेडियम में एक खेल पुस्तकालय स्थापित करने का प्रस्ताव है।

हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों का विकास

[अनुवाद]

4944. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी कोई कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और चालू पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) अगली योजना में इन क्षेत्रों के और अधिक विकास के लिए बनाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

संस्कृत भाषा को बढ़ावा

4945. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में संस्कृत भाषा के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार स्कूलों में 10वीं कक्षा तक संस्कृत का अध्ययन अनिवार्य करने का है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) देश में संस्कृत के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित योजनाएं/कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं :—

(i) संस्कृत के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय अनुदान।

(ii) आदर्श संस्कृत पाठशालाओं को वित्तीय अनुदान।

(iii) आदर्श संस्कृत पाठशालाओं और अन्य स्वैच्छिक संगठनों में प्रख्यात वयोवृद्ध संस्कृत अध्येताओं के लिए वित्तीय सहायता।

(iv) संस्कृत शिक्षा के विकास के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता।

(v) दुर्लभ पाण्डुलिपियों की खरीद और उनके प्रकाशन के अलावा संस्कृत साहित्य तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता।

(vi) पुरालेख, प्रतिमा विज्ञान आदि जैसे व्यावसायिक विषयों में स्नातकोत्तर छात्रों के लिए विशेष अवस्थापना पाठ्यक्रम।

(vii) वैदिक मंत्रोच्चारण की मौखिक परम्परा का परिरक्षण।

(viii) अखिल भारतीय वक्तृता प्रतियोगिता और वैदिक सम्मेलन का आयोजन।

(ix) वैदिक धर्मदाय अच्छय पूर्ति।

(x) मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान विभिन्न पाठ्यक्रमों की शिक्षाएं आयोजित करता है।

(xi) परम्परागत तथा वैदिक शिक्षा का विकास करने के लिए मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की भी स्थापना की गई है।

(xii) भारत के उप-राष्ट्रपति के अध्यक्षता में केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड का गठन किया गया है जो संस्कृत शिक्षा के विकास से सम्बन्धित वित्तीय मामलों में भारत सरकार को सलाह देता है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

केरल में वृक्षों की अवैध रूप से कटाई

4946. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के वनों में बड़े पैमाने पर वृक्षों की अवैध रूप से कटाई किए जाने के समाचार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) केरल राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटाई नहीं की गई है।

(ग) वन सुरक्षा को मजबूत करने और गैर-कानूनी कटाई को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम नीचे दर्शाए जा रहे हैं :—

(1) वन खण्डों और बीट्स को पुनर्गठित करके पुलिस स्टेशनों के प्रतिमानों पर वन स्टेशन बनाए जा रहे हैं।

(2) वन उड़न दस्तों को हथियार और युद्ध उपकरण दिए गए हैं।

(3) वन सुरक्षा कर्मचारियों को वाहन और वायरलैस सैट प्रदान करके उनकी गतिशीलता और संचार सुविधाओं में सुधार किया गया है।

गुजरात के बनासकंठा जिले में संगमरमर की खदानों का बन्द होना

4947. **श्री काशीराम राणा :**
श्री हरिन पाठक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात के बनासकंठा जिले में अम्बाजी के निकट खदानों को पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति न दिए जाने के कारण उनके बन्द होने के फलस्वरूप बड़ी संख्या में लोगों को बेरोजगार होने की जानकारी है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में गुजरात सरकार का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास लम्बे समय से विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक मंजूरी दिए जाने की सम्भावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार को गुजरात राज्य के बनासकंठा जिले में अम्बाजी में 198.28 हैक्टेयर संगमरमर खनन पट्टा क्षेत्र की अधिसूचना को निरस्त करने के बारे में एक प्रस्ताव जुलाई, 1988 को प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव अपूर्ण था, अतएव राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। प्रस्ताव की मंत्रालय में जांच की जा रही है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देना

[हिन्दी]

4948. **श्री रामेश्वर प्रसाद : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के वन्य जीवों द्वारा की गई जान-माल की हानि के लिए मुआवजा

4949. **श्री मोहन लाल झिकराम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कान्हा राष्ट्रीय उद्यान सम्बन्धी आरक्षित क्षेत्र के वन्य जीवों विशेषकर सिंहों और तेंदुओं द्वारा निकटवर्ती गांवों में कितने व्यक्तियों और मवेशियों को मार डाला गया;

(ख) मारे गए व्यक्तियों के परिवारों और मवेशियों के मालिकों को दी गई मुआवजा धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हानि की तुलना में पर्याप्त मुआवजा दिया गया है; क्या मुआवजे की राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) गत एक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के वन्य जीवों द्वारा फसलों का कितना नुकसान किया गया और फसलों के नुकसान के लिए मुआवजे की कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही और मध्य प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कान्हा राष्ट्रीय वन्य-जीव उद्यान का भ्रमण करने वाले पर्यटक

4950. **श्री मोहन लाल झिकराम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने विदेशी पर्यटकों ने कान्हा राष्ट्रीय वन्य-जीव उद्यान का भ्रमण किया;

(ख) इस राष्ट्रीय वन्य-जीव उद्यान को और अधिक आकर्षक बनाने की दृष्टि से यहां इस वर्ष क्या नए निर्माण कार्य शुरू करने का विचार है और इन निर्माण कार्यों के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(ग) विदेशी पर्यटकों को उपलब्ध कराई जाने वाली भोजन तथा ठहरने की व्यवस्था सहित अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और क्या मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या निर्माण कार्य शुरू करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) मध्य प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में आए विदेशी पर्यटकों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	विदेशी पर्यटकों की संख्या
1986-87	1384
1987-88	1062
1988-89	996

(ख) कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को पर्यटकों के लिए और अधिक आकर्षक बनाने के लिए कोई नया कार्य शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबन्ध का उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देना है न कि पर्यटन को बढ़ावा देना।

(ग) और (घ) इस समय खातिया, किसली और मुक्की में तीन पर्यटक परिसर हैं। जहां तक आवास, भोजन और पर्यटक वाहनों का सम्बन्ध है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन का प्रबन्ध मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। विद्यमान प्रावधान पर्याप्त समझे जाते हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुभाग अधिकारी स्तर के पदों पर कार्य कर रहे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारी

4951. **श्री राजवीर सिंह** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुभाग अधिकारी स्तर के पदों पर और इससे उच्च पदों पर कितने अधिकारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) इनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने अधिकारी हैं;

(ग) क्या इन पदों के सम्बन्ध में आरक्षित कोटा भर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारणों का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ङ) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुभाग अधिकारी के स्तर के 113 अधिकारी तथा अनुभाग अधिकारी के ऊपर के स्तर के 65 अधिकारी हैं और अनुसूचित जातियों के लिए 15% का

आरक्षण कोटा और अनुसूचित जनजातियों के लिए $7\frac{1}{2}\%$ का आरक्षण कोटा अनुभाग अधिकारी के स्तर तक या गैर-शिक्षण पदों में तदनुरूपी संवर्ग तक लागू किया जाता है। अनुभाग अधिकारी का पद पदोन्नति से भरा जाता है। विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् के 15 जुलाई 1988 के संकल्प के अनुसार संवर्ग में 5 वर्ष से कार्यरत कर्मचारी पदोन्नति के लिए विचारणीय है। इस समय अनुभाग अधिकारी के स्तर का कोई भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का अधिकारी नहीं है क्योंकि आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत अनुभाग सधिकारी के रूप में पदोन्नति के योग्य कोई व्यक्ति नहीं पाया गया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के इन्जीनियरी विभाग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सहायक इंजीनियर

4952. **श्री राजवीर सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय के इन्जीनियरी विभाग में नियुक्त सहायक इन्जीनियरों तथा इससे उच्च पदाधारी इन्जीनियरों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के इन्जीनियरों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या आरक्षण नियमों के अनुसार उन्हें नियुक्ति आदि में छूट दी गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के इन्जीनियरी विभाग में छः सहायक इंजीनियर, दो कार्यकारी इन्जीनियर और एक विश्वविद्यालय इंजीनियर कार्यरत है। सहायक इन्जीनियरों के सात पद हैं, जिनमें से एक पद आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए आरक्षित है। इस समय यह पद रिक्त है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को आवास प्रदान करना

4953. **श्री राजवीर सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय सरकार के निर्धारित नियमों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को आवास उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सुविधा के अनुसार कितने कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ग) जी, हां। दिल्ली विश्वविद्यालय

ने सरकार के अनुदेशों के अनुसार टाइप I तथा II आवास के लिए आवास के आवंटन में 10% और टाइप III और IV के लिए 5% के आरक्षण के लिए व्यवस्था की है। विश्वविद्यालय द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, उन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या, जिनको विभिन्न टाइप के आवास प्रदान किए गए हैं, निम्नलिखित हैं :

श्रेणी	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को आवंटित मकानों की संख्या
I	43
II	7
III	2
IV	1

राज्यों में केन्द्रीय भण्डार के स्टोर खोलना

[अनुवाद]

4954. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :**
श्री राम सागर (सैदपुर) :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली से बाहर अन्य नगरों में केन्द्रीय भण्डार की शाखाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्यों में केन्द्रीय भन्डार के और अधिक स्टोर खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) इस समय केन्द्रीय भण्डार के दिल्ली से बाहर निम्नलिखित शाखा स्टोर कार्य कर रहे है :

(i) मद्रास में 4 स्टोर;

(ii) बम्बई में 2 स्टोर;

(iii) हैदराबाद में एक स्टोर; और

(iv) मसूरी में एक स्टोर।

(ख) और (ग) बंगलौर, कलकत्ता, नागपुर, देहरादून तथा लखनऊ में स्टोर खोलने का केन्द्रीय भण्डार का प्रस्ताव है।

परमाणु विद्युत केन्द्रों की स्थापना

[हिन्दी]

4955. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**
श्री नाथू सिंह :
प्रो० यदुनाथ पाण्डेय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नए परमाणु विद्युत केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन विद्युत केन्द्रों की स्थापना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ग) सरकार ने इस समय काम कर रहे और निर्माणाधीन परमाणु बिजलीघरों के अलावा, कर्नाटक में कैगा में चार और यूनिट, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 235 मेगावाट होगी, महाराष्ट्र में तारापुर में 2 और यूनिट, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 500 मेगावाट होगी तथा राजस्थान में रावतभाटा में 4 और यूनिट, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 500 मेगावाट होगी, लगाने की अनुमति दे दी है। इन यूनिटों के लिए ऐसे संघटकों को जिन्हें प्राप्त करने में लम्बा समय लगता है तथा जो महत्वपूर्ण किस्म के हैं, पहले से ही प्राप्त करने, पर्यावरण संबंधी अनुमति प्राप्त करने और परियोजना के लिए वित्तीय संस्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। 20 नवम्बर, 1988 को भारत और सोवियत संघ की सरकारों के बीच हुए सहकार-करार की शर्तों के अनुसार तमिलनाडु में कुडानकुलम में 1000 मेगावाट क्षमता वाले दो यूनिट, जो रूस के वी० वी० ई० आर० किस्म के होंगे, स्थापित करने के बारे में बातचीत चल रही है।

यमुना नदी की सफाई

[अनुवाद]

4956. **श्री कमल चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, हरियाणा और संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली में यमुना नदी की सफाई के लिए बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजन के लिए उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा की राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली की सरकार को कितनी धनराशि आबंटित की है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण की प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता में 11-9-89 को हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि यमुना के प्रदूषण में कमी लाने की स्कीमें आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ की जाएंगी। तथापि, स्कीमों को हाथ में

लिया जाना और इस प्रयोजन के लिए आबंटित की जाने वाली धनराशि, आठवीं पंचवर्षीय योजना में साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा, जिसके बारे में अभी भी निर्णय लिया जाना है।

दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम, 1973 में संशोधनों का कार्यान्वयन

4957. **श्री मदनलाल खुराना :**
श्री प्रतापराव बाबूराव भोसले :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम, 1973 में बेहतर सेवा शर्तें प्रदान करने और शिक्षण संस्थाओं पर बेहतर नियन्त्रण रखने के लिए संशोधन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नियमों में किए गए संशोधनों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने और तत्सम्बन्धी अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) नियमावली में किए गए संशोधनों के क्रियान्वयन तथा अनुवर्तन का निरीक्षण करने के लिए दिल्ली प्रशासन में शिक्षा निदेशक के पूरे अधीक्षण में एक शाखा अलग से है। यद्यपि, चूंकि संशोधन अभी हाल ही में अधिसूचित किए गए हैं इसलिए इस स्तर पर इसके क्रियान्वयन में किसी कठिनाई का पहले से अनुमान लगाना बहुत ही जल्दी होगा।

विवरण

दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली, 1973 में संशोधन करने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा 23-2-90 को जारी की गयी अधिसूचना में, नियमावली में अनेक संशोधन किए गए हैं। इनमें से कई संशोधन सामान्य स्वरूप के हैं जो नियमों को अद्यतन किए जाने के वास्ते किए गए हैं। नियमावली में किए गए प्रमुख संशोधन इस प्रकार हैं :

(i) नियम 17(2) में यह प्रदान किए जाने के लिए संशोधन किया गया है कि प्रत्येक स्वायत्त स्कूल को अपना पाठ्यविवरण और पाठ्यचर्या अपनाने की स्वतन्त्रता, पाठ्य पुस्तकों को आरम्भ करने और अपने छात्रों का मूल्यांकन करने और मिडिल स्तर के अन्त तक परीक्षाएं आयोजित करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए :

"बशर्ते कि यदि निदेशक की, एक स्वायत्त स्कूल द्वारा लगायी गयी किसी पाठ्य-पुस्तक की संवीक्षा करने की राय हो कि ऐसी पाठ्यपुस्तक शिक्षा के हितों के लिए हानिकर है, तो ऐसे स्कूल में एक पाठ्यपुस्तक के रूप में ऐसी पुस्तक के प्रयोग के लिए मना कर सकते हैं।"

(ii) नियम-22 में संशोधन सुसम्बद्ध पाठ्यचर्या समिति के प्रावधान के लिए किया गया है। पिछली समिति में, 26 सदस्य थे और संशोधित गठन में संख्या घटकर 16 हो गयी है।

(iii) नियम-64 में संशोधन स्कूलों की सहायता अनुदान मुक्त किए जाने के वास्ते शर्तें निर्धारित करने के लिए किया गया है।

(iv) नियम-69 में संशोधन, शर्तों जिन्हें अब संशोधित नियमों में निर्दिष्ट किया गया है, के उल्लंघन किए जाने पर प्रशासक द्वारा किसी भी समय स्कूल को सहायता अनुदान रोके जाने, कम किए जाने अथवा विलम्बित किए जाने की व्यवस्था के लिए किया गया है।

(v) नियम 96(3)(ख) में संशोधन वर्ग "घ" कर्मचारी की नियुक्ति के वास्ते चयन-समिति के संशोधित संगठन के प्रावधान के लिए किया गया है। संशोधित गठन में शिक्षा निदेशक का एक नामजद व्यक्ति निकाल दिया गया है क्योंकि इसकी आवश्यकता महसूस नहीं की गई थी।

(iv) नियम 98(2) में संशोधन निम्नलिखित के प्रावधान के लिए किया गया है :—

"यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो प्रबन्ध समिति द्वारा की गयी प्रत्येक नियुक्ति प्रारम्भिक रूप से अनन्तिम होगी और उसके लिए निदेशक का अनुमोदन अनिवार्य होगा।

बशर्ते कि निदेशक का अनुमोदन उस मामले में अपेक्षित होगा जब जहां चयन समिति विभागीय पदोन्नति समिति में निदेशक का नामजद व्यक्ति उपस्थित नहीं था अथवा यदि चयन समिति के सदस्यों में भिन्न-भिन्न राय हो।"

इसके अतिरिक्त, बशर्ते कि इस उप-नियम का प्रावधान एक अल्प-संख्यक सहायता प्राप्त स्कूल पर लागू नहीं होगा।

(vii) नियम 100(ग) में संशोधन इस प्रावधान के लिए किया गया है कि जहां एक स्कूल में एक पद (एक शिक्षक के अतिरिक्त) चाहे सहायता प्राप्त हो अथवा सहायता प्राप्त न हो, राजकीय स्कूल में किसी पद के सदृश होता है, तो ऐसे पद पर भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हताएं वे होंगी जो राजकीय स्कूल में ऐसे सदृश पद के लिए निर्धारित की गयीं हैं।

(viii) नियम 109 में संशोधन कर्मचारियों की वरिष्ठता के निर्धारण के वास्ते मार्गदर्शी रूप-रेखाएं निर्दिष्ट करने के लिए किया गया है।

(ix) नियम 114 में संसोधन निम्नांकित प्रावधान के लिए किया गया है :

"एक मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल के कर्मचारी द्वारा दिया गया त्यागपत्र निदेशक के अनुमोदन से प्रबन्ध-समिति द्वारा त्यागपत्र प्राप्त करने की तारीख से 30 दिनों की अवधि में स्वीकार किया जाएगा।

बशर्ते कि यदि 30 दिनों के अन्दर कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है तो ऐसा अनुमोदन उक्त अवधि की समाप्ति के बाद प्राप्त हुआ समझा जाएगा।"

(x) नियम 147 में संशोधन एक समान शिक्षा शुल्क की दर के प्रावधान के वास्ते किया गया है। पिछले प्रावधान में, उच्च शिक्षा शुल्क ग्रेड-I नामक उच्च आय-वर्गों के छात्रों द्वारा दिया जाने वाला अपेक्षित था। इसे अब समाप्त कर दिया गया है।

नए पर्वतीय क्षेत्रों के सम्बन्ध में विशेषज्ञ दल

4958. **श्री जे० चोक्काराव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए नए पर्वतीय क्षेत्रों का निरूपण करने के लिए मई, 1986 में किसी विशेषज्ञ दल का गठन किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी और सरकार का इसकी सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित करने का विचार है ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) विशेषज्ञ दल ने 27 फरवरी, 1987 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट की जांच की गई है और निर्णय प्रतीक्षित है।

वित्तीय संकट से ग्रस्त विश्वविद्यालय

4959. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेष रूप से बिहार में कुछ विश्वविद्यालय गम्भीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे विश्वविद्यालयों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो इन विश्वविद्यालयों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन विश्वविद्यालयों को वित्तीय संकट से उबारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाने का विचार किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (घ) राज्य सरकारों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों को सम्बन्धित राज्य सरकारों से अनुदान प्राप्त होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, संस्थात्मक बुनियादी सुविधाओं जैसे भवन, पुस्तक और पत्रिकाएं, उपस्कर तथा अन्य सुविधाओं, जो शिक्षण और अनुसंधान की कोटि और स्तर को प्रोन्नत करने के लिए तैयार की गयी हैं, को सुदृढ़ करने के लिए विश्वविद्यालयों को केवल विकास अनुदान देता है कुछ समय पूर्व इस ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था कि बिहार के विश्वविद्यालय गम्भीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। यह समस्या मुख्यरूप से कालेजों को अनायोजित वृद्धि तथा सम्बद्ध कालेजों को संघटक कालेजों में

परिवर्तित करने के कारण हुई जिसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालयों को उनके रख-रखाव के लिए वित्तीय जिम्मेदारी लेनी पड़ी। तथापि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बिहार के विश्वविद्यालयों को पहले ही दिए जा रहे विकास सहायता के अतिरिक्त बिहार सरकार को कोई अन्य विशेष अनुदान देना सम्भव नहीं हुआ।

विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई अनुदान राशि तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना में बिहार के लिए मुक्त अनुदान के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(रुपए लाखों में)

विश्वविद्यालय	7वीं पंचवर्षीय योजना के लिए अनुमोदित कुल आबंटन	मुक्त अनुदान
पटना	180.50	84.30
बिहार	171.70	110.00
भागलपुर	198.37	105.35
रांची	235.42	91.00
के० एस० डी० संस्कृत	72.62	16.00
मगध	171.00	70.00
एल० एन० मिथिला	72.67	53.50

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को अवर अध्येतावृत्ति

4960. **श्री यशवन्त राव पाटिल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने उम्मीदवारों को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा अवर अध्येतावृत्ति प्रदान की गई है; और

(ख) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान इनका कोटा भर दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) वर्ष 1989-90 में 1402 उम्मीदवारों को जूनियर रिसर्च फैलोशिप (कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति) प्रदान की गई थी, उनमें से 104 उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के थे।

(ख) चूंकि जूनियर रिसर्च फैलोशिप नियमित नियुक्ति नहीं हैं, इसलिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का कोई कोटा निश्चित नहीं है। तथापि, 15 प्रतिशत अंकों तक छूट (रियायत) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को प्रदान करने की अनुमति दी

गई थी, क्योंकि इन जातियों के उम्मीदवार चयन क्षेत्र में उम्मीदवारों के चयन हेतु निर्धारित मानक के अनुसार पर्याप्त संख्या में नहीं आ रहे थे।

सामान सप्लाईकर्ता

[हिन्दी]

4961. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव** : क्या प्रधान मंत्री सामान की सप्लाईकर्ता के बारे में 26 मार्च, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2140 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पांच फर्मों का ब्यौरा क्या है जिनके व्यापार पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है;

(ख) क्या उनके विरुद्ध कोई अन्य कार्यवाही भी की गई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) इस संबंध में सूचना गोपनीय है।

(ख) और (ग) रक्षा पूर्ति विभाग, जो कि इस सम्बन्ध में एक प्रमुख विभाग है, ने सूचित किया है कि एक निश्चित अवधि के लिए प्रतिबंध लगाने सम्बन्धी आदेश जारी होने के बाद आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाती। सप्लाईकर्ताओं की मानकीकृत संहिता के अनुसार ऐसी फर्मों के नाम अनुमोदित सप्लाईकर्ताओं की सूची में से हटा दिए जाते हैं और प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी आदेश जारी होने के पश्चात् प्रतिबंधित फर्मों को किसी प्रकार के ठेके नहीं दिए जाते।

घटिया माल की सप्लाई

4962. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव** : क्या प्रधान मंत्री घटिया माल की सप्लाई के बारे में 26 मार्च, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2141 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन 86 फर्मों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने घटिया माल की सप्लाई की है;

(ख) क्या उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई की गई, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) घटिया माल की सप्लाई के कारण कितनी हानि हुई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) घटिया माल को बदलने के लिए कार्रवाई की गई है। माल न बदले जाने की स्थिति में पहले अदा की गई राशि को वसूल किया जाएगा। 27 फर्मों से घटिया माल को बदल लिया गया है या अदा की गई राशि को वसूल कर लिया गया है। संविदा की शर्तों के अनुसार 2 फर्मों के मामले में माध्यस्थम की कार्यवाहियाँ चल रही हैं। बाकी फर्मों के मामले में घटिया माल बदलने/पहले अदा की गई राशि को वसूल करने की कार्रवाई चल रही है।

(ख) जब तक घटिया माल को बदलने/पहले से अदा की गई राशि की वसूली की कार्रवाइयां पूरी नहीं हो जातीं तब तक घटिया माल की सप्लाई के कारण हुई हानि की मात्रा को नहीं बताया जा सकता।

विवरण

घटिया माल सप्लाई करने वाली 86 फर्मों के ब्यौरे

1. मैं० स्वप्न इण्डस्ट्रीज, 24 परगना।
2. मैं० अशोक टिम्बर इण्डस्ट्रीज, यमुनानगर।
3. मैं० पी० एल० मशीन एण्ड कं० नई दिल्ली।
4. मैं० अरविन्द एण्ड कं०, इलाहाबाद।
5. मैं० श्री बालाजी एण्टरप्राइजिज, कानपुर।
6. मैं० जमता आयरन स्टोर, कानपुर।
7. मैं० के० सी० लखी एण्ड कं०, अलीगढ़।
8. मैं० स्वदेशी एग्रो मैक० प्रा० लि०, कानपुर।
9. मैं० तिवारी इण्डस्ट्रीज, कानपुर।
10. मैं० ए० टी० इण्डस्ट्रीज, दिल्ली।
11. मैं० राणा इण्डस्ट्रीज, इलाहाबाद।
12. मैं० अर्नेस्ट हैल्थकेयर लि०, इन्दौर।
13. मैं० सुदर्शन प्लाईवुड इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, कलकत्ता।
14. मैं० बी० डी० बैनर्जी एण्ड कं० लि० कलकत्ता।
15. मैं० मिनीटेक्स एण्टरप्राइजिज, कलकत्ता।
16. मैं० माधव कॉटन मिल, कलकत्ता।
17. मैं० डैल्टा रोप वर्क्स, कलकत्ता।
18. मैं० एस० सी० मलिक एण्ड कं०, कलकत्ता।
19. मैं० यूनिक ट्रेडर्स, कलकत्ता।
20. मैं० सी० आई० लैबस, 24-बी, बसन्तलाल शाह रोड, कलकत्ता-53।
21. मैं० एस० एम० रशीद एण्ड संस, कानपुर।
22. मैं० जवाहरलाल फूल चन्द, दिल्ली।
23. मैं० कनिष्क वुड वर्क्स, 59/20, प्रभात रोड, करोल बाग, नई दिल्ली।

24. मै० केदार कोरपोरेशन (इण्डिया) रतलाम (एम) (म० प्र०)।
25. मै० प्रगति मैन्यूफैक्चरिंग एण्ड सप्लायर्स, बी-119, अमर कालोनी, लाजपत नगर-4, नई दिल्ली-24।
26. मै० शंकर टिम्बर इण्डस्ट्रीज, अखनूर रोड, जम्मू।
27. मै० शंकर विजय टिम्बर इण्डस्ट्रीज, 93, मैरीन ड्राइव, जी-रोड, 25 अतूरा महल, बम्बई-400002।
28. मै० पोद्दार फार्मास्यूटिकल्स प्रा० लि०, हरिद्वार।
29. मै० इंका इण्डस्ट्रीज, ए-206, सोम विहार, नई दिल्ली।
30. मै० डायमण्ड इण्टरनेशनल एक्सपोर्ट, 59/20, प्रभात रोड, करोल बाग, नई दिल्ली।
31. मै० कुन्द्रा ब्रूव, जीटी रोड, कुण्डली, जिला सोनीपत।
32. मै० पवन के० ज्वायनरी मिल्स, अखनूर रोड, जम्मू।
33. मै० ईस्टर्न इण्टरनेशनल, लुधियाना।
34. मै० शिव बूट फैक्टरी, क्याल बाग, आगरा।
35. मै० अशोक निवार फैक्टरी, गोहाना।
36. मै० श्री गणेश वूल ट्रेडर्स, जयपुर।
37. मै० हुडा ब्रदर्स, 3-दक्षिण कालका, इलाहाबाद।
38. मै० ओबोइ लैब्स, 1, प्रभात नगर, जोगेश्वरी (पश्चिम), बंबई-2।
39. मै० सोफ्टेक्स रोल्ड बैण्डेज वर्क्स, इन्दौर।
40. मै० बाम्बे फार्मा प्रोडक्ट, इन्दौर।
41. मै० हिन्दुस्तान कैमिकल कारपोरेशन, 928 बिपिन बिहारी लेन, कलकत्ता।
42. मै० ए० के० इण्डस्ट्रीज, 48-बी, डॉ० सुरेश सरकार रोड, कलकत्ता।
43. मै० टेप्स एण्ड एलाइड इण्डस्ट्रीज, 166/1, धर्मतला रोड, कलकत्ता।
44. मै० बम्बू वुड ट्रेडिंग कारपोरेशन, 56, जार्ज टाउन, लोकल रोड, इलाहाबाद।
45. मै० ईस्ट प्वाइंट टेप्स, 2/2 मातु लेन, कलकत्ता।
46. मै० पांचील एण्टरप्राइजिज, 12-ए, एन एस रोड (द्वितीय तल), कलकत्ता।
47. मै० कॉमशियल एण्टरप्राइजिज, कानपुर।
48. मै० ओरिएण्ड सेल्स, सिविल होटल, अम्बाला छावनी।
49. मै० दत्ता एण्ड कं०, 171-ए, नेताजी पार्क, अम्बाला छावनी-133001।
50. मै० निरंकारी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, 79/4 लातोश रोड, गुरुद्वारा के सामने कानपुर-1।

51. मै० वेस्ट कॉस्ट फार्मास्यूटिकल वर्क्स, 140 जी आई डी सी इस्टेट नरोदा, अहमदाबाद-30।
52. मै० कृष्णा ग्रीस मैन्यूफैक्चरिंग कं० प्रा० लि०, 279 राय बहादुर रोड, कलकत्ता-700053।
53. मै० कृष्णा ट्रेडिंग कं०, 48-बी, डॉ० सुरेश सरकार रोड, कलकत्ता-14।
54. मै० अम्बिका प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज, जमुनालाल बजाज स्ट्रीट, कलकत्ता-700007।
55. मै० महाजन बूट फैक्टरी, आगरा।
56. मै० अनिल टैक्सटाईल, कानपुर।
57. मै० गौरी इण्डस्ट्रीज, 42, नन्दन रोड, कलकत्ता-25।
58. मै० सचिन टैक्सटाइल (पा०) लि०, एश्जय हाउस-31ए, कर्मीचील रोड, बम्बई-26।
59. मै० वी वी इण्डस्ट्रीज, नई दिल्ली।
60. मै० इण्डियन रेयन इण्डस्ट्रीज लि० यूनिट जयश्री टैक्सटाइल्स, रिश्रा (हुगली)।
61. मै० टैक्सटाइल इण्टरनेशनल, 43/136, चौक शराफा, कानपुर।
62. मै० वर्धमान एण्टरप्राइजिज, कानपुर।
63. मै० वीर होजरी फैक्टरी (पंजीकृत), 276 औद्योगिक क्षेत्र-ए, लुधियाना-3।
64. मै० रामकुमार एण्ड संस, 133, कॉटन स्ट्रीट, कलकत्ता-7।
65. मै० कालटेक्स होजरी मिल्स, 7826/7, नई बस्ती, बाड़ा हिन्दूराव, दिल्ली-6।
66. मै० मुईर मिल्स, कानपुर।
67. मै० राजधानी ट्रेडर्स, 2ए/55, रमेश नगर, नई दिल्ली।
68. मै० कानपुर टेण्ट फैक्टरी, 89/208, बॉस मण्डी पोस्ट बाक्स नं० 136, कानपुर।
69. मै० बिहारी बूट कं०, आगरा।
70. मै० मिश्रा एण्ड कं०, 111/456, ब्रह्म नगर, कानपुर।
71. मै० हरि निबार फैक्टरी, गोहाना।
72. मै० राजेन्द्र रबड़ वर्क्स, कानपुर।
73. मै० राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, 1147, नेपियर टाउन, होम साइंस कॉलेज रोड, जबलपुर-482001।
74. मै० जय सोसाइटी वुड वर्क्स, 87/58, भानना पुरवा, काल्पी रोड, कानपुर।
75. मै० इण्टरनेशनल इंजीनियरिंग वर्क्स, इलाहाबाद।
76. मै० मेहरबान एण्ड संस, माउण्ट रोड और विक्टोरिया रोड, कोलाभाई मुस्तफा बाजार, बम्बई-10।

77. मै० असम बंगाल वेनीर इण्डस्ट्रीज (प्रा०) लि०, 9 क्लाइव रोड, कलकत्ता-1।

78. जेनसन निकल्सन प्रा० लि०, इन्दौर।

79. मै० कलकत्ता सोप फैक्टरी, 23/13, गड़ियाहाट रोड, कलकत्ता-29।

80. मै० बीके पेस्टीसाइड्स प्रा० लि०, बम्बई।

81. मै० सन ऑयल कं० प्रा० लि०, 10बी, ब्रिटिश इण्डियन स्ट्रीट, कलकत्ता-69।

82. मै० रमा होजरी वर्क्स, बी-बारह्-122, चौक सुभान बिल्डिंग, लुधियाना-141008।

83. मै० हिन्दुस्तान पलवराईजिंग मिल्स, अनुपम भवन, पोस्ट बॉक्स नं० 8062, आजादपुर, नई दिल्ली।

84. मै० पी के इण्डस्ट्रीज, सादल रोड, जालन्धर शहर-141414।

85. मै० यूनीक्योर (इं) लि०, नोयडा।

86. मै० अलपाइन इण्डस्ट्रीज, नई दिल्ली।

सहकारिता सम्बन्धी कानूनों को आधुनिक बनाने हेतु समिति

4963. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सहकारिता सम्बन्धी कानूनों की पुनरीक्षा करने और उन्हें आधुनिक बनाने हेतु एक 13 सदस्यीय समिति का गठन किया है;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में इस विषय पर पृथक-पृथक कानून हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस विषय पर एक व्यापक कानून बनाने का विचार है जिससे वांछित उद्देश्य पूरा हो सके;

(घ) क्या सहकारिता के क्षेत्र में विभिन्न दृष्टियों से गिरावट आती जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो सहकारिता कानून की पुनरीक्षा करने के साथ-साथ सहकारी संस्थाओं के समूचे कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां। समिति के गठन के बारे में ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) "सहकारी समितियां" एक राज्य विषय है। राज्यों में सहकारी समितियों की देखभाल और उन्हें मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक राज्य ने अपने स्वंय के सहकारी समिति अधिनियम और नियम बनाये हैं। विभिन्न राज्य सहकारी समिति अधिनियमों की सूची संलग्न विवरण-2 में दी गयी है।

(ग) भारत सरकार, राज्य सरकारों और सहकारिता के क्षेत्र में विशेषज्ञों के साथ परामर्श

से एक आदर्श सहकारी समिति विधेयक तैयार कर रही है और वह इसे राज्य सरकारों द्वारा अंगीकार किए जाने की सिफारिश करेगी ।

(घ) और (ङ) सहकारी समितियां भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण हिस्सा है । ग्रामीण लोगों को सीमित स्पेक्ट्रम में ऋण वितरण शुरू कर, सहकारी समितियों ने एक समयावधि के भीतर सदस्यता प्रचालन और संसाधनों के संदर्भ में विविधता हासिल कर ली है । इस सहभागी समितियों में भी इस प्रक्रिया के दौरान, कतिपय कमजोरियां आ गई हैं, उनमें से प्रमुख है । (i) बढ़ती बकाया कर्ज राशियां (ii) लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का ह्रास (iii) नियमित अवधियों में चुनाव न कराये जाना (iv) सहकारी प्रणाली का राजनीतिकरण भारत सरकार ने सहकारी समितियों में प्रबंधन के लोकतांत्रिकीकरण और व्यवसायीकरण के लिए सहकारी कानून के बारे में एक समिति अर्धनारीश्वरन समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य विभिन्न राज्य सहकारी अधिनियमों की जांच करना और व्यवासायिक प्रबन्धन के उत्थान के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सक्रिय बनाने के लिए वैधानिक कार्यवाही सम्बन्धी सुझाव देना ।

समिति ने राज्य सहकारी कानूनों में विभिन्न पुराने उपबन्धों के, जिनकी प्रासंगिकता समाप्त हो गयी है, बहिष्कार की सिफारिश की है और सहकारी समितियों को प्रचालन में पूर्ण स्वायत्ता प्रदान करने के लिए उपाय सुझाए हैं ।

अर्धनारीश्वरन समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को टिप्पणी के लिए राज्य सरकारों के पास भेज दिया गया है ।

सहकारी कानून के संशोधन के लिए योजना आयोग द्वारा गठित समिति के कार्य क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए सहकारी विकास के त्वरित मूल्यांकन और भावी निदेशों को भी इसमें शामिल किया जाना है ।

विवरण-1

माडल राज्य सहकारी बिल—एक समिति का गठन

समिति का गठन निम्नानुसार है :—

1. चौधरी ब्रह्म प्रकाश, भूतपूर्व सांसद पूर्व महा-सचिव, राष्ट्रीय सहकारी संघ और पूर्व केन्द्रीय कृषि एवं सहकारिता मंत्री ।	अध्यक्ष
2. श्री एल० सी० जैन, सदस्य, योजना आयोग ।	सदस्य
3. श्री असीम दास गुप्ता, वित्त मंत्री पश्चिम बंगाल सरकार कलकत्ता ।	,,
4. श्री अन्ना साहब सिंधे, उपाध्यक्ष राज्य योजना बोर्ड, महाराष्ट्र सरकार ।	,,
5. डा० आई० एस० गुलाटी, उपाध्यक्ष राज्य योजना बोर्ड, केरल सरकार ।	,,

6. श्री आर० वी० देशपांडे विधायक, बंगलौर।	सदस्य
7. डा० वी० कुरियन, अध्यक्ष, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आनंद, गुजरात।	,,
8. श्री एस० एस० पुरी, पूर्व सचिव, योजना आयोग और पूर्व कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम।	,,
9. सुश्री शशी राजगोपालन समाख्या, हैदराबाद।	,,
10. श्री एस० के० मिश्रा, सचिव कृषि एवं सहकारिता विभाग।	,,
11. श्री वी० बी० एल० माथुर मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।	,,
12. श्री के० एन० अर्धनारीश्वरन विशेष सचिव, वाणिज्य मंत्रालय।	,,
13. डा० एम० के० मिश्रा, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय।	,,

श्री एम० वी० पावटे, परामर्शदाता, योजना आयोग, संयोजक हैं।

विवरण-2

राज्य की विभिन्न सहकारी समितियों के अधिनियमों की सूची

1. असम सहकारी समिति अधिनियम, 1949।
2. आंध्र प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1964।
3. बिहार सहकारी समिति अधिनियम, 1935।
4. दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972।
5. गुजरात सहकारी समिति अधिनियम, 1961।
6. हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1984।
7. हिमाचल प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1968।
8. जम्मू व कश्मीर सहकारी समिति अधिनियम, 1989।
9. कर्नाटक सहकारी समिति अधिनियम, 1959।
10. केरल सहकारी समिति अधिनियम, 1960।
11. मध्य प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960।
12. महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1961।
13. उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम, 1962।
14. पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1961।

15. राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम, 1965।

16. तमिलनाडु सहकारी समिति अधिनियम, 1965।

17. उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1983।

18. पश्चिम बंगाल सहकारी समिति अधिनियम, 1983।

19. बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984।

पंजाब में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग

[अनुवाद]

4964. **श्री कमल चौधरी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है और इनकी प्रतिशतता क्या है;

(ख) क्या सरकार का पंजाब मे इन लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने का कोई समयबद्ध कार्यक्रम है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) पंजाब में 1987-88 के दौरान गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या तथा उनका प्रतिशत अनुपात अन्तिम रूप से क्रमश: 13.58 लाख तथा 7.02 होने का अनुमान है।

(ख) जी, नहीं। भारत सरकार राज्य सरकारों की उनके राज्यों में त्वरित रूप से गरीबी उन्मूलन के लिए सहायता तो करती है, परन्तु किसी राज्य विशेष के बारे में स्वयं कोई समयबद्ध कार्यक्रम हाथ में नहीं लेती।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बंगलौर में रक्षा प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना

4965. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बंगलौर में रक्षा प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक स्थापित किया जाएगा और इसे किस स्थान पर स्थापित करने का विचार है; और

(ग) इससे क्या-क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रौद्योगिकी पार्क को आगामी 18 से 24 महीनों में रक्षा अनुसंधान तथा विकास

संगठन की प्रयोगशालाओं के नजदीक बैंगलूर में सी० वी० रमन नगर में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) इस पार्क को स्थापित करने की योजना इसलिए बनाई गई है कि रक्षा अनुसंधान तथा विकास द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों को उद्योगों को अन्तरित करने की सुविधा प्रदान की जा सके। परिणामस्वरूप वे उद्योग रक्षा आवश्यकता की उच्च प्रौद्योगिकीय मदों का देश में उत्पादन कर सकेंगे।

मैसूर में रेअर अर्थ-रिफाइनिंग प्रोजेक्ट

4966. **श्री एच० सी० श्री कान्तय्या** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में मैसूर में रेअर अर्थ रिफाइनिंग प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह मैसूर नगर और के० आर० एस० जलाशय से कितने किलोमीटर दूर स्थित है;

(ग) क्या इस संयंत्र से अपशिष्ट रिस कर के० आर० एस० जलाशय में मिल रहा है; और

(घ यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) मैसूर जिले में एक विरल मृदा संयंत्र लगाया जा रहा है।

(ख) यह मैसूर शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूरी पर और के० आर० एस० जलाशय से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा

4967. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने हाल ही में दिल्ली कालेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड दिल्ली इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालाजी के प्रौद्योगिकी संकाय में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 2 जून, 1990 को एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या इस परीक्षा के आधार पर केवल दिल्ली के ही छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा और दिल्ली के बाहर के छात्रों को बारहवीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो पहले की सुस्थापित पद्धति को समाप्त करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार इस मामले पर पुनर्विचार करेगी तथा प्रस्तावित लिखित परीक्षा को रद्द

करने और दिल्ली में प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश देने की पहले की पद्धति को कायम रखने का उसका विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिल्ली में कक्षा XIIवीं के स्तर पर संचालित की जा रही तीन विभिन्न बोर्ड की परीक्षाओं के स्तरों में तथाकथित व्याप्त अन्तरों के कारण उत्पन्न कठिनाईयों को दूर करने तथा परिणामों की विलम्ब से घोषणा/उनमें संशोधन करने के कारण हुए विलम्ब से बचने के लिए बी० ई० पाठ्यक्रमों में दिल्ली के छात्रों के प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा शुरू करने के लिए निर्णय किया है। दिल्ली से बाहर के छात्रों के लिए मात्र 15% आरक्षित स्थान अर्हक परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार पर अन्य राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के लिए निर्धारित आधार पर आरक्षित किए गए हैं और इन स्थानों पर दाखिला कक्षा XII स्तर पर आयोजित परीक्षा में उपलब्ध अंकों के आधार पर किया जाएगा।

(घ) इन दोनों संस्थाओं में प्रवेश के लिए प्रणाली तथा मानदण्ड निर्धारित करने का निर्णय करना दिल्ली विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आता है जिससे वे सम्बद्ध हैं।

इलैक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग पदों के वेतनमानों का युक्तियुक्तकरण

4968. **श्री रामदास सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० एन० शेषगिरि के नेतृत्व में गठित समिति ने योजना आयोग के आधीन इलैक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग पदों के वेतनमानों का युक्तियुक्तकरण करने की सिफारिश की है, यदि हां, तो इसकी कार्य सूची का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या योजना आयोग द्वारा इसे लागू किया गया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। तथापि, समिति की सिफारिशें भारत के आधीन इलेक्ट्रानिकी डाटा प्रोसेसिंग पदों के बारे में है न कि केवल योजना आयोग के अन्तर्गत। समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, भारत सरकार ने संलग्न विवरण में यथा उल्लिखित इलेक्ट्रानिकी डाटा प्रोसेसिंग स्टाफ से लिए वेतन ढांचा लागू करने का निर्णय किया है ओर इसे सितम्बर, 1989 में वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (कार्यान्वयन एकक) के कार्यालय ज्ञापन के तहत अधिसूचित किया गया है। इसके अनुसार ई० डी० पी० पदों के वेतनमान आदि को संशोधित करने के आवश्यक आदेश सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे तथा इस प्रकार की अधिसूचनाओं की प्रति व्यय विभाग के कार्यान्वयन एकक को पृष्ठांकित की जाएगी। जैसाकि वित्त मंत्रालय द्वारा निदेशित किया गया है, योजना आयोग के अधीन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन० आई० सी०) ने डाटा एन्ट्री आपरेटरों तथा प्रोग्रामिंग स्टाफ के विभिन्न स्तरों के लिए जाब एसाइनमैंट चार्ट तैयार किया जिसे किसी आवश्यकता विशेष की पूर्ति हेतु विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवश्यकतानुसार उपयुक्त संशोधन सहित अपनाया जा सकता है। जाब विवरण की प्रति जनवरी, 1990 में सभी मंत्रालयों/विभागों को परिचालित कर दी गई है। इसी प्रकार, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग ने माडल भर्ती नियम तैयार किए हैं जिन्हें मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपनाया जा

सकता है । राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र के साथ परामर्श करने के बाद, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने फरवरी, 1990 में इलेक्ट्रानिकी डाटा प्रोसेसिंग पदों के ग्रुप "ग" वर्गों हेतु माडल भर्ती नियम परिचालित किए । ग्रुप "ख" तथा "क" पदों के लिए माडल भर्ती नियम संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श से उनके विचाराधीन हैं । तथापि, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना आयोग के अधीन आने वाले इलेक्ट्रानिकी डाटा प्रोसेसिंग पदों के मामले मे, इन्हे चरण-बद्ध रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है ।

विवरण

सं० एफ-7(1/आई० सी०/86 (44)

भारत सरकार

वित्त मत्रालय

व्यय विभाग

(कार्यान्वयन एकक)

नई दिल्ली, दिनांक 11 सितम्बर, 89

कार्यालय ज्ञापन

विषय : इलैक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग पदों के वेतनमानों को युक्तियुक्त बनाना

अधोहस्ताक्षरी को चौथे/चौथे आयोग की रिपोर्ट के पैराग्राफ 11.45 में उल्लिखित सिफारिशों का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि इलैक्ट्रानिकी विभाग वर्तमान इलैक्ट्रानिकी डाटा प्रोसेसिंग पदों की जांच कर तथा उनके पुनर्गठन के बारे में सुझाव दे और कार्मिक विभाग के साथ परामर्श करके उनके एकरूप वेतनमान तथा पदनाम निर्धारित करें । उपर्युक्त सुझाव के अनुसरण में, इलैक्ट्रानिकी विभाग द्वारा नवम्बर, 1986 में एक समिति गठित की गई थी । इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इलैक्ट्रानिकी डाटा प्रोसेसिंग पदों के लिए निम्नलिखित वेतन-संरचना लागू की जाए :—

क्रम सं०	पद का नाम	वेतनमान	
1	2	3	
	डाटा एंटरी आपरेटर		
1.	डाटा एंटरी आपरेटर ग्रेड "ए"	रु० 1150-1500	डाटा एंटरी कार्य के ज्ञान के साथ हायर सै० प्रत्याशियों के लिए यह प्रवेश ग्रेड होगा ।

1	2	3	
2.	डाटा एंटरी आपरेटर ग्रेड "बी"	रु० 1350-2200	डाटा एंटरी कार्य के साथ स्नातकों के लिए यह प्रवेश ग्रेड होगा अथवा डाटा एंटरी आपरेटर ग्रेड "ए" के लिए पदोन्नति का ग्रेड होगा।
3.	डाटा एंटरी आपरेटर ग्रेड "सी"	रु० 1400-2300	पदोन्नति ग्रेड।
4.	डाटा एंटरी आपरेटर ग्रेड "डी"	रु० 1600-2660	पदोन्नति ग्रेड।
5.	डाटा एंटरी आपरेटर ग्रेड "ई"	रु० 2000-3500	पदोन्नति ग्रेड।
डाटा प्रोसेसिंग/प्रोग्रामिंग स्टाफ			
1.	डाटा प्रोसेसिंग सहायक ग्रेड "ए"	रु० 1600-2660	डिप्लोमा/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में प्रमाण-पत्र के साथ स्नातकों के लिए प्रवेश का ग्रेड।
2.	डाटा प्रोसेसिंग सहायक ग्रेड "बी"	रु० 2000-3200	पदोन्नति ग्रेड।
3.	प्रोग्रामर	रु० 2375-3500	इंजीनियरिंग में डिग्री धारकों या विज्ञान/गणित आदि में स्नानकोत्तरों या कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर के लिए सीधा प्रवेश तथा डाटा एंटरी सहायक ग्रेड "बी" से पदोन्नति द्वारा।
4.	वरिष्ठ प्रोग्रामर	रु० 3000-4500	पदोन्नति ग्रेड।

2. सभी मंत्रालय/विभाग जिनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन इलैक्ट्रानिकी डाटा प्रोसेसिंग पद हैं, वे अपने पदों के पदनामों वेतनमानों तथा भर्ती अर्हताओं की समीक्षा करेंगे तथा जहां तक आवश्यक हो अपने वित्त सलाहकारों के साथ परामर्श से पैरा-1 में दिए गए वेतनमानों के अनुसार संशोधित करेंगे। जहां वर्तमान पदों के वेतनमानों को संशोधित करना आवश्यक पाया जाए, सम्बद्ध मंत्रालय/ विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाएगी तथा अधिसूचना की एक प्रति कार्यान्वयन एकक, व्यय विभाग को पृष्ठांकित की जाएगी। संशोधित वेतनमान सम्बद्ध मंत्रालय/विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना की तिथि से लागू होंगे।

3. यदि उपर्युक्त समीक्षा के परिणामस्वरूप किसी पद के वेतनमान में अन्तर आ जाता है तो वर्तमान पदधारी का वेतन मूलनियम 22(क)/(ii) के साथ पठित मूल नियम 23 के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

4. ऊपर के पैरा 2 में सुझाई गई समीक्षा केवल इलैक्ट्रानिकी डाटा प्रोसेसिंग के वर्तमान पदों के सन्दर्भ में ही की जानी है तथा यह आवश्यक नहीं है कि सभी पदों का सभी मंत्रालयों/विभागों में सृजन किया जाए, क्योंकि यह प्रयोग करने वाले विभाग की आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा। यदि मंत्रालय विभाग किसी ऐसे ग्रेड का सृजन करना चाहता है जो वर्तमान में नहीं है, तो यह वित्त सलाहकार के अनुमोदन से तथा इस सम्बन्ध में निर्धारित की गई कार्यविधि से ही किया जाएगा।

5. उपर्युक्त पैरा 1 में प्रत्येक ग्रेड के सामने उल्लिखित अर्हताएं आदि केवल उदाहरण स्वरूप ही हैं तथा मंत्रालय/विभाग पहले से ही उनके निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार सभी वर्तमान ई० डी० पी० पदों की समीक्षा करेंगे। ई० डी० पी० पदों के लिए भर्ती नियमों में एकरूपता लाने को सुनिश्चित करने के लिए कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग से एक माडल भर्ती नियम बनाने का अनुरोध किया जा रहा है। जिसे मंत्रालय/विभाग द्वारा अपनाया जा सके।

6. उपर्युक्त पैरा 1 में दी गयी वेतन संरचना इ० डी० पी० पदों पर ही लागू होगी तथा किसी अन्य क्लर्क, टेलीफोन आपरेटर, टेलीग्राफिस्ट, कार्यालय सहायक, आशुलिपिक आदि के कैडर पर लागू नहीं होगी जिनका आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से ई० डी० पी० कार्य के लिए प्रयोग किया जा रहा हो। जहां कहीं शंका हो कि कोई पद ई० डी० पी० पदों की श्रेणी में आता है अथवा नहीं तो इस बारे में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना, मंत्रालय, नई दिल्ली को सीधे ही लिखा जा सकता है।

7. जहां तक सिस्टम एनालिस्ट तथा उच्च पदों के वेतनमान के बारे से समिति की सिफारिशों का सम्बन्ध है, यह निर्णय किया गया है कि इसे पद के स्तर, कार्यों तथा जिम्मेवारियों तथा पद से सम्बद्ध भर्ती अर्हताओं को ध्यान में रखकर वित्त सलाहकार से परामर्श करके वेतनमान निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता मंत्रालयों/विभागों/संगठनों पर छोड़ दिया जाए।

8. राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र योजना मंत्रालय को कहा जाएगा कि डाटा एंट्री आपरेटर्स, और प्रोग्रामिंग स्टाफ के विभिन्न स्तरों के लिए जाब असाइनमेंट चार्ट तैयार करें जिन्हें किसी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपर्युक्त संशोधन करते हुए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपनाया जा सके।

9. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही शुरू करें तथा समीक्षा के निष्कर्ष कार्यान्वयन एकक व्यय विभाग को सूचित करें।

हस्ताक्षर

(आर० डी० भारद्वाज)

अवर सचिव, भारत सरकार

खेलों में उत्तेजक मादक पदार्थों के प्रयोग पर अध्ययन

4969. **श्री समत कुमार मंडल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में हाल के विवाद के परिणामस्वरूप ओलिम्पिया और पेशेवर खेलों में मांस-पेशियों को उत्तेजक बनाने वाले "एनाबोलिक स्टेरायड्स" के प्रयोग पर कोई विशेष अध्ययन करने के आदेश दिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का उन खेल कोचों और प्रशिक्षकों को दंड देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है जो अपने एथेलिटों को मांस-पेशियों को उत्तेजक बनाने के स्टेरायड्स का प्रयोग करने के आदेश देते हैं अथवा सुझाव देते हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार खिलाड़ियों द्वारा ऐसे पदार्थों के प्रयोग सहित कोचों और प्रशिक्षकों द्वारा इसके सेवन के लिए प्रेरित करने, निर्देश और सुझाव देने को अपराध मानती है। जब कभी ऐसे मामले प्रकाश में आते हैं तो ऐसे प्रशिक्षकों को नियुक्त करने वाले खेल संघों और अन्य एजेंसियों को उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने के लिए कहा जा रहा है। सरकार इस पहलू पर सतर्कता से निगरानी रख रही है।

पॉलिटैक्निक संस्थाओं/कालेजों की मांग

4970. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली में निकट भविष्य में पॉलिटैक्निक संस्थाओं/कालेजों की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में इन्हें और अधिक संख्या में खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसी संस्थाएं कहां-कहां खोली जाएंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उन्होंने 1990-91 के लिए अपने योजनागत प्रावधान में यमुना पार क्षेत्र में दो कालेज तथा पश्चिमी दिल्ली में एक कालेज खोलने का प्रावधान किया है। VIII योजना के दौरान पपनकला में एक पालिटैक्निक स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

फिनलैंड के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध

4971. **श्री भक्त चरण दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का फिनलैंड के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या दोनों देशों ने किसी सांस्कृतिक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ग) भारत गणराज्य और फिनलैंड गणराज्य के बीच सांस्कृतिक करार पर 10-6-1983 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस करार में, दोनों देशों के मध्य वैज्ञानिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में सांस्कृतिक सम्बन्धों और परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने की व्यवस्था है। इस करार के कार्यान्वयन में संस्कृति, विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के दो कार्यक्रमों का कार्यान्वियन किया जा चुका है। तीसरे सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम पर 9-3-1990 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें व्यापक रूप से विज्ञान एवं शिक्षा, भाषाओं, कला एवं संस्कृति, पुरातत्व एवं खेलकूद आदि जैसे क्षेत्रों में परस्पर मिलजुलकर कार्य करने; कला एवं शिल्प तथा ऐसी ही अन्य वस्तुओं की प्रदर्शनियों के विनिमय; विज्ञान, शिक्षा और संस्कृति आदि जैसे विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों और प्रदर्शन कलाकारों के आदान-प्रदान; एक दूसरे के देश में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सवों में भाग लेने तथा दोनों देशों के रेडियो और टेलीविजन संगठनों के परस्पर मिलकर कार्य करने की परिकल्पना की गई है।

आठवीं योजना के दौरान अन्तरिक्ष कार्यक्रम

4972. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना में अन्तरिक्ष कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है;

(ख) आठवीं योजना के दौरान कौन-कौन से अन्तरिक्ष कार्यक्रमों को आरम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ग) अन्तरिक्ष विभाग की आठवीं पंचवर्षीय योजना का मसौदा योजना आयोग के विचाराधीन है। इसमें प्रस्तावित परिव्यय 3842.00 करोड़ रुपए है। इन प्रस्तावों में दो प्रचालनात्मक अन्तरिक्ष प्रणालियों, अर्थात् इन्सैट प्रणाली और आई० आर० एस० प्रणाली की परिकल्पना की गई है, जिन्हें प्रचालनात्मक भू-आधारित प्रणालियों और आवश्यक कक्षीय प्रतिस्थापनों सहित सेवाओं की प्रायोजित मांग की पूर्ति के लिए बनाए रखने तथा विस्तार करने की जरूरत होगी। आई० आर० एस० प्रणाली के सम्बन्ध में उपग्रह आंकड़ों का अभिग्रहण/संसाधन और इन्हें प्रयोक्ता समुदाय को प्रकीर्णन करने की मुख्य जिम्मेदारी भी अन्तरिक्ष विभाग द्वारा वहन की जाएगी। आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, आई० आर० एस० 1बी० अन्तरिक्षयान, आई० आर० एस० 1सी० अन्तरिक्षयान, इन्सैट-II जांच अन्तरिक्षयान, संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट (ए० एस० एल० वी०) और ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी० एस० एल० वी०) के प्रचालनीकरण के कार्य को पूरा करने का विचार है। इसके साथ ही भू-तुल्यकालिक प्रमोचक राकेट (जी० एस० एल० वी०) और निम्नतापी इंजिन तथा खण्ड का विकास कार्य भी इस अवधि के दौरान किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है।

औद्योगिक अपशिष्ट को प्रदूषण रहित बनाना

4973. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक अपशिष्ट को प्रदूषण रहित बनाने की प्रक्रिया को नियमित करने तथा उसकी निगरानी करने के लिए और ऐसे सारे के सारे औद्योगिक अपशिष्ट को नदी और समुद्र में बहकर जाने से पूर्व उसके पूर्णरूपेण प्रदूषण रहित बन जाने के बारे में सुनिश्चित करने हेतु कठोर प्रशासनिक नियंत्रण लागू करने के लिए केन्द्रीय और राज्य दोनों स्तर पर कोई तन्त्र विकसित किया गया है; और

(ख) क्या पूरे देश के स्कूलों और विश्वविद्यालयों, दोनों में, पर्यावरण सम्बन्धी शिक्षा कार्यक्रम लागू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) केन्द्र और राज्य सरकार दोनों स्तरों पर तैयार की गई मशीनरी में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

(1) देश में पर्यावरणीय प्रदूषण को नियन्त्रित करने के लिए केन्द्र सरकार ने तीन अधिनियम बनाए हैं अर्थात् जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986।

इन अधिनियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए सांविधिक निकायों के रूप में केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों का गठन किया गया है।

(2) इन अधिनियमों के तहत प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों से बहिस्रावों के विसर्जन के बारे में मानक अधिसूचित कर दिए गए हैं।

(3) उद्योगों को अपने बहिस्रावों को नदियों अथवा समुद्र में विसर्जित करने से पूर्व निर्धारित मानकों के अनुसार उनको शोधित करना होता है।

(4) उद्योगों को सशर्त स्वीकृति जारी की जाती है ताकि पर्याप्त प्रदूषण नियन्त्रण उपायों की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकें।

(5) उद्योगों के स्थान निर्धारण के लिए दिशा-निर्देश तैयार कर लिए गए हैं।

(6) लैटर आफ इन्टेंट को औद्योगिक लाइसेंस में बदलने के लिए पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति लेनी होती है।

(7) अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के बहिस्राव शोधन संयंत्रों और उत्सर्जन नियन्त्रण यन्त्रों का निरीक्षण करने के लिए कृत्यक बल गठित किए गए हैं।

(8) दोषी इकाइयों के खिलाफ मुकदमे चलाए जाते हैं।

(ख) पर्यावरणीय शिक्षा को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार की गई पाठ्य पुस्तकों के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है।

पंजाब में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग

[हिन्दी]

4974. **स० अतिन्दर पाल सिंघ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पंजाब में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उद्योग स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं और उन्हें किन-किन जिलों में स्थापित किया जाएगा;

(घ) क्या पंजाब सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के प्रोत्साहन के लिए केन्द्र को कुछ विस्तृत योजनाएं भेजी हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का पंजाब में कुटीर उद्योगों के जरिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उत्पादन शुरू करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ग) होशियारपुर, लुधियाना, रोपड़, जालंधर, खरर, पटियाला तथा संगरूर जिलों और साहिबजादा अजीत सिंह नगर, मोहाली में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं अर्थात् श्याम तथा श्वेत और रंगीन दूरदर्शन रिसीवरों/ट्यूबों, वी० डी० ओ० कैसेट रिकार्डरों, इलेक्ट्रॉनिक निजी शाखा एक्सचेंजों, टेलीफोनों, मिनी कम्प्यूटरों, सुपर माइक्रो कम्प्यूटरों, चुम्बकीय शीर्षों, इलेक्ट्रॉनिक पुश बटन टेलीफोनों, आदि के विनिर्माण के लिए 45 औद्योगिक लाइसेंस, 38 आशय-पत्र तथा 29 पंजीकरण जारी किए गए हैं।

(घ) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में ऐसी कोई विस्तृत योजना नहीं प्राप्त हुई है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। किन्तु इलेक्ट्रॉनिकी विभाग तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में संघटक-पुर्जों के स्तर से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के संयोजन के लिए इकाइयां स्थापित करने का एक संयुक्त कार्यक्रम तैयार किया है।

पंजाब में वन क्षेत्र

4975. **स० अतिन्दर पाल सिंघ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में वन क्षेत्र और कुल भूमि में से वन क्षेत्र की प्रतिशतता का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पर्यावरण की दृष्टि से कम से कम कितनी प्रतिशत भूमि में वनों का होना अपेक्षित है;

(ग) वन क्षेत्र और अपेक्षित वन क्षेत्र में अन्तर को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस अन्तर को कब पूरा किया जाएगा;

(ङ) इन क्षेत्रों में लगाए जा रहे वृक्षों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने पंजाब में पर्यावरण संरक्षण और वन क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए कोई विशेष योजना तैयार की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा उपग्रह प्रतिबिम्बिकी का उपयोग करके किए गए अध्ययन के अनुसार वर्ष 1985-87 के दौरान पंजाब में 1161 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन फैले हुए थे जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 2.3 प्रतिशत हैं। राज्य में जिले-वार वन आवरण के विस्तार को आंकने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया।

(ख) और (घ) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में यह कहा गया है कि देश के कुल भू-भाग के कम से कम एक तिहाई क्षेत्र में वन अथवा वृक्ष आवरण होना चाहिए। इस कमी को पूरा करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं रखी गई है।

(ग), (च) और (छ) पर्यावरण की सुरक्षा और वन आवरण का क्षेत्र बढ़ाने के लिए पंजाब में निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं :—

— वनों की सुरक्षा के लिए आधारभूत ढांचे का विकास।

— कृषि वानिकी सहित सामाजिक वानिकी।

— वन नर्सरियां।

— ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत सामाजिक वानिकी।

— वन-चरागाह विकास।

— आपरेशन सॉयल वाच।

— क्षेत्रोन्मुख ईंधन की लकड़ी/चारा परियोजनाएं।

— बीज विकास।

(ङ) पंजाब में लगाई गई पौध प्रजातियों में युकलिप्टस, शीशम, कीकर, खैर, नीम, पहाड़ी पीपल आदि शामिल हैं।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए केरल की औद्योगिक योजनाएं

[अनुवाद]

4976. **श्री टी० बशीर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए अथवा केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ भेजी गई औद्योगिक योजनाओं जिनमें विद्यमान एककों की विस्तार योजनाएं भी शामिल हैं, का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) राज्य सरकार से आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन मार्च, 1989 के "केरल की आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए दृष्टिकोण" दस्तावेज की एक प्रति प्राप्त हुई है। उक्त दस्तावेज में किसी परियोजना-वार आबंटन, की मांग नहीं है हालांकि इसमें अन्य बातों के साथ-साथ "छूटी हुई परियोजनाओं" और "औद्योगिक प्राथमिकताओं" का उल्लेख है।

राज्य सरकार से एक पत्र भी प्राप्त हुआ है जिसमें फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स, त्रावनकोर को वर्ष 1990-91 के लिए अधिक आबंटन और केरल में अधिक केन्द्रीय निवेश का आग्रह किया गया है।

योजना आयोग में अन्य के साथ-साथ केरल की वार्षिक योजना 1990-91 के भाग के रूप में उद्योग क्षेत्र के विशिष्ट प्रस्तावों पर विचार किया गया था। आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

परियोजना/स्कीम का नाम

(लाख रु०)

क्रम सं०	राज्य क्षेत्र	वार्षिक योजना 1990-91 में प्रावधान
1	2	3
(क)	**बड़े और मध्यम उद्योग**	4091
	1. मालाबार सीमेंट लि०	
	2. केरल मिनरल एण्ड मैटल लि०	
	3. केरल स्पेशल रीफ्रेक्टरीज लि०	
	4. दी चाला कुडी रीफ्रेक्टरीज लि०	
	5. केरल क्ले एण्ड सेरामिक प्रोडक्ट लि०	
	6. केरल ओटोमोबाइल्स लि०	
	7. केरल हाइटेक इण्डस्ट्रियल लि०	
	8. स्टील इण्डस्ट्रियल केरल लि०	
	9. ट्रेको केबल कं० लि०	

1	2	3
	10. ट्रांसफारमर्स एण्ड इलैक्ट्रीकल्स केरल लि०	
	11. केरल इलैक्ट्रीकल्स एण्ड एलाइड इन्जीनियरिंग कं० लि०	
	12. यूनाइटेड इलैक्ट्रीकल इण्डस्ट्रीज लि०	
	13. मेट्रोपोलिटीन इन्जीनियरिंग कं० लि०	
	14. इलैक्ट्रोनिक टैक्नोलोजी पार्कस	
	15. केरल स्टेट इलैक्ट्रानिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन	
	16. केरल स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन लि०	
	17. सीताराम टैक्सटाइल्स लि०	
	18. त्रिवेन्द्रम स्पीनिंग मिल्स लि०	
	19. कॉपरेटिव स्पीनिंग मिल्स	
	20. ट्रावनकोर रेयनस लि०	
	21. फोरेस्ट इण्डट्रीज (ट्रावनकोर) लि०	
	22. सैंटर फॉर मेनेजमेंट डेवलपमेंट	
	23. केरल फाइनेन्स कारपोरेशन लि०	
	24. केरल स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन	
	25. केरल स्टेट फाइनेन्स एंटरप्राइसेस लि०	
	26. स्टेट इंवेस्टमेंट सबसीडी	
	27. केरल स्टेट एक्सपोर्ट ट्रेड डेवलपमेंट कॉऊंसिल	
	28. इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट एरियास	
	29. रीहेबिलिटेशन ऑफ सिक इण्डट्रीज	
(ख) खनिज विकास		60
(ग) ग्राम तथा लघु उद्योग		
	1. औद्योगिक एस्टेट तथा काजू उद्योग सहित लघु उद्योग	1835
	2. जूट	490
	3. खादी व ग्राम उद्योग	300
	4. हथकरघा	325

1	2	3
	5. बिजली करघा	25
	6. दस्तकारी	75
	7. रेशम उद्योग	435
	जोड़ :	3485

टिप्पणी : इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि० के सन्दर्भ में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं :

1. नया अमोनिया संयंत्र, उद्योग	500 लाख रु०
2. विभिन्न दूसरी स्कीमें तथा परियोजनाएं	7500 लाख रु०

उड़ीसा के लिए बाढ़ नियंत्रण और भूजल विज्ञान संबंधी माडल विकास का कार्यक्रम

4977. **श्री भक्त चरण दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी को कुछ राज्यों के विशिष्ट क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण तथा भूजल विज्ञान संबंधी माडल के विकास का कार्य सौंपा गया था;

(ख) क्या राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी द्वारा उड़ीसा राज्य में सुदूर संवेदन अनुप्रोग्य केन्द्र सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर उड़ीसा के लिए कार्य आरम्भ कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या विशिष्ट उपाय किये गये हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय म राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी (एन० आर० एस० ए०) उपग्रह प्रतिबिम्बिकी का प्रयोग करते हुए देश में सभी प्रमुख बाढ़ों का बाढ़ मानचित्रण सम्बन्धी कार्य कर रही है। चूंकि केवल प्रमुख बाढ़ों के लिए ही मानचित्रण किया गया है, अभी तक उड़ीसा राज्य के लिए कोई विशिष्ट बाढ़ मानचित्र तैयार नहीं किए गए हैं। एन० आर० एस० ए० को जल-भूविज्ञानीय मॉडल के विकास का कार्य नहीं सौंपा गया है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को पेंशन

4978. **श्री कृपाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को अन्तिम वेतन उपदान, परिवार पेंशन और छुट्टी-नकर्दीकरण उनके द्वारा प्राप्त अन्तिम वेतन के आधार पर मंजूर किया जाता है जबकि उनकी पेंशन का निर्धारण सेवानिवृत्ति से पहले के अन्तिम 10 महीनों के दौरान उनके द्वारा प्राप्त औसत वेतन के आधार पर किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को पेंशन उनके द्वारा प्राप्त अन्तिम वेतन के आधार पर किया जाए; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) उपदान तथा परिवार पेंशन प्राप्त किए गए अन्तिम वेतन पर आधरित होती है। छुट्टी-नकदीकरण सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा प्राप्त किए गए अन्तिम वेतन और महंगाई भत्ते के आधार पर होता है। पेंशन का निर्धारण सेवानिवृत्ति से पहले के 10 माह के दौरान प्राप्त किए गए औसत वेतन के आधार पर किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग ने अभी हाल ही में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के पेंशन ढांचे की गहराई से समीक्षा की है और विशिष्ट रूप से यह सिफारिश की है कि वर्तमान पद्धति, जिसके अन्तर्गत पेंशन का निर्धारण सेवा के अन्तिम 10 महीनों में प्राप्त औसत वेतन के आधार पर किया जाता है, को बरकरार रखा जाए। सरकार द्वारा यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। अत: अन्तिम वेतन के आधार पर पेंशन का निर्धारण करने के लिए नियम को बदलने का प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय भाषाओं में भाषा पर आधारित अनुसंधान

4979. **श्री प्यारेलाल खण्डेलवाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मशीन अनुवाद कार्यक्रमों के विकास हेतु संस्कृत व्याकरण का प्रयोग करने के लिए अमरीका में कम्प्यूटर वैज्ञानिकों की बढ़ती जिज्ञासा की जानकारी है;

(ख) क्या कम्प्यूटरों का, भाषा की शिक्षा और अनुवाद, आलेख ज्ञान, आलेख तैयार करने और स्वर-विज्ञान जैसे भारतीय भाषाओं में भाषा पर आधारित अनुसंधान में उपयोग को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना बनाई गई हैं;

(ग) यदि हां, तो आठवीं योजना के दौरान इस योजना के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है, कितने बजट का प्रावधान किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, हां। वर्ष 1985 तथा 1986 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रकाशित शोध-पत्रों में एक ज्ञान निरूपण की समुचित प्रणाली विकसित करने के उद्देश्य से संस्कृत व्याकरण में प्रयोग की संभावनाओं की जांच की गई है। किन्तु, व्यावहारिक मशीनी अनुवाद प्रणाली के विकसित करने में उनका अनुप्रयोग कहां तक सहायक होगा यह अभी तक तय नहीं हो सका है।

(ख) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास नामक एक कार्यक्रम तैयार किया है जिसे आठवीं योजना के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने गए महत्वपूर्ण क्षेत्र इस प्रकार हैं : ज्ञानार्जन प्रणालियों, मशीनी अनुवाद प्रणालियों तथा मानव-

मशीन अंतः सम्पर्क प्रणालियों का विकास। उपर्युक्त महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भाषा शिक्षण तथा भाषा पर आधारित अनुसंधान जैसेकि अनुवाद, पाठ अब बोध, पाठ सृजन तथा ध्वनि विज्ञान के लिए कम्प्यूटर के प्रयोग से सम्बन्धित कार्यकलाप शामिल हैं।

(ग) इस कार्यक्रम के मुख्य लक्ष्य और उनसे होने वाली अनुमानित उपलब्धियों में निम्नलिखित शामिल हैं : पाठ रचना प्रणालियों का विकास, खासकर मंदगति से सीखने वाले मूक तथा बधिर व्यक्तियों के लिए भाषा ज्ञानार्जन प्रणालियां, सीमित क्षेत्र में अनुवाद के लिए कम्प्यूटर साधित अनुवाद प्रणालियां, मानव-मशीन अतः संपर्क (इन्टरफेस) प्रणालियां जैसेकि अशुलिपि तथा अक्षर पहचान प्रणालियां, बहुभाषी सूचना प्रदर्श प्रणालियां, सीमित शब्दावली इनपुट-आउटपुट प्रणालियां आदि।

इस कार्यक्रम के लिए आठवीं योजना के दौरान 17 करोड़ रु० की राशि व्यय होने का अनुमान लगाया गया है। लेकिन इसे अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय भाषाओं हेतु प्रौद्योगिकी विकास

4980. **श्री शंकर सिंह वाघेला** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और इलेक्ट्रॉनिकी विभग द्वारा भारतीय भाषाओं के प्रौद्योगिकी के विकास हेतु कुछ परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, और शिक्षा विभाग जैसे विभिन्न विभागों द्वारा हिन्दी और अन्य भारतीय भााषाओं में कम्प्यूटर प्रोसेसिंग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वित्त पोषक प्रत्येक परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन सभी कार्यकलापों में प्रभावी समन्वय स्थापित करने की क्या पद्धति अपनाई गई है; और

(घ) इन कार्यकलापों के सम्बन्ध में केन्द्र-राज्य के समन्वित कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, हां।

(ख) हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं के लिए कम्प्यूटर संसाधन की प्रौद्योगिकी विकसित करने के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग और वैज्ञानिकी औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा जिन परियोजनाओं को धनराशि उपलब्ध कराई गई है, उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने इस क्षेत्र में किसी भी परियोजना को धनराशि उपलब्ध नहीं कराई है।

(ग) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अमल के लिए एक कार्यक्रम अर्थात भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम तैयार किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, इस क्षेत्र में चल रही विभिन्न परियोजनाओं में समन्वय स्थापित किया जाएगा।

(घ) राज्य स्तरीय तथा केन्द्रीय भाषा संस्थानों के साथ पारस्परिक सम्पर्क करके केन्द्र तथा राज्य स्तर पर समन्वय स्थापित करने की योजना बनायी जा रही है।

विवरण

प्राकृतिक भाषा संसाधन के क्षेत्र में परियोजनाएं

(क) प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (टी० डी० सी०) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा उपलब्ध वित्तपोषित

क्रम सं०	शीर्षक	स्थान	आरम्भ करने की तरीख
1	2	3	4
1.	तमिल-देवनागरी में मुद्रित एवं लिखित पाठ की लिपि की पहचान	मद्रास क्रिश्चयन कालेज (एम सी सी) (मद्रास)	मई, 1980
2.	देवनागरी पर आधारित सूचना संसाधन प्रणाली के लिए हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का विकास	बिड़ला प्रौद्योगिकी विज्ञान संस्थान (बी आई टी एस) (पिलानी)	जून, 1980
3.	देवनागरी पर आधारित आगत व निर्गत (इनपुट-आउटपुट) युक्तियों का डिजाइन	बम्बई विश्वविद्यालय	सितम्बर, 1980
4.	अंग्रेजी से हिन्दी तथा हिन्दी से कन्नड़ में कम्प्यूटर साधित अनुवाद	भारतीय विज्ञान संस्थान (आई आई एस सी) (बंगलौर)	सितम्बर, 1980
5.	बहुभाषी शब्दकोश "जातीय अभिधान" के निर्माण में कम्प्यूटर का अनुप्रयोग	नेक (एन ई सी)	अक्टूबर, 1980
6.	देवनागरी लिपि के मुद्रण के लिए आई बी एम 1403 लाइन मुद्रक का अनुकूलीकरण	बिड़ला प्रौद्योगिकी विज्ञान संस्थान (बी आई टी एस) (पिलानी)	जनवरी, 1981
7.	कन्नड़ लिपि के लिए बिट-स्लाइस पर आधारित प्रदर्श नियंत्रक का विकास	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी) (मद्रास)	जून, 1981
8.	बंगाली, असमी, तथा मणिपुरी भाषाओं के लिए कम्प्यूटर पाठ संसाधन तथा फोटो कम्पोजिशन के लिए अग्र-अन्त्य प्रणाली का विकास	जादवपुर विश्वविद्यालय	जून, 1981

1	2	3	4
9.	भारतीय भाषाओं में शब्द संसाधन करने योग्य प्रणाली हार्डवेयर का विकास	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी) (मद्रास)	जुलाई, 1981
10.	भारतीय लिपियों में इलेक्ट्रॉनिक कम्पोजिंग की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण	सी एम सी लिमिटेड (हैदराबाद)	अगस्त, 1981
11.	बहुभाषी कम्प्यूटर टर्मिनल का विकास	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी) (कानपुर)	जून, 1983
12.	अभिकलनात्मक भाषा विज्ञान में जनशक्ति का विकास	केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सी आई आई एल) (मैसूर)	
13.	मशीन अनुवाद	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी) (कानपुर)	जनवरी, 1987
ख.	ज्ञान पर आधारित कम्प्यूटर प्रणाली के अन्तर्गत वित्तपोषित :		
14.	(क) कृत्रिम बुद्धि के लिए एक भाषा के रूप में संस्कृत की जांच-परख	उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डेक) (पुणे)	1988-91
	(ख) संस्कृत बुद्धिपरक अनुशिक्षण (ट्यूटरिंग) प्रणाली		
	(ग) समाचार अवलोकन (क्रमवीक्षण) सीमित अनुवाद प्रणाली	राष्ट्रीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केन्द्र (एन सी एस टी) (बम्बई)	1987-91
(ग)	भारतीय भाषाओं के लिए इलेक्ट्रानिक साधन/भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तपोषित		
15.	आशुलिपि से कम्प्यूटर साधित बहुभाषी पा० सृजन (आशुलिपि सृजन)	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी) (मद्रास)	1989
16. तथा 17.	द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के लिए कम्प्यूटर साधित शिक्षण/ज्ञानार्जन (कम्प्यूटर साधित ज्ञानार्जन शिक्षण-भारतीय भाषाएं) भाग-I (कम्प्यूटर सहायक ज्ञानार्जन शिक्षण-भारतीय भाषाएं) भाग-II	आई आई टी (मद्रास) डी बी एच पी एस (मद्रास)	1989

1	2	3	4
18. तथा 19.	कम्प्यूटर साधित संस्कृत शिक्षण ज्ञानार्जन सॉफ्टवेयर (कॉसल) (कॉसल) भाग- I	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (नई दिल्ली)	1989
	(कॉसल) भाग-II	केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ (नई दिल्ली)	1989
20.	विदेशी भाषा के रूप में हिन्दी के लिए कम्प्यूटर साधित ज्ञानार्जन प्रणाली तथा सर्जनात्मक लेखन प्रणाली के लिए आदर्श लिपि	केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (नई दिल्ली)	1989
21.	विकलांगों के लिए वाकोन्मुख ज्ञानार्जन प्रणाली (सोल्श) (सोल्श) भाग-I	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी) (मद्रास)	1989
22.	विकलांगों के लिए वाकोन्मुख ज्ञानार्जन प्रणाली (सोल्श) (सोल्श) भाग-II	अखिल भारतीय मूक संस्थान (ए आई आई एस एच) (मैसूर)	1990
(ख)	**निसात (एन आई एस एस टी)/वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं**		
1.	मशीन साधित अनुवाद पर वस्तुस्थिति रिपोर्ट	राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी एवं विकास अध्ययन संस्थान	मोर्च, 86
2.	देवनागरी लिपि पर कार्य करने के लिए सी डी एस/आई एस आई एस सॉफ्टवेयर पैकेज का रूपान्तरण	राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी एवं विकास अध्ययन संस्थान	मोर्च, 83
3.	मशीन अनुवाद पर क्षेत्रीय संगोष्ठी/कार्यशाला	राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी एवं विकास अध्ययन संस्थान	सितम्बर 17-22-1990
(ग)	**विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं**		
4.	अंकीय इन्टरफेस शब्दकोश का विकास	यू डी सी आर आई	जुलाई, 1984

कार्यान्वयनाधीन केन्द्रीय परियोजनाएं

4981. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कौन-कौन सी केन्द्रीय परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं तथा क्या उनकी पुनरीक्षा करने और उनमें सुधार करने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना कितनी धनराशि की है;

(ग) क्या उनके कार्यान्वयन पर निगरानी रखने और उसकी जांच करने की कोई प्रणाली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) केन्द्रीय परियोजनाएं, जिनमें प्रत्येक की लागत 20 करोड़ रुपए से अधिक है, कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय की प्रबोधन प्रणाली में हैं। वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन ऐसी केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं की सूची तथा उनकी अनुमानित लागत, मन्त्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, जिसका परिचालन बजट सत्र के दौरान संसद में किया जाता है, में दी गई है। सामान्यत: सभी परियोजनाओं की समीक्षा समय-समय पर की जाती है और उनके कार्यान्वयन को आशातीत बनाने के लिए उनके कार्यक्षेत्र और प्राचल में आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) जैसाकि ऊपर दर्शाया गया है, कार्यक्रम कार्यान्वय । मन्त्रालय, केन्द्रीय क्षेत्र की सभी चालू परियोजनाओं का, जिनमें प्रत्येक की लागत 20 करोड़ रुपए से अधिक है, के कार्यान्वयन का प्रबोधन करता है। 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली प्रत्येक परियोजना का प्रबोधन मासिक आधार पर और 20 से 100 करोड़ रुपए के बीच की लागत वाली प्रत्येक परियोजना का प्रबोधन त्रैमासिक आधार पर क्रमश: मासिक फ्लैश रिपोर्ट और त्रैमासिक परियोजना कार्यान्वयन स्थिति रिपोर्ट प्रणालियों के जरिए किया जाता है। समस्याग्रस्त क्षेत्रों पर प्रकाश डाला जाता है ताकि सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा उन पर समुचित और सामयिक कारंवाई की जा सके। यह मन्त्रालय परियोजनाओं के कार्यान्वयन के रास्ते में आने वाली अन्तर मन्त्रालयिक प्रकृति की समस्याओं को सुलझाने का भी कार्य करता है।

योजना व्यय के अन्तर्गत बिहार को आबंटित धनराशि

[हिन्दी]

4982. **श्री रामेश्वर प्रसाद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान योजना व्यय के अन्तर्गत बिहार के लिए कितनी धनराशि का नियतन किया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपरोक्त राशि का नियतन जनसंख्या के आधार पर किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) बिहार की वर्ष 1990-91 की वार्षिक योजना के लिए 1805 करोड़ रु० के योजना परिव्यय पर सहमति हुई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) किसी राज्य के योजना परिव्यय का आकार उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर तय

किया जाता है जिसमें (क) राज्य के अपने संसाधन और (ख) केन्द्रीय सहायता शामिल होते हैं। केन्द्रीय सहायता राज्यों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अगस्त, 1980 में यथाअनुमोदित संशोधित गाडगिल फार्मूले के आधार पर आबंटित होती है। केन्द्रीय सहायता के आबंटन के प्रयोजन से, राज्यों को दो श्रेणियों अर्थात् विशेष श्रेणी राज्य और गैर-विशेष श्रेणी राज्य में बांटा गया है। विशेष श्रेणी राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता सकल वितरण योग्य पूल से पहले से अधिकृत होती है और शेष राशि गैर-विशेष श्रेणी राज्यों जैसे, बिहार के बीच संशोधित गाडगिल फार्मूले में समाविष्ट जैसाकि नीचे देखा जा सकता है, विभिन्न सिद्धान्तों के आधार पर आबंटित होती है :

मद	वरीयता
1. जनसंख्या	60 प्रतिशत
2. प्रति व्यक्ति कर प्रयास	10 प्रतिशत
3. राष्ट्रीय औसत से नीचे प्रतिव्यक्ति आय वाले राज्य	20 प्रतिशत
4. विशेष समस्याएं	10 प्रतिशत
योग :	100 प्रतिशत

राजस्थान में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

4983. **श्री बेगा राम चौहान** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में कितने गांवों में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले गए; और

(ख) प्रत्येक गांव में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में कितने अध्यापक नियुक्त किए गए ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) राजस्थान सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, राज्य में उन ग्रामों की संख्या, जहां प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया था और पिछले तीन वर्षों के दौरान इन गांवों में नियुक्त किए गए अनुदेशकों की संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	गांवों की संख्या	नियुक्त किए अनुदेशकों की संख्या
1987-88	4845	14537
1988-89	5805	19344
1989-90	6670	20016

सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की लागत में वृद्धि होना

[अनुवाद]

4984. श्री कमल नाथ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्माणाधीन थीं और निर्धारित समय के भीतर पूरी नहीं की जा सकीं;

(ख) इन परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसी प्रत्येक योजना की मूल लागत और संशोधित लागत क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय की त्रैमासिक प्रबोधन प्रणाली में उपलब्ध जानकारी के अनुसार 31-12-1989 को सातवीं योजना के दौरान निर्माणाधीन केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में से 181 परियोजनाओं के, जिनमें प्रत्येक की लागत 20 करोड़ रुपए से अधिक है, चालू होने की मूल तारीख मे विलम्ब हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों के अधीन आने वाली इन परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है :

1. परमाणु ऊर्जा	2
2. कोयला	49
3. उर्वरक	7
4. खान	1
5. इस्पात	7
6. पैट्रो-रसायन	4
7. पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	21
8. विद्युत	34
9. कागज, सीमेंट आदि (डी० पी० ई०)	8
10. रेलवे	20
11. भूतल परिवहन	21
12. दूर संचार	7
कुल विलम्बित परियोजनाएं	181

(ख) परियोजना प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों के प्रबोधन और विश्लेषण के परिणामस्वरूप

परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब के जिन अनेक कारणों की कार्यक्रम कार्यान्वियन मन्त्रालय द्वारा शिनाखत की गई है, वे निम्नलिखित हैं :—

— भूमि के अधिग्रहण में विलम्ब होना;

— वन/पर्यावरण सम्बन्धी अनुमति प्राप्त करने में विलम्ब तथा आधारी संरचना के विकास हेतु अग्रिम कार्रवाई में कमी का होना;

— परियोजना की तैयारी का पर्याप्त न होना;

— पर्याप्त निधियों/निधियों के स्त्रोतों (बजट सम्बन्धी, आन्तरिक बजट के अलावा और बाह्य) की व्यवस्था में विलम्ब का होना;

— प्रौद्योगिकी करारों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब का होना;

— विस्तृत इंजीनियरी व्यवस्था को अन्तिम रूप देने में विलम्ब का होना;

— आयात अनुमति का देर से मिलना;

— परियोजना के कार्यक्षेत्र में बार-बार परिवर्तन करना;

— निविदाएं जारी करने तथा आर्डर देने में विलम्ब का होना;

— परियोजना संगठन और परामर्शदाता के उत्तरदायित्व के कार्यक्षेत्र का अस्पष्ट होना;

— औद्योगिक सम्बन्ध तथा कानून और व्यवस्था की समस्याएं;

— निवेशों की अपर्याप्त आपूर्ति;

— निर्मित उपस्करों की सप्लाई का अनियमित और विलम्ब से होना;

— उपस्करों के ठीक से कार्य न करने के कारण प्रारम्भिक कठिनाइयों का होना;

— प्रतिपादित प्रौद्योगिकी का चयन न करना;

— "इस्तेमाल के अधिकार" की प्राप्ति में विलम्ब होना;

— परियोजना स्थलों की भू-विज्ञान की स्थिति का जटिल होना।

(ग) कार्यक्रम कार्यान्वियन मन्त्रालय की त्रैमासिक प्रबोधन प्रणाली के अनुसार 31-12-1989 को विलम्बित प्रत्येक परियोजना की मूल और संशोधित (नवीनतम प्रत्याशित) लागत संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अभिकरण का नाम	लागत मूल	(करोड़ रु०) अब प्रत्याशित
1	2	3	4	5
परमाणु ऊर्जा				
1.	भारी जल परियोजना मनुगुरु	डी ए ई	421.60	661.58
2.	नरोरा परमाणु विद्युत	एन पी सी	209.89	532.85
कोयला				
3.	भालगौरा यूजी	बी सी सी एल	46.22	46.22
4.	दामोदर ओसी	,,	57.04	57.04
5.	झरिया खंड-II ओसी	,,	112.05	173.82
6.	कटरास यूजी	,,	26.04	87.88
7.	उत्तरी अमलाबाद यूजी	,,	26.18	55.84
8.	पुतकी बलिहारी यूजी	,,	199.87	287.62
9.	मधुबन्द वाशरी	,,	71.90	93.54
10.	डी एण्ड एफ रोपवेज	,,	16.12	21.32
11.	अमली (घोरी पश्चिम) (ओसी	सी सी एल	33.30	66.82
12.	न्यू कल्याणी/सेल घोरी ओसी	,,	24.38	48.65
13.	करकटा ओसी	,,	29.60	63.40
14.	राजरप्पा ओसी	,,	41.86	133.63
15.	केदला वाशरी	,,	32.27	94.55
16.	राजरप्पा वाशरी	,,	25.77	76.14
17.	कैप्टीव विद्युत संयंत्र	,,	49.20	56.70
18.	एल टी सी कोयला गैस दनकुनी	सी आई एल	49.27	135.37
19.	अमृत नगर यूजी आर पी आर	ई सी एल	10.85	65.45
20.	चीनकुरी यूजी आर पी आर	,,	8.43	45.54

1	2	3	4	5
21.	धेमोमेन यूजी	ई सी एल	21.01	73.76
22.	सतग्राम यूजी	,,	26.37	73.37
23.	सोनपुर बाजारी ए ओ सी	,,	192.96	192.96
24.	कैप्टिव विद्युत संयंत्र	,,	49.20	52.96
25.	अमलोहरी ओसी	एन सी एल	323.32	527.11
26.	बीना ओ सी	,,	56.91	168.64
27.	जयन्त विस्तार ओ सी	,,	313.61	375.04
28.	ककरी ओ सी	,,	50.54	137.80
29.	केन्द्रीय वर्कशाप सिंगरौली	,,	30.38	65.82
30.	जीनगुरदाह	,,	24.87	63.12
31.	अमलाई ओ सी	एस ई सी एल	30.82	50.51
32.	बंगवार यूजी	,,	25.14	38.22
33.	बालगी यूजी	,,	28.00	38.16
34.	बेलपहार ओ सी	,,	57.38	99.95
35.	भरतपुर ओ सी	,,	61.84	99.95
36.	चुरचा पश्चिम यूजी	,,	32.64	40.18
37.	धनपुरी ओ सी	,,	24.10	59.97
38.	दीपका ओ सी	,,	56.05	85.92
39.	सस्ती ओ सी	डब्लू सी एल	25.15	66.71
40.	सिलेवारा विस्तार-II यूजी	,,	11.94	52.92
41.	तेंदसी यूजी	,,	51.58	70.00
42.	केन्द्रीय वर्कशाप चन्द्रपुर	,,	23.87	32.56
43.	400 के वी संचरण लाइन स्तर-II	एन एल सी	250.71	384.79
44.	द्वितीय खान विस्तार	,,	334.77	1068.38
45.	द्वितीय टी पी एस स्तर-2	,,	638.95	1320.57
46.	गोदावरीखानी 10 ए आई एन ए सी	एस सी सी एल	27.31	45.00

1	2	3	4	5
47.	गोदावरीखानी 11ए आई एन सी	एस सी सी एल	54.53	99.95
48.	जवाहरखानी-5 इन्कलाइन	„	23.59	54.64
49.	मनगुरू-II ओ सी	„	132.00	192.00
50.	रामगुंडम-II ओ सी	„	147.16	249.49
51.	रविन्द्राखानी 1-ए आई एन सी	„	29.78	46.00
उर्वरक				
52.	कैप्रोलक्टम अमोनिया सल्फेट परि०	एफ ए सी टी	147.94	360.01
53.	हल्दिया उर्वरक परियोजना	एच एफ सी	88.03	624.00
54.	कैप्टीव विद्युत परि० पानीपत	एन एफ एल	69.32	110.43
55.	विद्युत अपघटन संयंत्र बदल-II	„	28.65	59.77
56.	पारादीप उर्वरक परि०II	पी पी एल	183.64	630.82
57.	अमझोर फासफोरस उर्वरक परियोजना	पी पी सी एल	42.57	66.70
58.	अमोनिया संयंत्र टी बी वाई की पुनः स्थापना	आर सी एफ एल	51.65	65.39
खान इस्पात				
59.	उड़ीसा अल्यूमिनियम कम्प्लेक्स	नेल्को	1242.40	2476.90
60.	विजाग इस्पात परियोजना	आर आई एन एल	2256.00	7332.77
61.	भिलाई 4 एम टी वाई विस्तार	सेल	937.70	2288.63
62.	बोकारो 4 एम टी वाई विस्तार	„	947.24	2198.40
63.	दुर्गापुर आधुनिकीकरण	„	1357.00	2696.12
64.	इस्को चासनाला-एल एल ए वाशरी	„	16.87	25.77
65.	बी एस पी-6 बायलर पी एण्ड बी स्टेशन	„	32.10	92.61

1	2	3	4	5
66.	इस्को आधुनिकीकरण स्तर-I क्लीयर	सेल	30.00	30.00
रसायन तथा पेट्रोरसायन				
67.	अति० एक्सीलीन्स उत्पादन परियोजना	आई पी सी एल	59.36	70.70
68.	महाराष्ट्र गैसक्रेकट कम्पलैक्स	,,	1167.00	1390.00
69.	एम वाई एल-6 फिला०परि०	पी सी एल	74.35	113.00
70.	स्पानडेक्स यार्न परियोजना	बी पी सी एल	34.85	48.17
पेट्रो एवं प्राकृतिक गैस				
71.	एल पी जी विपणन-सहुलियत-III	,,	147.67	239.03
72.	एल पी जी विपणन-III	एच पी सी एल	140.10	234.08
73.	एल पी जी विपणन-III	आई ओ सी	241.50	373.18
74.	विरगाम-वाकशुकरनाल पी आई पी	,,	198.07	283.86
75.	ओ एल रींग का अधिग्रहण	ओ आई एल	74.33	63.48
76.	ड्रीलिंगरिंग का अधिग्रहण और विकास	ओ एन जी सी	90.75	55.20
77.	रिंग कम्प्यूटर की स्थापना	,,	31.35	35.39
78.	जेकपरीगस करण एण्ड एस यू डी वाई	,,	99.20	99.95
79.	अति० आयल रिकवरी, बी एच एस	,,	781.54	781.54
80.	गैस स्वीटनिंग संयंत्र-II	,,	204.65	204.65
81.	कैम्बे बेसीन विकास	,,	700.90	365.27
82.	दक्षिण बेसीन विकास-II	,,	246.48	246.48
83.	इथ/प्रोथैन रिकवरी संयंत्र	,,	135.22	135.22
84.	गैस टरबाइन विद्युत उत्पादन	,,	26.03	26.03
85.	हीरा चरण-II	,,	682.02	923.91

1	2	3	4	5
86.	बम्बई हाई आफशोर का अति० विकास	ओ एन जी सी	218.12	218.12
87.	बी 131 विकास	"	52.14	52.14
88.	गंधार विकास पी एच-1	"	326.68	326.68
89.	बी-57 विकास	"	76.03	76.03
90.	बी एच-22 विकास	"	76.49	76.49
91.	बी एच-25 विकास	"	74.96	74.96
विद्युत				
92.	शार्टसर्किट टेस्टिंग स्टेशन	सी पी आर आई	22.26	97.44
93.	बोकारो बी-II टी पी पी	डी बी सी	186.93	356.25
94.	मेजीया टी पी सी	"	641.40	134.00
95.	पेंचेत हील-II एच ई पी	निप्को	16.03	54.35
96.	डोयांग एच ई पी	"	96.31	166.65
97.	कोपीली एच ई पी	"	56.77	241.10
98.	कथलगुडी जी बी सी सी पी पी	"	203.17	203.17
99.	रंगनदी एच ई पी	"	312.78	312.78
100.	रंगनदी संचरण लाइन	"	47.34	47.34
101.	डोयांग संचरण लाइन	"	40.87	58.00
102.	कथलगुडी जी पी पी संचरण लाइन	"	301.38	301.38
103.	चमेरा एच ई पी	एन एच पी सी	808.29	14[illegible]9.66
104.	दुलहस्ती एच ई पी	"	183.45	1262.97
105.	कोलकारों एच ई पी	"	439.91	1107.49
106.	टनकपुर एच ई पी	"	178.75	367.25
107.	जैपोर तलचरण संचरण लाइन	"	84.49	120.40
108.	दुलहस्ती संचरण लाइन	"	166.57	166.57
109.	मोगा-भिवानी संचरण लाइन	"	95.16	95.16
110.	फरक्का एस टी पी सी चरण-1	एन टी पी सी	290.60	692.12

1	2	3	4	5
111.	फरक्का एस टी पी सी चरण-II	एन टी पी सी	868.48	1309.25
112.	खेलगांव एस टी पी पी चरण-I	"	884.15	1484.00
113.	रिहन्द एस टी पी पी चरण-I	"	1033.00	1665.96
114.	विन्ध्याचल एस टी पी पी चरण-I	"	911.57	1335.25
115.	कवास जी पी पी	"	373.98	598.41
116.	सेंट्रल संचरण लाइन	"	354.85	419.87
117.	फरक्का संचरण लाइन-II	"	134.91	180.30
118.	खेलगांव संचरण लाइन-I	"	174.48	216.00
119.	कोरबा संचरण लाइन-II	"	47.74	107.54
120.	रिहन्द संचरण लाइन	"	581.70	1063.00
121.	विन्ध्याचल संचरण लाइन-I	"	198.85	292.93
122.	कवास जी पी पी संचरण लाइन	"	36.86	26.63
123.	अंटा जी पी पी संचरण लाइन	"	51.71	55.45
124.	औरेय्या जी पी पी संचरण लाइन	"	100.61	110.66
125.	तलचर सचरण लाइन	"	76.81	76.81
लोक उद्यम				
126.	सुदूर तटीय परियोजना	बी एस एल	8.44	30.53
127.	नयागांव विस्तार	सी सी आई	89.40	189.00
128.	येरागुंटला विस्तार	"	75.72	191.25
129.	दमोदर सीमेन्ट	डी सी एस एल	21.99	37.70
130.	औपटिकल फाइबर परियोजना	ए सी एल	28.67	46.88
131.	कछार कागज परियोजना	एच पी सी	114.00	385.00
132.	नेपा मिल विस्तार	एन एन पी एम	35.41	80.37
133.	टायर निगम का आधुनिकीकरण	टी सी आई एल	66.71	66.71
रेलवे				
दोहरी लाइन बिछने वाली परियोजनाएं				
134.	इटारसी-अमला-नागपुर चरण-II	म रे आई आर	20.90	32.11

1	2	3	4	5
135.	रोहतक जाखल-I	म रे आई आर	14.38	37.40
136.	तन्दूर-पालखंड रोड़	"	23.00	36.01
137.	जैतवारा-मानिकपुर सी आर	आई आर	28.18	28.18
मैट्रो-परियोजनाएं				
138.	कलकत्ता भूमिगत	"	140.30	1303.00
139.	परिक्रमा रेलवे	"	35.00	35.00
140.	मनखुर्द बेलापुर विस्तार	"	120.00	153.04
नई लाइन				
141.	कोरापुर-रायगढ़ द०पू०रे०	"	112.10	322.00
142.	कोटा-चित्तौड़गढ़-नीमच, प०रे०	"	41.09	145.00
विद्युतीकरण परियोजनाएं				
143.	भुसावल-नागपुर	"	93.07	128.85
144.	इटारसी-नागपुर	"	34.61	99.95
145.	झांसी-बीना इटार्सी	"	63.25	145.00
146.	विजयबाड़ा-काजीपेट-बलारशाह	"	76.75	148.64
147.	टुन्डला-आगरा-बयाना	"	22.96	23.02
अन्य परियोजनाएं				
148.	विजाग-रेल सुविधाएं द०पू०रे०	"	31.44	59.89
149.	विजाग-पी ई आर पी एच यार्ड बी एस पी	"	27.18	41.38
150.	गोदावरी पर नया पुल, दम०रे०	"	26.27	64.11
151.	दिल्ली एरिया वेजिंग टर्मिनल, उ०रे०	"	26.64	32.68
152.	नए डिब्बों की मरम्मत की कर्मशाला, म०रे०	"	30.20	64.87
153.	स्प्रिंग निर्माण संयंत्र	"	35.00	35.00

1	2	3	4	5
भूतल परिवहन				
154.	कलकत्ता-ड्राफ्ट इम्प्रूवमेंट	सी पी टी	42.00	45.50
155.	कलकत्ता कंटेनर हैंडलिंग सुविधाएं	"	10.36	24.37
156.	हल्दिया-II आयल जेटी	टी पी टी	35.71	63.74
157.	तूतीकोरिन बर्थ एण्ड ऐसिलटी सुविधाएं	"	21.76	50.55
158.	मद्रास कंटेनर टर्मिनल का विस्तार	एम पी टी	54.71	54.71
159.	कोचीन ड्रेगर टूरिपलैक्स	सी ओ पी टी	21.29	22.37
160.	न्हावा-मैवा पत्तन परियोजना	जे एल पी टी	581.00	986.08
161.	ड्रेजर-I की प्राप्ति	डी सी आई	28.20	33.22
162.	ड्रेजर-II की प्राप्ति	"	28.20	33.22
163.	अहमदाबाद-बड़ोदा एक्सप्रैस रास्ता	जी पी डब्लू डी	128.40	137.20
164.	कलकत्ता-पालसिट खण्ड	डब्लू बी पी डब्लू	48.60	58.00
165.	नागपुर हैदराबाद बंगलौर एन एच-7 को मजबूत करना	ए पी डब्लू डी	29.30	29.30
166.	वाराणसी बरासा, गंगा पर दूसरा पुल	यू पी पी डब्लू डी	41.60	51.00
167.	मुरथल-कैर खण्ड का विकास एन एच-1	एच पी डब्लू डी	42.50	46.00
168.	सिरहन्द जलंधर खण्ड का विकास एन एच-1	पी पी डब्लू डी	66.00	70.00
169.	न्हावा शेवालिंग (एन एच 4बी)	एम पी डब्लू डी	30.66	30.66
170.	हुगली पर दूसरा पुल, सी आई टी	एच आर बी सी	57.00	340.00
171.	3एल आर-II वेकरों का अधिग्रहण	एस सी आई	111.30	127.04
172.	4 बल्क कैरियर का अधिग्रहण	"	89.00	93.14

1	2	3	4	5
	173. 3 बल्क कैरियर का अधिग्रहण	एस सी आई	54.00	66.22
	174. एच एस एल : आधुनिकीकरण और विकास चरण-II	एच एस एल	55.00	81.85
संचार				
	175. 6जी एच जैड एम/डब्लू लिंक धुलिया अकोला	डी ओ टी	22.77	22.76
	176. 6जी एच जैड एम/डब्लू कलकत्ता खडकपुर जयपुर	"	20.47	20.47
	177. नई दिल्ली, जयपुर, उदयपुर (ओ एफ सी)	"	53.66	53.66
	178. नई दिल्ली, आगरा, कानपुर, वाराणसी, पटना (ओ एफ सी)	"	65.73	65.73
	179. बम्बई पूना (ओ एफ सी)	"	33.08	33.08
	180. डीजीटलट्रेक आटो एक्सचेंज	आई टी आई	15.95	67.57
	181. टेली उपकरण परियोजना	"	18.33	21.92

बिहार के मधेपुरा जिला में वनरोपण

4985. **श्री रमेन्द्र कुमार यादव रवि** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के मधेपुरा जिले में भूमि वनरोपण के लिए उपयुक्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का वहां पर वनरोपण के लिए कोई प्रभावी कदम उठाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो कब तक और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ग) 20 सूत्री कार्यक्रम केअन्तर्गत वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलाप बिहार के सभी जिलों, जिनमें मधेपुरा भी शामिल है, में चलाए जा रहे हैं। इसमें सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत सार्वजनिक/सामुदायिक भूमि पर ईंधन लकड़ी, चारा, इमारती लकड़ी आदि उगाना तथा फार्म वानिकी के अन्तर्गत बहु-उपयोग वाले वृक्ष उगाना शामिल है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक पाठ्यक्रम

4986. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा निदेशालय, दिल्ली ने व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत उच्चतर माध्यमिक (+2) स्तर पर रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक पाठ्यक्रम "साधारण बीमा" आरम्भ किया था;

(ख) यदि हां, तो इस पाठ्यक्रम में उम्मीदवारों के चयन हेतु प्रस्तावित मापदंडों का ब्यौरा क्या है और इसमें किए प्रत्येक विषय में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है;

(ग) क्या छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चयनित उम्मीदवारों के पहले बैच का प्रशिक्षण कब से आरम्भ किए जाने की आशा है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, हां।

(ख) सामान्य बीमा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए एक उम्मीदवार को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में प्रत्येक अर्थात् अंग्रेजी और गणित में कम से कम बी-2 के साथ माध्यमिक स्कूल परीक्षा आवश्य उत्तीर्ण करनी चाहिए। और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र के लिए सी-1 ग्रेड ही अपेक्षित है। किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड (के० मा० शि० बोर्ड के अलावा) की माध्यमिक स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले वही उम्मीदवार ही इसके भी प्राप्त होते हैं जिन्होंने प्रत्येक अर्थात अंग्रेजी, गणित और कुल अंकों के कम से कम 60 अंक प्राप्त किए हों। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 55 प्रतिशत अंक ही अपेक्षित हैं।

(ग) छात्र जब स्कूल में होते हैं तो उन्हें वजीफा नहीं दिया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जुलाई, 1990 के बाद।

राजस्थान में प्रारम्भ की गई वृक्षारोपण योजनाएं

4987. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना में राजस्थान में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा संयुक्त रूप से केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा प्रारम्भ की गयी वृक्षारोपण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन योजनाओं को उचित रूप से कार्यान्वित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना अवधि के दौरान इन योजनाओं की क्या उपलब्धि रही ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ग) सातवीं योजनावधि (1985-90) के दौरान वनीकरण और वृक्षारोपण के लिए राजस्थान में ग्रामीण रोजगार परियोजनाओं, मरूस्थल विकास कार्यक्रम, सूखा पड़ने वाले क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम, बीहड़ सुधार कार्यक्रम, विश्व बैंक/"यूसेड" द्वारा सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी प्रायोजना आदि के अधीन ग्रामीण ईंधन लकड़ी वृक्षारोपड़, विकेन्द्रित जन-पौधशालाएं, सिल्वी चरागाह विकास, सामाजिक वानिकी मुख्य परियोजनाएं कार्यान्वित की गयी। वनीकरण और वृक्षारोपण का कार्य समग्र लक्ष्य से भी अधिक हुआ। इनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :

लक्ष्य	2.61 लाख हैक्टेयर
उपलब्धि	2.80 लाख हैक्टेयर
उपलब्धि का प्रतिशत	107.2%

जनसंख्या में भारी वृद्धि के कारण पर्यावरण को नुकसान

4988. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनसंख्या में भारी वृद्धि और औद्योगीकरण के कारण पर्यावरण को हो रहे नुकसान की रोकथाम के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार, एक पर्यावरणीय निगरानी एजेंसी का गठन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जनसंख्या में भारी वृद्धि तथा औद्योगिकीकरण के कारण हुए पर्यावरणीय अवक्रमण के नियन्त्रण के लिए किए गए उपाय निम्नलिखित हैं :

(1) बेहतर पर्यावरण को सुनिश्चित करने के लिए शहरी तथा ग्रामीण विकास के लिए स्कीमें।

(2) औद्योगिक तथा अन्य विकास परियोजनाओं का पर्यावरणीय मूल्यांकन तथा प्रभावों के लिए उपचारी उपाय निर्धारित करना।

(3) जल/वायु प्रदूषण के नियन्त्रण तथा पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए आवश्यक विधान।

(4) विधानों के कार्यान्वियन के लिए संगठनात्मक आधारभूत ढांचा बनाना।

(5) अवक्रमित क्षेत्रों में वृक्षारोपण तथा पारिस्थितिकीय पुनरुद्धार।

(6) जन-जागरुकता पैदा करना।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

केरल स्थित पोयमकुट्टी पन बिजली परियोजना

4989. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय ने केरल के पश्चिमी घाट पर प्रस्तावित पोयमकुट्टी पन बिजली परियोजना के सम्बन्ध में कोई अध्ययन कराया था;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या इसके निष्कर्षों की जानकारी राज्य सरकार को दे दी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) जी, हां।

इस अध्ययन में प्रस्तावित पोयमकुट्टी जल विद्युत परियोजना के फलस्वरूप व्यापक रूप से वन कटाई के कारण संभावित पर्यावरणीय और आर्थिक प्रभावों का मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है।

(ग) और (घ) केरल वन अनुसंधान संस्थान, पीची द्वारा हाल ही में पूरे किए अध्ययन का मूल्यांकन किया जा रहा है। अतः राज्य सरकार को अभी इसके निष्कर्षों से सूचित नहीं किया गया है।

वाहनों से उत्पन्न प्रदूषण

4990. **श्री बालेश्वर यादव** :
श्री पी० एम० सईद :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाहनों के धुंआ छोड़ने सम्बन्धी मानक के सन्दर्भ में अब संशोधित मोटर वाहन अधिनियम का दिल्ली और अन्य राज्यों में कड़ाई के साथ पालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों के दौरान दिल्ली में तथा अन्य राज्यों में कितने वाहन-मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो दिल्ली में तेजी से बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त अधिनियम का पालन न करने के क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115(2) के तहत उत्सर्जन मानक अधिसूचित कर दिए गए हैं और वे 1-3-1990 से लागू हो गए हैं।

(ख) दिल्ली में 10-4-1990 तक कुल 110 वाहनों का चालान किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों की निकासी

4991. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों और मद्य-निर्माण शालाओं द्वारा नदियों में अपशिष्ट पदार्थों की निकासी किए जाने से महामारी फैलने और मछलियों के मरने की घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या निवारक कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अपशिष्ट पदार्थों की निकासी पर रोक लगाने के लिए किन योजनाओं पर विचार किया है; और

(ग) ये योजनाएं कब तक लागू की जाएगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ग) चीनी और मद्य-निर्माण इकाइयों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) मानकों की अधिसूचना जिनमें चीनी और मद्य निर्माण इकाइयों के बहिस्रावों के विसर्जन के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं;

(2) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने चीनी और मद्य निर्माण इकाइयों को बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं ताकि बहिस्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप हों; और

(3) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1974 और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत दोषी इकाइयों के विरुद्ध मुकदमे चलाए गए हैं।

गंगा की सफाई के बारे में कदम

4992. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा के पानी में आंत्रीय रोग फैलाने वाले "स्ट्रेप्टोकोकाय' जीवाणु पाए गए हैं और इस पानी में "बायो-केमिकल आक्सीजन डिमांड" (बी० ओ० डी०) की मात्रा 0.5 से 1.15 भाग प्रति मिलियन (पी० पी० एम०) पाई गई, जो हानिकारक है; और

(ख) यदि हां, तो गंगा को साफ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का प्रस्ताव है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में, राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) बायोकेमिकल आक्सीजन डिमांड (बी०

ओ० डी०), 0.5 से 1.15 भाग प्रति मिलियन (पी० पी० एम०) के बीच, निरापद है। वास्तव में, 3 भाग प्रति मिलियन (पी० पी० एम०) तक बी० ओ० डी० स्नान के लिए स्वीकार्य है। नदी के किनारे स्थित 27 स्टेशनों पर परीक्षण किए गए गंगा के जल के नमूनों में से अधिकांश में बी० ओ० डी० स्तर अब 3 पी० पी० एम० से भी कम पाए जाते हैं। "स्ट्रेप्टोकोकाय" बैक्टीरिया जो कि घरेलू सीवेज के अंश हैं, गंगा में पाए जाते हैं, परन्तु भारत में स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा स्नान के प्रयोजन हेतु, उनके लिए वांछित मानदण्ड निर्धारित नहीं हैं।

(ख) गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के तीन राज्यों के लिए 262 स्कीमें संस्वीकृत की गई हैं। नदी के किनारों पर स्थित श्रेणी-1 के नगरों से घरेलू सीवेज के दिशा-परिवर्तन और उपचार करने पर जोर दिया गया है जोकि उपर्युक्त (क) में उल्लिखित प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है। औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के उपाय और स्वच्छता में सुधार लाने तथा नदी के किनारों पर विद्युत शवदाहगृह की व्यवस्था कराने की स्कीमें भी हाथ में ली गयी हैं।

नए उद्योगों द्वारा प्रदूषण नियन्त्रण उपाय करना

4993. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना हेतु कितनी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गयी है और अगले एक वर्ष के दौरान इन उद्योगों द्वारा किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा;

(ख) क्या इन उद्योगों में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986; जल (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 का अनुपालन करते हुए अपशिष्ट पदार्थ शोधन पद्धति की पर्याप्त व्यवस्था है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) वर्ष 1989 के दौरान पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए कुल 553 लैटर्स आफ इन्टेंट और 176 औद्योगिक लाइसेन्स मंजूर किए गए। उद्योग का नाम और पता, उसका स्थान, उसके द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुएं और उसकी क्षमता इन सबके बारे में ब्यौरे इंडियन इंवेस्टमेंट सेंटर द्वारा नियमित रूप से प्रकाशित किए जाते हैं और इस प्रकाशन को संसद के पुस्तकालय में भेजा जाता है।

(ख) और (ग) वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार प्रदूषण उद्योगों के अभिनिर्धारित ग्रुप के लैटर आफ इन्टेंट को तभी औद्योगिक लाइसेंस में बदला जाता है जब निम्नलिखित शर्तों को पूरा कर लिया गया हो :—

(1) राज्य के उद्योग निदेशक इस बात की पुष्टि कर दें कि परियोजना स्थल को पर्यावरण की दृष्टि से सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दे दी गई है।

(2) उद्योगपति राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों को यह वचन दे कि वह प्रदूषण के निवारण एवं नियन्त्र के लिए उपयुक्त उपकरण लगाएगा और निर्धारित उपायों को अमल में लाएगा।

(3) सम्बन्धित राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड यह प्रमाणपत्र दे कि प्रस्ताव पर्यावरणीय अपेक्षाओं के अनुकूल है और लगाए गए अथवा लगाए जाने वाले उपकरण आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त और उपयुक्त है ।

उद्योग को तब तक कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक वह जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 के तहत सहमति प्राप्त न कर ले । उनको पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की अपेक्षाओं के भी अनुकूल होना चाहिए और सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी ले लेनी चाहिए ।

दूसरी बार विवाह करने वाले भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन प्राप्त करने का हक

4994. **प्रो० प्रेम कुमार धूमल** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान नियमों के अनुसार, अपनी सेवानिवृत्ति के पांच वर्ष बाद पहली पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी बार विवाह करने वाले भूतपूर्व सैनिक की दूसरी पत्नी 45 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पेंशन पाने की हकदार होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस सम्बन्ध में वैध तरीके से विवाहित दूसरी पत्नी के मामले में इस विसंगति को समाप्त करने के लिए कोई कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) से (ग) सिविलियनों की ही तरह जून, 1989 से पूर्व सशस्त्र सेना के उन दिवंगत पेंशनरों की पत्नियों को सामान्य परिवार पेंशन नहीं मिलती थी जिन्होंने सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद विवाह किया था । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सशस्त्र सेना के सैनिक कम आयु में ही सेवानिवृत हो जाते हैं, प्रचलित प्रावधानों को उदार बनाते हुए सशस्त्र सेना के सैनिकों द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद किए गए विवाह को मान्यता देते हुए इस सम्बन्ध में सरकार ने 2 जून, 1989 को आदेश जारी कर दिए थे । इन आदेशों में कुछ शर्तें रखी गई थीं । इनमें से एक शर्त यह है कि ऐसे सैनिक का यह प्रथम विवाह होना चाहिए लेकिन 29-8-1989 को उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के उन प्रावधानों को रद्द कर दिया है जो सैनिक द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद विवाह करने पर उनकी पत्नी को परिवार पेंशन देने से वंचित करते थे । इस सम्बन्ध में सरकार ने एक पुनरीक्षा याचिका दर्ज की है ।

मध्य प्रदेश में श्रम-प्रधान परियोजनाओं के लिए आबंटन

4995. **श्री रेशम लाल जांगड़े** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में सड़कों, जलमार्गों, बांधों, रेल लाईनों अथवा अन्य श्रम-प्रधान परियोजनाओं के निर्माण के लिए कितना वन भूमि आबंटित किया गया है; और

(ख) मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग को कितना वन भू-क्षेत्र आबंटित किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) मध्य प्रदेश में वन (संरक्षण) अधिनियम

1980 की धारा 2 के तहत 1-4-1987 से वनेतर प्रयोजनों के लिए 49661.199 हैक्टेयर वन भूमि को उपयोग में लाने की स्वीकृति दी गई है।

वनेतर प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए गए क्षेत्र के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(1) सिंचाई और पन विद्युत परियोजनाएं	46,481.264	हैक्टेयर
(2) सड़कें	25.650	,,
(3) पेयजल आपूर्ति स्कीमें	52.050	,,
(4) ताप विद्युत परियोजनाएं	166.129	,,
(5) रेलवे परियोजनाएं	41.808	,,
(6) खनन परियोजनाएं	1,650.833	,,
(7) अन्य	1,233.465	,,
कुल :	49,661.199	,,

(ख) केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश में राजस्व विभाग को वन भूमि उपयोग में लाने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम के तहत कोई प्रस्ताव मंजूर नहीं किया है।

तालचेर हेवी वाटर की असफलता

4990. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तालचेर हैवी वाटर संयंत्र सफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसकी असफलता के कारणों का पता लगाने के लिए क्या प्रयास किए गए ;

(घ) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने तालचेर संयंत्र के कार्यक्रम के बारे में अभी तक कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संयंत्र को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ग) जी, हां। भारी पानी संयंत्र, तलचर में भारी पानी का उत्पादन करने के लिए अपनाई गई प्रौद्योगिकी सफल सिद्ध हुई है। तथापि, भारतीय उर्वरक निगम के उर्वरक संयंत्र जिसके साथ भारी पानी संयंत्र जुड़ा हुआ है, से निवेश प्राप्त करने में बाधा पड़ने के कारण संयंत्र को सतत रूप से नहीं चलाया जा सका।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) भारतीय उर्वरक निगम ने एक समिति का गठन किया है जो तलचर स्थित उनके उर्वरक संयंत्र के लगातार काम करने सम्बन्धी उपायों की पुनरीक्षा करेगी।

खनन कार्य सम्बन्धी प्रस्ताव

4997. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने लघु खनिजों की प्राप्ति के लिए वन भूमि अथवा नदी तलों का प्रयोग करने का कोई प्रस्ताव भेजा था;

(ख) यदि हां, तो क्या गैर-वन प्रयोजन के लिए उत्तर डांग्स क्षेत्र और दक्षिण डांग्स क्षेत्र में खनन कार्य हेतु अनुमति ली गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है और इसे कब तक मंजूरी दे दी जाएगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) गुजरात सरकार से डांग्स जिले के वन क्षेत्रों में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत नदी तल से लघु खनिजों जैसे बालू, पत्थर, गोला पत्थर आदि को बाहर निकालने की स्वीकृति के लिए दो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल से निरीक्षण करने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।

स्तन दूध विकल्पों का विज्ञापन

4998. **श्री राम दास सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का स्तन दूध विकल्पों के विज्ञापन के विरुद्ध विश्व स्वास्थ्य संगठन/संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष की "संहिता" के बारे में क्या विचार है; और

(ख) स्तन दूध के विकल्प के रूप में "अमूल मिल्क स्प्रे इन्फेन्ट फूड" को बढ़ावा देने वाले हाल ही में समाचार-पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) भारत सरकार ने स्तनपान संरक्षण और संवर्धन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कोड 19-12-1983 को स्वीकार किया था जोकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू० एच० ओ०)/यूनिसेफ कोड पर आधारित है। स्तनपान संरक्षण और संवर्धन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कोड के अनुच्छेद 5.1 के अनुसार मां के दूध के विकल्प के रूप में कोई विज्ञापन नहीं होगा। कोड के सिद्धान्तों को कानून के माध्यम से प्रभावी बनाने के लिए शिशु दुग्धाहार और दूध

पिलाने वाली बोतल (उत्पादन, आपूर्ति और वितरण विनियमन) बिल, 1986 प्रस्तुत किया गया और राज्य सभा द्वारा पास किया गया। परन्तु यह बिल लोक सभा में विचारार्थ पेश नहीं हो सका। आठवीं लोक सभा के भंग हो जाने पर उपरोक्त बिल व्यपगत हो गया। कोई कानून न होने पर अमूल मिल्क स्प्रे इन्फेन्ट फूड को मां के दूध का विकल्प बताने के प्रैस प्रचार के विरुद्ध कोई कार्रवाही नहीं की जा सकी।

ताप विद्युत परियोजनाओं से सम्बन्धित आंकड़े

4999. **श्री एन० डेनिस** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृत की गई ताप विद्युत परियोजनाओं का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं की लागत कितनी-कितनी है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) सरकार द्वारा पर्यावरणीय दृष्टि से 1 जनवरी, 1988 से मंजूर की गई ताप विद्युत परियोजनाओं की राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार सूची तथा इन परियोजनाओं की लागत संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

1988 के दौरान मंजूर की गई ताप विद्युत परियोजनाओं की सूची

क्रम सं०	परियोजना का नाम	क्षमता	परियोजना की लागत (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश			
1.	ताप विद्युत परियोजना, रायलसीमा	2×210 मेगावाट	503.71
गुजरात			
2.	संयुक्त साईकिल विद्युत परियोजना, उतरान	138.5 मे०	152.68
3.	संयुक्त साईकिल विद्युत परियोजना पिपावव के पास, दक्षिण सौराष्ट्र	750 मे०	587.45
4.	संयुक्त साईकिल विद्युत परियोजना, बड़ौदा	135 मे०	148.73
5.	संयुक्त साईकिल विद्युत परियोजना गन्धार	600 मे०	573.73

1	2	3	4
हरियाणा			
6.	गैस आधारित कैंप्टिव पावर परियोजना, फरीदाबाद एसोसिएशन फरीदाबाद	100 मे०	84.86
मध्य प्रदेश			
7.	ताप विद्युत परियोजना, पेंच	2×210 मे०	534.75
तमिलनाडु			
8.	शून्य इकाई (स्टेशन-2), नैवेली	1×210 मे०	397.26
त्रिपुरा			
9.	गैस आधारित ताप विद्युत परियोजना, रोखिया	10×7.5 मे०	71.40
संघ शासित क्षेत्र			
दिल्ली			
10.	डेसू का वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम, ओखला	3×30 मे०	76.92

1-1-1989 से 31-3-1990 तक मंजूर की गई ताप विद्युत परियोजनाओं की सूची

क्रम सं०	परियोजना का नाम	क्षमता	परियोजना की लागत (करोड़ रु० में)
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश			
1.	संयुक्त साईकिल विद्युत परियोजना, विज्जेश्वरम	3×33 मे०	92.91
2.	भारतीय खाद निगम लि० का कैंप्टिव पावर प्लांट, रामागुण्डम	40 मे०	45.62

1	2	3	4
बिहार			
3.	ताप विद्युत स्टेशन, स्टेज 2, तेनुघाट	3×210 मे०	669.10
4.	खेलगांव सुपर ताप वि० प०, स्टेज-1	4×210 मे०	1429.10
गुजरात			
5.	गैस टर्बाइन ताप विद्युत परियोजना, वत्वा	116 मे०	119.18
हरियाणा			
6.	ताप विद्युत स्टेशन इकाई संख्या 6, पानीपत	1×210 मे०	238.27
जम्मू और कश्मीर			
7.	गैस टर्बाइन विद्युत परियोजना, पम्पोर	4×25 मे०	97.56
8.	गैस टर्बाइन विद्युत परियोजना, बारीब्रह्मानम	1×25 मे०	20.77
मध्य प्रदेश			
9.	संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना, एक्सटेंशन स्टेज-1 बीरसिंहपुर	2×210 मे०	493.00
10.	संयुक्त साईकिल पावर परियोजना, झबुआ	3×100 मे० + 1+150 मे०	430.07
11.	संयुक्त साईकिल पावर परियोजना, गुना	3×100 मे० + 1×150 मे०	419.56
12.	संयुक्त साईकिल पावर परियोजना, राजगढ़	3×100 मे० + 1×150 मे०	432.90
13.	संयुक्त साईकिल पावर परियोजना, ग्वालियर	3×100 मे०	420.86
महाराष्ट्र			
14.	ताप विद्युत परियोजना, बहादु[illegible]	1×500 मे०	797.33

1	2	3	4
15.	हिन्दुस्तान पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड बम्बई की कैप्टिव पावर परियोजना	3×10 मे०	79.22
	उड़ीसा		
16.	भारतीय एल्युमिनियम कं० लि० हीराकुण्ड की कैप्टिव पावर प्लांट	1×60 मे०	120.02
	पंजाब		
17.	गुरूनानक देव ताप विद्युत परियोजना विस्तार स्टेज-3 भटिंडा	2×210 मे०	690.34
	राजस्थान		
18.	ताप विद्युत परियोजना स्टेज-3, कोटा	1×210 मे०	217.62
19.	ताप विद्युत परियोजना, बरसिंगसार	2×210 मे०	511.45
	त्रिपुरा		
20.	कैप्टिव पावर परियोजना ऑगमेंटेशन, अगरतला	6.1 मे०	16.95
	उत्तर प्रदेश		
21.	संयुक्त साईकिल पावर परियोजना, जगदीशपुर	210 मे०	235.00
22.	संयुक्त साईकिल पावर परियोजना, दादरी	817 मे०	750.04
23.	कानपुर में नदी की ओर के पावर हाउस का गैस परिवर्तन तथा नवीकरण	52.5 मे०	9.05
	पश्चिम बंगाल		
24.	ताप विद्युत परियोजना, फरक्का स्टेज-3	1×500 मे०	571.60
25.	ताप विद्युत परियोजना, स्टेज-1, मुर्शिदाबाद	5×210 मे०	2078.00
26.	ताप विद्युत परियोजना, स्टेज-1, बक्रेश्वर	3×210 मे०	682.58

1	2	3	4
संघ राज्य क्षेत्र			
पाण्डिचेरी			
27.	विद्युत परियोजना कराईक्कल, पांडिचेरी	3×5 मे० + 1×7.5 मे०	49.50
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह			
28.	लिटिल निकोबार द्वीपसमूह पर पावर हाउस	0.48 मे०	0.15 (1.24 के वी ए)
29.	डीजल जैनरेटिंग पावर बम्बूकाद्वीपसमूह	0.48 मे०	0.18 (2×24 के वी ए)
30.	डीजल जैनरेटिंग पावर हाउस नारकोण्डम	0.48 मे०	0.14 (1×24 के वी ए)
31.	उत्तरी अण्डमान में डी० जी० की क्षमता का ऑगमैंटेशन	1.2 मे०	1.79 (3×160 के वी ए)
32.	कटचाल द्वीपसमूह में डी० जी० क्षमता स्कीम का ऑगमैंटेशन	0.72 मे०	1.57 (5×160 के वी ए)

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या

5000. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रही है; और

(ख) जनता को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं अथवा करने का विचार किया है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) गरीबी के अनुमान, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अन्तर्गत एकत्र किए गए पारिवारिक उपभोक्ता व्यय सम्बन्धी आंकड़ों से तैयार किए जाते हैं। अपेक्षाकृत छोटे राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में, प्रतिदर्श का आकार बहुत छोटा होता है जिससे विश्वसनीय अनुमान प्राप्त नहीं हो सकते। तथापि, बड़े राज्यों के लिए प्रयोग में लायी गई प्रणाली को अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह से सम्बन्धित उपलब्ध आंकड़ों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशतता 1.86 आती है। फिर भी,

सरकार इस बात को मान्यता देती है कि इन द्वीप समूहों में गरीबी है तथा यहां आधार संरचनात्मक सुविधाएं विकसित करने और द्वीप समूहों के लोगों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं। परिवहन तथा विद्युत सृजन सुविधाएं प्रदान करने के सम्बन्ध में तथा मत्स्य उद्योगों तथा वन आधारित गतिविधियों के विकास के लिए विशेष बल दिया गया है।

कुलपतियों की नियुक्ति

5001. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से कुलपतियों की नियुक्ति हेतु उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की तरह एक संस्थागत तंत्र शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी घाटों में झूम खेती

5002. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि स्थानीय आदिवासियों द्वारा बड़े पैमाने पर झूम खेती किए जाने से पूर्वी घाटों का पर्यावरण संतुलन नष्ट होता जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो पूर्वी घाट में झूम खेती को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि पूर्वी घाट का पर्यावरण पूर्ववत् बनाया जा सके ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, हां। झूम खेती पूर्वी घाट क्षेत्र में उड़ीसा और आन्ध्रप्रदेश के राज्यों में प्रचलित है तथा जिससे पारिस्थितिकी पर हानिकर प्रभाव पड़ने की सूचना मिली है।

(ख) कृषि मंत्रालय द्वारा शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता से झूम खेती के नियन्त्रण के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम का उद्देश्य झूमियों के पुनर्वास को प्रोत्साहन देकर झूम खेती के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन की बहाली करना है। इस स्कीम के तहत 1987-88 और 1991-92 के बीच आन्ध्र प्रदेश में 1509 परिवारों और उड़ीसा में 6281 परिवारों का क्रमश: 275 लाख रुपए और 1,700 लाख रुपए की अनुमानित लागत से पुनर्वास किए जाने का प्रस्ताव है।

नर्मदा नदी के उद्गम के निकट चल रही जलाशय परियोजना के कार्य को बंद करना

5003. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा नदी के उद्गम स्थान के निकट चल रही जलाशय परियोजना के कार्य की समीक्षा करने के लिए नियुक्त किए गए पैनल ने पर्यावरण और वन मन्त्रालय द्वारा जारी किए गए मार्ग-निर्देश के अनुपालन में उक्त कार्य को तत्काल बद कर देने के आदेश हाल में जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (**प्रो० एम० जी० के० मेनन**) : (क) और (ख) नर्मदा नदी के उद्गम स्थान पर जलाशय परियोजना का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसलिए, परियोजना के निर्माण कार्य को तुरन्त रोकने का प्रश्न नहीं उठता।

हानिकारक रसायन

5004. **श्री के० एस० राव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत हानिकारक रसायनों के उत्पादन, भंडारण तथा आयात के बारे में नियम अधिसूचित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन नियमों के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, हां।

(ख) विष पैदा करने में सक्षम और जिनसे दुर्घटनाएं हो सकती हैं, ऐसे परिसंकटमय रसायनों को अधिसूचित कर दिया गया है और उनके संचालन व भंडारण को विनियमित कर दिया गया है। दुर्घटनाओं के निवारण के लिए स्थानीय प्राधिकारियों के अलावा परिसंकटमय रसायनों का संचालन करने वालों के दायित्वों का निर्धारण किया गया है।

सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबन्ध

5005. **प्रो० के० वी० थामस** :
श्री आर० एन० राकेश :
श्री आनन्द सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक स्थानों और सरकारी कार्यालयों को "धूम्रपान वर्जित क्षेत्र" घोषित करने का विचार है;

(ख) क्या ऐसा प्रस्ताव धूम्रपान न करने वाले लोगों के हित में रखा गया है;

(ग) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में धूम्रपान करने वालों के लिए क्या प्रबन्ध किया गया है;

(घ) क्या सरकार को वालंटियरी हैल्थ एसोसियेशन आफ इंडिया की ओर से धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए रेलवे के "क्लोज्ड सर्किट टी० वी० प्रणाली" के व्यापक नेटवर्क का उपयोग करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कार्यवाही की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ग) यह मामला सरकार के बिचाराधीन है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में केन्द्रीय योजनाओं को पूरा किया जाना

5006. **श्रीमती बासव राजेश्वरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में कार्यान्वियनाधीन उन विभिन्न केन्द्रीय परियोजनाओं का ब्योरा क्या है जो नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार निर्धारित समय के अन्तर्गत पूरी नहीं की जा सकी है; और

(ख) क्या सरकार ने उनके निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) 31 दिसम्बर, 1989 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय परियोजनाओं, जिनमें प्रत्येक की लागत 20 करोड़ रुपए से अधिक है, के लिए कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय की त्रैमासिक प्रबोधन प्रणाली के अनुसार बहु-राज्यीय परियोजनाओं, जैसे रेलवे-लाईन विद्युत संचरण लाईन, आदि के अतिरिक्त, कर्नाटक में कार्यान्वयनाधीन निम्नलिखित 2 केन्द्रीय परियोजनाएं थीं जिन्हें निर्धारित समय में पूरा नहीं किया जा सका :

I. विद्युत क्षेत्र का शार्ट सर्किट टेस्टिंग स्टेशन (सी पी आर आई), बंगलौर।

II. दूर-संचार क्षेत्र की टेली-इंस्ट्रूमेंट परियोजना (आई टी आई) नैनी और बंगलौर।

(ख) कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय, इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन का प्रबोधन करता आ रहा है और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए समस्याग्रस्त क्षेत्रों पर प्रकाश डालता रहा है ताकि सम्बन्धित प्राधिकारी उन पर समुचित और सामयिक कार्यवाई कर सकें।

कर्नाटक में वन भू-क्षेत्र

5007. **श्रीमती बासव राजेश्वरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में कितना वन भू-क्षेत्र है;

(ख) क्या वन भू क्षेत्र का कुछ क्षेत्र विकास क्षेत्र के अन्तर्गत लाया गया है;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त राज्य में कुल कितना वन क्षेत्र सिंचित भू-क्षेत्र में परिवर्तित किया गया है; और

(घ) कर्नाटक राज्य में वन भूमि के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) कर्नाटक में 1985-86 के दौरान दर्ज वन क्षेत्र 38,645 वर्ग किलोमीटर था।

(ख) और (ग) 1980 से 1989 के बीच 22,7/9.05 हेक्टेयर वन भूमि को वनेत्तर प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया गया है इसमें से 874.31 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई परियोजनाओं के लिए उपयोग में लाया गया है ।

(घ) कर्नाटक में वन भूमि के परिरक्षण एवं बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) फार्म वानिकी और कृषि वानिकी सहित सामाजिक वानिकी का विकास ।

(2) पश्चिमी घाटों में वनों का समन्वित विकास ।

(3) राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों का विकास ।

(4) जैवीय हस्तक्षेप से वनों की सुरक्षा ।

(5) भू-संरक्षण स्कीम के तहत वनीकरण ।

(6) चंदन पुनरुत्पादन ।

पर्यावरणीय कार्यक्रमों में स्वयंसेवी एजेंसियों को शामिल करना

5008. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यावरणीय अवक्रमण और प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रमों पर नियंत्रण करने के लिए स्वयंसेवी एजेंसियों/संगठनों को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने उन स्वयंसेवी संगठनों की पूर्ण-भूमिका की जांच की है, जिन्हें इस कार्य में शामिल करने का विचार है; और

(ग) पारिस्थितिकी संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) जी, हां । स्वैच्छिक संगठनों की क्षमता का मूल्यांकन करने के पश्चात् उन्हें राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान, वनरोपण के जरिए परती भूमि विकास, गंगा कार्य योजना, पारि-विकास शिविर, क्षेत्रीय प्रदर्शन परियोजना, तकनीकी सेमीनार/संगोष्ठियां आयोजित करना आदि जैसे अनेक कार्यक्रमों में शामिल किया जा रहा है ।

(ग) यह मंत्रालय, 1986 से सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तरों पर पर्यावरणीय जागरुकता पैदा करने के उद्देश्य से स्वैच्छिक संगठनों, शैक्षिक संस्थाओं, राज्य पर्यावरण विभागों, प्रचार माध्यम के कर्मिकों, व्यावसायिकों आदि को शामिल करके एक राष्ट्रीय पर्यावरण जागरुकता अभियान चला रहा है।

लड़कियों के लिए होस्टलों का निर्माण

[हिन्दी]

5009. **श्री राजवीर सिंह : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला कॉलेजों में लड़कियों के लिए पर्याप्त संख्या में होस्टल न होने के कारण अनेक लड़कियां कॉलेज की शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कोई विशिष्ट सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि अपर्याप्त छात्रावास सुविधाओं की वजह से अनेक छात्राएं कालेज शिक्षा से वंचित रह गई हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वास्तव में छात्रावासों के लिए विश्वविद्यालयों/कालेजों को सहायता प्रदान करता है। महिला छात्रावासों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निर्माण के वास्तविक व्यय का 75% वहन करता है जबकि पुरुष छात्रावास के मामले में 50% वहन करता है।

इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र

[अनुवाद]

5010. **श्री गंगाचरण लोधी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान इन अध्ययन केन्द्रों के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 1990-91 के इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के बजट में अध्ययन केन्द्रों में कार्यरत स्टाफ, परामर्शदाताओं, आदि के पारिश्रमिक तथा प्रशिक्षण के लिए 160.70 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, अध्ययन केन्द्रों के फर्नीचर, उपस्कर, आपूर्तियों, यात्रा, डाक, आदि पर होने वाला व्यय इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के सम्पूर्ण बजट प्रावधानों में से वहन किया जाता है।

विवरण

राज्य	अध्ययन केन्द्रों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	8
अरुणाचल प्रदेश	1
असम	2
बिहार	6
गोवा	1
गुजरात	6
हरियाणा	7
हिमाचल प्रदेश	4
जम्मू व कश्मीर	2
कर्नाटक	4
केरल	3
मध्य प्रदेश	9
महाराष्ट्र	10
मणिपुर	1
मेघालय	2
मिजोरम	1
नागालैण्ड	1
उड़ीसा	9
पंजाब	1
राजस्थान	6
तमिलनाडु	5
उत्तर प्रदेश	17
पश्चिम बंगाल	5
त्रिपुरा	1
सिक्किम	1

1	2
संघशासित प्रदेश	
चण्डीगढ़	1
दिल्ली	16
लक्षद्वीप	1
अंडमान तथा निकोबार दीपसमूह	1
पांडिचेरी	1

अध्यापकों के चयन की नई योजना

5011. **श्री गंगा चरण लोधी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अध्यापकों के चयन के लिए एक नई योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) 22-7-88 को राज्य सरकारों को प्रेषित विश्वविद्यालयों और कालेज शिक्षकों के वेतनमानों के संशोधन की योजना में यह निर्धारित किया गया है कि केवल वही उम्मीदवार लेक्चरर के रूप में नियुक्ति के पात्र होंगे जिन्होंने लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को पूरा करने के अतिरिक्त इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से आयोजित व्यापक परीक्षा उत्तीर्ण की हो, लेक्चररों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे ।

लेक्चररों की भर्ती के लिए अर्हता परीक्षा प्रारम्भ करने का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर डिग्री स्तर पर परीक्षाओं के स्तरों में असमानताओं को दूर करना, स्थानीय प्रभावों को कम करना तथा शिक्षण पदों पर भर्ती के लिए अर्हता क्षेत्र को व्यापक बनाना है ।

— राज्य सरकारें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित पृथक् परीक्षा लेने या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय परीक्षा को स्वीकार करने के लिए स्वतन्त्र होंगी ।

— सामान्य जूनियर अनुसंधान शिक्षावृत्ति/लेक्चरर परीक्षा में शामिल होने की न्यूनतम पात्रता शर्त स्नातकोत्तर डिग्री स्तर पर 55% अंक प्राप्त करने होंगे ।

— एम० फिल०/पी० एच० डी० करने वाले उम्मीदवारों को क्रमश: 1990 (दिसम्बर) और 1992 (दिसम्बर) तक इस परीक्षा से छूट दी गई है ।

सशस्त्र बलों में भर्ती सम्बन्धी नीति

5012. **स० अतिन्दर पाल सिंघ** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना में भाषा अथवा धर्म के आधार पर भर्ती के लिए कोई कोटा प्रणाली लागू की गई है;

(ख) क्या उनकी जनसंख्या के आधार पर राज्य-वार कोई प्रतिशतता निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो सेना में भर्ती के सम्बन्ध में क्या नीति अपनाई जाती है; और

(ङ) स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सेना की भर्ती में सिखों की संख्या में लगातार कमी होने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) सेना में भर्ती, भर्ती-योग्य पुरुषों की आबादी के आधार पर की जाती है। भर्ती योग्य पुरुष आबादी, पुरुषों की आबादी का वह अनुपात है जो सेना में भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा और शिक्षा-स्तर की औचित्यात्मक आवश्यकता को पूरा करता है और देश या राज्य या जिला, जैसी भी स्थिति हो, की पुरुष आबादी के 10 प्रतिशत के रूप में संगणनीय है। भर्ती योग्य पुरुष आबादी के लिए वर्तमान योजना 1981 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है।

(ङ) सिख रंगरूटों की संख्या में लगातार कमी नहीं आई है।

वृक्षारोपण के लिए महाराष्ट्र को सहायता

5013. **श्री वसन्त साठे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में वृक्षारोपण करने के लिए महाराष्ट्र राज्य को सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इससे लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित इस योजना के अन्तर्गत इन क्षेत्रों में गत तीन वर्षों के दौरान किस प्रकार के वृक्ष लगाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) ग्रामीण ईंधन लकड़ी वृक्षारोपण परियोजना और सूखा पड़ने वाले क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम के अन्तर्गत वन क्षेत्रों, जिनमें आदिवासी क्षेत्र भी शामिल हैं, में वृक्षारोपण के लिए महाराष्ट्र राज्य को केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है। जिन राज्यों में वृक्षारोपण किया जा रहा है वे हैं, अहमदनगर, नासिक, जलगांव, थाने, कोल्हापुर, सिन्धु दुर्ग, परभनी, पुणे, शोलापुर, सांगली, जालना, धूले, औरंगाबाद, सतारा, बीड और उस्मानाबाद।

(ग) मुख्यतः ईंधन लकड़ी, चारा और वन उत्पादों के लिए वृक्ष प्रजातियों का रोपण किया जा रहा है।

मुक्त-विश्वविद्यालय

5014. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार अब तक कितने मुक्त-विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है;

(ख) क्या ऐसा कोई मुक्त-विश्वविद्यालय राजस्थान के कोटा में स्थापित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो 1987-89 और 1989-90 के दौरान इस विश्वविद्यालय को कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई; और

(घ) आठवीं योजना में ऐसे मुक्त-विश्वविद्यालयों का विस्तार करने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) अब तक देश में स्थापित मुक्त-विश्वविद्यालयों की राज्यवार संख्या निम्नलिखित है :—

आंध्र प्रदेश	1
राजस्थान	1
बिहार	1
महाराष्ट्र	1

(ख) जी, हां।

(ग) अब तक कोटा मुक्त विश्वविद्यालयों को कोई भी विकास सहायता नहीं दी गई है। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी पुस्तक लेखन योजना के अन्तर्गत 1988-89 में विश्वविद्यालय को 5,000 रुपए की राशि और सामाजिक विज्ञान के दर्शनशास्त्र के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करने के लिए 60,000 रुपयों की राशि प्रदान की।

(घ) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में से एक, देश की शैक्षिक पद्धति में मुक्त विश्वविद्यालय और सुदूर शिक्षा पद्धति को प्रोत्साहित करना, और ऐसी पद्धति में स्तरों को समन्वित तथा निर्धारित करना है।

8वीं योजना में मुक्त विश्वविद्यालय पद्धति का विस्तार, काफी हद तक, इस प्रयोजन के लिए निधियों की उपलब्धता और राज्य सरकारों द्वारा इस मामले में लिए गए दृष्टिकोण पर निर्भर करता है।

देश में आदिवासी भाषाओं का विकास

5015. **डा० ए० के० राय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की आदिवासी भाषाओं का विकास करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार स्थित छोटा नागपुर और संथाल परगना क्षेत्रों में बोली जाने वाली आदिवासी बोलियों का विकास करने की कोई संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (घ) मैसूर स्थित केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान जनजातीय भाषाओं के विकास और प्रसार के काम में लगा हुआ है। इस काम में प्राथमिक स्कूलों और प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम के लिए भाषायी सचित्रण लोक साहित्य का संग्रह शैक्षिक सामग्रियां तैयार करना और इन भाषाओं और बोलियों के शिक्षकों और सामग्री उत्पादन कर्ताओं के लिए सर्वाश्ति प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है। बिहार के छोटा नागपुर और संथाल परगनों की जनजातीय बोलियों के सम्बन्ध में संस्थान ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के सहयोग से संथाली, मुण्डारी, कुरूक, खारिया और हो में प्राइमर तैयार किए हैं, मुण्डारी में ध्वन्यात्मक रीडर तथा व्याकरण, हो और भूमिजी में व्याकरण तथा शब्दकोश, माल्टों में व्याकरण तैयार की है। कुरूक में ध्वन्यात्मक रीडर तथा व्याकरण और संथाली में व्याकरण तैयार करने के काम में प्रगति हो रही है।

नेहरू जन्मशती समारोहों पर खर्च

5016. **श्री ए० विजयराघवन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नेहरू जन्मशती समारोहों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 1987-88 से 1989-90 तक के तीन वर्षों के दौरान भारत की स्वतन्त्रता की 40वीं वर्षगांठ समारोह तथा जवाहरलाल नेहरू जन्मशती सम्बन्धी कार्यान्वियन समिति द्वारा किया गया कुल व्यय 11,64.45 लाख था।

(ख) वास्तविक व्यय के विस्तृत ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

	(रुपए लाख में)
वेतन तथा भत्ते	88.14
कार्यालय व्यय	239.09
कार्यक्रम और कार्यकलाप	837.22
कुल :	11,64.45

दक्षिण भारत में पानी की कमी को पूरा करने के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीक का प्रयोग

5017. **श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 17 मार्च, 1990 के "हिन्दू" में "क्लाउड सीडिंग विल हेल्प वाटर स्केअरसिटि" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार मद्रास, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के सूखा-प्रवण क्षेत्रों में पानी की कमी को पूरा करने के लिए इस तकनीक का प्रयोग करने का है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्षा में वृद्धि के विभिन्न मेघ बीजन तकनीकों की सरकार को जानकारी है। यद्यपि यह सूचित करना है कि चक्रवातीय अवस्थाओं के दौरान प्राकृतिक स्थितियों में सामान्य वर्षा होती है तथा कृत्रिम वर्षा-वृद्धि की आवश्यकता नहीं होती। मेघ बीजन का सामान्यतः तब प्रयास किया जाता है जब वास्तविक वर्षा में कमी होती है (उदाहरणार्थ मानसून मौसम के दौरान) परन्तु बड़े बादल पर्याप्त संख्या में विद्यमान होते हैं। भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे के द्वारा भारत सरकार राज्यों के अनुरोध पर उनके मेघ बीजन कार्यों में सहायता देने की स्थिति में है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात तथा केरल सरकारों ने भूतकाल इस संस्थान की सेवाओं का उपयोग किया है। केरल सरकार से प्राप्त ऐसे ही एक अनुरोध को आगामी मानसून के दौरान संचालन के लिए प्रक्रिया में लाया जा रहा है।

मुद्रण मशीनरी उद्योग सम्बन्धी प्रौद्योगिकी-स्थिति रिपोर्ट

5018. **श्री एम० अरुणाचलम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुद्रण मशीनरी उद्योग सम्बन्धी प्रौद्योगिकी-स्थिति रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों पर क्या कार्रवाई करने का विचार किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) अभी नहीं। "नेशनल रजिस्टर ऑफ फॉरिन कॉलिबोरेशन्स" प्लान स्कीम के अन्तर्गत तैयार की गई मुद्रण मशीनरी सम्बन्धी प्रौद्योगिकी स्थिति प्रारूप रिपोर्ट पर फरवरी 1990 में सम्पन्न हुई एक कार्यशाला में चर्चा की जा चुकी है।

(ख) और (ग) इस प्रारूप प्रतिवेदन (ड्राफ्ट रिपोर्ट) में की गई सिफारिशों में निम्नांकित शामिल हैं : मुद्रण मशीनरी विकास के लिए केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करके; नई-नई प्रौद्योगिकियों, प्रतियोगिता तथा आर्थिक प्रतिफल (कन्सीडरेशन) के उद्भव के फलस्वरूप मुद्रण मशीनरी की गुणवत्ता तथा बिक्री के बाद की सेवा में सुधार किए जाने की आवश्यकता ; तकनीकी स्तर तथा मुद्रण मशीनरी की डिज़ाइन व विकास दोनों ही के लिए मुद्रण उद्योग के जनशक्ति को प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट के जांच-परिणामों को सभी सम्बन्धि उद्योगों, संस्थानों; मंत्रालयों/विभागों की विस्तृत रूप से प्रचारित-प्रसारित कर दिया जाएगा।

सामाजिक संगठनों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

5019. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी समाज कल्याण तथा समाज सेवा संगठनों में महिलाओं को समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए कोई निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा महिलाओं के लिए के यदि कोई कोटा निर्धारित किया गया है, तो वह कितना है; और

(ग) इसे कार्यान्वित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ख) यद्यपि सरकार, समाज कल्याण और समाज कल्याण संगठनों में महिलाओं को समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए कोई कोटा बताने अथवा निर्धारित करने के लिए कोई विशिष्ट निर्णय नहीं लिया गया है तथापि महिलाओं को, विशेषकर ऐसे संगठनों में प्रतिनिधित्व देने के लिए जो कल्याण और विकास कार्यों में संलग्न हैं, सरकार द्वारा सयुक्त प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ बनाया जाएगा। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड भी यह सुनिश्चित करता है कि कल्याण कार्यक्रमों, विशेषकर महिला कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अनुदानग्राही संस्थाएं अपनी प्रबन्ध समितियों में पर्याप्त संख्या में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था करें।

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सब लोग जाएं तो मैं सुनूंगा। आप एक-एक करके बोलिए। अखबार, मैं नहीं देख रहा हूं, आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, एक बहुत कुटिल षड्यन्त्र का पर्दाफाश हुआ है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल द्वारा यह पता लगाया गया है कि आनन्दमार्गियों ने एक युद्धप्रिय शाखा बनाई है, जिसमें हथियार बेचने वाले अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह से सम्बन्ध है। सीमापार पाकिस्तान के रास्ते से उन्हें हथियार मिल रहे हैं। उनका लक्ष्य मार्क्सवादी पार्टी के चुने हुए नेताओं को मारना है। ये आनन्दमार्गी धर्म के नाम पर, वास्तव में, हिंसा फैला रहे हैं और राजनैतिक दलों के

नेताओं की हत्या की योजना बना रहे हैं। और कांग्रेस (आई) के नेताओं ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया है। मैं गृहमन्त्री से एक वक्तव्य की मांग करता हूं, मैं पूरी बात जानना चाहूंगा और यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इन आनन्दमार्गियों को एक आतंकवादी गुट घोषित करेगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं गृह मन्त्री से एक वक्तव्य देने की मांग करता हूं। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मुफ्ती साहब कुछ कहना चाह रहे हैं।

[अनुवाद]

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : महोदय, आनन्द मार्गियों के बारे में जो भी तथ्य है, मैं इसकी रिपोर्ट मिलते ही एक वक्तव्य दूंगा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, कश्मीर में 11 दिन तक लगातार कर्फ्यू से उत्पन्न हुई स्थिति पर मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। पूरे नगर में ग्यारहवें दिन भी 24 घण्टों का कर्फ्यू लगा रहा। अतः, वृद्ध और कमजोर, घायल और बीमार व्यक्तियों को बड़ी भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। गृह मन्त्री ने यहां एक वक्तव्य दिया है कि वे राज्यपाल से कर्फ्यू में कुछ ढील देने के लिए कहेंगे परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया; पहले उन्होंने सिविल लाइन्स के कुछ क्षेत्रों में सिर्फ दो घण्टे की छूट दी थी। लोग भूख से मर रहे हैं। वहां दवाइयां नहीं हैं, जीवन-रक्षक औषधियां नहीं हैं और औरतें बच्चों को जन्म देने के लिए अस्पताल जाने में असमर्थ हैं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि कर्फ्यू कब तक जारी रहेगा। केन्द्रीय सरकार का कश्मीर के साथ एक कालोनी जैसा व्यवहार करना क्या उचित है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप किसी अन्य नगर में इस प्रकार कर्फ्यू लगा सकते हैं ? मैं चाहता हूं कि गृह मन्त्री एक वक्तव्य दें। कश्मीर में लोग मर रहे हैं। आप लोगों को उनके घरों में कैद नहीं रख सकते, यहां तक कि उन्हें दवाइयां भी उपलब्ध नहीं हैं। (**व्यवधान**) मेरे ख्याल में, यह इतिहास का सबसे ज्यादा अन्धकारमय काल है। गृह मन्त्री को वक्तव्य देने दें। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सोज साहब हो गया, आप दोनों बैठ जाएं। मि० खुराना को बोलने दें।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद शफी (श्रीनगर) : क्या इसीलिए हिन्दुस्तान के साथ उसको मिलाया था कि वहां के लोगों के साथ नाइंसाफी हो।

شری محمد شفیع! کیا اس لئے ہندوستان کے ساتھ اسکو ملایا تھا کہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو۔

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। खुराना को सुनें।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद शफी : आप होम मिनिस्टर को कहें कि वह बयान दें। लोग मर रहे हैं।

شری محمد شفیع ! آپ ہوم منسٹر کو کہیں کہ وہ بیان دیں - لوگ مر رہے ہیں۔

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

श्री मोहम्मद शफी : 40 लाख लोगों को आप कंफाइन नहीं कर सकते हैं।

شری محمد شفیع ! ۴۰ لاکھ لوگوں کو آپ کنفائن نہیں کر سکتے ہیں۔

[अनुवाद]

हम गृह मन्त्री से एक वक्तव्य देने के लिए अनुरोध करते हैं।

[हिन्दी]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आपकी क्या रूलिंग है?

پروفیسر سیف الدین سوز ! آپ کی کیا رولنگ ہے۔

श्री मोहम्मद शफी : आप भी उनको कंफाइन करना चाहते हैं।

شری محمد شفیع ! آپ بھی ان کو کنفائن کرنا چاہتے ہیں۔

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : जब तक गृह मन्त्री वक्तव्य नहीं देते हम नहीं बैठ सकते। उन्हें वक्तव्य देना पड़ेगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मि० खुराना को सुनें।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : मैंने दिल्ली में हुए बम विस्फोटों के बारे में बोलना है...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं, आपने जो सवाल उठाया है। वह रिसपौंड कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : महोदय, कश्मीर के लोग कर्फ्यू के कारण जो कठिनाइयां भुगत रहे हैं उनके प्रति सरकार समान रूप से चिंतित है। किन्तु मैं यह कहूंगा कि आतंकवादियों से निपटने में कोई भी ढीलापन और नरमी नहीं बरती जाएगी...

प्रो० सैफुद्दीन सोज : निर्दोष लोग इसकी सजा क्यों भुगतें ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो० सोज, क्या आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी बोल रहा हूं, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : भारतीय जनता पार्टी हम पर धौंस जमा रही है। हम भारतीय जनता पार्टी को अपने ऊपर धौंस नहीं जमाने देंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप तो अध्यक्ष नहीं हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी, कृपया बैठ जाइए। अब, गृह मन्त्री जी।

(व्यवधान)

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : हम भी उन लोगों को गिरफ्तार करने, पकड़ने के लिए समान रूप से गम्भीर हैं जिन्होंने कश्मीर की शांति और अमन-चैन नष्ट कर दिया है। मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि पिछले सप्ताह, कुछ सफलता प्राप्त हुई है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : और तेजी से कराएं।

[अनुवाद]

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : इन आतंकवादियों और उग्रवादियों के छिपने की कई जगहों की खोज की गई; और हमने खतरनाक उग्रवादियों को गिरफ्तार करने, पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। (व्यवधान) यहां, उग्रवादियों को सहानुभूति करने वाले मिल जाते हैं। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश है कि आम आदमी को परेशान न किया जाए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : पर उन्हें तंग किया जा रहा है।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : और खोजबीन में महिला पुलिस को भी लगाया गया है। वहां से कोई शिकायत नहीं मिली है। यहां तक कि श्री सोज को भी मालूम होगा कि वहां से कोई शिकायत नहीं मिली है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : कृपया मुझे अनुमति दें, मैं उन्हें बताऊंगा।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : किन्तु यह स्थिति की मजबूरी है—हमें कर्फ्यू लगाना पड़ा, क्योंकि जब आप कर्फ्यू में ढील देते हैं तो उग्रवादियों को अपने स्थानों से भागने में आसानी होती है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : किन्तु क्या आप सारी जनसंख्या को, निर्दोष, कमजोर और वृद्ध लोगों को बंधक बनाकर रखेंगे?

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी मंशा यह नहीं है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : परन्तु आप यह कर रहे हैं।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : जब यहां श्री सोज ने कर्फ्यू लगाने की बात कही तो मैंने राज्यपाल से बात की। मैं समझता हूं कि आज कर्फ्यू में ढील दी गई है। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद शफी : गवर्नर की बात कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

वह हिन्दू परिषद् का आदमी है। बजरंग दल से है। वह बी० जे० पी० से है।

شری محمد شفیع! گورنر کی بات کر رہے ہیں (مداخلت) وہ ہندو پریشد کا آدمی ہے۔
بجرنگ دل سے ہے، وہ بی جے پی سے ہے۔

श्री मदन लाल खुराना : जिस समय वह कांग्रेस में था, वह ठीक था?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री खुराना, कृपया बैठ जाइए। माननीय मन्त्री जवाब दे रहे हैं। श्री सोज, कृपया बैठ जाइए। श्री पाठक, कृपया बैठ जाइए।

(**व्यवधान**)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आप हम पर धौंस नहीं जमा सकते। (**व्यवधान**)

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मैं सदन के माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं... (**व्यवधान**)

सरकार कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए बहुत उत्सुक है। जहां तक कर्फ्यू का सवाल है, आज इसमें छूट दी गई है; कल भी इसमें छूट दी जाएगी। धीरे-धीरे इसे उठा लिया जाएगा। (**व्यवधान**) कश्मीर की जनता भी चाहती है कि शांति को नष्ट करने के जिम्मेवार लोगों के साथ सख्ती से पेश

आया जाए। (**व्यवधान**) कश्मीर की जनता पूछती रहती है : आप उग्रवादियों को पकड़ने में कैसे सफल होंगे ? जब तक आप उग्रवादियों पर काबू नहीं पा लेते, वहां शांति स्थापित नहीं हो सकती। अतः, इस मामले में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। (**व्यवधान**)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : किन्तु क्या आपको कमजोर और वृद्ध व्यक्तियों को बंधक बना कर रखना चाहिए ?

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : यह राज्य सरकार के ऊपर है···(**व्यवधान**) सरकार की ओर से कोई दबाव नहीं हो सकता। वे लोग जिन पर कश्मीर में स्थिति को संभालने का उत्तरदायित्व है। जम्मू और कश्मीर में शासन कार्य जिनके हाथों में है, वे ही स्थिति का उचित आकलन कर सकते हैं। मैंने राज्यपाल को यह पूरी तरह स्पष्ट कह दिया था कि कश्मीर की जनता को सामान्यतः कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कर्फ्यू में ढील दी जानी चाहिए; और मैं आशा करता हूं कि वहां शांति और व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री वसंत साठे।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री साठे को बुलाया है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : वहां दवाइयां नहीं हैं, जीवन रक्षक औषधियों का वहां अभाव है। (**व्यवधान**) मैं मन्त्री महोदय के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। हम इस सदन से बाहर जा रहे हैं।

12.15 म० प०

[इस समय, प्रो० सैफुद्दीन सोज और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।]

(**व्यवधान**)

श्री वसंत साठे (वर्धा) : मैं आपका और इस सदन का ध्यान उस भ्रांति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसके फैलने का कारण विदेश मन्त्री व स्वयं प्रधानमन्त्री द्वारा एक ऐसे युद्ध के खतरे के बारे में परस्पर-विरोधी वक्तव्यों का दिया जाना है जिसके बारे में सरकार के वरिष्ठ नेताओं ने आशंका व्यक्त की है। यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है जिसके अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय दोनों प्रकार के परिणाम सम्भावित हैं। अतएव, राष्ट्रहित में यह वांछनीय होगा कि सरकार अत्यन्त स्पष्ट रूप में नीति-सम्बन्धी वक्तव्य दे, क्योंकि विदेश मंत्री ने दो बार, एक बार यहां और दूसरी बार 13 अप्रैल को हैनोई जाते समय कलकत्ता में कहा था कि युद्ध का कोई प्रश्न ही नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री ने 10 अप्रैल को कहा था कि लोगों को पहिले से सावधान कर दिया जाना चाहिए। अतः, यह जरूरी है कि हम इस बारे में जानें। अधिकारियों ने कहा था कि प्रधानमंत्री का यह मतलब नहीं था। मैं नहीं समझता यदि सरकारी अधिकारी प्रवक्ता-प्रधानमंत्री की बात की व्याख्या करें। इससे भ्रांति उत्पन्न होती है। इसलिए, मेरे विचार में, यह एक बड़ा ही गम्भीर मामला है। हम सरकार से अपेक्षा करेंगे कि वह एक स्पष्ट नीति-गत वक्तव्य दे और आप इस अत्यन्त गम्भीर मसले पर नियम 193 के अन्तर्गत इस सदन में सम्यक् चर्चा की अनुमति प्रदान करें। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, मैं कल 15-4-1990 को दिल्ली में कश्मीर से आए हुए शरणार्थियों से मिलने गया था। उन लोगों ने स्पष्ट शब्दों में मुझे बताया, जब मैंने उनसे कश्मीर छोड़कर यहां आने का कारण पूछा, कि वहां के स्थानीय मुसलमानों और वहां की स्थानीय पुलिस ने हमें कश्मीर छोड़कर अन्यत्र चले जाने को बाध्य कर दिया, तभी हम वहां से छोड़कर यहां आए हैं। इतना ही नहीं, जब भी कश्मीर में हमारी बोर्डर फोर्सेस के लोग स्थानीय जनता से पानी आदि की मांग करते हैं, तो जो व्यक्ति उन्हें पानी आदि से सहायता कर देता है, उसके दूसरे दिन वहां के स्थानीय मुसलमान या पुलिस उस व्यक्ति को जान से मार देते हैं। वहां की स्थिति बहुत खतरनाक हो गयी है। मेरी मांग है कि कश्मीर के आतंकवादियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए और धारा 370 को अविलम्ब तोड़कर वहां ज्यादा से ज्यादा भारतीय मूल के लोगों को बसाया जाए। (**व्यवधान**)

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको एक कॉलिंग अटेंशन नोटिस भी दिया है कि पिछले हफ्ते दिल्ली के दो थानों में जिस तरह से बम फटे, अनेक लोग घायल हो गए और अभी तीन दिन पहले नार्थ दिल्ली के वजीरपुर इलाके में जिस तरह से टाइम बम फटा, उसी तरह से बम्बई में भी बम फटने के समाचार मिल रहे हैं, पूना से भी बम फटने के समाचार मिल रहे हैं, जितनी दूसरी खबरें मिल रही हैं, उनसे स्पष्ट लगता है... (**व्यवधान**)

अरे, गम्भीर तो आपने 5 साल से किया हुआ है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी, आप चेयर को सम्बोधित करके बोलिए।

श्री मदन लाल खुराना : मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि दिल्ली में पिछले दिनों जिस तरह की बम फटने की घटनाएं हुई हैं, उनकी जिम्मेदारी किसी को अपने ऊपर लेनी चाहिए। मेरी खबर यह है कि पहले गुप्तचर एजेंसी ने बता दिया था और दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट दे दी थी कि इस तरह से आतंकवादी कश्मीर से भी, पंजाब से भी दिल्ली में कुछ स्थानों पर एन्टर कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि उसके बाद भी कोई प्रिकॉशनरी मैजर्स नहीं लिए गए। जब भी ऐसी घटना होती है तो रैड एलर्ट कह दिया जाता है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती है। मेरा निवेदन यह है कि इसके बारे में होम मिनिस्टर साहब अपना बयान दें।

[अनुवाद]

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मैं 1 बजे इस पर एक वक्तव्य दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : महिला सदस्य की बात सुनें।

श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली (मद्रास दक्षिण) : मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहूंगी कि आर० ई० सी०, श्रीनगर, में पढ़ रहे 1,500 छात्रों में से लगभग 40 मेरे राज्य तमिलनाडु के हैं। वे छात्र अब बड़े ही हताश हैं और दयनीय दशा में हैं। स्थिति अत्यन्त गम्भीर है क्योंकि जो महाविद्यालय मार्च में खुल जाता है वह अभी तक नहीं खुला है। कोई सूचना भी नहीं है। माता-पिता व छात्रों के तमाम प्रयासों के बावजूद अभी कुछ भी नहीं है; उन्हें उनकी ओर से कोई सूचना नहीं मिली है। मैं सम्बद्ध अधिकारियों व भारत सरकार से यह बतलाने की प्रार्थना करूंगी कि छात्रों की दुर्दशा के बारे में वे क्या करने जा रहे हैं। मैं यह बात ऐसे चालीस छात्रों की ओर से कह रही हूं जो श्रीनगर में पढ़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह ली, महोदया।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : यह बड़ी गम्भीर स्थिति है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, चार्ल्स महोदय। मैंने श्री सन्तोष मोहन देव का नाम पुकारा है।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री बृज भूषण तिवारी (डुमरियागंज) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप बात कहिए।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : पूर्वोत्तर क्षेत्र रेल-मार्ग से जुड़ा है और एकमात्र यही एक परिवहन साधन है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रेल मंत्रालय पर जब बहस हो रही थी, तब आप इस पर बोल चुके हैं।

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव : मैं अपनी बात पूरी कर लूं। पिछले सात दिनों में यह हुआ कि एक बम-विस्फोट हुआ था।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी आज वक्तव्य देने जा रहे हैं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी कृपया।

श्री सन्तोष मोहन देव : यदि मन्त्री जी इस पर वक्तव्य देने जा रहे हैं तो आपका धन्यवाद।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री बृज भूषण तिवारी : अध्यक्ष महोदय, विश्व बैंक की रिपोर्टों में भारत का जो नक्शा दिखाया गया है, उसमें कश्मीर का हिस्सा नहीं दिखाया गया है। अखबारों में भी ऐसी खबर आई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस पर···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपका हो गया है, आप बैठ जाएं।

श्री सन्तोष कुमार गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कॉलिंग अटेंशन दिया है कि उत्तर प्रदेश के 12,000 डाक्टर हड़ताल पर हैं··· **(व्यवधान)**

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। अब, सभा-पटल पर रखे गए पत्रों को लिया जाएगा। श्री राम विलास पासवान।

(व्यवधान)

[**हिन्दी**]

श्री सन्तोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का काफी भाग ओले से प्रभावित है। प्रदेश सरकार ने ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की जिससे वहां राहत कार्य शुरू हो सकें। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह वहां राहत कार्य शुरू करवाए। **(व्यवधान)**

[**अनुवाद**]

श्री ए० चार्ल्स : मैंने एक 'ध्यानाकर्षण' प्रस्ताव दिया है। **(व्यवधान)** श्रीमन्, एक बहुत खराब समाचार है कि माननीय मन्त्री श्री जार्ज फर्नान्डीज ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि देश के गृह मन्त्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के आतंकवादियों के साथ सम्बन्ध हैं। एक आठ पृष्ठों का नोट है। हम इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में प्रधानमन्त्री की ओर से एक स्पष्ट वक्तव्य चाहते हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाएं।

श्री ए० चार्ल्स : दोनों मन्त्री यहां उपस्थित हैं···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठें। आपने अपनी बात कह ली है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्वाइन्ट उठा चुके हैं। मैं मन्त्री जी को बाध्य नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : इस सदन को अनुमान लगाने होंगे। दोनों ही मन्त्री सदन में उपस्थित हैं। इस सदन की जानकारी में यह लाया गया है कि इस आशय की कोई प्रेस रिपोर्ट है कि श्री फर्नान्डीज ने एक रिपोर्ट अथवा एक आठ पृष्ठीय पत्र में कहा है कि गृह मन्त्री के आतंकवादियों के साथ सम्बन्ध हैं। हम जानना चाहेंगे कि यह सच है अथवा नहीं। स्थिति क्या है ? देश में ऐसा गृह मन्त्री नहीं रखा जा सकता जिसके बारे में स्वयं कश्मीरी मामलों का प्रभारी मन्त्री कहे कि उसके उग्रवादियों से सम्बन्ध हैं। हमें सही स्थिति से अवगत कराया जाए···**(व्यवधान)**

श्री कमल चौधरी (होशियारपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा, कि प्रधानमन्त्री और उनकी सरकार रक्षा-सम्बन्धी भेद खोलने के दोषी नहीं हैं। क्या वे इस देश में युद्धोन्माद फैलाना चाहते हैं ? मैंने सशस्त्र सेनाओं में 21 वर्ष बिताए हैं। हमारी सशस्त्र सेनाएं युद्ध के

लिए सदैव तत्पर हैं। किन्तु हम गली-गली घूमकर देश को यह नहीं बतलाएंगे कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब आपकी बात पूरी हो गयी। श्री भजन लाल।

श्री कमल चौधरी : यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, गुजरात की स्थिति खराब है, आप मुझे बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आ रहा हूं, आप बैठें।

श्री भजन लाल (फरीदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्री जी हाउस में बैठे हैं, इन्होंने अभी एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया और जम्मू कश्मीर की चर्चा उसमें की। आप जानते हैं और सारा देश जानता है कि आज पंजाब के हालात बहुत ही खराब है। पंजाब में अकाली दल (मान ग्रुप) के अध्यक्ष एस० एस० मान ने लगातार चार दिनों से जो बयान दे रहे हैं, यह इतना डैमेजिंग और घातक स्टेटमेंट है। उनका यह कहना कि हम देश के संविधान को नहीं मानते और कहते हैं कि खालिस्तान तो बनकर ही रहेगा आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव, जो देश को तोड़ने वाला है, को मानना पड़ेगा। यह सारी बातें इन्होंने की हैं और कहा है कि अगर पाकिस्तान ने वार यानी हमला भी कर दिया तो हम लोग हिन्दुस्तान का साथ नहीं देंगे। इसलिए मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की है और कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं। असम में भी हालात इतने बदतर हो गए हैं कि वह भी संभालना मुश्किल हो गया है, इस सरकार की कमजोर नीतियों की वजह से। इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार इसमें क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, जैसे पंजाब और कश्मीर है, वैसे ही गुजरात भी एक सरहदी प्रान्त है। पिछले 15 दिनों में गुजरात में जो दंगे हुए हैं उसमें 7 से भी अधिक लोग मारे गए हैं···

अध्यक्ष महोदय : इस पर हाउस में बहस हो चुकी है।

श्री हरिन पाठक : मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। मेरी बात यह है कि गुजरात में इस बार के दंगे में एण्टी नेशनल एलीमेंटस सक्रिय बने। मेहतराने से एक स्टेनगन भी पकड़ी गई, जिसकी कीमत एक लाख रुपया है, अहमदाबाद में से फ्रेंच रिवाल्वर पकड़ी गयी। अहमदाबाद में एक धर्मस्थल से 40 लोग पकड़े गए जिनमें से एक आदमी फ्रीक्वेंटली अरब राष्ट्रों की मुलाकातों में जाता है। मैं सदन को चिन्तित अवस्था में रखना चाहता हूं कि यह कोई मामूली दंगा नहीं है, इसमें

[अनुवाद]

राष्ट्र विरोधी तत्व बहुत सक्रिय हैं।

[हिन्दी]

इसके बारे में गृह मंत्री जी को कल मैंने अहमदाबाद में बताया भी था कि इस पर गौर करें,

मोर्चे और इसको मामूली कोमी दंगा न समझा जाए। देश की बर्बादी करने वाले तत्व इसमें शामिल हैं, इसमें कड़ी कार्यवाही करके उनको ढूंढ निकाला जाए।

[हिन्दी]

श्री तुलसीमुद्दीन (पूर्णिया) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में पूर्णिया रेलवे स्टेशन के बगल में खक्सीबाग गुमटी, जो एन० एच० 31 की गुमटी है, वहां चार-चार घण्टे ट्रेन रुकती है। 14 तारीख को एक महिला श्रीमती रामा देवी जो गर्भवती थी, चार घण्टे गाड़ी रुकने के कारण उनकी मृत्यु हो गयी वे अस्पताल भी नहीं जा सकीं। मैंने इस स्थिति को देखा है। मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां ओवर ब्रिज बनाकर मृतक के परिवार को मुआवजा देने की कृपा करें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम० जे० अकबर (किशनगंज) : गृह मंत्री ने कश्मीर में कर्फ्यू के सम्बन्ध में भावपूर्ण ढंग से बचाव पक्ष प्रस्तुत किया है…

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इस पर हो गया है, आप बार-बार क्यों कह रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री एम० जे० अकबर : असम की जनता ने क्या अपराध किया है कि वे यू० एल० एफ० ए० के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर रहे हैं? गृह मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि यू० एल० एफ० ए० पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाएगा। वह यू० एल० एफ० ए० को क्यों चरित्र-प्रमाणपत्र दे रहे हैं जबकि पूरे असम में पूर्ण रूप से आतंक फैला हुआ है? मैं पुनः आपका ध्यान…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कोई नया मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। आप क्यों सभा का समय नष्ट कर रहे हैं?

श्री एम० जे० अकबर : असंख्य हत्याओं के बावजूद यू० एल० एफ० ए० के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया जा रहा है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

श्रम मंत्रालय की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

[हिन्दी]

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्रम मंत्रालय की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी०-662/90]

सोसाइटी फार प्रोमोशन आफ वेस्टलेण्ड्स डिवेलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : मैं श्रीमती मेनका गांधी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) सोसाइटी फार प्रोमोशन आफ वेस्टलेण्ड्स डिवेलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसाइटी फार प्रोमोशन आफ वेस्टलेण्ड्स डिवेलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-663/90]

भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ के वर्ष 1986-87 और 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा आदि

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-664/90]

(3) (एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 1986-87 और 1987-88

के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-665/90]

(5) (एक) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-666/90]

(7) (एक) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-677/90]

(8) (एक) राष्ट्रीय औद्योगिक इन्जीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय औद्योगिक इन्जीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय औद्योगिक इन्जीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 668/90]

(10) (एक) शिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (पश्चिम क्षेत्र), बम्बई के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (पश्चिम क्षेत्र), बम्बई के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 669/90]

12.31 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न सदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

"मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है जांच आयोग (संशोधन) विधेयक, 1990 जो 29 मार्च, 1990 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा पारित किया गया राज्य सभा द्वारा 10 अप्रेल, 1990 को निम्नलिखित संशोधनों से पारित किया गया है :—

खंड-2

खंड 2 **के स्थान पर**, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"2. जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 में,

1952 के अधिनियम सं० 60 की धारा 3 में संशोधन :

(क) उपधारा (1) और उपधारा (4) में आने वाले "लोक सभा या, यथास्थिति, राज्य की विधान सभा" तथा "यथास्थिति, लोक सभा या राज्य सभा" शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति, संसद या राज्य के विधान मंडल के प्रत्येक सदन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (5) और उपधारा (6) का लोप किया जाएगा;"।

अतः राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 128 के उपबन्धों के अनुसरण में मैं इस अनुरोध के साथ उक्त विधेयक वापस लौटाता हूं कि उक्त संशोधन पर लोक सभा की स्वीकृति की सूचना इस सभा को दी जाए।

जांच आयोग (संशोधन) विधेयक, 1990

राज्य सभा द्वारा यथा संशोधित

महासचिव : महोदय, मैं जांच आयोग (संशोधन) विधेयक, 1990 सभा पटल पर रखता हूं जिसे राज्य सभा द्वारा संशोधन करके लौटा दिया गया है।

———

12.34 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अलीपुरद्वार डिवीजन में 12 अप्रैल, 1990 को 5718 दुआर्स एक्सप्रेस और 13 अप्रैल, 1990 को 5609 अवध असम एक्सप्रेस में बम विस्फोटों की घटना तथा 16 अप्रैल, 1990 को 383 अप मोकामा-दानापुर यात्री रेलगाड़ी में आग लगने की घटना

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : मुझे बड़े ही दुख: के साथ सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि एक ही रात में बम विस्फोटों के कारण दो दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाएं हो गयीं; पहली गाड़ी नं० 5718 दुआर्स एक्सप्रेस की तथा दूसरी गाड़ी नं० 5609 अवध-असम एक्सप्रेस की, जो बहुत ही गम्भीर थी। ये दोनों दुर्घटनाएं पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के अलीपुरद्वार मंडल में हुई।

पहली दुर्घटना 12-4-90 को 21.30 बजे उस समय हुई जब 5718 गुवाहाटी-कटिहार दुआर्स एक्सप्रेस गुवाहाटी-न्यू बोंगाईगांव मीटर लाइन खण्ड पर बिजनी और चापरकाटा के बीच चल रही थी तब चलती गाड़ी के नीचे बम विस्फोट हो गया जिसके परिणामस्वरूप कि०मी० 134/11 (मीटर लाइन) पर गाड़ी के इन्जन से छठे स्थान पर लगा सवारी डिब्बा पटरी से उतर गया। इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप एक यात्री की मृत्यु हो गयी तथा 10 यात्रियों को चोटें आयीं जिनमें से 5 को गम्भीर चोटें आयीं।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही न्यू बोंगाईगांव से चिकित्सा यान तुरन्त दुर्घटना स्थल को रवाना हो गया जो मण्डल अधिकारियों तथा चिकित्सा दल के साथ 23.30 बजे वहां पहुंच गया। घायलों को उपचार के लिए न्यू बोंगाईगांव के रेलवे अस्पताल में ले जाया गया।

कुछ ही घण्टों के बाद 13-4-90 को 02.50 बजे एक दूसरी बहुत ही गम्भीर दुर्घटना उस समय हुई जब न्यू बोंगाईगांव-न्यू जलपाईगुड़ी बड़ी लाइन के इकहरी लाइन वाले खण्ड पर कोकराझार तथा फकीरग्राम स्टेशनों के बीच कि० मी० 216/03 (बड़ी लाइन) पर गाड़ी नं० 5609 अवध-असम एक्सप्रेस के नीचे बम विस्फोट हो गया जिसके परिणामस्वरूप गाड़ी के इन्जन से तीसरे से दसवें स्थान पर लगे 8 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए जिनमें से गाड़ी के इन्जन से चौथे से नौवें स्थान पर लगे 6 सवारी डिब्बे उलट गए। इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप, 13 यात्रियों की जानें गयीं तथा 65 यात्रियों को चोटें आईं, जिनमें से 21 यात्रियों को गम्भीर चोटें आईं।

इस दुर्घटना के बारे में सूचना मिलते ही अलीपुरद्वार, न्यू बोंगाईगांव और गुवाहाटी से चिकित्सा सहायता यान के साथ मण्डल के अधिकारी और चिकित्सा दल दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। मण्डल रेल प्रबन्धक, अलीपुरद्वार और मण्डल के कुछ अधिकारी, जो पहले दुर्घटना स्थल पर गए हुए थे, वापस आए और 05.20 बजे फकीराग्राम के निकट हुई दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। स्थानीय सिविल तथा पुलिस के अधिकारी भी दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए।

घायल यात्रियों को रेलवे चिकित्सा यान द्वारा अलीपुरद्वार के रेलवे अस्पताल में ले जाया गया। उनमें से कुछ घायलों को बाद में हासीमारा स्थित वायु सेना के अस्पताल में भेज दिया गया।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के महाप्रबन्धक, जो कलकत्ता में थे, सहायता कार्य से सम्बन्धित प्रबन्धों की देख-रेख करने के लिए तुरन्त दुर्घटना स्थल को रवाना हो गए।

अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड भी दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गए।

मुझे इस दुर्घटना की खबर कश्मीर में मिली, यद्यपि मैं दुर्घटना स्थल को रवाना हो गया था किन्तु पूर्वोत्तर क्षेत्र में मौसम खराब होने के कारण मुझे रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा। कल, मैं हवाई जहाज से हासीमारा गया और हासीमारा तथा अलीपुरद्वार के अस्पतालों में घायलों को देखा। इसके पश्चात् असम के मुख्य मन्त्री तथा राज्य के गृहमन्त्री की अनुपस्थिति में मैंने राज्य के राजस्व मन्त्री, राज्य विधि मन्त्री, राज्य योजना मन्त्री तथा मुख्य सचिव तथा गृह सचिव और महानिदेशक पुलिस सहित राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ गाड़ियों के चालन में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में विचार-विमर्श किया।

इन दो दुर्घटनाओं का गम्भीर पहलू यह है कि ये दोनों दुर्घटनाएं पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के बड़ी लाइन और मीटर लाइन के खण्डों के मुख्य मार्गो पर हुईं जिन पर समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र को खाद्यान्नों, नमक, सीमेंट, उर्वरकों, पेट्रोलियम पदार्थों आदि जैसी अनिवार्य पण्यों की ढुलाई निर्भर करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह समूचे क्षेत्र को अस्त-व्यस्त करने की एक सुनियोजित योजना थी जिसका इस बात से पता चलता है कि उसी रात राष्ट्रीय राजमार्ग पर मानस नदी पर बने महत्वपूर्ण सड़क पुल, जो बिजनी के निकट हुई दुर्घटना के स्थल से अधिक दूर नहीं है, को भी उड़ा दिया गया ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र का सड़क सचार अस्त-व्यस्त हो जाए। वास्तव में स्थिति बहुत ही गम्भीर है।

इन दो दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप रेलपथ की गश्त, जो बलों को अन्यत्र तैनात किए जाने के कारण 7 अप्रैल से बन्द कर दी गयी थी, श्रीरामपुर, असम और पातिकादह के बीच गड़बड़ी वाले क्षेत्र में राज्य सरकार के समन्वय से पुनः शुरू कर दी गयी है। अब रेलपथ की गश्त रेल कर्मचारियों और असम राइफल्स के सशस्त्र कर्मियों द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। अचानक जांच करने और सामान्य अधीक्षण के लिए पुलिस कर्मियों को ले जाने की सुविधा प्रदान करने के लिए सामरिक स्थलों पर रेलवे मोटर ट्रालियों की व्यवस्था की गयी है। बड़ी लाइन और मीटर लाइन के संवेदनशील खण्डों पर प्रतिदिन तड़के में पुलिस मार्गरक्षियों सहित पायलट इन्जन चलाया जाएगा। फिलहाल गड़बड़ी वाले क्षेत्र में यात्री गाड़ियां दिन के समय में ही चलायी जा रही हैं। सामान्य गाड़ी सेवाओं को पुनः बहाल करने के लिए रेलवे के प्रतिष्ठानों की गश्त को सुदृढ़ करने के लिए मैंने गृह सचिव को असम में अतिरिक्त बल तैनात करने के लिए कहा है।

मैं उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लोगों से पुरजोर अपील करता हूं कि वे उन गुमराह तत्वों को अलग-थलग

करने में सरकार की सहायता करें, जो आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा इस क्षेत्र में जन-जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए उतारू हैं। मैं अपनी ओर से सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बुराई से लड़ने तथा इस क्षेत्र में सामान्य स्थिति अविलम्ब बहाल करने के लिए हम कृत संकल्प हैं।

इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों के प्रति सभी रेल कर्मचारी तथा मैं हार्दिक संवेदना तथा घायलों के प्रति सच्ची सहानुभूति प्रकट करते हैं।

मुझे विश्वास है कि सदन शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करने और इन जघन्य कृत्यों, जिनके परिणामस्वरूप बेकसूर लोगों की मृत्यु हुई और चोटें आईं, की भर्त्सना करने में मेरे साथ है।

महोदय, जब मैं सदन की ओर आ रहा था तो मुझे पूर्वी रेलवे के सहायक महाप्रबन्धक से यह सूचना प्राप्त हुई कि आज 9.45 अर्थात् सुबह 9.45 पर 383 मोकामेह-दानापुर यात्री गाड़ी में गुलजारबाग के समीप एक डिब्बे में आग लग गई। रेलवे फाटक पर तैनात के चौकीदार ने एक डिब्बे में धुंआ देखा और स्टेशन को सूचित किया जब खतरे का सिगनल देकर रेलगाड़ी को रोक दिया गया। दमकल बुलाने के लिए तेजी से कार्यवाही की गई। किन्तु उस समय तक 30 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। सही संख्या अभी मालूम नहीं हुई है। मैं अतिरिक्त जानकारी की प्रतीक्षा कर रहा हूं।

12.40 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बंगलौर-मैसूर मीटरगेज रेल लाइन का निर्माण शीघ्र पूरा किए जाने के लिए अधिक धनराशि आबंटित किए जाने की मांग

श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर (मैसूर) : कर्नाटक की जनता बंगलौर-मैसूर मीटरगेज लाइन का निर्माण कार्य पूरा होने में अत्याधिक विलम्ब के कारण अत्यन्त उत्तेजित है। यह परियोजना 1979 में आरम्भ की गई थी और 26.02 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के मुकाबले 1983 के अन्त तक केवल 6.38 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 1985-86 के दौरान केवल 50 लाख रुपए की राशि उपलब्ध की गई है और निरन्तर निवेदन करने के पश्चात् इसमें 1.59 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई। वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 में भी बहुत कम राशि आबंटित की गई है इस रफ्तार से तो इस परियोजना के पूरा होने में अनेक वर्ष लग जाएंगे।

इस लाइन को बदलने का काम पूरा होने पर इस रास्ते से यात्रियों की संख्या में वृद्धि होगी। रेलवे को इस लाइन से अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। पर्यटकों की संख्या भी कई गुना बढ़ जाएगी। कर्नाटक सरकार हर वर्ष इस काम के लिए राशि आबंटन में वृद्धि का निवेदन करती रही है।

अतः मैं बंगलौर-मैसूर परियोजना के लिए 1990-91 के वित्तीय वर्ष में आबंटन की वृद्धि की मांग कर रहा हूं ताकि परियोजना शीघ्र पूरी हो जाए।

(दो) हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन, रेणुकूट (उत्तर प्रदेश) द्वारा कोयले की सप्लाई केवल रेल द्वारा मंगाई जाना सुनिश्चित किए जाने तथा पूर्व में ऐसा न किए जाने पर रेलवे को हुए नुकसान की राशि हिन्डालको से वसूल किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री हरि केवल प्रसाद (सलेमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन सदन का ध्यान इस महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं।

हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन हिन्डालको रेनुकूट (उत्तर प्रदेश) को कोल इण्डिया कलकत्ता द्वारा नार्थ करनपुरा फील्ड (हजारी बाग) द्वारा कोयले की सप्लाई का आदेश है तथा यह शर्त रखी गई है कि रेल द्वारा ही कोयला मंगाया जाए। हिन्डालको को प्रति दिन दस हजार टन कोयले की जरूरत पड़ती है जिसे रेल द्वारा मंगाने पर 250 रुपए प्रति टन अतिरिक्त अधिभार देने पड़ते हैं। इस प्रकार 25 लाख रुपए की बचत के लिए हिन्डालको रेनुसागर पावर कम्पनी से ट्रकों द्वारा कोयला मंगाकर भारतीय रेल को लगभग दस लाख रुपए प्रति दिन की क्षति पहुंचा रहा है। इस सम्बन्ध में माननीय रेल मन्त्री व प्रधान मन्त्री को मैंने 12 फरवरी 90 को पत्र लिखकर अवगत कराया था। अभी भी ऐसी सूचना है कि अवैध रूप से कोयले की ढुलाई हिन्डालको द्वारा आज भी जारी है।

अस्तु रेल मन्त्री जी से निवेदन है कि अवैध ढुलाई को रोका जाए और जो रेल को घाटा हुआ है, हिन्डालको से वसूल किया जाए।

(तीन) पश्चिम बंगाल में रानाघाट और लालगोला के बीच रेल लाइन को दोहरा किए जाने की मांग

[अनुवाद]

डा० असीम बाला (नवद्वीप) : रानाघाट-लालगोला रेल लाइन स्यालदाह-लालगोला बड़ी रेल लाइन का एक सैक्शन है। रानाघाट से लालगोला तक 160 किलोमीटर से अधिक की दूरी इसके अन्तर्गत आती है। यह रेल लाइन घनी आबादी वाले क्षेत्र से गुजरती है और लाखों दैनिक यात्रियों की आवश्यकता पूरी करती है। इसके अतिरिक्त इस लाइन पर अधिक रेल यातायात होने के कारण कार्यालय जाने वालों को अत्यन्त कठिनाई होती है। नाडिया और मुर्शिदाबाद, क्रमशः कृशनगर और बहरामपुर के जिला मुख्यालय हैं। इनकी बहुत ही ऐतिहासिक महत्ता है और ये सांस्कृतिक धरोहर हैं।

मैं रेल मन्त्री से प्रार्थना करूंगा कि वे शीघ्रता से रानाघाट और लालगोला सेक्शन पर रेल लाइन को दोहरा करवाएं।

(चार) ठाणे-बेलापुर क्षेत्र में स्टैंडर्ड अल्काली फैक्टरी में क्लोरीन गैस के रिसाव जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोके जाने के लिए कदम उठाए जाने की मांग

श्री विद्याधर गोखले (बम्बई उत्तर मध्य) ; 3 अप्रैल 1990 को लगभग 8.00 बजे म० प०

'स्टैंडर्ड एल्कली' कारखाने (थाने-बेलापुर मार्ग पर) में खतरनाक क्लोरीन गैस रिसने लगी। इससे सैंकड़ों व्यक्तियों का दम घुटने लगा और उल्टियां आने लगी।

25 मार्च 1990 को ये क्लोरीन गैस के सिलेन्डर तथाकथित **'डिसास्टर प्रीवेन्शन प्लान'** के विशेषज्ञों द्वारा सही बताए गए थे। 'नोसिल' और 'स्टैंडर्ड एल्कली' इत्यादि के शीर्ष अधिकारियों से बनी समिति द्वारा तैयार की गई यह योजना अनुपयोगी सिद्ध हुई है। इस गैस रिसाव के परिणाम-स्वरूप अनेक लोगों को अस्पताल ले जाना पड़ा। यह भी ध्यान रहे कि गत 21 अक्तूबर को उपरोक्त कंपनी के आठ कर्मचारी सल्फ्यूरिक एसिड के रिसाव से घायल हो गए थे।

अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

(पांच) यह सुनिश्चित किए जाने की मांग कि "झुडपी जंगल" सम्बन्धी वन कानून नागपुर शहर में गन्दी बस्ती क्षेत्रों का सुधार किए जाने में बाधक न बन सके

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : महोदय, नागपुर शहर की गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों में अत्यधिक असन्तोष है क्योंकि भारत सरकार के वन विभाग के निर्देशों के कारण गन्दी बस्तियों के सुधार की योजनाएं लागू नहीं की जा रही हैं। मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि अकेले नागपुर में ही लगभग 6 लाख लोग गन्दी बस्तियों में रहते हैं। वे वहां पिछले 25-30 वर्षों से रह रहे हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गन्दी बस्ती सुधार योजनाएं पहले से ही लागू की जा चुकी हैं। संशोधित योजना के अनुसार यह उचित समय है कि इन लोगों की सहायता के लिए ऊंचे स्तर की योजनाएं शुरू की जाएं परन्तु "झुडपी जंगल" सम्बन्धी कानून इसके रास्ते में रुकावट बन रहा है। नागपुर नगर निगम की सीमा में जहां हजारों छोटे-छोटे आवास हैं और एक भी वृक्ष नहीं है, उन्हें भी 'झुडपी जंगल' कहा जा रहा है।

मैं गम्भीरता से पर्यावरण और वन मन्त्री से निवेदन करता हूं कि वह इन गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास में आने वाली इस मुख्य बाधा को दूर करने के लिए उच्च स्तरीय दल वहां भेजें। नागपुर नगर निगम के अन्तर्गत आने वाली भूमि "झुडपी जंगल" से मुक्त घोषित की जाए।

(छः) मराठवाड़ा, महाराष्ट्र में विभिन्न रेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ऋण-पत्र जारी किए जाने की मांग

डा० वेंकटेश काबडे (नान्देड़) : महोदय, मैं माननीय रेल मन्त्री द्वारा बम्बई में की गई इस घोषणा का स्वागत करता हूं कि महाराष्ट्र में रेलवे परियोजनाओं को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को ऋण-पत्र जारी करने की अनुमति दी गई है। मराठवाड़ा महाराष्ट्र का बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मानवाड-औरंगाबाद-मुदखेड-आदिलाबाद को दोहरी लाइन में बदलने का स्वीकृत कार्यक्रम पूरा नहीं हो पाया है। यद्यपि यह कार्य 1977 में आरम्भ किया गया था। मराठवाड़ा में निम्नलिखित अतिरिक्त रेल परियोजनाओं की मांग रही है और इनके लिए आन्दोलन हुए हैं—

(1) लातूर-कुरडुवाड़ी-मिराज छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना।

(2) लाटूर-लटूरे रोड नई बड़ी लाइन बिछाना ।

(3) पारली-बीड-अहमदनगर बड़ी रेलवे लाइन बिछाना ।

जब तक उपरोक्त रेल लाइनें नहीं बिछाई जाएगी मराठवाड़ा का औद्योगिक व अन्य विकास सम्भव नहीं हो पाएगा । अतः यह निवेदन है कि न केवल रेल मन्त्री द्वारा प्रस्तावित मानमाड़-आदिलाबाद रेल लाइन बल्कि उपरोक्त सभी रेल लाइनों के लिए ऋण-पत्र जारी किए जाएं ।

[हिन्दी]

(सात) हिमाचल प्रदेश में कार्यरत केंद्रीय सरकार तथा सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को पहाड़ी पूरक भत्ता दिए जाने की मांग

प्रो० प्रेम कुमार धूमाल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार एवं केन्द्र सरकार के लोक उपक्रमों के हिमाचल प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों को राज्य सरकार के पैटर्न पर आधारित पहाड़ी पूरक भत्ता (हिल कम्पेंसेट्री एलाउन्स—एच० सी० ए०) न दिए जाने से इन कर्मचारियों में तीव्र रोष की भावना भरती जा रही है । जबकि कुछ अन्य राज्यों जैसे सिक्कम में एच० सी० ए० एवं राजस्थान में बार्डर अलाउंस इन केन्द्र सरकार और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को वहां के आधार पर दिया जा रहा है ।

इस सम्बन्ध में हिमाचल में कार्यरत इन कर्मचारियों के कई संगठनों ने कई प्रकार से सभाएं कर के एवं अन्य उपायों से अपना क्षोभ व्यक्त करते हुए कहा है कि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण उनको अपने परिवार के भरण-पोषण पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है । आम तौर पर अब तक यह होता रहा है कि प्रदेश सरकार के कर्मचारी केन्द्र सरकार के पैटर्न पर वेतन एवं भत्तों की मांग करते रहते हैं, किन्तु दुर्भाग्य का विषय है कि ये कर्मचारी हिमाचल राज्य के पैटर्न पर भत्ता दिए जाने का कई वर्षों से अनुरोध कर रहे हैं ।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए, मेरी सरकार से मांग है कि हिमाचल प्रदेश में कार्यरत सभी केन्द्रीय एवं केन्द्र के पब्लिक अण्डरटेकिंग्स में कार्यरत कर्मचारियों को हिमाचल सरकार के पैटर्न के आधार पर एच० सी० ए० तुरन्त प्रदान किया जाए, ताकि इनसे व्याप्त रोष दूर हो सके ।

——

12.50 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1990-91

उद्योग मन्त्रालय—जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : *अब हम उद्योग मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा आरम्भ करते हैं ।*

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : महोदय, उद्योग मन्त्री 4 बजे उत्तर देंगे और उसके शीघ्र बाद हम मतदान करवा सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे पास 1 बजे से 4.30 बजे म० प० तक का समय है।

श्री पी० उपेन्द्र : माननीय मन्त्री महोदय 4.30 म० प० पर उत्तर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, अब श्री एम० अरुणाचलम बोलेंगे।

श्री एम० अरुणाचयम (टेंकासी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्रिपरिषद् के भूतपूर्व सदस्य के रूप में अपनी बात आरम्भ करना चाहता हूं। मैं उद्योग मन्त्री था और मैंने श्री अजित सिंह को उनके कार्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्हें पिछली सरकार से विरासत में बहुत सुदृढ़ आधार मिला है। प्रश्न यह है कि क्या वह इस आधार पर विकास कार्यों को मूर्तरूप दे पाएंगे ? पिछले चार महीने में उन्होंने जो कुछ थोड़ा बहुत कार्य किया है उस पर कुछ टिप्पणी करने से पहले मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं।

जैसाकि 1989-90 के वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन में सहमति व्यक्त की गई है कि योजना के पहले चार वर्षों में औद्योगिक विकास योजना लक्ष्य से बढ़ा है। 1989-90 के पहले चार महीनों में मंदी के कुछ संकेत थे। जैसाकि बाद में जुलाई से नवम्बर के सूचकांक से पता चलता है कि अधिक विकास के लिए हमारे प्रयास सफल हुए। हमने वर्ष 2000 की निर्माण अवस्था का अनुमान लगा लिया है। यह गुणात्मक रूप से आज की तुलना में बहुत भिन्न होगी। हमारे नेता श्री राजीव गांधी ने हमें तीव्र विकास के लिए नए प्रयासों द्वारा पुनः व्यवस्था करने और नए साधन जुटाने का निर्देश दिया है।

हमने उसको अपने ध्यान में रखा है। यह सब हमारी उपलब्धि है। परन्तु इस नई सरकार ने पिछले चार महीनों में क्या किया है ? मैंने अत्यधिक सद्भावना के साथ नई सरकार की नीति जानने का प्रयास किया है।

मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि मेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ मिला।

काफी शोर शराबा किया गया है परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। तमिल में एक कहावत है कि 'अधभरी गगरी छलकत जाए'। मुझे केवल वही कहावत याद आ रही है। मैं नई सरकार के द्वारा प्रायः दोहराने वाले दावों को पेश करता हूं। हम विलम्बित सिद्धान्त को अस्वीकार करते हैं; हमारा ऐसा सिद्धान्त कभी नहीं था। मैं नहीं जानता कि इसमें अस्वीकार करने योग्य क्या है। हम अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अब तक योजना आयोग का पुनर्गठन 10, 12 अथवा 20 सदस्यों को मिलाकर किया है, महोदय, यह क्या है ? तीन सदस्य उद्योग को देखते हैं और एक दूसरे से लडाई झगड़ा करते हैं कि कौन-सा सदस्य उद्योग के किस भाग को देखे। जहां तक मेरी जानकारी है यही अब तक का तथाकथित पुनर्गठन है जो किया गया है। बेचारे मंत्री महोदय की सहायता के लिए कोई नहीं है। उप-प्रधानमत्री सोचते थे कि वे अधिक व्यस्त थे और पार्टी की बैठक का कार्यवाही सारांश तैयार करने में उनकी सहायता के लिए दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता थी। यह हमारी चिन्ता का विषय नहीं है। परन्तु प्रधान मंत्री महोदय उन्हें कुछ सहायता देना आवश्यक नहीं समझते हैं। इसका परिणाम निर्णय और समन्वय का नितान्त अभाव रहा है। मंत्रालय में अव्यवस्था व्याप्त है। मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करता हूं। काफी शोर मचाकर यह घोषित किया गया था "कि सरकार लघु उद्योगों पर अधिक जोर दे रही है।" एक नया विभाग बनाया गया है। एक सचिव के पद का सृजन किया गया है। महोदय, यदि मैं ऐसा कहूं कि यह सब धोखेबाजी है तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। जहां तक मेरी जानकारी है कि पिछले सप्ताह तक कोई विभाग नहीं बनाया गया

है। इस मामले पर अभी बहस की जानी है। एक अधिकारी ने सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। यही हुआ है। इसके विपरीत इस सरकार के सत्ता में आने के चार महीने बाद तक भी लघु उद्योग क्षेत्र के लिए विकास आयुक्त का पद खाली पड़ा है। मेरी सूचना यह है कि लघु उद्योग क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हो रहा है। महोदय, मुझे सन्देह है कि माननीय मंत्री पार्टी के कार्यों में व्यस्त होने के कारण इस विषय में पूर्ण रूप से अनभिज्ञ हैं।

महोदय, वे कहते है कि वे रोजगारोन्मुख योजना बना रहे हैं। और खादी एवं ग्रामीण उद्योगों पर जोर देते हैं। मुझे कुछ वर्ष पूर्व खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग अधिनियम से सम्बन्धित एक संशोधन विधेयक पेश करने का अवसर मिला था। गत वर्ष योजना आवंटन 125 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 175 करोड़ रुपए कर दिया गया था जोकि 40 प्रतिशत की वृद्धि थी। हमने सूची में 70-80 नए उद्योगों को शामिल किया था। हमने कहा था कि सदस्यों को खादी एवं ग्रामीण उद्योगों के क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए और उसका कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए तथा उन्हें दलगत राजनीति से दूर रहना चाहिए। उन्होंने क्या किया है? जैसे उन्होने राज्यपालों को हटा दिया है उसी प्रकार आयोग के सदस्यों को भी हटा दिया है और उन नए सदस्यों को नियुक्त किया है जो कुल मिलाकर इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं रखते हैं! क्या यह कार्य युक्तिसंगत है? क्या यह सरकार देश के दीर्घकालिक विकास कार्यक्रम को इसी प्रकार चलाएगी? कृपया देखिए कि इस वर्ष इस क्षेत्र में कितनी मामूली प्रगति हुई है। क्या यही रोजगार पर अधिक ध्यान देना है?

महोदय, जनता की स्मरण शक्ति बहुत कमजोर है। परन्तु कुछ को शायद याद हो कि चुनाव से पूर्व जनता दल ने कहा था कि यदि वे सत्ता में आए तो नमक की कीमत कम करेंगे। ठीक है, महोदय, मैंने व्यक्तिगत रूप से आदेश दिए थे कि आयोडीनयुक्त नमक 1.50 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन्होने केवल मेरे निर्णय को ही नहीं बल्कि अपने दल के वायदे को कार्यान्वित करने के लिए क्या किया है? महोदय, क्या शब्द है? 'कपटी' यदि यह शब्द संसदीय है तो मैं इस बारे में यही कह सकता हूं।

मैंने चार महीनों में कोई बड़ी नीति अथवा निर्णय की घोषणा नहीं सुनी है। युक्तिसंगत नीति तैयार नही की गई है। मैं 'गतिशील' शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि यह सरकार उस विशेषण से काफी दूर है ग्रामीण उद्योग हो, लघु उद्योग हो अथवा बड़े पैमाने का उद्योग हो, उन पर कोई विचार नहीं होता है। हमने जो कुज शिलान्यास किए थे, मुझे उनपर निर्माण कार्य का कोई प्रयास नजर नहीं आता है।

महोदय, मैं कोई द्वेष भावना से नही कहता हूं। मैं स्वयं को हताश अनुभव करता हूं। मुझे ऐसा कहते दुख होता है परन्तु मैंने अब तक जो कुछ देखा है उससे महसूस होता है कि यह मान लिया गया है कि हमारी जनता सरकार के सभी कार्यों को अपनी सहमति दे देगी।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं नए विकास केन्द्र स्थापित किए जाने का उल्लेख अवश्य करूंगा। प्रशासकीय प्रतिवेदन में कहा गया है कि मामले की समीक्षा की गयी है। पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करने के लिए यह हमारी योजना का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार इसकी समीक्षा में कितना समय लगाएगी? मैं नहीं जानता। सरकार कहती है कि वह पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करेंगे और लघु उद्योगों के लिए प्रोत्साहन योजना लागू करेंगे। सरकार इस कार्य को कब करने जा रही है? ये पांच वर्ष के पश्चात् वहां नहीं होंगे। यदि मैं गलती पर नहीं हूं, इसी बीच सरकार ने

पिछड़े क्षेत्रों के लिए आयकर राहत को समाप्त कर दिया है। यदि मन्त्री महोदय को इसकी जानकारी है कि क्या हो रहा है तो मैं आश्चर्य में हूं अथवा उनके बारे में भी उनके साथी, वित्त मंत्री यह मानकर चल रहे हैं कि वे तो इस बात को स्वीकार कर ही लेंगे ?

जैसाकि आप अच्छी प्रकार जानते हैं, देश की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह औद्योगिक विकास की गति का निर्धारक होगा। इससे बहुत अधिक संसाधन पैदा करने की आशा की जाती है। क्या उद्योग मंत्री महोदय का गैर सरकारी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने की नीतियों के बारे में प्राप्त अमरीकी अनुभव के आधार पर सरकारी क्षेत्र की भूमिका को समाप्त करने का विचार है ? औद्योगिक उत्पादन में तीव्र वृद्धि करने के लिए उद्योग मंत्रालय क्या कर रहा है ? इसमें कोई शक नहीं कि उद्योग मंत्री व्यस्त हैं। इसमें मुझे नीलगिरि पहाड़ियों की जनजातियों का एक किस्सा याद आ जाता है। वहां जब वर्षा नहीं होती तो जनजातियों का मुखिया वर्षा के देवता (इन्द्र देवता) का आह्वान के लिए नाचता है। इसके बावजूद यदि वर्षा नहीं होती है तो आदिवासी सन्तुष्ट हो जाते हैं कि उनका मुखिया प्रयास कर रहा है और देवता को प्रसन्न करने के लिए कुछ कर रहा है।

अंत में मैं कहूंगा कि कार्यवाही की तो बात छोड़िए मुझे ऐसा कोई प्रमाण नहीं नजर आता कि उन्होंने इस विषय में कभी विचार भी किया हो। वे सोचते हैं कि वे गड़बड़ कर सकते हैं और लोग इसे नहीं देखेंगे। परन्तु इससे बात नहीं बनेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय गृह मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे।

1.00 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

दिल्ली में 13 अप्रैल, 1990 को रिंग रोड पर प्रेमबाड़ी पुल पर एक बस में बम-विस्फोट की घटना

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : महोदय, मैं, 13 अप्रैल, 1990 की शाम को थाना सरस्वती बिहार के क्षेत्र में रिंग रोड पर प्रेमवाड़ी पुल के नजदीक एक बस में हुई विस्फोट की अत्यन्त दुःखद घटना के बारे में इस सम्माननीय सदन के माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं।

13-4-1990 को लगभग 7 बजे सांय जब एक प्राइवेट बस संख्या डी० ई० पी० 1217 आजादपुर से लाजपत नगर जा रही थी तो रिंग रोड पर प्रेमबाड़ी पुल के नजदीक बस में एक विस्फोट हुआ। दिल्ली पुलिस के अधिकारी कुछ ही मिन्टों में घटना स्थल पर पहुंच गये। फायर ब्रिगेड, अपराध शाखा और बम स्क्वेडस्टाफ की घटना स्थल पर पहुंचे। बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। विस्फोट बस के मध्य में दाहिने तरफ हुआ। बस की सीटें जहां पर विस्फोट हुआ बाहर गिर पड़ी और बस के निम्न भाग में एक छेद हो गया। एक मारुति जिप्सी सं० डी० एन० जे० 3459 में भी आग लग गई जो बस के साथ-साथ जा रही थी। घायल व्यक्तियों को अस्पताल ले जाया गया और फायर ब्रिगेड द्वारा आग बुझा दी गई। पूरे क्षेत्र की घेराबंदी की गई।

विस्फोट के परिणामस्वरूप 4 व्यक्ति घटना स्थल पर ही मारे गए और दो व्यक्ति अस्पताल में भर्ती किए जाने के बाद जख्मों के कारण मर गए। 51 अन्य व्यक्ति जख्मी हुए और उनमें से 13 गम्भीर रूप से जख्मी हैं।

प्रत्यक्ष दर्शियों से पूछताछ करने पर यह पता चला कि बस लगभग 18 50 बजे आजादपुर से चलनी शुरू हुई। लाजपतनगर जाते हुए रास्ते में यह 4 स्थानों पर रुकी, अन्तिम जगह प्रेमबाड़ी पुल पर रुकी। बस लाल बत्ती "टी" जंक्शन पर रुकी और जैसे ही हरी बत्ती हुई और बस रवाना हुई, विस्फोट हो गया।

प्रारम्भिक जांच-पड़ताल से पता चला कि शक्तिशाली विस्फोटक, इस्तेमाल किए गए जैसाकि राजोरी गार्डन और तिलक नगर पुलिस स्टेशनों के लिए प्रयोग किया गया था। विस्फोटक एक से दो कि० ग्रा० वजन-तक का रहा होगा और एक छोटे पैकेट में किसी सीट के नीचे रखा गया होगा। लगता है कि बम में टाईमर डिवाईस का प्रयोग किया गया था। बम में छर्रों के रूप में लोहे के छोटे-छोटे टुकड़ों का प्रयोग किया गया लगता था।

पुलिस स्टेशन सरस्वती बिहार, दिल्ली में भा० द० सं० की धारा 30 /307/427/120-ख और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4, तथा टी० ए० डी० ए० अधिनियम की धारा 3 और 4, के तहत 13-4-90 को प्रथम सूचना रिपोर्ट मामला संख्या-162 दर्ज किया गया।

स्थिति की समीक्षा करने के लिए मैंने दिल्ली पुलिस सहित गृह मंत्रालय और दिल्ली प्रशासन कि वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सभी सम्बन्धितों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जैसाकि मैंने पहले कहा था, पूरी दिल्ली में आम सतर्कता जारी कर दी गई थी। रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, सिनेमा घरों, बस टर्मिनलों तथा व्यस्त बाजारों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर विशेष चौकसी रखी जा रही है। बसों में सीटों के नीचे किसी लावारिस पैकेट इत्यादि के प्रति सतर्क रहने के बारे में यात्रियों को नोटिस तथा उद्घोषणाओं द्वारा बताने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं और विभिन्न रूटों पर बसों को चलाने से पहले बसों की डिपुओं पर जांच करने के लिए सुरक्षा प्रबंध कड़े कर दिए गए हैं।

दिल्ली के उपराज्यपाल ने मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के निकटतम रिश्तेदार को 50,000 रु० गम्भीर रूप से घायल हुए व्यक्ति को 10,000/- रु० तथा मामूली रूप से घायल हुए प्रत्येक व्यक्ति को 3,000/- रु० की अनुग्रह राशि दिये जाने की घोषणा की है।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे राष्ट्र-विरोधी तत्वों के इन कायरतापूर्ण कार्यों, जिसके कारण निर्दोष व्यक्तियों की जाने गईं, की निंदा करने में मेरा साथ दें। मैं माननीय सदस्यों से यह भी निवेदन करूंगा कि वे शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी सहानुभूति प्रकट करने में मेरा साथ दें। (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं होम मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि उनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? (**व्यवधान**)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, इंटैलिजेंस की रिपोर्ट थी कि आतंकवादी कश्मीर और पंजाब से यहां घुस गए हैं। यह रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के पास भी थी, लेकिन दुख की बात है कि कोई प्रिकॉशनरी मैजर्स नहीं लिए गए। किसी के ऊपर तो इसकी जिम्मेदारी डालनी चाहिए थी।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : सुरक्षा उपाय महत्वपूर्ण हैं परन्तु गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट भी उसी प्रकार महत्वपूर्ण हैं। मैं यह मुद्दा उठाना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसकी अनुमति नहीं देते हैं।

[हिन्दी]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : हादसा होने के बाद कहते हैं कि इसकी इनक्वायरी कर रहे हैं। एक-एक आदमी की चैंकिंग करना क्या सम्भव है ? दिल्ली में पुलिस स्टेशन में भी बम फट गया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपने अपनी बात कह दी है।

प्रो० राम गणेश कापसे (ठाणे) : मालवा स्टेशन पर इसी प्रकार का बम विस्फोट हुआ था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या दिल्ली के विस्फोट और पुणे की घटना में कोई सम्बन्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसकी अनुमति नहीं देते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : पिछले हफ्ते राजौरी गार्डन और तिलक नगर के थानों में बम फटे। आफिसर मेरे पास आए और मुझे कहा कि हमारे पास सूचना है कि वे लोग यहां घुस गए हैं। अगर आफिसर कह रहे हैं कि वे यहां घुस गए हैं तो आपने कोई एक्शन पहले से क्यों नहीं लिया ? होम मिनिस्टर साहब ने जो कुछ यहां बताया वह तो अखबारों में भी आ गया है।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : थानों के अन्दर बम विस्फोटों की इन दो घटनाओं ने लोगों के मन में गम्भीर आशंका पैदा कर दी है। मैं समझता हूं कि इसकी सार्वजनिक जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात से सहमत होगी। थाने के अन्दर बम विस्फोट कैसे हुआ ? यह एक अत्यधिक गम्भीर मामला है। क्या वे एक सार्वजनिक जांच के लिए सहमत होंगे ? हमें अत्यन्त चौकन्ने होने की जरूरत है।

[हिन्दी]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : क्या स्टेटमेंट पढ़ देना ही काफी है···**(व्यवधान)**

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, कोई इस तरह की घटना होती है तो ऐसा लगता है कि एक सुनियोजित तरीके से वे सब हो रही हैं। मेरा निवेदन यह है कि इस पर किसी दिन हाऊस में चर्चा होनी चाहिए।

श्री मदन लाल खुराना : इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी या नहीं कि दिल्ली में कश्मीर से और पंजाब से आतंकवादी घुस गए हैं ? अगर थी तो आपने क्या कार्यवाही की ? आखिर कब तक ऐसी घटनाएं हम सुनते रहेंगे ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपने अपनी बात कह दी है। श्री ईश्वर चौधरी बोलें।

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1990-91

उद्योग मन्त्रालय—जारी

[हिन्दी]

श्री ईश्वर चौधरी (गया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग मन्त्रालय की अनुदान मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे इस पर बोलने का जो समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष उद्योगों के मामले में पिछड़ा हुआ है, अन्य देशों के हिसाब से, और हमारे बिहार में तो वह और भी पिछड़ा हुआ है इसलिए वहां उद्योग लगाने की आवश्यकता की पूर्ति को अनुभव करना चाहिए।

जिस देश में हम लोग रहते हैं, वह कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने और उस पर ध्यान न देने के कारण ही गांवों से बहुत तादाद में लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि गांवों में सड़कों की, पानी की, बिजली की व्यवस्था कर दी जाय ताकि वहां के लोगों को छोटे उद्योग, लघु उद्योग लगाने का मौका मिल सके। इसके अभाव में हमारे यहां से पलायन शहर की ओर हो रहा है, जो सरकार की निगाह में है, जो नहीं रोका गया है। उसी के चलते आज हमारा देश जर्जर है, विशेषकर बिहार लघु इकाईयां लगाने में पीछे है। लघु उद्योगों को पूंजीगत सहायता दिया जाना बहुत जरूरी है। पूंजीगत सहायता न मिलने के कारण हमारे बहुत सारे उद्योग जैसे के तैसे पैंण्डिग पड़े हुए हैं, विचाराधीन पड़े हुए हैं। बिहार में उद्योग स्थापित करने सम्बन्धी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए। वैसे हमारा बिहार प्रान्त सभी प्रान्तों से धनधान्य में, मिनरल्स में, सभी साधनों में, कच्चे माल में बहुत अधिक समृद्धशाली माना जाता है किन्तु हमारे यहां का कच्चा सामान दूसरे स्थानों पर ले जाकर पक्का कर लिया जाता है, इसके कारण बिहार में आज भी गरीबी बनी हुई है। क्या उद्योग मन्त्री इस बात की सम्भावना का पता लगाएंगे कि बिहार के पास उचित संसाधन होने के बावजूद आज सभी प्रान्तों से गरीबी की रेखा से नीचे क्यों है, इसका मुख्य कारण क्या है ? मैं चाहूंगा कि इसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जितने भी उद्योग केन्द्र से सुनिश्चित कर दिए गए थे आज हमारे यहां वह उद्योग लगाने चाहिए, जो अभी तक नहीं लग पाए हैं,

42 वर्षों के बावजूद भी, जिस क्षेत्र गया से मैं आता हूं, वहां एक भी उद्योग-धन्धा नहीं लगाया गया है। जो हमारे यहां छोटे-मोटे उद्योग थे, जैसे गया काटन मिल और गुराब चीनी मिल वह भी आज रुग्ण अवस्था में पड़े हुए हैं उनकी स्थिति आज दयनीय हो गई है और वहां के हजारों हजार लेबरर आज अपना जीवन दयनीय हालत में बिता रहे हैं। हमारे यहां का देहरी आनसोन तथा रोहताश समूह इण्डस्ट्रीज वर्षों से बन्द पड़े हुए हैं। एक जमाना था जब वहां 15 से 20 हजार लेबरर काम करती थी, उसी कारखाने में, उसी उद्योग में डालडा, सीमेण्ट, कागज और अन्य प्रकार के सामान बनते थे, आज स्थिति यह हो गई है कि वहां गरीबी इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है कि लोग अपना शरीर बेचने पर उतारू हो गए हैं और प्राणहत्या भी की है। मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय अपने उत्तर में इसका जिक्र करें और हमारे उद्योगों पर अवश्य ध्यान दें जो हमारी एक अर्से से मांग रही है। इस सम्बन्ध में भारतीय जनता पार्टी और बिहार सरकार ने भी अनेकों बार सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है, मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय इस पर अवश्य प्रकाश डालें। जैसा कि मैंने कहा है कि बिहार में संसाधन बहुत हैं किन्तु क्या कारण है कि इन संसाधनों के रहते हुए भी बिहार आज गरीबी की ओर अग्रसर हो रहा है। पहले की सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया और वर्तमान सरकार ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया तो 1970-71 के जमाने में बिहार चौथी पोजीशन पर था जो खिसक कर 34वीं पोजीशन पर चला गया है तो मन्त्री महोदय से मैं कहना चाहूंगा कि इस मामले में आप एक अध्ययन दल बिहार में भेजें, जिसमें केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और प्रोइवेट सैक्टर में काम करने वाले लोग हों, उनके अनुभवों का लाभ उठाकर वहां की क्षमताओं का पता करें, जिसकी आवश्यकता वह लोग महसूस करते हैं। हमारे यहां बिजली के अभाव के चलते छोटे-छोटे उद्योग बर्बाद हो रहे हैं, पावर के चलते उद्योग बर्बाद हो रहे हैं तो क्या इन अभावों को राज्य सरकार से बात करके पूरा करने में उनकी मदद करेंगे। आज वित्तीय सहायता के अभाव में राज्य सरकार केन्द्र की ओर देखती हैं और जितनी उदार नीति भारत सरकार की होनी चाहिए वह बिहार के प्रति नहीं है। यही कारण है कि बिहार आज सभी क्षमताओं के रहते हुए भी उतनी क्षमता जुटा पाने में अक्षम है, जितनी उसकी क्षमता होनी चाहिए। आज हमारे यहां अनएम्पलायमेंट की समस्या हो गई है, बेकारी की समस्या हो गई है और उसके चलते उग्रवाद पनप रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इसको दूर करने के लिए सरकार की कभी इच्छा रही है? अगर इच्छा रही है तो इसको तत्काल रोकना चाहिए। इन आवश्यकताओं को मद्दे नजर रखते हुए तत्काल उचित कदम उठाने की आवश्यकता है।

हमारे देश में उद्योग स्थापित करने के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आमन्त्रित किया जाता है, इसके बजाए छोटी कम्पनियों को आमन्त्रित करना चाहिए और उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। हमारे यहां छोटे उद्योग न के बराबर बढ़ रहे हैं और जो अपने बलबूते पर चले रहे हैं, वे भी पंगू और रुग्ण हैं। जैसे-तैसे चल रहे हैं, जिससे हमारे यहां बेकारी बढ़ रही है। हम बहुत बड़े शीतल पेयजल बनाने वाली कम्पनियों को आमन्त्रित करते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या छोटे उद्योगों को स्थापित करने के लिए कोई मार्गदर्शन है? हां, इतना जरूर है हमारे यहां कुछ लिमिटेड क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को लगाने के लिए आप इनको टच नहीं करेंगे, लेकिन इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और बड़े उद्योग छोटे उद्योग वालों को क्रश कर रहे हैं। हमारे यहां छोटे उद्योग उत्पादन स्वयं कर रहे हैं, जिससे हमारे यहां की गरीबी जैसी की तैसी बनी हुई है। बिहार में महात्मा गांधी ने ताड़ उद्योग को बहुत प्रोत्साहित किया था और इसको कुटीर उद्योग में लिया था। इसके उल्टे बिहार सरकार ने ताड़ से जो नीरा निकलता है, उससे मिश्री और गुड़ बनता है तथा इस उद्योग को एक खास समुदाय के लोगों को, हरिजन समुदाय के लोगों को दिया था, इस पर ट्री-टैक्स लगाकर अपनी आमदनी

का साधन बना दिया है। मैं माननीय मन्त्री से मांग करता हूं, ऐसे उद्योगों को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल ट्री-टैक्स हटाना चाहिए। खास तौर से इस मामले में यदि ट्री-टैक्स नहीं हटता है, तो कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए।

हमारे यहां का पतरातु थर्मल पावर स्टेशन दयनीय स्थिति में आ गया है और बरौनी की भी यही हालत है। हमारे यहां उत्पादन करने की जो क्षमता होनी चाहिए, वह दिन पर दिन ह्रास होती जा रही है। मैं जानना चाहता हूं, इसमें रुग्णता क्यों पैदा हो रही है, यह बीमारी क्यों पैदा हो रही है? इसका पता लगाकर इसको दूर करना चाहिए। हमारे यहां के कल-कारखाने बिजली पर आधारित हैं, इन कल कारखानों के विकास के लिए आपको इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। हमारे यहां छोटे-मोटे उद्योग तो वैसे ही बन्द होते चले जा रहे हैं, किन्तु बड़े उद्योगों को लगाने के बजाए मैं मांग करूंगा कि छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करें। जहां बड़े उद्योगों को लगाने की सम्भावना दिखाई पड़ती है, वहां बड़े उद्योग भी लगाए जाने चाहिए। लघु उद्योगों के बन्द होने का मुख्य कारण जो प्रकाश में आया है, वह है ऋण का समय पर उपलब्ध न होना। बैंकों द्वारा स्वीकृत पूंजी की अदायगी में विलम्ब एक सबसे बड़ा कारण उद्योगों में रुग्णता और शिथिलता पैदा होने का सामने आया है। मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ब्यूरो आफ पब्लिक एन्टरप्राइमेज द्वारा दिए गए मार्गदर्शन की अवहेलना बड़े उद्योगों द्वारा किए जाने का भी एक कारण सामने आया है। जैसे बोकारो स्टील सिटी, बी० सी० सी० एल०—धनबाद, टाटा उद्योग समूह, एच० ई० सी०—रांची, इण्डियन ऑयल रिफाइनरी-बरौनी, इन सब का रवैया उदार नहीं है। क्या इस मामले में मन्त्री महोदय एक अध्ययन दल बिहार भेजेंगे, जिसमें कि बिहार सरकार, केन्द्र सरकार और प्राइवेट सैक्टर में काम करने वाले समूहों को आमन्त्रित करके इन अभावों को पता लगाया जा सके?

मैं कहना चाहता हूं कि हमारे उद्योग मन्त्री यंग हैं और हमें जनता दल की सरकार से काफी उम्मीदें हैं। हमारे प्रदेश की गरीबी किसी से छिपी हुई नहीं है। हमारे बिहार प्रदेश की गरीबी इस बात की द्योतक है कि हमारे यहां जरूरत से ज्यादा संसाधन होते हुए भी उस स्थान पर प्रोसेस नहीं होता है। कच्चा माल निकाला जाता है, लेकिन उस स्थान पर प्रोसेस न होने के कारण गरीबी पनप रही है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वहां उद्योग-धन्धे लगाए जाएं, जिससे वहां की गरीबी दूर हो। हम इसकी मांग पांचवी छठी लोकसभा से करते आ रहे हैं और हमारे बिहार के सभी संसद सदस्य इस बात से चिन्तित हैं और सरकार को इसका पता लगाने के लिए इसकी तह में जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया और पुनः आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे गया की ओर विशेष ध्यान देंगे। वहां के विकास के लिए जो आपने विचार किया है, वह तो आप करेंगे ही, लेकिन नए उद्योगों को स्थापित करने के लिए भी आप विचार करेंगे।

[अनुवाद]

श्री मुरली देवरा (बम्बई दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, देश के सम्मुख आज सबसे बड़ी समस्या ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र में व्याप्त व्यापक बेरोजगारी है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के हाल के सर्वेक्षण के मुताबिक हमारे देश में सन् 1980-2000 के दौरान 15 से 29 वर्ष उम्र की श्रेणी के श्रमिक बल में पूर्व के 1960-80 के 20 वर्षों में हुई 69 मिलियन लोगों की वृद्धि की तुलना में 110 मिलियन लोगों की वृद्धि होगी। इसलिए सरकार ने यह सही समझा है कि हमारे सम्मुख सबसे बड़ी समस्या

बेरोजगारी है और हमें देश-भर में रोजगार उत्पन्न करना है। यह तभी हो सकता है जब हम एक उचित उदार औद्योगिक नीति तथा उदार आर्थिक नीति का भी अनुसरण करें। हाल ही में अर्थशास्त्रियों ने भविष्यवाणी की है कि आगामी वर्षों में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कम वृद्धि होगी। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस बारे में अत्यधिक गम्भीर है और यह सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव कार्य करेगी कि हमारे देश में औद्योगिकरण पर कुप्रभाव न पड़े। उदार औद्योगिक नीति के साथ उचित आर्थिक नीति अपनाने से अधिक उत्पादन में मदद मिलती है। मैं माननीय मन्त्री को इस सम्बन्ध में एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहूंगा। उदाहरण के लिए सीमेंट को लीजिए। हम दस वर्ष पहले 19 से 20 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन कर रहे थे। सीमेंट का मूल्य 60 रुपए प्रति बैग था और सरकारी तौर पर यह 18 रुपए से 19 रुपए प्रति बैग था। सरकार ने एम० आर० टी० पी० के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों बड़े औद्योगिक घरानों, एफ० ई० आर० ए० कम्पनियों को सीमेंट का उत्पादन करने की अनुमति देकर एक अत्यन्त साहसिक कदम उठाया। उन्होंने सीमेंट के उत्पादन पर से लाइसेंस हटा लिया। आपको 10 लाख टन सीमेंट का उत्पादन करने के लिए 130 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है। आप लघु क्षेत्र और मझोले क्षेत्र से सीमेंट उत्पादन की अपेक्षा नहीं रखते। इसलिए, सरकार ने बड़ी कम्पनियों को सीमेंट का उत्पादन करने की अनुमति दी। सरकार ने इसके मूल्य पर नियन्त्रण भी हटा दिया। इसके फलस्वरूप आज 10 वर्ष से भी कम समय में सीमेंट का उत्पादन 44 से 45 मिलियन टन हो गया है। यह दुगुने से भी अधिक अथवा 100 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि है। इससे प्राप्त राजस्व भी अत्यन्त संतोषजनक है। हम 1980-81 में सीमेंट पर उत्पाद शुल्क से 160 करोड़ रुपए एकत्र कर रहे थे और आज इसके लिए बजट अनुमान 1085 करोड़ रुपए है। एक उचित औद्योगिक तथा आर्थिक नीति के कारण ही सीमेंट की कमी खत्म हो गई है इसका आयात भी समाप्त हो गया है और विदेशी मुद्रा बाहर नहीं जा रही है और उत्पादन में कोई कमी नहीं है। हमारे पास अब अधिक सीमेंट है और आपको अधिक राजस्व मिल रहा है।

श्री हरीश रावत : इस सबके बावजूद मूल्य बढ़ते जा रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री मुरली देवरा : अब प्रति कट्टा मूल्य 70 से 80 रुपए है। काला बाजार में जाने की बजाय उद्योग के खजाने में 80-90 रुपए जाते हैं तो अच्छा है। कम से कम यहां व्यक्ति कर दे रहा है और उस राशि को उत्पादन में पुनः लगा रहा है। मेरा अभिप्राय यह है कि कोई नियन्त्रण नहीं है। सीमेंट पर कोई नियन्त्रण नहीं था। आज ऐसी स्थिति है। आप नई औद्योगिक नीति घोषित करने जा रहे हैं। मैं मन्त्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वह ऐसा करें कि भारत में प्रत्येक उद्योग को सीमेंट का उत्पादन करने की अनुमति हो, चाहे वह लघु क्षेत्र, मझोले क्षेत्र या बड़े उद्योग हों या एफ० ई० आर० ए० 'फेरा' अथवा गैर-एफ० ई० आर० ए० 'फेरा' कम्पनी हो या एम० आर० टी० पी० के तहत हो अथवा गैर-एम० आर० टी० पी० हो। मैं पहले आपके विभाग के अन्तर्गत कम्पनी लॉ सलाहकार बोर्ड का सदस्य था। मुझे याद है, वे जो कुछ कर रहे थे वह उद्योगों के सम्बन्ध में उत्पादन को रोकने के लिए था। मैं नहीं जानता उन्होंने ऐसा क्यों किया। हमें उद्योगों पर और अधिक पाबन्दी लगाने की बजाय अपनी लाइसेंस क्षमता से अधिक उत्पादन कर रहे उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए।

उपलब्ध संसाधनों पर पाबन्दी एक अन्य बड़ा कारण है जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बाधा बन रहा है। आजकल हमारे देश में बहस चल रही है कि सरकार विदेशी निवेश पर अपनी नई नीति किस प्रकार की लाए। माननीय मंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री तथा श्री जार्ज फर्नान्डीज ने 'वर्ल्ड इकानॉमिक फोरम' द्वारा पिछले हफ्ते दिल्ली में आयोजित एक सेमीनार को सम्बोधित किया। मुझे

पक्का विश्वास है कि माननीय मंत्री ने जिस मुद्दे का वहां पर सामना किया वह उसके बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र विदेशी निवेश के लिए एक सूची तैयार कर रहा है। फर्नान्डीज जी, आपकी टिप्पणी पर आज 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' में सम्पादकीय लेख छपा है। कुछ दिन पूर्व फाइ-नेंशियल एक्सप्रैस में एक सम्पादकीय में आपने कहा था कि हमारे देश में प्रति वर्ष हो रहे 100 या 150 मिलियन डालर विदेशी निवेश की तुलना में आप लगभग एक बिलियन डालर की अपेक्षा कर रहे हैं। यह अच्छा है, मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं। मैं तो यही कहना चाह रहा हूं कि अब समय आ गया है जब सरकार विदेशी निवेशकों को स्पष्ट संकेत दे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिनकी इक्विटी 40 या 40 प्रतिशत से कम है उन्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। प्रो० दण्डवते ने कहा कि फिर भी हम एक चुनी हुई सूची बनाएंगे। इसी बैठक में श्री जार्ज फर्नान्डीज कहते हैं कि हमें किसी विदेशी निवेश की जरूरत नहीं है। मंत्री महोदय, आपने कहा कि आप एक बिलियन डालर का निवेश प्राप्त करने की आशा कर रहे हैं जोकि हमारे मौजूदा निवेश से 10 गुणा अधिक है। आप इससे लोगों को क्या बता रहे हैं? आप विदेशी निवेशकों को क्या कह रहे हैं, क्या आप उन्हें अनुमति दे रहे हैं या नहीं?

इण्डोनेशिया और थाईलैंड में क्या हो रहा है? वहां पर हमारे यहां की अपेक्षा विदेशी निवेश 20 या 25 गुणा अधिक अर्थात् एक वर्ष में चार बिलियन है। भारत में पिछले 25 वर्षों में कुल विदेशी निवेश 1.8 बिलियन डालर भी नहीं हुआ। मैं जानता हूं कि आप अधिक से अधिक निवेश सुनिश्चित करने के लिए अपने पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। वे इण्डोनेशिया में क्या कर रहे हैं? उन्हें अनुमति देने वाली सूची तैयार करने की अपेक्षा यह बेहतर होगा कि आप एक ऐसी सूची बनाएं जिसमें अनुमति न देने के लिए कहा गया हो। 10-15 मदों की एक सूची का चयन कर लीजिए जिसमें आप विदेशी निवेशक नहीं चाहते, इनके लिए कोई नहीं आएगा, और फिर अन्य क्षेत्रों में सभी को अनुमति दे दें चाहे उनकी इक्विटी 40 प्रतिशत हो या इससे अधिक। किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर विशेषकर हमारे जैसे विभिन्न विकासशील देशों के वित्त मंत्री अथवा उद्योग मंत्री आते हैं, आप तो एक ही आर्थिक मंच के कार्यक्रम में नहीं गए लेकिन आपके अन्य साथी गए थे। वह आपको बताएंगे कि किस प्रकार विकासशील देशों के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री स्वयं ही विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए आते हैं। हमें अपने में नहीं पता कि हमें क्या कठिनाई है। ये उद्यमी और कथित बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हमारे लिए क्या कर सकती हैं। हमारे पास एम० आर० टी० पी०, कम्पनी कार्यों का विभाग इत्यादि के तहत अनेक शक्तियां हैं जिससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि वे हमारे देश का शोषण न करें। मैं सम्पादकीय नहीं पढ़ना चाहता लेकिन मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। एक ही मंच पर चार माननीय मंत्रियों द्वारा भाषण देने के बाद काफी भ्रान्ति उत्पन्न हो गई है। यह दिल्ली में पिछले सप्ताह हुआ था। जब आप कल बम्बई में थे तब आपने इस भ्रान्ति को दूर करने का प्रयास किया था और दो बैठकों को सम्बोधित किया। आप इस विभाग के प्रभारी हैं और मैं चाहता हूं कि आप एक निश्चित कार्यक्रम पेश करें अर्थात् आप किन क्षेत्रों में विदेशी निवेश की अनुमति देंगे, इसमें इक्विटी कितनी प्रतिशत होगी, क्या इसकी अनुमति चुने हुए क्षेत्रों में होगी या गैर-चुने हुए क्षेत्रों में, आप उन्हें किस प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की अनुमति देंगे, क्या इसमें कोई समस्या होगी, निवेश सम्बन्धी पाबन्दियां क्या होंगी, इत्यादि। इन मुद्दों को स्पष्ट किया जाए ताकि भ्रान्ति दूर हो सके।

सरकारी क्षेत्र के उद्यम विभाग आपके मंत्रालय के अधीन है। यद्यपि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, ऑयल इण्डिया लिमिटेड इत्यादि अनेक बड़े सरकारी क्षेत्र के उद्यम हैं, लेकिन वे सरकारी क्षेत्र के उद्यम विभाग के अधीन नहीं हैं। इस बारे में विश्व भर में अनेक अर्थशास्त्रियों ने भी अक्सर अपने

विचार प्रकट किए हैं। विशेषकर पूर्वी यूरोपीय देशों के घटनाचक्र को देखते हुए रूस में भी सरकारी निवेश को नियन्त्रित करने की स्थिति आ रही है। आप यह अच्छी तरह जानते हैं कि हम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में जो निवेश कर रहे हैं सरकार उस पर न्यूनतम 10 प्रतिशत आय प्राप्त करने में भी समर्थ नहीं है। मैं मन्त्री महोदय से एक मुद्दे पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। मैं निजीकरण के लिए नहीं कह रहा, लेकिन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की 10 प्रतिशत हिस्सेदारी कम कर आम जनता द्वारा खरीदने की अनुमति दी जाए। इसमें यह पाबन्दी लगाई जा सकती है कि इतने शेयर से अधिक एक व्यक्ति अथवा एक परिवार द्वारा नहीं खरीदे जा सकते, ताकि किसी अधिग्रहण का खतरा न हो। इससे वास्तव में रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को काफी मात्रा में संसाधन मिल जाएंगे। एक तरफ तो विभिन्न मंत्रालयों द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रस्तुत प्रतिवेदनों में उन्होंने कहा है कि कोई भी उपक्रम अच्छा कार्य नहीं कर रहा है और दूसरी ओर वे इनका विस्तार कर रहे हैं। परन्तु इनकी संख्या अभी भी बढ़ रही है। हमें निजी क्षेत्र को उन्नति के तथा प्रबन्ध में स्वतन्त्रता के और अवसर देने चाहिएं और अपनी गतिविधियां केवल दूरसंचार, रेलवे और विद्युत आदि जैसे आधारभूत ढांचे को उपलब्ध कराने तक ही सीमित रखनी चाहिएं।

रोजगार उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में मैं मन्त्री जी को यह स्मरण कराना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में बी० आई० एफ० आर० क्या कर रहा है। इस विभाग की स्थापना घाटे में चल रहे कारखानों की मदद के लिए की गई थी ताकि ऐसे कारखानों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेकर यह उद्यमियों की सहायता कर सके और जो लोग वहां काम कर रहे थे उन्हें पुनः रोजगार प्रदान किया जा सके। परन्तु, दुर्भाग्यवश, इस विभाग की भूमिका बड़ी नकारात्मक रही है। ऐसी अनेक शिकायतें मिली हैं कि यह विभाग इन कारखानों को दृढ़ता प्रदान करने के लिए मदद देने की बजाय उनके रास्ते में अनेक रुकावटें पैदा कर रहा है। इसलिए मैं मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर वे काम के अधिकार जैसे नारों को क्रियान्वित करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने संवैधानिक दर्जा देने का भी वादा किया है, तो उन्हें अधिक से अधिक औद्योगिकीकरण की ओर ध्यान देना होगा, चाहे वह निजी क्षेत्र में हो या सार्वजनिक क्षेत्र में।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (सिवनी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग मंत्रालय की अनुदान मांगों के सम्बन्ध में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। निश्चित रूप से उद्योग मन्त्रालय के सम्बन्ध में जो भी बातें हैं वे इस देश के रोजगार से जुड़ी हैं।

साथ ही हम जिन वर्गों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, जैसे मैं अपने दल के घोषणा-पत्र के मुताबिक कह सकता हूं कि हमारी नीतियां राष्ट्रीय परिस्थितियों के आधार पर औद्योगिक नीति कैसे बनायी जा सकती है, हम हर एक वर्ग को लाभ पहुंचाना चाहते हैं चाहे वह कितना ही दलित वर्ग क्यों न हो, हम जिस माध्यम से लाभ पहुंचाना चाहते हैं, इसके लिए उद्योग की जो भी हमारी नीतियां हैं, वे निश्चित रूप से रोजगार उन्मुख होनी चाहिएं। ऐसी नीतियां बनाने के लिए सम्भवतः हम सदन में अपनी बात कहने के लिए खड़े होते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अधिकाधिक उपयोग की जो भी वस्तुएं हैं, उन्हें लघु-उद्योगों के माध्यम से निर्माण करने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। जो भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हैं उन्हें ऐसे उपयोग वाली वस्तुएं नहीं बनाने देना चाहिए, उन पर अंकुश लगाना चाहिए, उन पर

नियन्त्रण लगाना चाहिए। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां जो हमारे यहां आती हैं, बड़े उद्योग हैं या लघु-उद्योग हैं, एक सीमा तय होनी चाहिए कि कौन-सा उद्योग कितना बड़ा है और बहुराष्ट्रीय कम्पनियां कौन-कौन सी वस्तुएं बनाएंगी। मैं उद्योग मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का एक विकेन्द्रीकरण हमारे देश में होना चाहिए ताकि अधिक सम्पत्ति वाले लोग एकाधिकार न कर सकें, और इस समाज में जो विषमता बढ़ रही है, वह समाप्त हो सके। आर्थिक आधार पर एक विकेन्द्रित व्यवस्था जो हम देश में लाना चाहते हैं उसको लाने में निश्चित रूप से हम सफल होंगे।

मैं कहना चाहता हूं कि मैं जिस चुनाव क्षेत्र से आता हूं वह सारे का सारा प्रदेश उद्योग की दृष्टि से काफी पिछड़ा है जबकि वहां पर संसाधन इतने अधिक हैं, चाहे मैंगनीज हो, कोयला हो, बहुत बड़ी मात्रा में संसाधन वहां मौजूद हैं। मानव संसाधन की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश का प्रत्येक क्षेत्र इस मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि देश के अन्य क्षेत्रों से बेहतर है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वहां पर गलत नीतियों का क्रियान्वयन हुआ है। उस कारण से हमारा सारे का सारा समाज आज पिछड़ा है, शोषित है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं—हमारे यहां बालाघाट जिला है, जहां पर कॉपर, मैंगनीज बहुतायत मात्रा में पाया जाता है और निश्चित रूप से कॉपर के वहां पर प्रतिदिन 20 ट्रक निकलते हैं और राजस्थान के खेतरी स्मैलटिंग प्लांट की ओर जाते हैं। सरकार दो तीन लाख रुपए प्रतिदिन उन ट्रक मालिकों को देती है। अगर वह प्लांट बालाघाट जिले में लग जाता तो निश्चित रूप से सरकार को भी बचत होती।

इन परिस्थितियों में करोड़ों रुपए सरकार ने परिवहन के नाम पर खर्च किए हैं, यदि वहां पर स्मैलटिंग प्लांट लग जाता तो निश्चित रूप से सरकार को भी बचत होती। इसके माध्यम से कई फैक्टरियां वहां खुल सकती थीं और उस जिले के लोगों को रोजगार मिल सकता था। यह अपव्यय है। एक मण्डला जिला है, मैं विशेषरूप से उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जोभी आरक्षित क्षेत्र हैं चाहे वह अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग के हों हम उनका दुरुपयोग करते रहे हैं। इस पर मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए कि दोषी कौन है। मैं सामने बैठे हुए लोगों से भी कहना चाहता हूं कि मण्डला जिला एक आदिवासी बहुल जिला है जहां पर 90 फीसदी लोग आदिवासी हैं। उनके नाम पर उद्योग लगाए गए हैं और एक ऐसा उद्योग केन्द्र निर्मित किया गया है कि उनको लाभ पहुंचाया जाए, लेकिन जबलपुर की सीमा से मात्र 6 किलोमीटर आगे जाकर ग्रोथ सेंटर बना दिया गया, इससे किसी आदिवासी को वहां पर लाभ नहीं मिला। उस समय जो भी वहां के जन प्रतिनिधि रहे होंगे उन्होंने भी सम्भवतः इस बात पर ध्यान नहीं दिया। प्रशासनिक तरीके से भी कहीं न कहीं हमसे भूल हुई है। इसलिए जो क्रियान्विति में भूल की, उसको सुधारना चाहिए। सरकार की यह मंशा थी कि वहां आदिवासियों को लाभ मिले और वहां ग्रोथ सेंटर बनाया जाए, लेकिन सरकार के लोगों के द्वारा वहां के मूल आदिवासियों को उसका लाभ नहीं मिल पाया। हमारे यहां सिवनी जिले में बड़े-बड़े उद्योग हैं जहां पर खुलेआम सारे के सारे नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। पर्यावरण के नाम पर वे एक भी नियम की पालना नहीं करते। जितनी भी फैक्टरीज हमारे यहां पर हैं उन पर करीब ढाई हजार करोड़ रुपया कर का बकाया है और उन्होंने पर्यावरण के नियमों का पालन नहीं किया है। उसके बावजूद भी उनके लाइसेंस रिन्यू किए जाते हैं। वहां मैंने एक घटना के बारे में आपत्ति व्यक्त की, चार दिन से उस आसवानी को बन्द कर दिया गया, पांचवे दिन यह कह कर लाइसेंस दे दिया गया कि जो खामियां हैं उन पर विचार किया जाएगा और दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जाएगा। क्या आप ऐसे अधिकारियों के या जन-प्रतिनिधियों के अधिकार पर अंकुश लगाएंगे जिससे भविष्य में

ऐसा न हो? सांसदों को संसद में यह प्रश्न उठाना पड़ता है कि आदिवासियों के लाभ के लिए जो योजनाएं चालू की जाती हैं उसका वास्तविक लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता और इसमें भ्रष्टाचार की सीमाएं बढ़ती जाती हैं। तो क्या मन्त्री महोदय ऐसी किसी आपत्ति पर या ऐसे नियम के उल्लंघन पर कोई ऐसी सख्त व्यवस्था अपनाएंगे जिससे जन-प्रतिनिधि की भागीदारी पर अंकुश लगाया जा सके? लघु उद्योगों की हम बात करते हैं, मेरा कहना यह है कि लघु उद्योगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। प्राथमिकता मिले, इसके लिए सरकार नीतियां बना रही है, मगर जो वास्तविक अनुभव मध्य प्रदेश में आया है उसके अनुसार 32 प्रतिशत लघ उद्योग ईकाइयां बीमार हैं। हमारे ग्वालियर में ग्रोथ सेंटर में हालत यह है कि वहां पर 70 प्रतिशत लघु उद्योग बीमार हो गए हैं। उसका कारण यह है कि जो सब्सिडी दी जाती है वह साल-डेढ़ साल के बाद उनको मिलती है। अगर उसकी हैसियत आर्थिक रूप से मजबूत है तो वह फैक्टरी चालू कर लेता है, लेकिन जिसकी आर्थिक हालत सही नहीं है और उसे साल-डेढ़ साल बाद सब्सिडी दी जाती है तब तक उसकी लगी हुई पूंजी पर इतना ब्याज हो जाता है कि बैंक वाले उस पूरी सब्सिडी को उसकी किस्त के नाम से अपने पास रख लेते हैं। उद्योग के नाम पर जितने बेरोजगार युवक, गरीब लोग उद्योग लगाते हैं उनकी पूंजी से ब्याज दुगुना हो जाता है जिसके कारण हमारे मध्य प्रदेश में कई उद्योग बीमार पड़े हुए हैं। अगर किसी बेरोजगार आदमी को या गरीब आदमी को किसी प्रशासनिक अधिकारी या बैंक अधिकारी के कारण दुर्भाग्य भोगना पड़ा है तो उसकी जिम्मेदारी उद्योगपति पर क्यों ठहराई जाती है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में क्या व्यवस्था अपनाएगी जिससे इन लघु उद्योगों को महत्व मिले ताकि जो हमारी आर्थिक विकेन्द्रीकृत व्यवस्था है उसको सुचारू बनाया जा सके। हमारी नीतियां तो राष्ट्रोन्मुख और राष्ट्रवादी होती हैं, लेकिन प्रशासनिक रूप से उसका क्रियान्वयन सही नहीं हो पाता है। इसलिए मेरा उद्योग मन्त्री जी से निवेदन है कि हमें इन नीतियों को कार्यान्वित करने की ओर प्रयास करना चाहिए। इस नाते हमारे उद्योग मन्त्री प्रशासनिक ढांचे में कौन सा बदलाव लाना चाहते हैं इस पर क्या विचार कर रहे हैं, यह हमें बताएं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं उद्योग मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री छेदी पासवान (सासाराम): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा जो अनुदान की मांगें पेश की गयी हैं, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान बिहार की ओर ले जाना चाहता हूं जहां पर प्रकृति की अपार सम्पदा है लेकिन फिर भी औद्योगिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण तत्कालीन सरकार की गलत नीति है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आया हूं, वहां डालमिया फैक्टरी है जो 1984 से बंद पड़ी हुई है। इसका परिणाम यह हुआ कि करीब 20 हजार मजदूरों के सामने और खासकर उनके ऊपर आश्रित परिवारों के सामने भूखों मरने की नौबत आ गयी है। मुझे यहां यह कहते हुए शर्म आ रही है कि उस परिवार की मातायें-बहिनें अपना तन बेचने पर मजबूर हो गयी हैं। इसलिए सरकार से बड़े-कड़े और मजबूत शब्दों में मांग करूंगा कि डालमिया फैक्टरी को तत्काल खोला जाए। इसके अलावा पं० जवाहर लाल नेहरू ने जो उद्योग नीति बनायी थी, उनका जो उद्देश्य था वह कुछ हद तक तो ठीक था लेकिन उनका यह भी उद्देश्य था कि जो बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वे छोटे-छोटे उद्योगों से कल पुरजे लें

लेकिन उन छोटे-छोटे उद्योगों से सामान न लेकर विदेशों से सामान मंगाया जाता रहा। फलस्वरूप, छोटे उद्योग दिन-प्रतिदिन बंद होते जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक कहावत है—हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। उसी नीति के आधार पर हमारे देश की औद्योगिक नीति चल रही है। न्यायोचित तो यह होता कि बड़े उद्योग छोटे उद्योगों की मदद करते लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। बड़ी-बड़ी औद्योगिक इकाइयां छोटे उद्योगों से जो सामान खरीदती हैं, उसका भुगतान समय पर नहीं करती हैं। इस पर भी सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि छोटे उद्योगपति भी पनप सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी औद्योगिक इकाई एक तरफ तो उनको ज्यादा आर्डर देकर माल बनवाती हैं तो दूसरी तरफ उसकी डिलीवरी लेने में देर करती हैं या उसे रिजेक्ट कर देती हैं। इससे छोटी इकाइयों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है और दूसरी तरफ माल को अपने यहां स्टाक करना पड़ता है। इस ओर भी सरकार को गौर करना चाहिए। ऐसा देखा जा रहा है कि एक तरफ तो सरकारी कागजों पर लघु उद्योगों एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए तरह-तरह की योजनायें घोषित की जाती हैं किन्तु दूसरी तरफ सरकारी अधिकारी एवं वित्तीय संस्थान बेरुखी से उनके साथ पेश आ रहे हैं। लगभग प्रतिदिन अखबार में एक न एक लघु उद्योग को बेचने का इश्तहार देखा जा रहा है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि बड़े उद्योगों के बारे में तो कभी ऐसे इश्तहार देखने को नहीं मिलते हैं कि बड़े उद्योगों को बेचा जा रहा है। ऐसा जो हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है सरकार की गलत औद्योगिक नीति। मैं माननीय मंत्री से उनके भाषण में यह जानना चाहता हूं कि हमारी सरकार की औद्योगिक नीति क्या है? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के गवर्नर ने अपने बयान में कहा था कि पचास हजार करोड़ रुपया बड़े पूंजिपतियों का भारतीय फाईनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स—आई० एफ० सी० आई०, आई० डी० बी०आई०, आई०सी०आई० एवं सी० आई० पर बकाया है। जब पचास हजार करोड़ रुपया बड़े उद्योगपतियों पर बकाया रह गया है तो उसके बावजूद बड़ी फैक्ट्रियां बंद क्यों नहीं होतीं, छोटी इकाइयां ही बंद क्यों हो रही हैं? छोटी फैक्ट्रियों को ही बंद होने पर मजबूर क्यों किया जाता है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं देखता आ रहा हूं कि आज लगभग एक करोड़ रुपया प्रतिदिन आई०एफ०सी०आई०, आई०डी०बी०आई०, आई०सी०आई० एवसी० आई० की मिलीभगत से बड़े उद्योगपति ऋण माफ करा रहे हैं जिसकी खबर गोपनीयता के नाम पर किसी को नहीं लगने देते हैं। इस तरह से गोपनीयता के नाम पर सरकारी वित्तीय संस्थायें और बड़े उद्योगपति मिलकर करोड़ों रुपयों का घोटाला कर रहे हैं। इस पर भी सरकार को सख्ती से विचार करना चाहिये। बड़े उद्योगों के बीमार होने पर उन्हें ठीक करने की बहुत सारी सुविधायें प्रदान करने की योजनायें हैं जैसे—ब्याज की दरों में कमी, जुर्माना एवं चक्रवृद्धि ब्याज की माफी, सस्ती एवं आसान किश्तों पर लम्बी अवधि के लिए ऋण और वर्तमान ऋण के भुगतान पर कम्पनी के ठीक होने पर ऋण एवं मूलधन की माफी भी केन्द्रीय स्तर पर बनायी गयी हैं और इसके लिए कुछ गाईडलाइन्स बना रखी हैं लेकिन छोटे उद्योगों के लिए कोई गाईडलाइन्स नहीं बनाये हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह मजबूती एवं गंभीरता से इस पर विचार करे।

अंत में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कड़े शब्दों में यही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां जो डालमिया सीमेंट फैक्टरी पिछले कई वर्षों से बंद पड़ी है, उसे तुरन्त खोला जाये और शिक्षित बेरोजगारों को उद्योग विभाग की तरफ से, छोटे-छोटे उद्योग स्थापित करने के लिये, इस समय जो 25 हजार या 35 हजार रुपए की ऋण राशि दी जाती है, मैं उसे आज के हालात में बहुत कम

मानता हूं और निवेदन करता हूं कि उस राशि को बढ़ाकर कम से कम एक लाख रुपए कर दिया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष जी, उद्योग मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदान मांगों जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, मैं आपका आभारी हूं। महोदय, हमारे देश की औद्योगिक नीति कुछ ऐसी रही है, जिससे हमारे विकास की दर बहुत गिर गयी है। उसका सबसे पहला कारण यह है कि हमारे देश में विदेशी कम्पनियों को कारोबार करने का अधिक मौका दिया गया। उन्होंने न केवल भारी मात्रा में लाभ कमाया बल्कि हमारी अर्थ व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। विदेशी कम्पनियों के आने से देश की आर्थिक स्थिति ही नहीं गड़बड़ा गयी बल्कि देश की स्थिरता में भी अवरोध पैदा हो गया। उसी के परिणामस्वरूप देश में अशान्ति का वातावरण बना, आतंकवाद बढ़ा, नक्सलवाद बढ़ा और बेकारी की समस्या भी बढ़ती चली गयी। इस नीति के चलते दुनिया के कई देश इन समस्याओं का शिकार हुए हैं, चिलि का उदाहरण हमारे सामने है, अन्य कई देश भी विदेशी कम्पनियों के आने से प्रभावित हुए हैं। विदेशी कम्पनियों के आने से, कारोबार बढ़ने से, किसी भी देश की आन्तरिक स्थिति में विकार पैदा हो जाते हैं और हमारे देश पर भी वैसा ही असर पड़ा है। देखने में यह आया है कि हमारे देश का लगभग 90 प्रतिशत धन, जो हमारे देश का पैसा है, ऋण के रूप में विदेशी कम्पनियों को दिया गया, जिसके जरिए उन्होंने यहां एक बड़ा उद्योग स्थापित किया और उसके बाद इस तरह शोषण किया, इस तरह चूसा कि वह उद्योग कुछ समय बाद बीमार उद्योगों की श्रेणी में आ गया। उसकी कमाई से, उन्होंने दूसरे स्थानों पर, दूसरे राज्यों में और दूसरे देशों में जाकर नए उद्योग लगाए। इन उद्योगों में, जिनमें हमारे देश का 90 प्रतिशत पैसा ऋण के रूप में लगा, वहीं हमारे बेरोजगार नौजवानों को भी कोई काम नहीं मिला, क्योंकि उद्योग के बीमार हो जाने पर, वे भी उसका शिकार हुए और फिर उन्हें किसी दूसरी जगह नौकरी नहीं मिलती। इस तरह लाखों लोग बीमार उद्योगों के कारण हर वर्ष बेकारी का शिकार होते जा रहे हैं और उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। इस स्थिति की ओर सरकार का ध्यान बहुत कम गया है और कानून बनाने के बावजूद कोई विशेष नियंत्रण नहीं हो पाया है।

वैसे तो हमारी सरकार ने घोषणा की है कि हम उद्योगों में मजदूरों की भागीदारी कायम करेंगे, परन्तु देश में कहीं अभी हमें वैसा देखने में नहीं आया है। माननीय मंत्री जी शायद इस समय बातों में उलझे हुए हैं, यह गम्भीर मसला है जिस पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। हमारे यहां लखनऊ में स्कूटर इण्डिया नामक एक कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र में लगा है, जिसे पिछली सरकार ने, अरबों रुपए का कारखाना, कुछ करोड़ रुपए में राहुल बजाज नाम के उद्योगपति के हाथों बेच दिया। हो सकता है माननीय मंत्री जी को उसके बारे में ज्यादा जानकारी हो, उन्हें वहां जाने का अवसर भी मिला हो, परन्तु उस कारखाने के हजारों मजदूरों ने लिखकर कमिट किया है कि हम इस कारखाने का सारा घाटा पूरा कर देंगे, पूरे कारखाने को लाभ की स्थिति में चलायेंगे, आप इस कारखाने को मजदूरों की भागीदारी में कर दीजिए, लेकिन आज तक उस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई। परिणामस्वरूप, उस कारखाने के मजदूर आन्दोलन की राह पर हैं और भुखमरी के कगार पर आ पहुंचे हैं। वैसे तो हमारी सरकार मिसाल देती है कि हम देश में मजदूरों को उद्योगों में भागीदार बनायेंगे, परन्तु जिस कारखाने के मजदूर आपसे भागीदारी चाहते हैं उन्होंने लिखकर आपको दिया है, हर तरह से वे आपसे निवेदन करते आ रहे हैं, उसमें आप मजदूरों को भागीदारी

देने में संकोच क्यों कर रहे हैं। वह सार्वजनिक क्षेत्र का काफी बड़ा कारखाना है और आपके सामने मिसाल है। हमारे देश की औद्योगिक नीति हमेशा से विदेशी कम्पनियों को प्रोत्साहन देने, उन्हें लाभ कमाने, देश को लूटने और यहां बेकारी फैलाने की रही है। यही कारण है कि हमारे देश की विकास दर लगातार गिरती गयी है। इन उद्योगों के जरिए हमारे देश में ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया गया, जिसे अक्सर बड़े लोग खरीदते हैं, जिनका सम्बन्ध इस देश की 5 प्रतिशत जनता से है, जैसे टी० वी० है, कारें बनाने का उद्योग है, और न जाने कितने ऐसे उद्योग इस देश में विदेशी कम्पनियों द्वारा स्थापित किये गये, जिनका इस देश की आम जनता से दूर का वास्ता भी नहीं रहा। मान्यवर, हमारी राय है कि अब देश में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि हमारी वर्तमान सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है और ज्यादा जोर दे रही है, लेकिन मेरा निवेदन है कि लघु उद्योगों को यदि सरकार की तरफ से बढ़ावा मिलेगा, तभी वे चल पायेंगे। यदि लघु उद्योगों को उन वस्तुओं का उत्पादन करने का मौका मिलेगा, जो आज कुछ बड़े उद्योगों ने अपने आधिपत्य में की हुई हैं, तभी उनका हित है अन्यथा बड़े उद्योगों के सामने वे कम्पटीशन नहीं कर पायेंगे, चल नहीं सकेंगे, टिक नहीं पायेंगे। इसलिए जो लघु उद्योग उत्पादन करें, उसके लिए बड़े उद्योगों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। जो कपड़ा हथ-करघा से तैयार हो, या दूसरे कोई सामान लघु उद्योगों से तैयार हों, बड़े उद्योग उसे तैयार न करें, इस बात को आप देखें।

दूसरी बात यह है कि लघु उद्योग के कच्चे माल की थोड़ी बहुत गारन्टी आप करें वरना बड़े उद्योग लघु उद्योग के कच्चे माल को बाजारों में रोक लेंगे। तीसरी बात यह है कि आप कम से कम उत्तर प्रदेश में एक आल इण्डिया लघु उद्योग बैंक कायम करें। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में आबादी का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। वहां डेंनसिटी आफ पापुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है और जमीन के टुकड़े होते चले जा रहे हैं व बेकारी बढ़ती चली जा रही है। अगर आप इस प्रेशर को जमीन पर रोकना चाहते हैं तो लघु उद्योगों को बढ़ावा दें और लोकल उद्योगों के आधार पर टैक्नालाजी डेवलप करें व इन लघु उद्योगों के जरिए बेकारी की समस्या को हल करें। इसके अलावा उनके उत्पादित माल को बेचने के लिए बाजार मुहैया करें। आप उद्योगों के जरिए चाहे मस्टर्ड आयल तैयार करें, चाहे आटा तैयार करें, चाहे चिप्स तैयार करें या दूसरी चीज तैयार करें लेकिन उसके लिए मार्किट होनी चाहिए। इन सब पर ध्यान देने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि आप आल इण्डिया लघु उद्योग बैंक पूर्वांचल में या लखनऊ में खोलें।

अगर आप देश की उद्योग नीति के जरिए देश की बेकारी की समस्या को हल करना चाहते हैं और देश के अन्दर जो अशांति फैल रही है व आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, अगर हमारी सरकार उसमें सुधार लाना चाहती है तो ग्रामीण अंचल में ज्यादा उत्पादन करने वालों को लघु उद्योगों के जरिए बढ़ावा दे। इससे बेकारी की समस्या दूर होगी व उत्पादन के सही दाम हमारे किसानों को मिल सकेंगे। पढ़े-लिखे बेरोजगार नवयुबक रोजगार न मिलने के कारण गलत रास्ते पर जा रहे हैं और इसका नतीजा यह हो रहा है कि देश में अशांति पैदा हो रही है। हमारी सरकार को देश के नौजवानों की बेकारी को देखते हुए, कृषि क्षेत्र व ग्रामीण अंचलों में उत्पादन को देखते हुए और विदेशी कम्पनियों के जरिए देश में जो लूट का धन्धा हो रहा है, उन सब को देखते हुए एक सुसंगठित और सोची-विचारी औद्योगिक नीति देश को बेकारी और अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लागू करनी चाहिए। यही हमें अपनी मौजूदा सरकार से आशा है। इतना ही कहते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० नरसा रेड्डी (आदिलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस मांग पर मुझे बोलने का अवसर दिया। हमारी सरकार की औद्योगिक नीति अस्पष्ट है और पतवारहीन जहाज की भांति है। कोई भी इसकी दिशा और उद्देश्यों के बारे मे नहीं जानता। योजना आयोग के उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रीय मोर्चे के उपप्रधान ने अपने वक्तव्यों में कई बार यह विचार प्रकट किए हैं कि औद्योगिक विकास तथा कृषि के विकास के क्षेत्र प्रशंसनीय उन्नति हुई है, परन्तु, अभी भी 46 प्रतिशत हमारे लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष ने कई बार सार्वजनिक रूप से यह बात कही है कि हमारी औद्योगिक नीति में परिवर्तन की आवश्यकता है और हमें रोजगार के अवसर बढ़ाने वाली औद्योगिक योजनाओं को अपनाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार लोगों को इन योजनाओं के अन्तर्गत लाभ पहुंचाया जा सके।

उन्होंने यह भी कहा है कि ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा की गयी है और योजना बनाते समय कृषि की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उद्योग विभाग की मांग इस बात की सूचक है। हम यह देखते हैं कि यह मांग संख्या 23 पहले 1989-90 में 776 करोड़ 55 लाख रुपए की थी और इस वर्ष यह घट कर उसकी आधे के लगभग अर्थात् 349 करोड़ 21 हजार रह गयी है और जहां तक औद्योगिक विकास का सम्बन्ध है, 1989-90 में 691 करोड़ रुपए था जो वर्तमान मांग में केवल 664 करोड़ रुपए रह गया है। लघु उद्योग तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आबंटित राशि से हमें पता चल जाएगा कि क्या सरकार इन क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना चाहती है अथवा नहीं। लघु उद्योग सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है क्योंकि लघु उद्योगों के माध्यम से कम पूंजी लगाकर ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, क्योंकि इसके द्वारा औद्योगिक गतिविधियों का विकेन्द्रीकरण होता है और उद्यम के आधार को विकसित करने में भी मदद मिलती है। इस क्षेत्र के लिए 1989-90 में 134.4 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे। इस वर्ष उसमें केवल 5 करोड़ रुपए ही अधिक रखे गए हैं। इस तरह से सरकार बेरोजगारी की समस्या को कैसे हल कर पाएगी। आईए, अब इसके कार्य-निष्पादन को देखते हैं। वर्ष 1987-88 में 15.76 लाख इकाइयां थी जिनमें 107 लाख लोग कार्य करते थे। वर्ष 1988-89 में इनकी संख्या बढ़कर 17 लाख हो गयी और इनमें रोजगार प्राप्त करने वालों की संख्या बढ़कर 113 लाख हो गयी। लघु क्षेत्र में निर्यात जो 1987-88 में 3,617 करोड़ रुपए था, अब बढ़ कर 4,534 करोड़ रुपए हो गया।

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण औद्योगिकीकरण की दृष्टि से जो दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वह है खादी तथा ग्रामोद्योग। अगर आप बजट में दिए गए आंकड़ों को देखें तो आपको पता चलेगा कि 1989-90 में इस क्षेत्र के लिए 404 करोड़ रुपए रखे गए थे और इस वर्ष मुश्किल से इसमें 20 करोड़ रुपए की वृद्धि की गयी है। इस तरह से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी योजनाएं लागू करके बेरोजगारी की समस्या को कैसे हल कर पाएगी। योजना आयोग ने बार-बार इस बात को दोहराया है कि आठवीं योजना के अन्तर्गत जी० डी० पी० को 7 प्रतिशत के लगभग या इससे अधिक परन्तु न्यूनतम 6 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। मैं यह कहना चाहूंगा कि एक भ्रम पैदा हो गया है कि कृषि की उपेक्षा की गई थी इसलिए कृषि क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में अधिक धन लगाने और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। सातवीं योजना के दौरान औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। वर्ष 1989-90 के अतिरिक्त हर वर्ष आठ प्रतिशत वृद्धि का सामान्य लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था जबकि

1989-90 के दौरान कुछ कारणों से इसमें कुछ कमी रह गयी थी। परन्तु पिछले दो तीन सालों में कृषि उत्पादन में कमी का रूझान कभी नहीं उत्पादन हुआ था। वर्ष 1987-88 के दौरान लगातार दो वर्ष तक सूखा पड़ने के कारण कृषि उत्पादन में कमी आई थी। वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान अनाज का उत्पादन क्रमश: 17 करोड़ टन 17.2 करोड़ टन रहा था। इसलिए योजना आयोग अथवा सरकार के पास यह साबित करने का कोई करना नहीं कि कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की गई थी और औद्योगिक विकास को अधिक महत्व दिया गया था।

पिछली सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सम्बन्धी नीतियों की विभिन्न प्रकार से आलोचना की गई है। यह कहा गया कि 1956 की औद्योगिक नीति, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक महत्व दिया गया था, उसे तिलांजलि दे दी गई थी और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन का कार्य सरकार ने अपने पास नहीं रखा और उसे बहुराष्ट्रीय निगमों को सौंप दिया गया था तथा इससे बहु-राष्ट्रीय निगमों ने इन क्षेत्रों में काफी हद तक सार्वजनिक क्षेत्र के हितों को हानि पहुंचायी। मैं विनम्रता से यह बताना चाहता हूं कि जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र का सम्बन्ध है, इसने पिछले चार-पांच वर्षों में प्रशंसनीय उन्नति की है। यह क्षेत्र में हुई उन्नति से बिल्कुल स्पष्ट है।

वर्ष 195 में हमारे पास केवल पांच उद्यम थे जिनमें कुल पूंजी निवेश 29 करोड़ रुपए का था।

वर्ष 1989 में 231 उद्यमों में 85,564 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था। इस हद तक लाभ हुआ कि निर्यात से आमदनी और करों में काफी प्रशंसनीय वृद्धि हुई और किसी भी तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि सार्वजनिक क्षेत्र की उपेक्षा हुई थी और इसे अच्छी सफलता नहीं मिली है।

2.00 म० प०

अब मैं पिछड़े क्षेत्रों के विकास की बात लेता हूं। इसमे कोई सन्देह नहीं कि विकास केन्द्रों को स्वीकृति दी गई है और यह विभिन्न जगहों में स्थापित किए गए हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि 100 स्वीकृत विकास केन्द्रों में 60 की पहचान कर ली गयी है और 40 की अभी की जानी बाकी है। आन्ध्र प्रदेश राज्य में अनेक पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्र है। अत: विकास केन्द्र उन क्षेत्रों के लिए रखे जाने चाहिए जहां पर्याप्त रूप से कोयला, पानी और बिजली उपलब्ध है। आदिलाबाद जैसे जिलों में, जहां इनके लिए आधारभूत ढांचा मौजूद है, यह आवश्यक है कि विकास केन्द्रों की स्थापना ऐसे क्षेत्रों में की जाएं।

जहां तक आंध्र प्रदेश के औद्योगिक विकास का सम्बन्ध है, मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि दो ऐसी योजनाएं हैं जिन पर मन्त्री महोदय को गौर करना चाहिए और उन पर कार्य शुरू होना चाहिए। एक है आयुध कारखाना (गन प्रोपोलैंट फैक्टरी) जिसे वारंगल में स्थापित किया जाना चाहिए क्योंकि राज्य सरकार इस उद्देश्य के लिए 7500 एकड़ भूमि और बिजली देने को तैयार है। आयुध कारखानों के निदेशक श्री जयरामन ने 1986 में यहां का दौरा किया था। यह एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। और चूंकि सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों को आवश्यक प्रोत्साहन देने का आश्वासन दिया हुआ है अत: मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि यह कारखाना वारंगल में ही स्थापित किया जाना चाहिए।

पूर्व गोदावरी और श्रीकाकुलम क्षेत्र में सैंकड़ों मिलियन टन बाक्साइट अयस्क के भण्डार हैं; सोवियत संघ के सहयोग से यहां एल्युमीनियम परियोजना की स्थापना की योजना थी। रूस के विशेषज्ञ यहां आए थे और स्थल का निरीक्षण भी किया था। वर्ष 1980 में परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गई थी, जिसके अनुसार इसकी लागत 500 करोड़ रुपए थी और इससे लगभग 300 लोगों को रोजगार मिलता। मै सरकार से निवेदन करूंगा कि बाक्साइट अयस्क के निर्यात की जगह इस विषय पर विचार करें और इस क्षेत्र में, जहां बहुत अधिक औद्योगिक पिछड़ापन है, कारखाने की स्थापना करें।

जब हैदराबाद राज्य या, उस समय हैदराबाद के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्री लायक अली ने कहा था कि वह आदिलाबाद को अपने राज्य का मैनचेस्टर बना देंगे। यहां सभी प्रकार का आधारभूत ढांचा मौजूद है अत: विभिन्न प्रकार के उद्योगों की यहां स्थापना हो सकती है। बिरला द्वारा कुछ फैक्ट्रियां स्थापित की गयी हैं। तीन-चार वर्ष पहले उनकी एक फैक्ट्री 'सिअरसिल्क फैक्ट्री' बन्द कर दी गयी थी जिसके कारण 3000 लोग बेरोजगार हो गए थे। इसके लिए औद्योगिक वित्त पुनर्निर्माण ब्यूरो ने एक निर्णय दिया है कि यह योजना उपयुक्त है और उन्होंने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को इस योजना को लेने के लिए कहा है। लेकिन औद्योगिक वित्त पुनर्निर्माण ब्यूरो (बी० आई० एफ० आर०) एक परमार्शदात्री संस्था है। मैं सरकार से अपील करूंगा कि मात्र परमार्शदात्री संस्था रहने से औद्योगिक वित्त पुनर्निर्माण ब्यूरो टिका नहीं रह सकता। इसको कुछ शक्तियां दी जानी चाहिए; इसको कुछ कानूनी अधिकार दिए जाने चाहिए जिससे कि यह वहां आदेश दे सके जहां इसे लगता है कि फैक्ट्री अर्थक्षम है और इसे चलाया जा सकता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि इन फैक्ट्रियों से बहुत अधिक लाभ न मिलने पर बिरला बन्धुओं ने इन फैक्ट्रियों को बन्द कर दिया है और इस प्रकार इन गरीबों को बेसहारा छोड़ दिया है और वे बेरोजगार हो गए हैं, सरकार को इन फैक्ट्रियों को अपने नियन्त्रण में ले लेना चाहिए। मैं उद्योग मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री मान्धाता सिंह (लखनऊ) : उपाध्यक्ष महोदय, अपने भाषण के प्रारम्भ में ही मैं यह कहूंगा कि जब हम प्रत्येक मन्त्रालय की अनुदानों पर चर्चा के अंतिम चरण पर होते हैं, उस समय अंतिम वक्ताओं को सबसे अधिक हानि होती है। अत: आपको कुछ ऐसे उपाय करने होंगे जिससे हमें अपनी बात कहने का पर्याप्त अवसर मिले। बहरहाल, यह मेरा मुख्य मुद्दा नहीं है; मैं तो इस सच्चाई की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था।

महोदय, यह चर्चा हमारे सम्माननीय साथी श्री वसन्त साठे द्वारा शुरू की गई थी जिन्होंने अपनी वाक्पटुता से सर्वांगमुखी सतुलित विकास की छवि बनायी जो उनके कथानानुसार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा औद्योगिक नीति के प्रस्ताव में प्रस्तुत की गई थी। कैसा संतुलित विकास? जब हम यह कहते हैं तो हम पाते हैं कि जो राजनैतिक रूप से सशक्त हैं, जिनके चुनाव क्षेत्रों, चुनिंदा जिलों को भारी मात्रा में पूंजी निवेश से लाभ होता है, मैं नाम नहीं लूंगा। यहां तक कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री के काल में भी सुलतानपुर जैसे पिछड़े क्षेत्र, जो माननीय श्री राजीव गांधी के चुनाव क्षेत्र में आता है, उसे भी माननीय मंत्री द्वारा इसी सत्र में एक प्रश्न के उत्तर में उद्योग रहित जिला बताया गया था। यह उत्तर प्रदेश के फैजाबाद संभाग का एक भाग है। जबकि फैजाबाद संभागीय मुख्यालय में कोई उद्योग नहीं है, उसे उन जिलों की सूची में रखा गया है जहां उद्योग हैं लेकिन सुल्तानपुर जहां बड़ी संख्या में उद्योग हैं, उसे संतुलित विकास के नाम पर सरकारी दस्तावेजों मे उद्योग शून्य जिला बताया

गया है और यह जानकारी जो हमारे मंत्री द्वारा सदन को दी गई है, संभवतः उत्तर प्रदेश सचिवालय द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है। जहां तक पिछड़े क्षेत्रों या उद्योग शून्य जिलों की पहचान की बात है, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है।

अतः महोदय, बिना समय नष्ट किए मैं यह बताना चाहूंगा कि संतुलित औद्योगिक विकास की अब तक सात पंचवर्षीय योजनाओं मे उपेक्षा की गई है। केवल इसकी चर्चा ही की गई है। मैं यह राजनैतिक आरोप लगा रहा हूं कि जो लोग सत्ता में थे—मैं वर्ष और नाम नहीं लूंगा, जो भी सत्ता में थे, उन्होंने अपने राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया और अपनी पंसद के क्षेत्रों में छोटे-बड़े उद्योगों को खोलने का प्रयत्न किया। यद्यपि हर समय हम राष्ट्र के योजनाबद्ध विकास की बात करते रहे, लेकिन एक स्तर तक संसाधनों का सृजन किए बिना योजना बनाना असम्भव है और योजना की पूरी प्रक्रिया में कोई वर्गीकरण नही किया गया।

2.04 म० प०

[श्री जसवन्त सिंह पीठासीन हुए]

श्री मान्धाता सिंह : हमें अभी भी ऐसी प्रणाली विकसित करनी है जहां एक स्तर तक संसाधनों का सृजन किया जा सके और जहां बिना किसी राजनैतिक दबाव के उद्योग या विकास परियोजनाएं स्थापित की जा सकें। फिर, श्री साठे ने आधारभूत ढांचे सम्बन्धी संरचनाओं की उपलब्धता की बात की थी। मैं उनसे इस बारे में विवाद नहीं करना चाहता क्योंकि जब वह सिचाई, पर्याप्त जल, ऊर्जा सप्लाई और सड़कों आदि की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से यह आवश्यक है। लेकिन वह दो महत्वपूर्ण कारकों को बताना भूल गए। प्राकृतिक सम्पदा और मानवशक्ति; हमारे पास न केवल अकुशल मानवशक्ति है अपितु हमारे पास राष्ट्र में पर्याप्त कुशल मानवशक्ति मौजूद है और जब हम औद्योगिक विकास की योजना बनाते हैं, उस समय जैसाकि बिहार के हमारे साथियों ने इंगित किया था, हम यह भूल जाते हैं कि सौभाग्यवश हमारा राष्ट्र प्राकृतिक संपदाओं, मानवशक्ति और बुद्धिजीवी से भरपूर है। लेकिन हर समय हम प्रतिभा पलायन की बात करते हैं, तथाकथित प्रतिभा पलायन, हमारे स्नातक, तकनीकी ज्ञान रखने वाले लोग नौकरी के लिए विदेशों में जा रहे हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और हमारे अन्य संस्थान प्रत्येक लड़के, लड़कियों के लिए, जिन्हें हम तकनीकीविद के रूप में अपनी आई० आई० टी० और अन्य संस्थानों में तैयार करते हैं, धन उपलब्ध कराते हैं, इसमें से अधिकांश सिविल सेवा चुनते हैं और आई० ए० एम० अफसर बनने की कोशिश करते हैं और इसमें असफल होने पर वह अपने जीवनयापन के लिए विदेशों को चले जाते हैं। क्या इसे राष्ट्र का योजनाबद्ध विकास कहा जा सकता है, जहां युवा पुरुष और महिलाएं, जो हमारे धन से प्रशिक्षित किए जाते हैं, उनका उपयोग अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा किया जाता है? मेरे परिवार को स्वयं इससे सर्वाधिक हानि हुई है; मेरे तीन कजिन भाई, जो उच्चकोटि के तकनीकीविद् हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए हैं और उन्हें अपनी पत्नियों को वहां बुलाने के लिए मजबूरन अमेरिकी नागरिकता स्वीकार करनी पड़ी है। सबसे छोटा इस माह की 22 तारीख को जा रहा है। यह दुर्भाग्य है और औद्योगिक विकास की योजना बनाते समय हमें अपनी बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा और मानवशक्ति को नजरअन्दाज नहीं करना चाहिए। विशेषकर प्रशिक्षित मानवशक्ति को।

इसके अतिरिक्त महोदय, प्रायः सभी वक्ताओं ने रोजगारोन्मुख परियोजनाओं की आवश्यकता

पर जोर दिया है और वह नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की इसलिए आलोचना कर रहे हैं क्योंकि हमने लोगों को वचन दिया था कि हम उन्हें काम का अधिकार देंगे । मैं जानता हूं कि यह हमारे आश्वासन का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और हम इसके प्रति समर्पित हैं और अगली पंचवर्षीय योजना में हमें ठोस और सकारात्मक रूप से इस बारे में कुछ करना होगा । मैं उस बात पर भी जोर दूंगा जो मेरे पूर्व वक्ता और कम्युनिस्ट पार्टी के श्री मित्रसेन यादव ने कही थी, जब उन्होंने यह कहा था कि उपभोक्ता वस्तुओं की राष्ट्र में भारी मांग है इन साधारण उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन को मध्यम और लघु क्षेत्र, कुटीर उद्योग को दिया जाना चाहिए और बहुराष्ट्रीय कंपनियों या बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा इनके उत्पादन पर रोक लगाई जानी चाहिए। जब माननीय मंत्री नई औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं और उसे प्रस्तुत कर रहे हैं तो मैं उनसे अपील करूंगा, मैं सम्बन्धित मंत्रियों से अपील करूंगा, मैं मंत्रिमंडल से भी अपील करूंगा कि वह हमारी औद्योगिक नीतियों की कमियों को गम्भीरतापूर्वक लें; हमें यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि कौन-सी चीजें बड़े क्षेत्रों, सार्वजनिक क्षेत्र, उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्पादित की जाएगी । लेकिन सामान्य उपभोक्ता वस्तुएं जैसे साबुन, और कपड़े धोने का पाउडर, पेन, बालपेन यह सब बड़े क्षेत्रों द्वारा उत्पादित की जा रही है और यदि हम अपनी दिशा नीति में परिवर्तन नहीं करते हैं तो हम इस देश के किशोरों, युवाओं को कभी भी रोजगार के अवसर नहीं दे पाएंगे ।

इसके लिए हमारे दृष्टिकोण में मूल परिवर्तन होना चाहिए । मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि पिछली सात पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान, हमारी स्वतन्त्रता के 42 वर्षों के पश्चात् भी हम पूंजी पर आधारित उद्योगों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं, जिसके लिए बहुत अधिक धनराशि की आवश्यकता पड़ती है । तत्पश्चात् समानान्तर क्षेत्र को श्रमोन्मुख क्षेत्र कहा जाता है । मैं यहां श्रमोन्मुख प्रौद्योगिकी को अपनाने और इसकी शीघ्र आवश्यकता पर बल देने के लिए उठा हूं । हमारी मन्त्रिपरिषद् में प्रो० मेनन और डा० राजा रमन्ना जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। वे इस देश में अन्य कई लोगों की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें श्रमोन्मुख प्रौद्योगिकी दे सकते हैं । इसका उपयोग करते हुए हम अपने लाखों बेरोजगार युवकों और युवतियों के लिए 'काम का अधिकार' सुनिश्चित कर सकते हैं, इसके लिए स्वभावत: ध्यान दस्तकारी की ओर आकर्षित किया जा रहा है और मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा । तब हम हथकरघा क्षेत्र या विद्युत करघा क्षेत्र या दर्जनों अन्य दस्तकारियों की बात करते हैं, जिनकी मांग न केवल हमारे देश में है अपितु विदेशों में भी है । इससे हमारे देश के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की आय होती है ।

सभापति महोदय, जैसे कि मैं लखनऊ शहर का प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं यह याद दिलाना चाहूंगा कि मुर्गीपालन उद्योग लगभग एक कुटीर उद्योग है और इससे काफी विदेशी मुद्रा की आय होती है । इसके लिए वहां सरकार द्वारा एक प्रशिक्षण केन्द्र चलाया जा रहा था जो गत दिसम्बर में बन्द कर दिया गया है । क्या इस प्रकार की दयनीय अवस्था में हम अपने देश में दस्तकारी को बढ़ावा दे सकते हैं ? यहां तक कि ग्रामीण महिलाएं भी कुछ ऐसे उत्पादों का निर्माण करती हैं जो पेरिस, न्यूयार्क और वाशिंगटन जैसे शहरों में भी लोकप्रिय हैं; इनमें अधिक पैसा भी खर्च नहीं होता । परन्तु अभी तक हमने स्वतन्त्रता के 42 वर्ष व्यर्थ गंवा दिए हैं; हमने उनके तकनीकी ज्ञान और ऊर्जा का उपयोग नहीं किया है ।

महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा । तत्पश्चात् लोग कृषि-उद्योग एवम् खाद्य प्रसंस्करण एककों

की बात करते हैं । यहां हमारे पास अलग वस्त्र मन्त्री हैं; राज्यों में अलग से चीनी मन्त्री हैं । मन्त्रालयों के अपने उपकरणों के साथ हमारा खाद्य प्रसंस्करण के लिए अलग मन्त्रालय है । हमारे नौजवान और गतिशील उद्योग मन्त्री पहले ही हमारे समक्ष बैठे हैं । इतने अधिक विभागों की कहां आवश्यकता है ? मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि सभी प्रकार के औद्योगिक क्रिया-कलाप एक ही विभाग के अन्तर्गत रखे जाएं जो एक ही उद्योग मन्त्री के नियन्त्रण में हों । यदि कार्य में अन्य लोगों की सहायता की आवश्यकता हो तो अलग उप-अनुभाग या विभाग बनाएं जा सकते हैं । जिस बात की मैं आलोचना करना चाहता हूं वह यह है कि हमें औद्योगीकरण की प्रक्रिया को विभिन्न चरणों में नहीं बांटना चाहिए । जब हम खाद्य प्रसंस्करण की बात करते हैं तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । जब किसानों से आलू खरीदा जाता है तो हम अब भी इस स्थिति में नहीं हैं कि उनको 100 रुपये प्रति क्विटल मूल्य दे सकें । परन्तु जब यही आलू चिप्स में परिवर्तित कर दिया जाता है और जिन्हें पालिथीन की थैलियों में डालकर लखनऊ के सम्भ्रांत हजरतगंज क्षेत्र में बेचा जाता है तो उपभोक्ताओं को एक क्विटल आलू चिप्स के लिए 1250 रुपए अदा करने होते हैं । इसमें क्या प्रौद्योगिकी है ? इसमें कितनी पूंजी की आवश्यकता है ? जब हम खाद्य प्रसस्करण और कृषि उद्योगों की बात करते हैं तो हमें यह सुसिश्चित करना चाहिए कि यदि हम एक गरीब किसान को 100 रु० प्रति क्विटल नहीं दे सकते और यदि उपभोक्ता आलू के चिप्स 1250 रु० क्विटल प्राप्त करता है तो मेरी तरह एक व्यक्ति यह जानना चाहता है कि शेष 1150 रु० कहां जाते हैं । किसानों और उपभोक्ता से धोखा होता है और बिचौलिए को मुख्य लाभ होता है । इसे शीघ्र ही रोका जाना चाहिए ।

हम जोर-शोर से श्रमिकों की भागीदारी की बात कर रहे हैं । मैं स्कूटर्स आफ इण्डिया का मामला नहीं दोहराऊंगा । मैं अपने गतिशील मन्त्री महोदय से व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करता हूं कि वे उनकी समस्याओं को देखें ।

इस सारी व्यवस्था में मैं नौकरशाही को रेखांकित करना चाहता हूं । अखिल भारतीय सेवा संवर्ग में मेरे अपने मित्र हैं । वे बहुत ही योग्य और गुणवान व्यक्ति हैं । परन्तु त्रासदी यह है कि आज भारतीय प्रशासकीय सेवाओं का एक अधिकारी शिक्षा सचिव बनता है तो कल वह सरकारी उपक्रमों का सचिव बन जाता है, तीसरे दिन वह स्वास्थ्य सचिव, चौथे दिन विदेश सचिव बन जाता है, पांचवें दिन वह इस्पात और खान मन्त्रालय की अध्यक्षता करने लगता है और सप्ताह के अन्तिम दिन उसे श्री मुरासोली मारन जी के साथ शहरी विकास मन्त्रालय की देखभाल करने के लिए लगा दिया जाता है । ऐसी बातें और अधिक समय के लिए जारी नहीं रहनी चाहिए । लोक-क्रिया-कलाप के सभी क्षेत्रो में, विशेषज्ञों के लिए अखिल भारतीय संवर्ग होना चाहिए जहां उन्हें विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए और तब देश की उन्नति की कुछ हद तक गारन्टी दी जा सकती है ।

प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी अभी एक नारा मात्र है । यह केवल नारा नहीं रहना चाहिए । श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए ऐसी बात चल रही है । जैसाकि माननीय मन्त्री महोदय जानते हैं कि यहां विज्ञान भवन में आयोजित प्रथम सम्मेलन/सेमीनार में एक प्रतिनिधि के रूप में मैंने भी भाग लिया । मैं सदा यह कहता रहा हूं और मैंने वहां पर भी यह कहा कि यह भागीदारी प्रभावी होनी चाहिए । आधा दर्जन नौकरशाहों का एक यूनियन के प्रतिनिधि के साथ बैठना श्रमिकों की भागीदारी नहीं है । इसको प्रभावी भागीदारी के रूप में परिवर्तित किया जाना चाहिए ।

श्री साठे ने कहा—मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिसने चर्चा आरम्भ की और किसी ने

भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया है—कि कार्य संस्कृति गिर गई है। यह खराब हो गई है। रुग्ण इकाई और सार्वजनिक क्षेत्र एक ही बात है; वहां कोई कार्य संस्कृति नहीं है। इसके अनेक कारण हैं। मैं उनके विस्तार में नहीं जाऊंगा। इस जटिल समस्या का समाधान किया जा सकता है। हम केवल तभी एक नई कार्य संस्कृति कायम कर सकते हैं जब उन्हें संस्थाओं को चलाने में भागीदार बनाया जाए और तभी वे उत्तरदायी हो सकते हैं। आप अन्य लोगों को स्वामी बना देते हैं और श्रमिकों से आशा करते हैं कि वे बन्धुआ मजदूर की तरह कार्य करें। इस देश में नई कार्य संस्कृति कभी उत्पन्न नहीं हो सकती।

नियत समय से कुछ क्षण शायद अधिक लेने और मुझे सुनने के लिए आपका विशेष धन्यवाद।

मैं उद्योग मन्त्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वार) : इस मन्त्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगा ताकि हमारे युवा मन्त्री महोदय उन कमियों को दूर कर सकें जो स्वतन्त्रता के 40 वर्षों के बाद भी ज्यों की त्यों हैं।

सामूहिक क्षेत्र के पुनरावलोकन ने देश में सरकार द्वारा नियन्त्रित और गैर-सरकारी नियन्त्रित 1,155 कम्पनियों का जिक्र किया है।

31-12-1989 को कार्य अनुसार कम्पनियों का बंटबारा यह प्रदर्शित करता है कि उस दिन 51.4 प्रतिशत कम्पनियां प्रक्रिया और निर्माण में लगी थी; 5.5 प्रतिशत कम्पनियां कई अन्य कार्यों यथा—कृषि, खनन, निर्माण, सार्वजनिक सुविधाओं, यातायात, संचार, और भण्डारण प्रणाली इत्यादि में संलग्न थी। 24 कम्पनियां ऐसी थीं जो शेयर से प्रतिबन्धित थीं। और 31 दिसम्बर 1988 को ये कम्पनियां असीमित देनदारियों के साथ कार्य पर थीं। ये सब कम्पनियां गैर-सरकारी निजी कंपनियां थीं। असीमित देनदारियों वाली ऐसी कम्पनियां सारे देश में बिखरी हैं। इस प्रकार की 153 कंपनियां महाराष्ट्र में, 80 गुजरात में, 49 दिल्ली, 35 गोआ, और शेष 7 अन्य राज्यों में हैं।

वर्ष 1988-89 के दौरान कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत कुछ नई कम्पनियां पंजीकृत की गईं। उस समय 27 सरकारी और 21,884 गैर-सरकारी कम्पनियां थी जिनके पास क्रमशः 2,465 करोड़ रुपए और 2,330 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी थी। इसके साथ-साथ असीमित देनदारियों के साथ 10 सरकारी कम्पनियां पंजीकृत की गईं। उनकी असीमित देनदारियों के साथ उनकी पृष्ठभूमि के कारण उन्हें और लाइसेन्स नहीं दिए जाने चाहिए थे। इसके अतिरिक्त 1988-89 के दौरान, सीमित देनदारियों के साथ 76 गैर-सरकारी कम्पनियों को नए सिरे से मौके दिए गए। जिनका पंजीकरण अप्रैल-दिसम्बर 1989 के दौरान किया गया, उनकी अधिकृत पूंजी 7290 करोड़ रुपए थी। 31 दिसम्बर 1989 को कार्य करने वाली विदेशी कम्पनियों की संख्या 455 थी। कम्पनी अधिनियम 1956 और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अतिरिक्त कम्पनी मामलों का विभाग चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1949, लागत और संकर्म अकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1959 और कम्पनी सैक्रेटरी अधिनियम, 1980 के साथ भी सम्बन्ध रखता है। इस प्रकार मन्त्रालय को इन सब कम्पनियों से सम्बन्ध रखना होता है। साथ ही, कम्पनी मामलों का विभाग सहभागिता अधिनियम, 1932, कम्पनी (राष्ट्रीय निधियों में दान) अधिनियम और सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1960

के प्रशासनिक मामलों को देखना है। इस विभाग द्वारा अनेक विषयों से सम्बन्धित मामले भी देखे जाते हैं।

अब मैं लम्बित मामलों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। 31 मार्च, 1989 तक धारा 10क (4) के अधीन स्वत: जांच सम्बन्धी मामलों क अन्तर्गत 317 मामले एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के पास लम्बित पड़े हैं। 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार धारा 36ख(क) के अन्तर्गत अनुचित व्यापार के सम्बन्ध में 75 मामले आयोग के पास लम्बित पड़े हैं। 93 मामले 31 दिसम्बर 1989 तक अनिर्णीत पड़े थे। ये वे आवेदन-पत्र हैं जो जांच और पंजीकरण महानिदेशक द्वारा धारा 36(ख)(ग) के अन्तर्गत भेजे गए हैं। धारा 36(ख)(घ) के अधीन गठित स्वत: जांच-पड़ताल से ज्ञात होता है कि 31 दिसम्बर, 1987 तक 470 मामले एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के पास लम्बित पड़े थे। 31 दिसम्बर, 1989 तक धारा 12क के अन्तर्गत अस्थायी आदेश के अधीन 78 मामले लम्बित पड़े हैं। 31 दिसम्बर, 1989 तक धारा 12ख के अन्तर्गत प्रतिकर अधिनिर्णीत सम्बन्धी 3,465 मामले लम्बित थे। अत: मैं यह कहना चाहता हूं कि औद्योगिक नीति को एक नयी दिशा देने की आवश्यकता है क्योंकि अभी तक भूतपूर्व सरकार ने उस नीति का पालन किया था जो पूंजीवादी, और नौकरशाही के अनुकूल थी तथा श्रमिक-वर्ग, जनता और उपभोक्ता के प्रतिकूल थी। इसमें तुरन्त परिवर्तन किया जाना चाहिए। अन्यथा, जनता की उम्मीदों पर पानी फिर जायेगा। यदि नीति में संशोधन नहीं किया जाता तब स्वाभाविक है कि लोग इस नयी सरकार को भी माफ नहीं करेंगे।

अमीर और अमीर हो गए और गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। नि:सन्देह औद्योगिक रूप से हमारे देश का विकास हुआ है। परन्तु सत्ता और लाभ के वितरण में अभी भी असंतुलन है और यह हमारी दोषपूर्ण नीति के कारण है और इसीलिए हमारी नीति में परिवर्तन करना अत्यन्त आवश्यक है। नीति-निर्माता अभी तक तो हमेशा ही बड़े लोगों, नौकरशाहों और पूंजीपतियों के पक्ष में रहे हैं। देश की प्रत्येक परियोजना में आम आदमी को ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रबन्धन में मजदूरों की भागीदारी एक अर्थहीन नारा है। बल्कि उद्योग को चलाने के हर पक्ष में प्रबन्धन पर मजदूरों का नियन्त्रण होना चाहिए। वही पूर्णरूप से सही नीति होगी और मैं यह इच्छा करता हूं कि यह सरकार इस दिशा में काम करेगी।

सभापति महोदय : अब श्री आर० मुथिया बोलेंगे। मुझे आपको समय के बारे में सतर्क कर देना चाहिए। आपको कितने मिनट की आवश्यकता है।

श्री आर० मुथिया (पेरियाकुलम) : दस मिनट की आवश्यकता है।

सभापति महोदय : कृपया पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करने का प्रयत्न करें।

श्री आर० मुथिया : सभापति महोदय, उद्योग मन्त्रालय की इस अत्यन्त महत्वपूर्ण मांग पर अपने दल अखिल भारतीय अन्ना द्रविण मुनेत्र कषगम की ओर से कुछ बोलने के लिए मुझे अवसर देने हेतु मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

सबसे पहले तो मुझे यह बताते हुए अफसोस होता है कि तमिलनाडु की जनता की कुछेक लम्बे समय से चली आ रही वास्तविक मांगों पर सरकार की पूर्ण निष्क्रियता और चुप्पी के कारण इस मांग पर हमें अत्यधिक निराशा हुई है। हम विशेषरूप से तथाकथित सलेम इस्पात संयन्त्र को उसके वर्तमान

स्वरूप सलेम स्टील रोलिंग प्लांट से बदल कर एक पूर्ण स्टील संयन्त्र के रूप में उसका विस्तार करने की मांग कर रहे हैं। तथा हम यह चाहते हैं कि उस क्षेत्र में उपलब्ध लौह अयस्क का प्रयोग इस निमित्त किया जाए। हम पहले से ही थे परन्तु इस सरकार ने भी इस विस्तार योजना के बारे में कुछ न करके हमें काफी निराश किया है। इसी प्रकार, हम ऊटी स्थित हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स संस्थान को भी वहां पर स्थित रंगीन फोटो फिल्म संस्थान का विस्तार करके उसके विस्तार की मांग कर रहे हैं। परन्तु इस समय दुख की बात यह है कि यद्यपि विस्तार की कोई योजना नहीं बनाई गई है, परन्तु वर्तमान परियोजना वित्त मन्त्री द्वारा की गई इस घोषणा से कि आयातित **'जम्बो रोल्स'** को कर में छूट दी जाएगी, से काफी कठिनाई में पड़ने जा रही है।

यद्यपि नारीमनम और आदिवमंगलम में एक तेलशोधक परियोजना स्थापित करने के लिए कावेरी बेसिन से सम्बन्धित सारी छानबीन पूरी हो चुकी हैं, परन्तु निकट भविष्य में उसे साकार करने के लिए हमारे पास कोई ठोस उपाय नहीं हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह अपने मित्र पेट्रोलियम मन्त्री जी से कहें कि इस एकक को कम से कम नवीं योजना अवधि में पूरा कर लिया जाये।

एक ओर इस सरकार द्वारा बरती गई लापरवाही को यदि हम अनदेखा कर दें तो दूसरी तरफ हमारी अपनी सरकार है जो कुछेक विद्यमान औद्योगिक प्रस्तावों के बारे में राजनैतिक रूप से पक्षपात बरत रही है। उदाहरण के लिए, हमारे पास शिवगंगा में ग्रेफाइट परियोजना का प्रस्ताव आया था। इस परियोजना के प्रारम्भिक कार्यों का भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी द्वारा पहले ही यहां पर उनके दौरे के दौरान उद्घाटन कर दिया गया था। परन्तु जैसे ही डी० एम० के० सरकार सत्ता में आयी, कुछ राजनैतिक कारणों से इसे इस समय छोड़ दिया गया है और विद्यमान ग्रेफाइट को कुछ गैर-सरकार एजेंसियों के माध्यम से किसी अन्य स्थान पर ले जाया गया है तथा यह कार्य भी तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री के दामाद के आदेश पर किया गया, बताया जाता है केन्द्रीय और राज्य सरकारों के इस व्यवहार से मुझे भय है कि कुछ समय पश्चात् हम यह सुनेंगे कि तमिलनाडु "औद्योगिक दृष्टि से विकास शून्य राज्य" घोषित कर दिया गया है जैसे कि हम कुछ जिलों के बारे में सुन रहे हैं जिन्हें "उद्योग विहीन जिला" घोषित कर दिया गया है।

इस सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि सरकार के 50% संसाधनों का इस्तेमाल ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए किया जाएगा। यह स्वाभाविक है कि औद्योगिक विकास ऐसा क्षेत्र है जिसमें जनता यह उम्मीद करेगी कि यह सरकार अपने वादे पूरे करे। परन्तु हमारे मंत्री जी को यह स्पष्ट करना होगा कि यह सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास पर कितने संसाधनों का इस्तेमाल करने जा रही है।

इसी प्रकार पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए इस सरकार ने काफी वायदे किए हैं। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ राजसहायता भी दी गई है। राज्य सरकार ने एक बड़ी राशि राजसहायता और शुल्क में रियायत के रूप में देने की भी मंजूरी दे दी है। परन्तु पिछड़े क्षेत्रों में उद्यमियों द्वारा केन्द्र और राज्य सरकारों से ये रियायत पाकर शुरू किए गए उद्योगों में हम यह देखते हैं कि अधिकतर मामलों में उन्होंने पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किए हैं जिससे कि उस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ें परन्तु वास्तव में वे लोग यह कर रहे हैं कि वे अपने स्थानों से उस पिछड़े क्षेत्र में अपने आदमी ले रहे हैं। अतः मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हमारे मंत्री जी कृपया इन सब बातों पर ध्यान दें

और इन उद्योगों का पूरा सर्वेक्षण करायें और देखें कि राज्य और केन्द्र से सहायता प्राप्त करने के पश्चात् क्या उन्होंने उस पिछड़े क्षेत्र की जनता को उचित और पर्याप्त रोजगार के अवसर दिए हैं जहां पर उन्होंने उद्योग स्थापित किए हैं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्दीपत्ती क्षेत्र में मुझे अनुभव है जहां से भूतपूर्व मुख्यमंत्री और हमारे राजनैतिक सलाहकार डा० एम० जी० आर० ने चुनाव लड़ा था। उनके निजी हित के कारण उस क्षेत्र में कुछ उद्योगों की स्थापना की गई हैं। परन्तु उन्होंने पांच प्रतिशत स्थानीय जनता को भी रोजगार नहीं दिया है। प्रत्येक स्थान पर यही सब होगा। अतः आप इन उद्योगों का पूरा सर्वेक्षण करें कि क्या उन्होंने उस पिछड़े क्षेत्र में कम से कम पचास प्रतिशत लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं अथवा नहीं। यदि ऐसा नहीं होता है तो बिना कोई कारण बताए आप उन लोगों से राजसहायता वापस लेने के लिए ठोस कदम उठाए जो उन्होंने सरकार से ली है। केवल तभी हम पिछड़े क्षेत्रों की जनता के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न कर सकते हैं। मेरे क्षेत्र बोदी में हमारे यहां काफी अच्छी रेशमी सूती कपड़ा और अन्य ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल खादी और ग्राम-उद्योगों द्वारा किया जा सकता है। खादी और ग्राम उद्योग विभाग को बोदी क्षेत्र में कुछ करना चाहिए। वे इसे वहां से ले जाकर अन्य स्थानों पर भेज रहे हैं। उन्हें बोदी में ही कुछ करना चाहिए। अन्दीपत्ती और बोदी के अलावा मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में सेदापत्ती और करबम क्षेत्र हैं। अभी तक वहां कोई उद्योग नहीं है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे ऐसे क्षेत्रों पर ध्यान दें जहां पर अभी तक कोई उद्योग नहीं हैं।

अन्त में, मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान उद्यमियों के मन में बढ़ते हुए भय की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि लारसन एण्ड टूबरो के मामले में सरकार द्वारा उठाए गए कदम के कारण बढ़ रहा है। जीवन बीमा निगम के माध्यम से सरकार ने लारसन एण्ड टूबरो के प्रबन्धन से अम्बानी को हटाने की पहल की है। जबकि लारसन एण्ड टूबरो से इस परिवार को हटाने की कारंवाई करने के पीछे क्या कारण है यह स्पष्ट नहीं हो सका है परन्तु मैं समझता हूं कि सरकार ने यह निर्णय नेक इरादे से किया है जिससे कि लारसन एण्ड टूबरो में जनता के और छोटे शेयरधारियों के हितों की रक्षा हो सके। यदि ऐसा है तब मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या अन्य कम्पनियों के मामले में भी इसी प्रकार से कारंवाई की जाएगी। मैं आपको तमिलनाडु की एक बड़ी सीमेंट कम्पनी, दि इण्डिया सीमेन्ट्स लिमिटेड, मद्रास का उदाहरण देना चाहता हूं, जो भारत की सबसे बड़ी और पुरानी सीमेंट निर्माता कम्पनी है तथा जिसकी क्षमता प्रति वर्ष लगभग 1.5 मिलियन टन है। इस शानदार कम्पनी में वर्ष .980 के आरम्भ में उद्यमियों ने अपने गलत प्रबन्ध और कम्पनी की पूंजी का दुरुपयोग और जालसाजी करके कम्पनी को पूर्ण बर्बादी के कगार तक पहुंचा दिया था। तब, वित्तीय संस्थाओं ने, जिनके पास कम्पनी के 50 प्रतिशत से भी अधिक ईक्विटी पूंजी थी, प्रबन्ध को बदलने के लिए कड़े कदम उठाए तथा 1981 में हुई एक असाधारण आम बैठक में एक प्रस्ताव के द्वारा प्रोत्साहक परिवार को हटा दिया। कम्पनी ने वित्तीय संस्था के नियन्त्रण में व्यावसायिक प्रबन्ध के द्वारा एक असाधारण नई नीति ग्रहण की। विश्व बैंक दल, जिन्होंने 1935 में देश में करीब एक दर्जन सीमेंट एककों का निरीक्षण किया, जिससे आधुनिकीकरण के लिए उन्हें मदद दी जा सके, ने भारत सीमेंट को सुप्रबन्धित कम्पनी होने के नाते मदद देने के लिए चुना। वैसे भी, कम्पनी बहुत अच्छी चल रही थी और आधुनिकीकरण के लिए 150 करोड़ रु० की लागत से इसको आगे बढ़ाने का कार्यक्रम था।

पांच वर्षों के अन्दर ही, उन्होंने प्रोत्साहकों द्वारा जमा किए पांच करोड़ रुपए की हानि को

समाप्त कर दिया था और कर्मचारियों को अधिकतम 20 प्रतिशत बोनस और शेयरधारियों को 20 प्रतिशत लाभांश देने के बाद भी आन्तरिक रूप से लगभग 50 करोड़ रुपए के संसाधन जुटाए।

ऐसे समय में, 1989 के दौरान वह प्रोत्साहक जो कम्पनी का नियन्त्रण फिर से अपने हाथ में लेने के लिए अपनी साजिशों से कभी पीछे नहीं हटे और जो द्रविड़ मुनेत्रकषगम नेता श्री करुणानिधि के मित्र थे, फिर से चुपचाप इस क्षेत्र में वापिस आ गए।

श्री श्रीनिवासन का वही परिवार, जिसने व्यवस्थित रूप से कम्पनी में घपला किया था, फिर से वापिस आ गया है। वही व्यक्ति जो 1981 में अपने अधिकारों के दुरुपयोग, रुपयों के गबन, कुप्रबन्ध और अन्य कई कारणों से हटाया गया था, 1989 में द्रविड़ मुनेत्र कषगम के सत्ता में आने के बाद उसी वित्तीय संस्था के द्वारा कम्पनी में वापस आ गया।

इस परिवार के पास, किसी भी रूप में, ईक्विटी पूंजी का 5 प्रतिशत से अधिक भाग नहीं है। सरकार ने लारसन एण्ड टूबरो के मामले में कार्यवाही की है, जिसमें अम्बानी के करीब 34 प्रतिशत शेयर हैं, अब मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार 'भारत सीमेंट्स' के मामले में, जिसमें श्रीनिवासन के करीब 5 प्रतिशत ईक्विटी शेयर हैं, चुपचाप बैठकर तमाशा देखेगी।

महोदय, मैंने इसे विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया है क्योंकि यह कम्पनी तमिलनाडु में है और मैं इसका इतिहास जानता हूं। किन्तु मुझे मालूम हुआ है कि इस स्तर की करीब 12 कम्पनियां हैं। मैं मन्त्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इन सभी 12 कम्पनियों के विरुद्ध कदम लेने जा रही है।

यदि ऐसा है, तो क्या आप वैसी ही कार्यवाही करने जा रहे हैं जैसे लारसेन एण्ट टूबरो के मामले में की थी ?

मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करता हूं कि मन्त्रालय का भार सम्भालते हुए वे यह ध्यान में रखें कि कोई क्षेत्रीय असन्तुलन न हो। इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जनक राज गुप्त (जम्मू) : सभापति महोदय, देश की तरक्की के लिए और देश की दौलत को बढ़ाने के लिए देश में इण्डस्ट्री की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि ज्यादा प्रोडक्शन हो।

(व्यवधान)

इस देश की दौलत को बढ़ाने के लिए, देश की तरक्की के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा सके, दिया जाए।

इस वक्त सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा मसला हमारे सामने बेरोजगारी का है। अगर इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए, औद्योगिक उन्नति हो तो यह समस्या भी कम हो सकती है, बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने में काफी मदद मिल सकती है। मैं चाहूंगा कि हमारी सरकार इस तरफ तवज्जह दे और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश होनी चाहिए। इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और सुविधाएं दी जानी चाहिए और इसके लिए जो भी प्रावधान आवश्यक हों, वे किए जाने चाहिए।

सबसे पहले हमको लाइसेंसिंग पालिसी को लिबरल करना चाहिए, ताकि लोगों को लाइसेंस

लेने में दिक्कत न हो। वन विन्डो सिस्टम शुरू करना चाहिए, ताकि लोग जिस तरह से दफ्तरों में भटकते रहते हैं, उनको मुश्किलात आती हैं, वे दूर हो सकें, उनको फायदा हो और उनका समय बचे और वे जल्दी से जल्दी अपने काम में लग जाएं।

इसके अलावा, बड़ी-बड़ी इण्डस्ट्रीज तो ठीक हैं लेकिन ज्यादा तवज्जो स्माल स्केल इण्डस्ट्री की तरफ देनी चाहिए। क्योंकि जितने छोटे-छोटे एरियाज हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, तहसील लेवल के, ब्लाक लेवल के, यदि वहां पर स्माल स्केल इण्डस्ट्री को एनक्रेज किया जाएगा तो लोगों को ज्यादा फायदा होगा।

दूसरी बात यह है कि अभी एक मेरे फाजिल दोस्त कह रहे थे कि जहां भी इण्डस्ट्री लगानी हो या लाईसेंस देने हों तो उसके लिए पॉलिटीकल कंसीड्रेशन नहीं होना चाहिए। मैं भी यह कहूंगा कि यह कंसीड्रेशन नहीं होना चाहिए अलबत्ता यह देखना चाहिए कि कहां फिजिबिलिटी है, रॉ-मैटीरियल कहां है, लेबर कहां आसानी से मिल सकती है, बिजली कहां मिल सकती है, वहां इण्डस्ट्री लगाई जाए। उससे देश को भी फायदा होगा और वहां के रहने वाले लोगों को भी फायदा होगा।

जनाब, लेबर पार्टीसिपेशन की बात यहां बहुत जोर-शोर से हुई। मैं यह समझता हूं कि अभी तक इसकी इम्पलीमेंट करने के लिए कोई तरीका सामने नहीं आया और न ही कोई स्टैप्स ऐसे लिए गए हैं जिससे लेवर पार्टीसिपेशन हो। इसलिए यह जरूरी है कि जल्दी से जल्दी यह किया जाए। यदि लेबर और मैनेजमेंट के ताल्लुक अच्छे होंगे तो उससे फैक्टरी में काम अच्छा होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा और देश को फायदा होगा। जहां तक पब्लिक सैक्टर अण्डरटेकिंग्स का ताल्लुक है, उस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। क्योंकि यह देखने में आया है कि जनरली पब्लिक सैक्टर अण्डरटेकिंग्स घाटे में जाती हैं। 1984-85 में 1112 करोड़ रुपए का नेट लॉस था और 1986-87 में 1710 करोड़ रुपए का नेट लॉस हो गया। यह लॉस बढ़ता ही जा रहा है। इससे कोई फायदा नहीं है। क्योंकि न तो हम बड़े-बड़े मोनोपोलिस्टस से मुकाबला कर सकते हैं और न ही इससे फायदा हो सकता है। इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए ताकि देश की इस प्रोपर्टी से हमें फायदा पहुंच सके और हमारा देश तरक्की कर सके।

जनाब, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, जम्मू-कश्मीर रियासत में पुंछ और राजौरी बहुत गन्दा और बैकवर्ड इलाका है। मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं, ये बड़े डायनेमिक हैं, काम करना चाहते हैं, हमारा बैकवर्ड इलाका है इसकी तरफ तवज्जो दें और बैकवर्ड एरियाज में इण्डस्ट्री लगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कदम उठाएं, ताकि उस इलाके के लोग भी फायदा उठा सकें। क्योंकि न वहां पर इतनी जमीन है, न लोगों का कारोबार है, वहां पर बार्डर है, वे दूर जा नहीं सकते, इसलिए मैं चाहूंगा कि राजौरी और पुंछ के इलाके में, जम्मू के एरिया में, भदरवा और किश्तबाड़ में सर्वे करवाया जाए। वहां पर बहुत स्कोप है, फ्रूटस है, वेजीटेबल है, वहां पर फारेस्ट बेस्ड इण्डस्टरी लग सकती है और भी बहुत सी इण्डस्टरीज वहां पर लगायी जा सकती हैं। वहां सर्वे करवा कर जिस-जिस इण्डस्टरी का स्कोप हो, वहां पर लगनी चाहिए, ताकि लोगों को फायदा हो सके।

इसके अलावा, जम्मू काश्मीर में दो इण्डस्टरीज हैं—एच० एम० टी० और आई० टी० आई०। उसके लिए भी आपने वायदा किया है कि आप उनको एक्सपैंड करने के लिए ज्यादा पैसा देंगे और उसको एक्सपैंड करेंगे। मैं समझता हूं कि आज की हालत को मद्देनजर रखते हुए वहां पर ज्यादा फायनांसिज देने चाहिएँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पर रोजगार मिल सके। यह जो अनरैस्ट है इसके कम होने में भी मदद मिल सकती है। इतना ही नहीं, मैं मन्त्री जी से चाहूंगा कि पुंछ और

राजौरी का जो एरिया है, वहां दोनों इण्डस्टरीज के लिए क्लाईमेट भी मौजूद है, वहां पर इण्डस्ट्री शुरू करें। वहां के लोगों को इससे फायदा हो सकता है और जम्मू-कश्मीर जो बैकवर्ड स्टेट है, वहां पर इण्डस्ट्री स्थापित हो सकती है और लोगों को फायदा हो सकता है।

यहां पर इण्डस्ट्रियल ग्रोथ सैंटर के बारे में बात हुई। सरकार ने बहुत से इण्डस्ट्रियल ग्रोथ सैंटर सैंक्शन किए थे।

एक सेंटर मेरे हल्के में सम्भ में मंजूर हुआ और उसमें रुपया भी इयर मार्क कर दिया कि 35 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, जमीन लेने के भी आर्डर हो गए, लेकिन आज तक न जमीन ली गयी और न पैसा खर्च हुआ। वहां के लोगों को यह उम्मीद बंधी थी कि यहां बेरोजगार लोगों को और मजदूरों को रोजगार मिलेगा, लेकिन आज तक वह काम शुरू नहीं हुआ। मैं चाहूंगा सम्भ में जो इन्डस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर मंजूर किया है उसमें काम चालू कराया जाए ताकि लोगों की जो उम्मीद है उसे पूरा किया जा सके और वहां पर यह सेंटर बने। जितना भी हमारा एरिया है उसमें स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए मंत्री जी को पूरी तरह कोशिश करना चाहिए ताकि हमारा जो बोर्डर एरिया है, बैकवर्ड एरिया है और जैसे केण्डी का एरिया है वहां पर हमारे लोग फायदा उठा सकें।

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : सभापति महोदय, जल्दी ही सरकार एक नई औद्योगिक नीति के साथ आगे आ रही है और मुझे विश्वास है, माननीय सदस्यों द्वारा यहां दिए गए सुझावों को ध्यान में रखेगी।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो सरकार को ध्यान में रखनी है वह है देश में एक उपयुक्त औद्योगिक वातावरण तैयार करना जिसमें न केवल उद्योगों को शुरू किया जा सके बल्कि उद्योगों का विकास भी हो सके। जब हम इसके बारे में सोचते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो सकती है कि औद्योगिक क्षेत्र में अधिकतम योग्यता को प्राथमिकता दी जाए। हम ऐसा वातावरण कैसे उत्पन्न कर सकते हैं जिसमें उद्योग का उत्पादन अधिकतम हो और हमारे पास सबसे अधिक योग्यता हो ? कर्मचारी संतुष्ट होने चाहिए, प्रबन्ध सन्तुष्ट होना चाहिए, लाभ होना चाहिए और सरकार को भी उसका उचित हिस्सा मिलना चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उद्योगों में, उद्योगों के प्रबन्ध में और वास्तविक स्वामित्व में श्रमिकों को उचित सहभागिता मिले। हमें भी यह देखना चाहिए कि कर्मचारियों को जो प्रोत्साहन दिया जाता है उसे हर तरह से बढ़ाया जाए। कर्मचारियों को यह महसूस होना चाहिए कि उन्हें वास्तव में लाभ में हिस्सा मिलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा आजकल हम कर्मचारियों को बोनस देते हैं, जो वास्तविक लाभ-सहभागिता पर आधारित नहीं होता है, किन्तु एक प्रकार का आकस्मिक भत्ता होता है। मैं सोचता हूं कि सरकार को इस पहलू के बारे में बहुत गम्भीरता से सोचना होगा।

सरकार द्वारा घोषित की जाने वाली औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में मेरे पास कुछ सुझाव हैं, जो मेरे राज्य केरल से सम्बन्धित हैं। जहां तक उद्योगो का प्रश्न है, केरल एक पिछड़ा हुआ राज्य है। यहां ऐसा राज्य है जहां बहुत साधन हैं, उदाहरण के तौर पर, टिटेनियम केरल के तटों पर उपलब्ध है। वास्तव में, केरल को इसका एकाधिकार प्राप्त है। किन्तु वहां कोई सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम नहीं है। वहां ऐसी कोई फैक्टरी नहीं है जहां इन साधनों का समुचित उपयोग किया जा सके और देश के लिए

उसका प्रयोग किया जा सके। सरकार को सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम के बारे में विचार करना चाहिए जहां इस संसाधन का समुचित उपयोग किया जा सके और राज्य और देश के लाभ के लिए उसका प्रयोग किया जा सके।

इसके पश्चात्, बड़े औद्योगिक घरानों के बारे में मेरे पास एक सुझाव है। हमारे राज्य और देश के अन्य भागों में इन बड़े घरानों का सरकार पर, यहां तक कि हमारे देश के लोगों पर भी नियन्त्रण है। मैं मयूर रेओन्स का उदाहरण दे सकता हूं जो बिरला परिवार द्वारा नियन्त्रित है।

3.00 म० प०

कालिकट में वह एक बड़ी फैक्टरी है। कई वर्ष पहले वहां हड़ताल हुई थी और तालाबन्दी हुई थी। वह फैक्टरी कई महीनों और वर्षों तक बन्द रही। अन्त में सरकार को मयूर रेओन के साथ एक समझौता करना पड़ा। वास्तव में सरकार को केरल राज्य की वन सम्पदा को एक बड़े औद्योगिक घराने के पास गिरवी रखना पड़ा। इस बात पर समझौता हुआ कि इस बड़े औद्योगिक घराने को बहुत ही कम मूल्य पर पांच वर्षों से अधिक समय तक के लिए बांस और कच्चा माल दिया जाएगा; वास्तव में यह उस आय की जड़ों को काटना है जो देश को प्राप्त होती है। मैं कहना चाहूंगा कि जब औद्योगिक नीति बनाई जाए तो सरकार यह सुनिश्चित करे कि इन बड़े औद्योगिक घरानों का नियन्त्रण कम हो। समय के अभाव के कारण, मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं।

श्री बाबूभाई मेघजी शाह (कच्छ) : उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग मन्त्री जो अपनी डिमांड्ज लेकर आए हैं, उनका समर्थन करता हूं और साथ ही जो कुछ बातें यहां सदन में हुई हैं, उसका जिक्र करते हुए मैं अपने कुछ सुझाव आपके माध्यम से उद्योग मन्त्री को देना चाहता हूं। अभी सीमेंट की बात करते हुए मुरली देवरा ने कहा कि 1982 में निष्क्रिय पद्धति सीमेंट के बारे में आयी थी, सीमेंट इंडस्ट्री को काफी बढ़ावा मिला और प्राडक्शन बढ़ा। प्राडक्शन जरूर बढ़ा लेकिन उससे सीमेंट कितना महंगा हुआ, वे फिगर्स उन्होंने नहीं दीं। मान्यवर, 1982 में उस समय की सीमेंट लाबी ने तत्कालीन उद्योग मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी पर क्या असर डाला, समझ में नहीं आता है। शाम के वक्त जो सीमेंट की बोरी 30/- रु० की थी, वह सुबह 60/- रु० की हो गयी। 1980-81 के साल में एसोसिएटड सीमेंट कम्पनी, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी सीमेंट प्रोड्यूसर्स कम्पनी थी, उस वर्ष एक करोड़ 75 लाख टन सीमेंट का उत्पादन देश में हुआ जिसमें 53 लाख टन सीमेंट ए० सी० सी० ने बेचा था और 400/-रु० टन के हिसाब से सेल्ज रिअलाईजेशन 206 करोड़ का हुआ तो उस पर नुकसान नहीं हुआ था फिर न जाने 600/- टन इस मुल्क में जो सीमेंट का भाव का एवरेज था, उसको ध्यान में न रखते हुए उसका 1200 रुपए ओपन मार्किट में करके 60/- रुपए की थैली बना दी। पोजीशन क्या है। सीमेंट उत्पादन जरूर बढ़ा है लेकिन आज नई सरकार के आने के बाद सीमेंट की बोरी में कम से कम 15-20 रुपए इस चार महीने के अन्दर भाव बढ़ गए हैं। मैं उद्योग मन्त्री से निवेदन करूंगा कि ब्यूरो आफ इण्डस्ट्रियल

3.03 म० प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तम पीठासीन हुए]

कॉस्ट एण्ड प्राईसेज के माध्यम से इन उद्योगों की जो जांच होती है वह सही नहीं होती है, उसके लिए एक स्वतन्त्र कमेटी बननी चाहिए और उसी के माध्यम से इसकी जांच होनी चाहिए। इसी तरह से

पेपर इण्डस्ट्री में यही हो रहा है। पेपर इण्डस्ट्री को उत्पादन के मामले में सैल्फ सफिसिएण्ट कहा जाता है लेकिन हम पल्प इम्पोर्ट करते हैं। यह पल्प बनाने की चीजें इस मुल्क के अन्दर बड़ी मात्रा में उपलब्ध है और कागज बनाने के लिए रा-मैटीरियल भी। मैं जंगल काटने का हिमायती नहीं हूं लेकिन हमारे देश में बगास उपलब्ध होने की जो क्षमता है, उसका उपयोग ठीक से नहीं हो रहा है। हमारी शुगर इन्डस्ट्रीज साल में 10 करोड़ टन गन्ने को पीसकर शक्कर बनाती हैं जिससे कम से कम 9 करोड़ टन बगास इस मुल्क में उपलब्ध होता है। यदि उसका 10 प्रतिशत भाग भी हम पेपर बनाने में उपयोग में लाएं तो हमारे देश में लगभग 30 लाख टन पेपर बनाया जा सकता है। आज हम 200 करोड़ रुपए से ज्यादा विदेशी मुद्रा पल्प और दूसरा रद्दी कागज दुनिया भर से इम्पोर्ट करने में खर्च कर देते हैं। मैं आपके माध्यम से उद्योग मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जब आप कहते हैं कि हम कागज के मामले में आत्म-निर्भर हैं, तो मैं उससे सहमत नहीं हूं। आप वस्तुस्थिति की जांच कराइए। इस देश में हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन की स्थापना दो उद्देश्यों को सामने रखकर की गई थी: मुल्क में पेपर का उत्पादन बढ़े और सस्ता कागज मिल सके। परन्तु खेद का विषय है कि इस मुल्क में पेपर लौबी, जो प्राइवेट क्षेत्र में है, वह बहुत बलवान और जोरदार है। आज भी हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन पर थापर ग्रुप हावी है। हमारा हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन शुरू से ही थापर ग्रुप के प्रभावक्षेत्र में काम करता रहा है। यही कारण है कि केरल के न्यूजप्रिंट पेपर प्लांट को लगने में 10 साल का समय लग गया जब कि नौर्मली किसी पेपर प्लांट को प्रोडक्शन में आने में ज्यादा से ज्यादा दो साल लगते हैं। परन्तु हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन में, थापर ग्रुप से चेयरमैन या मैनेजिंग डायरैक्टर के रूप में मिस्टर खुशी के आ जाने के बाद उन्होंने यह तरीका अपनाया है कि कैसे यह प्लांट डिले हो, कैसे इस देश में पेपर की कास्ट बढ़े। उनके प्रयासों के कारण इस देश में पेपर के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं जो हम सब के लिए चिन्ता का विषय है। विश्व के किसी भी देश में पेपर के इतने भाव नहीं बढ़े, जितने हमारे देश में बढ़ गए हैं। फिर आप देखिए हमारी कन्जम्पशन कितनी है, प्रति मानव सिर्फ एक किलोग्राम पेपर की कन्जम्पशन भी नहीं होती है। हमारे उद्योग मन्त्री जी विदेशों में रहे हैं, वे जानते होंगे कि अमेरिका में 200 किलोग्राम से ज्यादा पर कैपिटा पेपर की कन्जम्पशन है। उसे देखते हुए हमारे यहां कन्जम्पशन बढ़ती क्यों नहीं है, हमारे यहां क्यों पेपर सस्ता नहीं होता, इस पर सरकार को ध्यान देना होगा।

अब मैं आपसे साल्ट के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मैं जिस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कच्छ से चुनकर आता हूं वहां देश का सबसे अधिक साल्ट पैदा होता है। हमारे यहां अधिकतर छोटे उत्पादकों को नमक के लाइसेंस दिए गए हैं परन्तु गए साल इण्डस्ट्रीज मिनिस्ट्री ने एम० आर० टी० पी० के अन्तर्गत आने वाले बड़े उद्योगों को भी नमक बेचने की परवानगी दी गयी उनका काम हालांकि नमक को सोडा ऐश और कास्टिक सोडा बनाने के काम में लाना मात्र ही था, लेकिन उनको भी नमक बेचने की छूट दे दी गयी। इसका नतीजा हुआ कि नमक के जितने छोटे-छोटे उत्पादक थे, वे सब घाटे में आ गए। नमक का भाव वैसे भी इस देश में ज्यादा ऊपर नहीं गया है। यदि देश में आप नमक के उत्पादन की फीगर्स देखें तो उसका कन्जम्पशन उस मात्रा में बढ़ा नहीं है क्योंकि लोग तेल खाने लगे हैं, चीनी खाने लगे हैं, नमक की मात्रा बढ़ाने की कोई हिम्मत नहीं करता। आजकल तो साल्टलैस डाइट की चर्चा भी बहुत सुनने में आती है। इस कारण नमक का कन्जम्पशन घटता ही जा रहा है और साथ-साथ छोटे उत्पादकों की तकलीफें भी बढ़ रही हैं। मेरी प्रार्थना है कि बड़े उद्योगों को खुले मार्केट में नमक बेचने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। मुझे आशा है कि आप इस विषय पर गंभीरता से ध्यान देंगे। अब मैं आपका ध्यान खादी एण्ड विलेज इण्डस्ट्रीज की तरफ ले जाना चाहूंगा। इसके

कारण सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। हमारे देश में खादी उद्योग में लगभग 40 लाख से ज्यादा लोग हैं, जो इसके माध्यम से रोजगार पाते हैं। इनमें से 15 लाख से ज्यादा शैडयूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब के लोग हैं और 20 लाख से अधिक महिलाओं को इसके माध्यम से रोजगार मिलता है। खादी ग्रामोद्योग जो हैं, उसको ज्यादा रकम देनी चाहिए और उसका बाजार भी बढ़ना चाहिए।

अभी किसी ने कैपिटल इनटैंसिव की बात कही। हमें इस पर ध्यान देना होगा। हमारी जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं उस पर सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो इनवैस्टमेंट हुआ है 40 हजार करोड़ से ज्यादा, उसके मुताबिक रोजगार के अवसर लोगों को प्राप्त नहीं हो सके। छठी पंचवर्षीय योजना में 18 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता था और उतना ही इनवैस्टमेंट पब्लिक अंडरटेकिंग्स में करने के बाद डेढ़ लाख लोगों को रोजगार देने की क्षमता बढ़ी है, आप इस पर गौर करें। हमने अपने मैनिफेस्टो में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की बात कही है और कहा कि जिस हाथ को काम नहीं देंगे उसको सैल्फ-इम्पलायमेंट के लिए पैसा देंगे। पैसा देने की नौबत न आए यह आप ध्यान रखें। छोटे उद्योग जो कम इनवैस्टमेंट में ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं उनको आप बढ़ावा दें। जो छोटे उद्योग हैं उसमें 15 हजार की कैपिटल इनवैस्टमेंट करने के बाद एक व्यक्ति को काम मिलता है और जो बड़ी इंस्ट्रीज हैं उसमें दो लाख रुपया रखने पर भी एक आदमी को ही काम मिल पाता है। इस कारण स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहिए।

जो उद्योग सिक हो जाते हैं उसके लिए एक स्वतंत्र कमेटी बनानी चाहिए। आपके डिपार्टमेंट में इससे सम्बन्धित जो कमेटी बनी हैं, उस पर हमें कोई भरोसा नहीं है। आज सिक इंडस्ट्रीज की सख्या बढ़ती जा रही है। आपकी रिपोर्ट में जो कुछ भी लिखा जाता है वह अच्छा ही होता है। इसलिए एक स्वतंत्र कमेटी इसके लिए बनायें। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का जो समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री हरपाल सिंह पंवार (कैराना) : माननीय सभापति महोदय, भारत के औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि यहां पर आज तक जो भी किया गया उसमें ग्रामीण क्षेत्रों को उद्योगों के विकास में नजरअंदाज किया गया। चाहिए तो यह था कि देहातों में जो छोटे-छोटे उद्योग और कुटीर उद्योग घरों के अन्दर चलते थे उनको बढ़ाया जाता लेकिन वहां की व्यवस्था ने यहां की गलत नीतियों, ने यहां के गलत कार्यक्रमों ने ठीक इसका उल्टा किया। बड़े-बड़े कारखाने खड़े किए गए 500-500 करोड़ रुपए लगा कर और एक-एक हजार करोड़ रुपए लगाकर, लेकिन उसकी औसत में वहां रोजगार नहीं के बराबर थे। गांवों के अन्दर जो छोटे काम चल रहे थे जैसे कि लकड़ी का काम होता था, बुनाई का काम जुलाहा करता था और कुम्हार बर्तन बनाने काम करता था, अगर हमने इसको और बढ़ावा दिया होता तो यह बेकारी की समस्या इतनी गम्भीर नहीं होती। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसको बढ़ावा दिया गया होता तो रोजगार भी निकलते और देश की गरीबी जो आज बुरी दशा में है, वह भी इतनी गम्भीर नहीं होती। मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर जो भी इस बारे में सोचा गया, या करने की कोशिश की गई वह महज कागज तक ही रही।

नॉन इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट की जो लिस्ट बनायी गई, उस पर कोई कार्य नहीं किया गया क्योंकि जो बुनियादी जरूरतें हैं जिनके आधार पर उद्योग खड़े किए जा सकते थे—जैसे सड़कें हैं, संचार व्यवस्था है, वह वहां नहीं थीं, तो उद्योग लगाने की बात न प्राइवेट सैक्टर में और न पब्लिक सैक्टर

में सोची गई क्योंकि जब वहां पर शुरू की चीजें, आरम्भ की चीजें, जिनके आधार पर वह लग जातीं, वही नहीं, वहां पर तो इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से और उद्योग मंत्री जी से अनुरोध है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पर इस तरह के उद्योग बिल्कुल भी नहीं हैं और बेशुमार बेरोजगारी है तो वहां इस तरह की योजना बनाई जाय, उन जिलों का दोबारा सर्वे कराया जाय, जहां पर उद्योग बिल्कुल नहीं हैं या बहुत थोड़े हैं। उद्योग खास तौर पर एक निश्चित इलाके में, जहां एक उद्योग लग गया, उसके बराबर में दूसरे उद्योग खड़े हो गए तो ग्रामीण इलाका इससे पूरी तरह से छूट गया और ग्रामीण इलाके में बहुत बेरोजगारी की समस्या उसकी वजह से खड़ी हो गई।

महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यदि ग्रामीण इलाके में थोड़ा बहुत उद्योग का विकास किया भी गया, कुछ फैक्टरीज लगाई भी गई तो वहां पर देहाती आदमियों, को, ग्रामीण वर्कर्स को काम नहीं मिलता है, उनको कहा जाता है कि वह अनस्किल्ड हैं, वह कुशल नहीं हैं, उस तरह की ट्रेनिंग उन्होंने नहीं ली है। इसलिए कानून ऐसा बनाया जाय कि ग्रामीण इलाकों के लोगों को एक निश्चित अनुपात में नौकरी मिले और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इस तरह की ट्रेनिंग उनको वहां पर दी जाय जिससे वह लोग कुशल बन जायें। किसानों की जमीन को लिया जाता है, उद्योगों के लिए, भले ही प्राइवेट सैक्टर में हो या पब्लिक सैक्टर में हो, उनको उसका सही दाम भी नहीं दिया जाता। वही जमीन कुछ दिनों के बाद डवलप हो जाती है, जो उनसे कुछ ही रुपयों में ली जाती है, वह हजारों और सैकड़ों रुपए गज जाकर बन जाती है तो इसके लिए भी कानून बनना चाहिए कि इस तरह से जमीन का अधिग्रहण, उन फैक्टरीज के लिए, भले ही प्राइवेट सैक्टर में हो या पब्लिक सैक्टर में, नहीं किया जाना चाहिए। जिस जमीन से उनके सैण्टीमैण्टल सम्बन्ध रहे हैं, उनका हर तरह से परिवार उसमें लग रहा है और उसकी जमीन को कुछ ही रुपयों में एक्वायर कर लिया गया हो तो एक किसान के साथ, जमीन वाले के साथ यह भी एक बहुत बड़ा अत्याचार है। मैं इण्डस्ट्रीज के बारे में फिर यह कहना चाहूंगा कि कानून इस तरह के बनने चाहिए. कानूनों में इस तरह की नरमी बरती जानी चाहिए कि ग्रामीण इलाके के लोग, जो इसकी तरफ बढ़ने को तैयार हैं, ऐसे इन्सेण्टिव्ज हों या कानून की प्रक्रिया इस तरह की हो कि वह बहुत आराम से उनको लगा सकें। अभी आफिसेज के, दफ्तरों के बहुत चक्कर लगाने के बाद भी आदमी यह सोचता है, नया आदमी डरता रहता है कि इस उद्योग को मैं चला सकता हूं या नहीं चला सकता हूं क्योंकि कानूनी प्रक्रिया बहुत मुश्किल है और स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज के अन्दर जो भी कारखाने लगाए जा सकते हैं, उन इण्डस्ट्रीज के ऊपर ब्याज की दर भी कुछ कम की जानी चाहिए क्योंकि जो लोन लेता है वह डरता है कि कहीं ऐसा न हो कि मैं इसको वापस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा।

हमारे दस्तकार जो बड़ी शानदार चीजें अपने हाथों से बनाते थे, हमारे दूसरे तरह के जो कुशल लोग थे, उन सब को हमें बचाना चाहिए क्योंकि आज वह बिल्कुल भुखमरी की स्थिति में आ गये हैं और आज उनको नौकर ही समझ लीजिए, जो अपने हाथों से शानदार चीजें बनाते थे, ढाका की मलमल बनाने वाले आदमी यहां के कारीगर ही थे, कुशल कारीगर थे, उन सब के काम, जो वे करते थे, उनमें से हर छोटा काम करने वाले को प्रोटैक्शन होना चाहिए, उनको जरूर हर तरह से इन्सैंटिव मिलना चाहिए और सरकार उनको ऐसा मौका दें कि वे पुन: अपने काम को करने लगें।

मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में कहना चाहूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हमेशा ही नजर-अंदाज किया गया, हालांकि दिल्ली के बहुत पास का इलाका है लेकिन यहां पर औद्योगिक विकास

बिल्कुल नहीं किया गया, इसकी तरफ सरकार का ध्यान ही नहीं गया, यहां की जमीन बहुत उपजाऊ है और महज खेती के ऊपर यह लोग खड़े हुए हैं तो मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के बारे में विशेष ध्यान दिया जाय क्योंकि जब तक यहां पर दूसरी इण्डस्ट्रीज, छोटे कारखाने खड़े नहीं होंगे तब तक यहां की बेरोजगारी पर किसी तरह से अंकुश नहीं लगाया जा सकेगा। यहां बहुत ज्यादा बेरोजगार लोग पड़े हुए हैं।

चीनी उद्योग एक बहुत बड़ी समस्या मुल्क में बना हुआ है। 35-36 फीसदी गन्ना ही मुश्किल से इस उद्योग में पहुंचता है, फैक्टरीज में किसानों का गन्ना जाता है, बाकी लोगों की पेराई होती है। उन लोगों को कम दामों में क्रेशेर सल्फर वगैरह पर देना पड़ता है और वह मनमाने भाव पर गन्ना लेते हैं। मैं इस बारे में यह भी कहना चाहूंगा, आपके माध्यम से, कि इसमें 40 किलोमीटर या 25 किलोमीटर की जो बात रखी गई है, वह किसी तरह भी उचित नहीं है और यह किसानों के ऊपर अत्याचार है। जरूरत के आधार पर मिल खड़ी की जानी चाहिए, यह 40 किलोमीटर या 25 किलोमीटर की दूरी को तुरन्त समाप्त किया जाना चाहिए। मैं अपने मुजफ्फरनगर जिले का जिक्र करना चाहूंगा। वहां पर 4-5 मिल हैं, उनमें से एक मिल तो बिल्कुल काम ही नहीं कर रही है। अगर 15 मिल और भी लगा दी जायें तो वहां का गन्ना मिलों पर नहीं पहुंच पाएगा, वहां पर इस तरह गन्ने की दशा है। उनको महज यह कहकर कि एक दो मिल और लगाई जा रही हैं और आपकी गन्ने की समस्या दूर हो जाएगी, यह बिल्कुल बहकाने के लिए बात है। आप चीनी बाहर से मंगवा सकते हैं लेकिन अपने कानूनों में हम इस तरह के सुधार नहीं कर सकते जिससे किसानों को उसका फायदा पहुंचे। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि 40 किलोमीटर के स्थान पर जो आपने 25 किलोमीटर की लिमिट लगाई है, इसको भी समाप्त किया जाना चाहिए और जरूरत को देखते हुए किलोमीटर की बात नहीं रहनी चाहिए।

उद्योगों के बारे में मैं आपसे यही फिर कहना चाहूंगा कि स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज...

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : क्या अभी भी ऐसी पाबंदी है ?

[हिन्दी]

श्री हरपाल सिंह पंवार : माइलेज की रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, ने आर्थिक स्थिति के बारे में काफी विस्तार से कहा है और मैंने उसका अध्ययन भी किया है। उन्होंने साफ कहा है कि यहां की बेरोजगारी की समस्या छोटे उद्योग धन्धों को स्थापित करने से ही दूर हो सकती है, क्योंकि पांच सौ करोड़ के कारखाने में 50 आदमी काम करते हैं और पांच लाख के कारखाने में सौ आदमी काम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि छोटी चीजें जो हाथ से बनाई जा सकती हैं, उन्हें बड़े उद्योगों को बनाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। बिस्लाटटा—ये बड़े-बड़े कारखाने छोटे कारखानों को खा गए हैं। इतना कहते हुए कि छोटे उद्योगों को पूरे तौर पर तरजीह दी जानी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर नियमों और कानूनों में छूट दी जानी चाहिए, जिससे नौजवान लड़के, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको काम मिले। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री आर० जीवरत्नम्** (आर्कोनम) : माननीय सभापति, उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

उत्तर भारत में स्थित मारुति उद्योग लिमिटेड की एक इकाई मारुति कार, मारुति वैन और मारुति जीप के निर्माण के लिए तमिलनाडु में स्थापित की जानी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जनतादल सरकार के सहयोगी हैं। वह गर्व से यह भी कहते हैं कि राष्ट्रीय मोर्चा को सत्ता में लाने का मुख्य साधन वे ही हैं। अतः, मैं आशा करता हूं कि माननीय उद्योग मंत्री मुख्यमंत्री की ओर से तमिलनाडु में मारुति इकाई स्थापित करने की मेरी मांग को स्वीकार करेंगे।

मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आर्कोनम में स्थित भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की इकाई का विस्तार किया जाना चाहिए। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने उन लोगों के बच्चों को रोजगार देने का वादा किया था जिनकी जमीन का आर्कोनम में शाखा स्थापित करने के लिए अधिग्रहण किया गया था। अभी तक वह वादा पूरा नहीं किया गया है। यहां तक कि उस इकाई में जिन अभियंताओं को प्रशिक्षित किया गया था, उन्हें भी अभी रोजगार नहीं मिला। उस फैक्ट्री में काम करने वाले बहुत से आकस्मिक कामगारों को नौकरी से निलम्बित कर दिया गया है। इन मामलों की सहानुभूतिपूर्वक जांच की जानी चाहिए और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की इस शाखा में स्थानीय जनता को रोजगार दिया जाना चाहिए। महोदय, देश में, विशेषकर, कपड़ा और भारी उद्योग क्षेत्रों से रुग्ण एककों की बहुत बड़ी संख्या है। पिछले पांच वर्षों से मैं इस सदन में इस मुद्दे पर रोशनी डालता रहा हूं। अब एक नए मंत्री ने पदभार संभाला है। वह जवान और फुर्तीले हैं। मंत्री जी को रुग्ण एककों के पुर्नस्थापन के लिए उपाय करने होंगे। अकेले तमिलनाडु में ही रुग्णता के कारण कई कपड़ा मिलें बंद पड़ी हैं। इन मिलों को दुबारा चलाने के लिए प्रयास करने होंगे। इन रुग्ण एककों में नए उपकरण लगाए जाने चाहिए और उन्हें दुबारा चालू किया जाना चाहिए। इस पूरे मामले की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाना चाहिए। या तो सरकार इन रुग्ण मिलों को खुद अधिग्रहण कर ले या इनकी सार्वजनिक नीलामी कर देनी चाहिए।

महोदय, तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम उद्योगपतियों को ऋण दे रहा है। कुल पूंजी का 65 प्रतिशत निगम कर्ज देता है और शेष 35 प्रतिशत उद्योगपति को खुद लगाना होता है। इस अनुपात को इस प्रकार कर देना चाहिए : 75% निगम द्वारा दिया जाए और शेष 25% उद्योगपतियों द्वारा वहन किया जाए। आई० डी० बी० आई० द्वारा निगम का वित्त पोषण किया जाता है और आई० डी० बी० आई०, उससे भारी ब्याज लेती है। बदले में निगम ग्राहकों से भारी ब्याज वसूल करता है। इन दोनों ब्याज की दरों को कम किया जाना चाहिए। सिर्फ तभी नए उद्योगों को शुरू करने को प्रोत्साहन मिलेगा। टी० आई० आई० सी० और आई० डी० बी० आई० यदि 6 महीने में ब्याज न दिया जाए तो ग्राहकों से चक्रवृद्धि ब्याज वसूल करती है। यह अत्याचार है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋणों पर चक्रवृद्धि ब्याज वसूली को हर हाल में समाप्त किया जाना चाहिए।

महोदय, शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में होटल और आवास उद्योग विकसित हो रहा है।

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

फिलहाल, होटल और आवास उद्योग को नकद सहायता नहीं दी जा रही है। होटल और आवास उद्योग को दी जा रही केन्द्रीय सहायता-राशि को दुबारा शुरू किया जाना चाहिए।

महोदय, यह एक विशाल देश है। हम एक ही स्थान पर उद्योगों के जमाव को सहन नहीं कर सकते। यह क्षेत्र के विकास और उन्नति में सहायक नहीं होगा। तालुका और खण्ड स्तर पर उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए। जब श्री एन० डी० तिवारी वित्त मंत्री थे तब उन्होंने आश्वासन दिया था कि खण्ड स्तर पर भी उद्योग स्थापित किए जाएंगे। माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश से हैं और पूर्व वित्त मंत्री भी उत्तर प्रदेश से थे। अतः, मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री, अपने पूर्ववर्ती मन्त्री द्वारा दिए गए आश्वासन को पूरा करेंगे।

महोदय, कारों के मूल्य बहुत अधिक बढ़ गए हैं। मध्यम आय-वर्ग के लोग भी कार लेना चाहते हैं। अतः, मैं माननीय मन्त्री से प्रार्थना करूंगा कि कम उत्पाद शुल्क पर कारों के आयात की अनुमति दी जाए, ताकि बाजार में ये कम कीमत में उपलब्ध हो सकें। वैसे भी, अगर आप कम उत्पाद शुल्क पर कारें आयात करने का उपाय करते हैं तो, निश्चय ही इससे भारत में बनी कारों की कीमतें गिरेंगी। जब हम प्रवासी-भारतीय और विदेशों के अन्य व्यक्तियों के पूंजी निवेश का स्वागत करते हैं तो, हमें कम उत्पाद शुल्क पर कारों के आयात की अनुमति क्यों नहीं देनी चाहिए। महोदय, मैं यह भी प्रार्थना करता हूं कि भारत में कम कीमत पर कारों का उत्पादन किया जाना चाहिए। जब मैंने एक फिएट कार खरीदी थी, तब मैंने सिर्फ 8,000 रु० दिए थे। आज उसी फिएट कार की कीमत सवा लाख से डेढ़ लाख रुपए के बीच है। अतः, तमिलनाडु में कम कीमत पर भी कार बनाने वाले एकक की स्थापना करनी चाहिए।

महोदय, तमिलनाडु में कोई स्कूटर फैक्टरी नहीं है। तमिलनाडु में केन्द्रीय क्षेत्र में या गैर-सरकारी क्षेत्र में एक स्कूटर फैक्टरी स्थापित की जानी चाहिए। और वह कृपया मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आर्कोनम में स्थापित की जाए।

महोदय, हमें आई० आर० डी० पी० के अन्तर्गत ऋण देने के तरीकों का भी पुनरावलोकन करना चाहिए। आई० आर० डी० पी० कार्यक्रम को ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए प्रारम्भ किया गया था। केन्द्र में सरकार बदल जाने के बाद, मैं सोचता हूं कि आई०आर०डी०पी० के अन्तर्गत राशि का समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाने वाली 30 प्रतिशत सहायता उन गरीब लोगों तक नहीं पहुंच रही है, जिनके लिए वह कार्यक्रम बनाया गया है। इसलिए, इसकी जांच की जानी चाहिए।

सभापति महोदय : आप जो कह रहे हैं वह उद्योग मंत्रालय की सीमा से परे है। कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री आर० जीवनरत्नम् : उद्योगों को पूरे देश में फैलाना चाहिए। एक स्थान पर उनका जमाव नहीं होना चाहिए। यह देश के संतुलित विकास को नुकसान पहुंचाएगा। उद्योगों को पिछड़े क्षेत्रों में, खासकर मेरे आर्कोनम और पल्लीपट्टु निर्वाचन क्षेत्रों में, लगाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री एम० एस० पाल (नैनीताल) : माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। उसके साथ ही साथ उद्योग मन्त्री जी ने

नई उद्योग नीति रखी है खासकर स्माल इण्डस्ट्रीज के लिए, फूड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज और 836 लेज इण्डस्ट्रीज के लिए, उसका मैं स्वागत और मांगों का समर्थन करता हूं। इस बात की आशा हम पहले से करते थे कि माननीय चौधरी चरण सिंह जी के सुपुत्र अजित सिंह इस बात को जरूर रखेंगे, वही उन्होंने किया। यह कहावत उनके लिए बहुत उपयुक्त है कि "वर्धी सन आफ ए वर्धी फादर"। यह कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं है वह इसके लिए उपयुक्त हैं और इसके पात्र हैं। मैं आपके जरिए इनसे एक बात कहना चाहता हूं, हालांकि यह डिफेंस से सम्बन्धित है, लेकिन महिलाओं से भी सम्बन्धित है। महिलाओं के लिए उद्योग में काम करने के लिए बहुत कम स्कोप है। लेकिन एक संस्था है, एक सर्विस है आर्मी की जो नर्सिंग सर्विस कहलाती है। जिसमें केरल से लेकर तमाम भारत की महिलाएं काम करती हैं। सरकार के अधीन काफी दिनों से इसे कोर बनाने के लिए मांग चल रही थी। अभी तक नहीं बनाया गया है। अतः जब भी केबिनेट की मीटिंग हो तो इस बात का जरूर ध्यान दिलाएं कि महिलाओं की जो नर्सिंग सर्विस है इसको कोर का दर्जा दिया जाना चाहिए। जिससे वे स्वतन्त्र रूप से काम कर सकें। मैं उत्तराखण्ड कुमाऊं क्षेत्र से आता हूं। मेरे साथ मेरे इलाके में बरेली जिले का कुछ क्षेत्र आता है जिसको बहेड़ी कहते हैं। उसकी परिस्थिति न बरेली से कवर होती है और न उत्तराखण्ड कुमाऊं से। आप जब नीति निर्धारण करें तो कुमाऊं नैनीताल जिले के साथ बहेड़ी को जोड़ा जाए। इसमें कुछ इलाका पहाड़ी है और कुछ इलाका मैदानी हैं। पहाड़ी इलाके में 80 प्रतिशत लोग आर्मी में कार्य करते हैं और वहीं से रिटायर होकर इलाके में आते हैं। उनके लिए मैं मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि एक्स सर्विसमैन को जब उद्योग में लोन देने की बात आए या सब्सिडी की बात आये तो स्पेशली उनको सब्सिडी प्रदान की जाए। क्योंकि वे लोग उद्योग में निपुण नहीं होते इण्डस्ट्री की टेक्नोलोजी को जांच सकें इसके लिए आप यह व्यवस्था जरूर करें। मैं मन्त्री जी का आभार प्रकट करूंगा कि हमारे यहां 1 अक्तूबर, 1988 से पिछली सरकार ने, सब्सिडी बन्द कर दी थी, आपने उसको पुनः लागू किया है। जो एग्रो बेस्ड इण्डस्ट्री है उसमें ज्यादा जोर देकर मैं कहना चाहूंगा कि सूगर से सम्बन्धित काफी स्कोप है इस इलाके में तो वहां सूगर मिलें लगनी चाहिए और 15 किलोमीटर की दूरी पर लगनी चाहिएं और इसकी उदार नीति होनी चाहिए। जिसपर किसी तरह का बन्धन नहीं होना चाहिए खासकर सूगर मिल लगाने के लिए। मैं यह कहना चाहूंगा कि अक्तूबर में गन्ना देना शुरू करते हैं, जून तक गन्ना सूख जाता है। अक्तूबर तक कच्चा होता है और जून तक आते-आते सूख जाता है, इससे किसानों को बहुत तकलीफ और नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि गन्ना के उत्पादन को देखते हुए उसकी फैक्ट्रियां होनी चाहिएं यानि कि गन्ने का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। इसी तरह से फूड प्रोसेसिंग में जो नुकसान होता है उसके लिए लिबरल आउटलुक होना चाहिए और 15-20 कि० मी० में इसी तरह की इण्डस्ट्री होनी चाहिए। दूसरा जो किसानों से सम्बन्धित अहम मसला है, वह यह है कि ट्रैक्टर ट्राली पर आज तक सब्सिडी नहीं दी गई है। यदि मैं अपने उद्योग के लिए टैक्सी खरीदता हूं तो उसपर 20 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है लेकिन ट्रैक्टर या उससे सम्बन्धित इन्स्ट्रूमेंट पर कोई सब्सिडी नहीं दी गई। इसलिए मैं इण्डस्ट्री मिनिस्टर के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसपर भी सब्सिडी दें। जहां तक सिक उद्योगों का सम्बन्ध है, जिनकी लाईफ खत्म हो गई है, पुराने हो गए हैं, उनपर दुबारा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, ऐसी इण्डस्ट्री को चलाने का कोई फायदा नहीं है। जहां तक नई इण्डस्ट्री लगाए और जो कम पैसे की वजह से नहीं चल रही है तो उसको रिहैबिलिटेट करने के लिए फण्डिंग करना चाहिए। मैं यह कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में यू० पी० एफ० सी० है। वह लोन का प्रॉविजन करता है।

वह रीजन के आधार पर होने चाहिएं। कुमाऊं रीजन है, गढ़वाल रीजन है, रूहेलखण्ड रीजन

है। इससे रीजन को काफी फायदा होगा और जिनको लोन चाहिए उनकों सुविधा भी मिल सकेगी। जो बीच में बिचौलिए होते हैं, जो छोटे उद्योग लगाना चाहते हैं, उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्कूटर्स इण्डिया लि० के बारे में पिछली सरकार ने जो पॉलिसी रखी थी, उसका मैं घोर विरोध करता हूं। मैं इण्डस्ट्री मिनिस्टर से निवेदन करना चाहूंगा कि इसको भी सैकिण्ड थॉट दें कि इसको किस तरह से किया जा सकता है ? इसको पब्लिक सैक्टर रहना चाहिए। पब्लिक सैक्टर का फेल होना जनहित में नहीं है। मैं इण्डस्ट्री मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि जो चीजें हमारे यहां पैदा होती हैं, उसके लिए निर्यात लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। मैडिकल इक्वपमेंट और ड्रग्ज की निर्यात नीति लिबरल होनी चाहिए। यहां पर बाहर की दवाईयों जैसा स्टैण्डर्ड नहीं होता क्योंकि यहां वे दवाईयां नहीं बना पाते हैं, उसमें उदारता होनी चाहिए लेकिन जो चीजें हमारे देश में बनती हैं, उसको निर्यात नीति में उदारता से लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए। लाइसेंसिग के साथ यह भी कहना चाहूंगा कि बड़ी इंडस्ट्रीज को छोटी चीजें बनाने के लिए लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए जैसाकि टाटा, बिड़ला, डालमिया साबुन बनाने लगी हैं, कोलगेट से लेकर छोटी छोटी चीजें बना रही हैं, वह लाइसेंस इनको नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात जो है स्पेशल एम्प्लायमेंट स्कीम, एजूकेशनल अन-एम्प्लायड यूथ की जो स्कीम रखी गयी है, हाई स्कूल, आई०टी०आई० पास जो यूथ हैं और उनके लिए जो प्रोग्राम रखा गया है, मैं उसकी तारीफ करूंगा जिसके अन्तर्गत 25 या 50 हजार रुपये तक का लोन लेने का प्रॉविजन किया गया है, उसकी मैं विशेष तारीफ करता हूं। लेकिन मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इस योजना को तुरन्त लागू किया जाये और विस्तारपूर्वक लागू किया जाये। गांव-गांव के लोगों को इस योजना की विस्तृत जानकारी दी जाये, इस एजेंसी का प्रयोग भी किया जाये ताकि हमारे गांव का हर बच्चा यह समझ सके, यह जान सके कि सरकार उनके लिए क्या करने जा रही है, उन्हें कैसे ऊंचा उठाना चाहती है। लोगों को पूरी तरह एजुकेट करने की आज जरूरत है। यही मेरा निवेदन है। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उद्योग मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदान मांगों पर बोलने का अवसर दिया।

[अनुवाद]

श्री अमर रायप्रधान (कूचबिहार) : सभापति महोदय, आप यह अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले 42 सालों से हम पूंजीवाद समर्थक और श्रमिक-विरोधी नीति पर चलते रहे हैं, अर्थात् सरकार की औद्योगिक नीति जन-विरोधी है और यह स्वाभाविक ही है कि आज मैं इसमें एक बहुत बड़े परिवर्तन की आशा नहीं कर सकता, फिर भी मैं इसका समर्थन कर रहा हूं।

महोदय, नई सरकार से घोषणा की है कि वे एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा करेंगे और मैं आशा करता हूं नि नई औद्योगिक नीति में श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, और मैं यह भी आशा करता हूं कि प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। (व्यवधान) यह एक वादा है और मैं आशा करता हूं कि नई औद्योगिक नीति में उसे पूरा किया जाएगा।

रुग्ण उद्योगों के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे रुग्ण उद्योग और अधिक रुग्ण न हों और वे पुनः स्वस्थ हो सकें।

महोदय, उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए मैं, आपके द्वारा माननीय मंत्री का ध्यान उद्योगविहीन जिलों की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। महोदय, आप जानते हैं कि

स्वतंत्रता-प्राप्ति के 42 वर्षों के बाद भी इस देश में 90 उद्योगविहीन जिले हैं। विशेषरूप से ये उत्तर बंगाल, बिहार, और सात राज्यों के उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र ये हैं जिन्हें आमतौर पर सात बहनें कहा जाता है। मेरे मित्र, श्री टोम्बी सिंह यहां हैं, और वे अच्छी तरह जानते हैं कि किस प्रकार लम्बे समय तक इन जिलों की उपेक्षा होती रही है।

महोदय, माननीय उद्योग मंत्री मुझसे सहमत होंगे कि सिर्फ अमेठी ही वह स्थान नहीं है जहां सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योग स्थापित किए जाएंगे। अन्य जगहों पर भी उद्योगविहीन जिले हैं। अगर आप अपने पूर्ववर्ती का ही रास्ता अपनायेंगे, तब आप जानते हैं कि एक पंचवर्षीय योजना में औसतन एक ही जिला लिया जाएगा। अर्थात् सभी 90 जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिए 90 वर्ष लगेंगे। अतः, पिछड़े क्षेत्र और भी पिछड़ जाएंगे और अगर हम यही नीति अपनाते हैं तो वे क्षेत्र पिछड़े ही रहेंगे। अतः, आपके जरिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे ऐसा कदम उठाएं जिससे इन उद्योग-विहीन जिलों में थोड़े समय में उद्योग स्थापित किए जा सकें। अगर इन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र सहमत नहीं है, तो उन्हें चाहिए कि वे इन क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र में ले आयें—कम से कम प्रत्येक उद्योगविहीन क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र का एक एकक अवश्य हो। इस तरह से थोड़े ही समय में आप इन सभी 90 जिलों में उद्योग स्थापित कर सकेंगे।

आप जानते हैं कि मैं जहां से आया हूं। वह है, उत्तरी बंगाल, जो औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। कुछ मंत्री और अधिकारी कहते हैं—"नहीं, नहीं वहां उद्योग स्थापित नहीं किए जा सकते क्योंकि वे पिछड़े हुए क्षेत्र हैं और नहीं हैं। किन्तु मैं कहता हूं कि वहां उद्योग स्थापित करने के साधन हैं। मेरे मित्र, श्री पीयूष तीरकी, यहां हैं। उनके निर्वाचन क्षेत्र में एक स्थान जिसे जैंतिया हिल्स कहा जाता है जो अलीपुरद्वार के पास है जहां डोलोमाइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पिछली सरकार ने इस डोलोमाइट का उपयोग न करके वहां एक टाइगर प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया। पिछली सरकार ने सीमेंट बनाने के लिए इस 'डोलोमाइट' का उपयोग नहीं किया। इसके अलावा, जस्ता और तांबा, सिक्किम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूचबिहार में उपलब्ध है, कोयले के भण्डार बागराकोट में हैं। पिछली सरकार अथवा पूर्ववर्ती सरकार अथवा जिस सरकार का शासन समाप्त हो गया है, उसने कहा था कि यह कोयले की राख है और इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। पश्चिम जर्मनी और पूर्वी जर्मनी में, कोयले की राख का सही उपयोग किया गया था। भारत में इसका उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता? इसका काफी समय से उपयोग नहीं किया गया है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उत्तर बिहार, उत्तर बंगाल, सिक्किम और अन्य पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भूकम्पीय सर्वेक्षण नहीं किया गया था। पिछली सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए यह न्यूनतम आवश्यकता भी पूरी नहीं की थी। अतः महोदय आपके माध्यम से मैं इन क्षेत्रों में यह भूकम्पीय सर्वेक्षण पूरा कराने के लिए माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं। मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि वे देश के पिछड़े क्षेत्रों के फायदे के लिए कुछ करेंगे।

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) : सभापति महोदय, उद्योग मन्त्रालय की डिमांड्स जो माननीय मंत्री जी ने रखी हैं, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। मुझे पूरी आशा है कि माननीय मंत्री जी जब नई औद्योगिक नीति अपनायेंगे तो किसानों का अवश्य ही ख्याल करेंगे।

मैं सबसे पहले पब्लिक सेक्टर के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। हम लोग पब्लिक सेक्टर के

बारे में एकाऊंटेबिल्टी चाहते हैं। बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर-पब्लिक सेक्टर के माध्यम से हिन्दुस्तान में, पंडित जी के जमाने से, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, बराबर इसकी जरूरत महसूस की जाती रही है।

लेबर पार्टिसिपेशन की बात आजकल बहुत जोरों से की जा रही है। मैं भी इस बात को मानता हूं। लेकिन पोलिटिकल इण्टरफिरियेंस पब्लिक सेक्टर में कम होना चाहिए। इससे काफी सुधार हो सकता है। पब्लिक सेक्टर में या गवर्नमेंट आर्गेनाइजेशन्स में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का रिजर्वेशन होता है, वैसा ही रिजर्वेशन प्राइवेट इण्डस्ट्रीज में भी होना चाहिए।

जहां उद्योग लगते हैं, मैं चाहूंगा कि उस इलाके के लोगों को ही वहां पर लगाया जाये। देखने में आया है कि बाहर के लोग वहां आ जाते हैं जिससे कि वहां के लोकल लोग इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। अगर इसके लिए कानून में भी सुधार करना पड़े तो किया जाना चाहिए।

ग्रामीण औद्योगिकीकरण की बात हमारे कई साथियों ने कही। ग्रामों में जितने अधिक उद्योग खोले जायेंगे उतना ही देश प्रगति करेगा और गांव के लोग गांव छोड़कर शहर नहीं आयेंगे। ग्रामीण विकास के लिए एग्रो बेस्ड इण्डस्ट्रीज जब तक वहां नहीं लगेंगी और जब तक उसमें किसानों का हिस्सा नहीं होगा और वे भागीदार नहीं होंगे तब तब तक बड़े उद्योगपति किसान का शोषण करते रहेंगे। और जितना ज्यादा शोषण हो सकता है, वह किसान का भी होगा और मजदूर का भी होगा और उस इलाके का भी शोषण होगा। जब हम शोषण रहित समाज व्यवस्था कायम रखना चाहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि हम उस रास्ते से हटेंगे नहीं लेकिन एग्रो बेस्ड इण्डस्ट्रीज को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए गांवों में जाकर जनरल कैटेगरीज के अलावा छोटे किसान की हिस्सेदारी रखकर एग्रो बेस्ड इण्डस्ट्रीज या फूड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज लगाएंगे तो किसानों के लिए वह डवलपमेंण्ट का इन्स्ट्रूमेंण्ट बन जाएगा। ऐसी नई नीति बनाने की जरूरत है जो कि काफी जगह चल रही है। आज उद्योगों के कारण काफी जगह पोल्यूशन हो रहा है, पेपर उद्योग हैं, कैमीकल उद्योग हैं, इनसे एयर और पानी का भी पोल्यूशन हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि ऐयर पोल्यूशन से हार्टीकल्चर का उत्पादन घट रहा है क्योंकि फ्लाई एश पेड़ पर बैठ जाती है और गंदा पानी जब जमीन से होकर बहता है, ट्रीटमैण्ट नहीं देने के कारण से तो उससे उपज बहुत कम हो जाती है और किसानों का कोई कसूर न होते हुए भी उससे काफी नुकसान हो जाता है। मैं चाहूंगा कि प्रोजैक्ट जो हिसाब बना दिया है, उससे ज्यादा तगड़ा कानून बनाने की जरूरत है। आपने अपनी रिपोर्ट में भी जिक्र किया है, इसमें आर० एण्ड डी० तो ठीक है, लघु उद्योग की सीमा 25 लाख से 45 लाख कर दी है लेकिन अलग-अलग पोल्यूशन होने के कारण उसकी सीमा भी बदल जाती है तो मैं चाहूंगा कि इसमें पोल्यूशन कण्ट्रोल के लिए मशीनरी आयात करने या उसकी रिसर्च की जरूरत हो तो केस बाई केस सीमा पर भी आपको जरूर सोचना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि इकोनोमिक वायबिलिटी पोल्यूशन कण्ट्रोल इंस्ट्रूमेंण्ट लगाने के कारण डिस्टर्ब हो जाती है तो इकोनोमिक वायबिलिटी के लिए थोड़ा सोफ्ट लोन कर दीजिए, अभी पोल्यूशन के लिए आप सोफ्ट लोन देते हैं लेकिन उद्योग को आप थोड़ा टर्म लोन दीजिए जिससे इकोनोमिक वायबिलिटी हो सके। अभी हमारा उत्पादन हाई कास्ट यूनिट्स में हो रहा है लेकिन जब हम विदेश से मंगाते हैं तो हमको सस्ता पड़ता है और देश में निर्माण किया हुआ है वह महंगा पड़ता है। आप ट्रैक्टर की बात ही लीजिए, पावर ट्रिलर की बात लीजिए, हमारे देश में उसकी कीमत एक लाख से ज्यादा है, आपकी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है, उसका कोई खास परिणाम नहीं निकल रहा है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है लेकिन मैंने चीन में देखा है और बाकी देशों में भी छोटे-छोटे किसान पावर

ट्रिलर का इस्तेमाल करते हैं, वहां उसकी कीमत कम है तो कीमत कम करने की भी आप कोशिश कीजिए। अब हमारे देश में जो पावर ट्रिलर्स बन रहे हैं, उसके मकेनिज्म में रिसर्च करके थोड़ा सुधार करना चाहिए। अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो थोड़े दिन के बाद उसमें बड़ी मुश्किल हो जायेगी। छोटे किसानों के लिए हम अभी भूमि सुधार कानून लागू कर रहे हैं और किसान दिन पर दिन छोटे हो रहे हैं इस कारण बड़े ट्रैक्टर के अलावा पावर ट्रिलर की ज्यादा जरूरत छोटे किसानों को हो रही है। मैं चाहूंगा कि पावर ट्रिलर में बुनियादी परिवर्तन करके उनको उपयोगी बनाया जा सकता है। चीन में जो ट्रैक्टर हैं उनको किसान इस्तेताल कर रहे हैं, वहां पर मैंने देखा है कि पावर ट्रिलर्स को छोटे किसान इस्तेमाल करते हैं। वह 18 हार्स पावर तक के हैं, मैंने खुद चला कर देखा है वहां।

चीनी उद्योग के बारे में आपसे थोड़ा सा कहूंगा कि 1700 या 1750 या 2500 मीट्रिक टन की जो नीति है वह तो ठीक है लेकिन जब आप नये लाइसेंस देंगे तो अगल-बगल या पड़ोसी मिल बीमार न हो जाय, यह भी देखना होगा। मैं यह देख रहा हूं कि जब काफी पोलिटिकल कंसीड्रेशन से फ्री लाइसेंस देते हैं तो पड़ोसी चीनी मिल बीमार हो जाती है और नई चीनी मिल भी नहीं चल पाती है तो इसे भी देखना होगा। जहां गन्ने के कारण ज्यादा चीनी मिलों की जरूरत है, वहां देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारे यहां 30 के करीब फैक्टरीज हैं जो चीनी मिल मशीनरी का उत्पादन करती हैं, उनमें आर० एण्ड डी० बहुत पुअर है और हम चीनी मिल के लिए काफी हाई टैक्नोलोजी ला रहे हैं लेकिन हमारे यहां हाई टैक्नोलोजी की समस्या इतनी गहरी है कि टैक्नोलीजी तो लाते हैं लेकिन उसको चलाने के लिए हमारे पास टैक्नीशियन नहीं होते और इंजीनियर्स नहीं होते तो मै चाहूंगा कि जब हम हाई टैक्नोलोजी की बात करें तो टैक्नीशियन पैदा करने के लिए भी बात करना जरूरी है क्योंकि हमारी तकनीनी शिक्षा नीति और नई टैक्नोलोजी या हाई टैक्नोलोजी या माडर्नाइ-जेशन के रास्ते बिल्कुल अलग-अलग हो गए हैं और उनमें बिल्कुल लिंकेज नहीं रहा है। जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य शिक्षा मिली जुली हुई है वैसे ही एडवांस प्लानिंग करके जो स्पेशलाइजेशन हो, एक्सपर्टीज हो हाई टैक्नोलोजी के लिए, माडर्नाइजेशन के लिए मैं चाहता हूं कि जैसे आर० एण्ड डी० की जरूरत है, वैसा शिक्षा में परिवर्तन आ रहा है और हाई टैक्नालॉजी को देखते हुए शिक्षा में परि-वर्तन होना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि बगास पेपर को भी बढ़ावा देना जरूरी है। जो चीनी मिलें हैं, उनका डार्वासिफिकेशन भी हो सकता है और एनर्जी सेविंग भी हो सकती है। जब काफी मात्रा बगास पेपर में चली जाएगी तो हमारे जंगल भी बच जायेंगे और इम्पोर्ट करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। हम जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहेगी।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मन्दसौर) : सभापति महोदय, उद्योग मन्त्रालय की अनुदान की मांगों के सम्बन्ध में मैं अपने दल की ओर से नीति सम्बन्धी विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं।

मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि अब तक उद्योग सम्बन्धी जो पिछली सरकार की नीति रही, जिसका हम अनुसरण करते रहे, वह नीति इतनी दोषपूर्ण थी कि समग्र भारत में जिस प्रकार से उद्योगों को लेकर एक सन्तुलित विकास होना चाहिए, वह सन्तुलित विकास नहीं हुआ। परिणामस्वरूप कुछ

क्षेत्रों में जो उद्योगों की भरमार हो गई, वहां पर सैचुरेशन प्वाइन्ट हो गया, तो कुछ क्षेत्र आज भी पिछड़े हैं, जिनकी शिकायत आए दिन सदन में होती रहती है। फिर चाहे बिहार का क्षेत्र हो, उड़ीसा का क्षेत्र हो, मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो या राजस्थान का क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों के बारे में उनके पिछड़ेपन को लेकर चर्चाएं होती रहती हैं। यद्यपि वहां पर उद्योगों की पर्याप्त सम्भावनाएं हैं। वहां पर कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उसके बावजूद भी उस नीति सम्बन्धी दोष के कारण उन-उन प्रदेशों का समुचित विकास औद्योगिक दृष्टि से सम्भव नहीं हो सका है। आज हमें इस प्रकार की नीति निर्धारित करने की आवश्यकता है, जिस नीति निर्धारण के बारे में सरकार की ओर से संकेत दिया गया है कि हम कुछ समय में एक औद्योगिक नीति का दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले हैं और औद्योगिक नीति प्रस्तुत करने वाले हैं। मैं समझता हूं कि सरकार की ओर से ऐसी नीति बनाने के सम्बन्ध में निश्चय ही विचार-विमर्श किया गया होगा, जिसके बारे में मोर्चे की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी ओर से दलगत नीति को लेकर कि हम उद्योगों में किस प्रकार का वातावरण चाहते हैं, कैसी हम उद्योग नीति चाहते हैं, किस प्रकार हम उद्योगों का विकास करना चाहते हैं, इस रूप में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी उद्योग नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह होनी चाहिए कि हमारे उद्योग रोजगार प्रधान बनें। आज स्थिति यह है कि हम औद्योगिक विकास को लें, मैं आंकड़ों के जंजाल में फंसना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर आंकड़ों को देखा जाए जो जैसे-जैसे उद्योगों के विकास का प्रतिशत बढ़ता गया, वैसे-वैसे रोजगार के अवसर घटते चले गए। यदि हम 1987 में औद्योगिक विकास का प्रतिशत आठ प्रतिशत मानते हैं तो उस अनुपात में यदि हम रोजगार के अवसर देखें, तो रोजगार के अवसर घटे हैं। ठीक इसी प्रकार आगे आने वाले वर्षों में भी उसी प्रकार रोजगार के अवसर घटते चले गए। यही कारण था कि आज चारों तरफ रोजगार के बारे में असन्तोष है कि हमें रोजगार नहीं है और दूसरी तरफ उद्योगों के बारे में भी यही बात कही जाती है कि उन पर ठीक से नियंत्रण नहीं है। इसलिए मैं इस ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां सार्वजनिक और निजी, दोनों ही क्षेत्रों में उद्योग हैं। ऐसा कौन सा कारण है, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, जिसके कारण सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग हैं, जिनका बेहतर प्रदर्शन होना चाहिए और उनको एक अच्छा वातावरण निर्मित करके देना चाहिए, उत्पादन में एक विशेष लक्ष्य प्राप्त करके एक दिशा देनी चाहिए, उसके स्थान पर निजी क्षेत्र के उद्योग एक अच्छी दिशा और बेहतर प्रदर्शन करते हैं। यही कारण है कि कई बार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर आक्षेप आता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, चाहे एच० एस० एल० हो, नेशनल एल्यूमीनियम कारपोरेशन हो, चाहे एच० एम० टी० हो, सीमेंट कारपोरेशन हो या दूसरे इस प्रकार के स्थान हों, उन संस्थानों के अन्दर घाटा पूर्ति करने की जो उनकी प्रक्रिया है, भाव बढ़ा कर, मूल्य वृद्धि करके, अपने घाटे को पूरा करने की प्रक्रिया करते हैं। आज विकेन्द्रीकरण की सबसे बड़ी आवश्यकता है। नई टैक्नालाजी की जरूरत है। लेकिन उसके बावजूद भी उनका प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं है, जितना निजी क्षेत्रों में है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस बारे में हम विचार करें और एक सुनिश्चित दिशा दें ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग ठीक से काम कर सकें, लोगों को प्रभावित कर सकें और यह बात सिद्ध कर सकें कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग ज्यादा हितकर हैं निजी क्षेत्र के उद्योगों के मुकाबले में।

4.00 म० प०

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे जितने संगठित क्षेत्र के उद्योग हैं उनसे

भी रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। यही कारण है कि हम जिस बात को कहने जा रहे हैं कि हमारे यहां बहुत गुंजाइश है लेकिन परिणाम सामने नहीं है। यदि हम कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना करें; इन उद्योगों की स्थापना से रोजगार के अवसर निश्चित तौर पर अधिक निकल सकेंगे। क्योंकि कृषि आज हमारे इस देश का सबसे बड़ा उद्योग कहा जा सकता है, सबसे बड़ा रोजगार का माध्यम कहा जा सकता है। खेती को उद्योग के समान दर्जा देने की बात कई बार कही गयी, मांग भी की गयी, लेकिन सरकार ने इस बात को बड़ी गम्भीरता से नहीं लिया। कृषि को यदि उद्योग के समान दर्जा देकर सहूलियतें दी जायेंगी तो मैं समझा हूं कि रोजगार की समस्या का बहुत कुछ अंशों में समाधान हो सकेगा। इस दिशा में हम निश्चय ही क्रांतिकारी कदम उठा सकेंगे और साथ ही रोजगार के अवसर भी प्राप्त कर सकेंगे। कारखानों के आधुनिकीकरण व उनकी पूर्ण क्षमता उपयोग की भी जरूरत है।

आज स्थिति क्या है; हमारे यहां पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हैं। ये कम्पनियां बड़े-बड़े उद्योग लगा रही हैं, आटोमोबाइल्स में, इलैक्ट्रोनिक्स में आ रही हैं और उपभोक्ता सामग्री का उत्पादन कर रही हैं, लग्जरी आईटम्स बना रही है, जिनका सम्बन्ध बड़े लोगों से हैं, पूंजीपतियों से है। आम उपभोक्ता के काम में आने वाली जो चीजें हैं, उनका जितना उत्पादन होना चाहिए, सुलभता होनी चाहिए और जितनी कम लागत पर उपलब्ध होनी चाहिएं, वह नहीं हो रही हैं। पांच सितारा होटलों को बढ़ावा मिल रहा है। बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों की ऐसी प्रक्रिया के कारण लघु उद्योग इकाइयां, मध्यम उद्योग इकाइयां शनैः-शनैः समाप्त होती जा रही हैं। उन पर संकट आ गया है और बड़े औद्योगिक घराने उन पर हावी हो जाते हैं। हमारे पूर्व वक्ता सांसद ने बताया कि किस प्रकार से छोटे उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। साबुन बनाना है तो बड़ी कम्पनी बना रही है, तेल बड़ी बड़ी कम्पनियां बना रही हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करना होगा कि लघु उद्योग का क्षेत्र क्या होगा, मध्यम उद्योग का तथा बड़े उद्योग का क्षेत्र क्या होगा। यह ठीक से रेखांकित किया जाना चाहिए, विभाजित किया जाना चाहिए। छोटी-छोटी उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन बड़े उद्योग नहीं करेंगे, ऐसा सुनिश्चित करना चाहिए। आज स्थिति क्या हो गयी है, जब मैं आर्थिक समीक्षा देख रहा था उसमें मैंने देखा कि देश के प्रत्येक 11 उद्योगों में एक लघु-उद्योग रुग्ण उद्योग माना जाता है, रोग-ग्रस्त हो गया है और उसकी स्थिति यह हो गयी है कि उसमें लगी पूंजी चाहे औद्योगिक विकास बैंक की तरफ से दी गयी हो या किसी फायनेंशियल बॉडी की तरफ से दी गयी हो, पूंजी अटकी हुई है, पैसा बेकार पड़ा हुआ है, कारखाना खड़ा हुआ है, लेकिन उत्पादन नहीं हो रहा है। एक तरफ पैसा बेकार पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ बड़े उद्योग हावी होकर लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके ऊपर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। यही एक ऐसा आधार होगा जिससे हम आगे चल कर ठीक से नीति के बारे में विचार कर सकेंगे।

आज उद्योग को लेकर, औद्योगिक विकास को लेकर, लाइसेंस नीति को लेकर कई प्रकार के नियंत्रण हैं। एक व्यक्ति को एक उद्योग लगाने के लिए कई जगह जाना पड़ता है। यदि हम सिंग्ल विन्डो स्कीम लागू करें तो उससे उद्यमी को परेशान नहीं होना पड़ेगा। एक ही जगह सब कुछ प्राप्त हो जाए तो काफी सहायता उसे मिल सकती है। लाइसेंस के लिए अलग चक्कर काटना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन के लिए और पैसे के लिए अलग चक्कर काटना पड़ता है, जगह-जगह चक्कर काटने से, एक उद्यमी जो उद्योग लगाना चाहता है, उसे परेशान होना पड़ता है। भले ही हम स्वयं रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार योजना लागू करें, ये योजनाएं तभी सफल हो सकती हैं यदि हम उनके बारे में सरलता अपनाएं। जो प्रक्रियात्मक और नियंत्रण सम्बन्धी कठिनाइयां हैं, जिससे राष्ट्रीय हित नहीं हो रहा है, ऐसे नियंत्रण

समाप्त होने चाहिएं। व्यावसायिकता के आधार पर इसका प्रशिक्षण तन्त्र कायम करके, एक प्रशिक्षण स्थिति नियंत्रित करके भारतीय प्रबन्ध सेवा का केन्द्रीय संगठन स्थापित कर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रबन्ध के अन्दर किस प्रकार के प्रशिक्षित व्यक्ति हो सकते हैं। व्यावसायिकता से हमें आगे आना चाहिए तभी हम सार्वजनिक उद्योगों को अधिकाधिक क्षमतापूर्ण स्थिति में ला सकेंगे। जहां तक करों का सम्बन्ध है, कम्पनीज को बहुत से करों में छट दी गई है, लेकिन जो छोटे-छोटे उद्योग लगाने वाले हैं उनको भी छूट मिलनी चाहिए, अन्य प्रावधानों के द्वारा भी उनकी इस प्रकार की स्थिति निर्मित की जानी चाहिए कि उनको कठिनाई न हो। सस्ते ब्याज पर ऋण मिले इसी सन्दर्भ में मैं मध्य प्रदेश की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश एक पिछड़ा हुआ राज्य गिना जाता है। यद्यपि वहां पर लोहा, मैंगनीज है और सीमेंट का पत्थर काफी मात्रा में मिलता है। वहां पर ताम्बा भी है। फिर भी वह पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है। इसलिए कि जिस आधार पर उद्योगों का विकास होना चाहिए सरकार को जिस प्रकार से उद्योगों की नीति दिशा में सहायता करनी चाहिए वह सहायता नहीं हो पा रही है और वहां पर औद्योगिक विकास ठीक से सम्भव नहीं हो सकता है। आज झाबुआ, बस्तर आदि जगहों पर काफी मिनरल्स हैं, डोलो माइट और मैंगनीज मिलता है, झाबुआ और बस्तर में बाक्साइट मिलता है, लोहा जापान को जा रहा है और वहां से ठीक होकर यहां आता है और हम उसको यहां पर काम में लेते हैं। इसका कारण यह है कि हम अपने यहां उसका कारखाना नहीं लगा रहे हैं। ऐसे पिछड़े क्षेत्रों के लिए जहां औद्योगिक विकास हो, संतुलित विकास हो इसके लिए आधरीभूत नीति में परिवर्तन करना चाहिए। हमें कुटीर उद्योगों का, लघु उद्योगों का कृषि पर आधारित करके इनका जाल बिछाना चाहिए तभी हम ठीक ठीक दिशा में उद्योगों को आगे बढ़ा सकेंगे। स्वदेशी को प्रोत्साहन देते हुए इस दृष्टि से अधिक उत्पादकता इसमें से निकाल रहे हैं, मैं चाहूंगा कि इस प्रकार की नीति का निर्धारण किया जाना चाहिए जो पिछले समय में भूल हुई है जिसके कारण असंतुलन हुआ है और हमारे यहां औद्योगिक विकास ठीक नहीं हो सका, हम समग्र रूप से विकसित हो सके। सभी राज्यों को समान अवसर मिले और पिछड़े राज्यों को सहायता देकर उनका औद्योगिक विकास हो।

श्री रामेश्वर प्रसाद (आरा) : पिछले दिनों लगभग देश में दो लाख औद्योगिक यूनिट बीमार पड़ गई हैं और बन्द हो गई हैं। इसमें राष्ट्र की पूंजी लगी हुई है और काफी मजदूर लोग बेकार हो गए हैं। लेकिन नई औद्योगिक नीति में इन बीमार उद्योगों को खोलने की चर्चा नहीं की गई है। मेरी मांग है कि इन बन्द और बीमार मिलों को चालू किया जाए। औद्योगिक विकास जहां किया जाता है उसका मतलब हो उस क्षेत्र का विकास, वहां की जनता का विकास, वहां की कृषि का विकास। कहने का मतलब कि कृषि आधारित उद्योग हों। बिहार में उद्योग तो हैं लेकिन वहां की महिलाओं को ईंटें ढोने का काम करना पड़ता है। क्योंकि वहां उद्योगों का विकास नहीं हुआ है। इसलिए औद्योगिक नीति को बदलना चाहिए और औद्योगिक विकास की नीति लागू की जाए। गत वर्ष 7526 करोड़ रुपए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के लिए रखे गए थे फिर पुनः संशोधित बजट आया और इस साल 6945 करोड़ रुपए का प्रावधान है इसमें 1500 करोड़ रुपए पहले के प्रावधान से कम है। इससे साफ पता चलता है कि सार्वजनिक क्षेत्र को कमजोर और समाप्त करने की प्रक्रिया चल रही है और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात चल रही है। हम यह चाहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र को और मजबूत बनाया जाए और इसके लिए अधिक धनराशि लगाई जाए और जो निजी कम्पनीज को दी जा रही है उसे बन्द किया जाए। विदेशी या मल्टीनेशनल कम्पनीज को देश में छूट दी जा रही है देश में स्वयं की ताकत के

बल पर, तकनीक के बल पर आत्मनिर्भरता की ओर नहीं बढ़ा जा रहा है, बल्कि विदेशी तकनीक की आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा जा रहा है। आजकल कमांडिंग हाइट की अवधारणा कमजोर की गयी है, मैं मांग करता हूं कि जो इस देश की औद्योगिक नीति बन रही है उसमें कमांडिंग हाइट को ऊपर उठाने की बात की जाए। कुटीर उद्योग और बड़े उद्योगों में माल बनता है तो निश्चित रूप से कुटीर उद्योगों में बनने वाला सामान महंगा होगा और बड़े उद्योगों में बनने वाला आधुनिक यन्त्रों और तकनीक से बनने वाला सामान सस्ता होगा। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देकर दोनों के माल में समानता रखने के लिए एक नीति बनाई जाए। भोजपुर जिले में कोई उद्योग नहीं है। वहां सूत का कारखाना खोला जाए और डालमिया नगर फैक्टरी में 22 हजार मजदूर बेकार पड़े हुए हैं इसलिए वह फैक्टरी चालू की जाए।

[अनुवाद]

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम) : महोदय, मैं माननीय उद्योग मन्त्री की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि केरल में केन्द्रीय निवेश की लगातार कमी के कारण वहां विचलित करने वाली प्रवृत्ति बढ़ रही है। वर्ष 1973-74 में केरल में केन्द्रीय निवेश 3.28 प्रतिशत था। दस वर्षों बाद 1983-84 में यह 1.76 प्रतिशत था। अब यह 1.23 प्रतिशत है। मेरी यह बात समझ नहीं आई कि केन्द्र सरकार द्वारा केरल को इतना उपेक्षित क्यों रखा गया है। हमारा राज्य एक ऐसा राज्य है जहां देश में शिक्षित बेरोजगार लोगों की संख्या सबसे अधिक है। इस सम्बन्ध में मैं सरकार की जानकारी में यह बात भी लाना चाहता हूं कि एफ० ए० सी० टी०; एच० एम० टी०, कोचीन रिफाइनरीज, हिन्दुस्तान ओरगेनिक कैमिकल्स, आई० आर० ई०, एच० आर्ट० एल० जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम भारी लाभ कमा रहे हैं। केरल में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कोई घाटा नहीं हुआ है। इस सन्दर्भ में, मेरे विचार में केरल में और अधिक केन्द्रीय उपक्रमों को लगाए जाने के लिए हमारा वैध अधिकार है। इसके अलावा, श्रमिक के व्यवहार से भी वहां परिवर्तन आया है। ऐसी शिकायत रही है कि केरल एक ऐसा स्थान है जहां श्रमिक समस्या बहुत अधिक है। लेकिन जो लोग यह समस्या पैदा कर रहे थे अब वह सरकार का एक हिस्सा बन गया है। अतः उन्होंने यह निर्णय लिया है कि वहां अब किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। **(व्यवधान)** दो कम्यूनिस्ट मित्रों तथा लोगों ने, जो वहां श्रमिक समस्या पैदाकर रहे थे, बहुत ही साहसिक निर्णय लिया है कि वे कोई श्रमिक समस्या पैदा नहीं करेंगे। अतः श्रमिक समस्या के बारे में चिन्ता न कीजिए।

दूसरा, सरकार में हमारे मित्र पहले पूंजीपतियों के विरुद्ध थे। वे कहते थे कि टाटा, बिरला और डालमिया पूंजीपति हैं और उन्हें पनपने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उसमें भी केरल में अब परिवर्तन आया है। केरल सरकार, टाटा, बिरला और डालमिया को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। अतः कृपया अपने सद्भाव का उपयोग कीजिए जिससे कि केरल में कुछ अन्य निजी कम्पनियां और फर्में भी स्थापित हो सकें। **(व्यवधान)**

श्री अमर रायप्रधान : बिरला पहले से ही आपकी पार्टी के सदस्य हैं। **(व्यवधान)**

प्रो० के० वी० थामस : मैं अपने मित्रों की प्रतिक्रिया के बारे में बता रहा हूं। **(व्यवधान)**

श्री ए० चार्ल्स : उन्हें वहां मार्क्सवादी सरकार द्वारा अब निमन्त्रण दिया गया है। **(व्यवधान)**

प्रो० के० वी० थामस : महोदय, नारियल जटा उद्योग केरल में परम्परागत उद्योग है। हमारे सभापति भी जीनते हैं कि केरल के तटीय क्षेत्रों में पांच लाख लोग नारियल जटा उद्योगों में लगे हुए है। नारियल जटा के कुल उत्पादन का 80 प्रतिशत उत्पादन भी केरल में होता है। लेकिन अब यह नारियल-जटा उद्योग जीवित रहने की स्थिति में नहीं है। गत वर्ष तक आपने नारियल जटा उद्योग को नकद ऋण सुविधाएं दी हैं। इस वर्ष आपने इस सुविधा को नहीं रखा है। यदि वह नकद समर्थन नहीं दिया जाता है, निश्चित रूप से केरल में नारियल-जटा उद्योग जीवित नहीं रह सकता है। दूसरा, नारियल-जटा में, एक तरह का अर्ध-यन्त्रीकरण होना चाहिए। अन्यथा नारीयल-जटा उद्योग के लिए कृत्रिम फाइबरों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करना कठिन होगा। नारियल-जटा उद्योग में हमारा महत्व-पूर्ण पहलू है सहकारी क्षेत्र, जोकि केरल में कार्य कर रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश, यह सहकारी क्षेत्र भी दो कम्यूनिस्ट पार्टियों के चंगुल में हैं। इसके परिणामस्वरूप, आप दिल्ली में जो भी धनराशि भेज रहे हैं, वह वास्तविक नारियल-जटा श्रमिकों को नहीं पहुंच रही है। अतः सरकार को यह पता लगाना चाहिए कि क्या बेहतर तरीका अपनाया जा सकता है जिससे कि आपके द्वारा नारियल-जटा उद्योग को जीवित रखने के लिए केरल को भेजी गयी धनराशि वास्तविक नारियल-जटा श्रमिकों को पहुंचे।

हमने केरल से कुछ प्रस्ताव दिए हैं। एक है अमोनिया-यूरिया कम्पलैक्स की स्थापना करना। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दक्षिणी राज्यों के लिए एक अमोनिया-यूरिया कम्पलैक्स की स्थापना का प्रस्ताव है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह यह अमोनिया-यूरिया कम्पलैक्स एफ० ए० सी० टी० को आबंटित करें जोकि लाभ कमाने वाली फर्म है।

कोचीन रिफाइनरी दक्षिण भारत में सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है। यह भी काफी लाभ कमा रही है। उन्होंने भी इस रिफाइनरी के विस्तार तथा कोचीन रिफाइनरी के आस-पास नई पेट्रो-रसायन परियोजनाएं शुरू करने के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। जब कोचीन रिफाइनरी शुरू की गई थी, तो उनके उद्देश्यों में एक यह भी था कि कोचीन के आस-पास बहुत सी पेट्रो-रसायन परियोजनाएं शुरू की जाएं। लेकिन हम अभी तक इससे सफल नहीं हुए हैं।

अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने यह घोषणा की है कि अरब की खाड़ी क्षेत्र में काफी बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम का पता लगाया है जोकि बम्बई हाई के बराबर है। अतः इस सम्बन्ध में, केरल में एक नई तेल रिफाइनरी भी शुरू की जा सकती है। केरल, प्राकृतिक रबड़ निर्माण करने वाले राज्यों में से एक है। लेकिन दुर्भाग्यवश, प्राकृतिक रबड़ से सम्बन्धित सभी उत्पादों का निर्माण अन्य राज्यों में किया जा रहा है। उनमें से एक कारण सरकार का गैर-वैज्ञानिक रवैया है।

उदाहरण के लिए, केरल में, छोटे उद्योगों की संख्या बहुत अधिक है। लेकिन यदि इनमें कोई उद्योग प्रति वर्ष 25 लाख रुपए से अधिक मूल्य की वस्तुओं का निर्माण करता है तो उसे बड़ा उद्योग माना जाता है। इसके अलावा, कर ढांचे में परिवर्तन हो जाता है। अतः जब तक कि आप प्राकृतिक रबड़ से सम्बन्धित उद्योगों की ओर वैज्ञानिक रवैया नहीं अपनाते, हम केरल में कोई उद्योग शुरू नहीं कर सकते जोकि प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन करने वाला एक प्रमुख राज्य है।

हमारे यहां बांस की बहुतायत है। स्वयं राज्य सरकार का एक बांस निगम है। जब तक भारत

सरकार हमारी सहायता करने के लिए तैयार नहीं होती, हमारा बांस उद्योग जीवित नहीं रह सकता। इसमें पहले, भारत सरकार ने केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों को यह अनुदेश दिए हुए थे कि उन्हें बांस की चटाइयां लेनी चाहिए। हम बांस की चटाइयां बहुत ही उचित मूल्य पर देने के लिए तैयार हैं। लेकिन केन्द्रीय सरकार के कार्यालय क्या करते हैं, बांस की चटाइयां लेने की बजाय, वे कृत्रिम चटाइयां ऊंचे दामों पर खरीदते हैं।

मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों को विशेष अनुदेश दें कि फर्श की चटाइयों अथवा सजावट प्रयोजनों के लिए बांस की चटाइयां ली जानी चाहिए।

दुर्भाग्यवश, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रायः आलोचना की जा रही है कि वे निरन्तर घाटे में चलते हैं। लेकिन आप संसद में दिए गए अपने उत्तर को देखिए। सरकारी क्षेत्र की 27 ऐसी कम्पनियां हैं जिनमें पिछले दो साल से अध्यक्ष या प्रबन्ध निदेशक नहीं है। राष्ट्रीय कपड़ा निगम (यू० पी०) लिमिटेड में 1985 से अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक नहीं है। बिना अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक के कोई कम्पनी चल कैसे सकती है। मेरे अपने राष्ट्र में सरकारी क्षेत्र की दो बड़ी कम्पनियों में अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक नहीं है। और कोचीन शिपयार्ड का अध्यक्ष प्रबन्ध निदेशक हर वर्ष बदल देते हैं। 'फेक्ट' नामक सरकारी क्षेत्र की एक अन्य कम्पनी में भी कोई अध्यक्ष या प्रबन्ध निदेशक नहीं है। मेरा अनुरोध यह है कि आप जिसे भी चाहे उसे चुन कर अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक नियुक्त कर दें। सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के मामले में अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक के सम्बन्ध में आपकी अपनी पसन्द है। किन्तु एक बार उन्हें चुनने के बाद आप उन्हें पूरा अधिकार दें। मैं जानता हूं कि आपकी सरकार जिम्मेदार सरकार है। किन्तु मैं चाहता हूं कि आप उन्हें पूरा अधिकार दें।

दूसरी बात लघु पैमाने के उद्योगों के बारे में है। जब तक छोटे पैमाने के उद्योगों को सहायता नहीं दी जाती वह चल नहीं सकते। वह बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। उन्हें कच्चा माल उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। केरल में लघु उद्योगों को लोहा, इस्पात और सीमेंट नहीं मिलता। लघु क्षेत्र में वहां एक प्रमुख उद्योग, मोमबत्ती उद्योग है। हमें मोम नहीं मिलता। मोम की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह यह सुनिश्चित करे कि पर्याप्त मोम आबंटित किया जाए ताकि लोगों को आगामी क्रिसमिस मौसम में पर्याप्त मोमबत्तियां उपलब्ध हो सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम कृष्ण यादव (आजमगढ़) : आदरणीय सभापति महोदय, भारत एक विशाल जनसंख्या का देश है और क्षेत्रफल के हिसाब से भी यह बहुत बड़ा देश है। इसके अलावा भारत ऐसा देश है जहां लगभग सभी कच्चे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। यहां की श्रम शक्ति दुनिया में सबसे सस्ती श्रम शक्ति मानी जाती है। यह बात हम आसानी से कह सकते हैं कि इस देश में औद्योगिक विकास और औद्योगिक क्रांति होनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गलत सरकारी नीतियों के कारण इस देश में न तो औद्योगिक विकास हो सका और न ही औद्योगिक क्रांति हो सकी। मैं ऐसा समझता हूं कि सारी औद्योगिक शक्ति देश के कुछ पूंजीपति घरानों में सिमट गई थी और सारी चीजें

और उद्योग धन्धे टाटा, बिड़ला, डालमिया और गोयनका के हाथों में सिमट गए। इनकी साजिश से व सरकारी कर्मचारियों की साजिश से हमारे देश में पब्लिक सेक्टर का विकास नहीं हो पा रहा है और पब्लिक सेक्टर का विकास न होने के कारण सारी औद्योगिक नीति बड़े-बड़े घरानों में एकीकृत हो गई है।

मेरी समझदारी साफ है कि बड़े-बड़े घरानों से सारी औद्योगिक शक्ति छीन ली जाए तो देश का बड़ा विकास हो सकता है। मेरी यह भी राय है कि बड़े-बड़े घरानों को लाइसेंस देना बंद कर दिया जाए और उद्योग धन्धे चलाने के लिए पब्लिक सेक्टर की तरफ ध्यान दिया जाए तभी इस देश में औद्योगिक विकास हो सकता है। मेरी यह भी प्रार्थना है कि जो छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे हैं, जो गांवों में चलाए जा सकते हैं, जो कम खर्चे में कम श्रमिकों के माध्यम से थोड़ी पूंजी में चलाए जा सकते हैं उसका लाइसेंस बड़े घरानों को नहीं दिया जाना चाहिए और बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां नहीं लगायी जानी चाहिए। जो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां लगायी जायें वे सरकार के अधीन होनी चाहिए—जैसे स्टील का कारखाना, सीमेंट का कारखाना और खाद बनाने का कारखाना। ये सब बड़े पैमाने पर सरकार के हाथों में होनी चाहिए। छोटे कारखाने—जैसे साबुन बनाने का कारखाना, अल्मुनियम के बर्तन बनाने का कारखाना, ऐसे उद्योग धन्धे गांवों में विकसित हो सकते हैं। इनके विकास के लिए किसी प्रकार का लाइसेंस पूंजी-पतियों को नहीं दिया जाना चाहिए। न तो पब्लिक सैक्टर में उसको ले जाना चाहिए, उसको गांवों के विकास में, कुटीर उद्योगों के विकास के रूप में ले जाना चाहिए तभी औद्योगिक काम इस देश में हो सकता है। मैं यही बताना चाहता हूं कि हमारे देश में ट्रेडीशनल प्रोफेशन करने वाले लोग हैं, जैसे लुहार हैं, कुम्हार हैं, पत्तल बनाने वाले लोग हैं, जो काफी वर्षों से अपनी परम्परा, रीति रिवाज के अनुसार अपना छोटे से छोटा उद्योग धन्धा चलाते हैं, चाहे वह लुहार का कारोबार हो, चाहे बरतन बनाने का कारोवार हो, चाहे पत्तल बनाने का कारोबार हो, यह लोग अपनी पढ़ाई लिखाई की कमी के कारण अपनी बुद्धि का विकास नहीं कर पाते हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पढ़े लिखे जो कम हैं, इनको इकट्ठा करके साल या दो साल में या कोई ट्रेनिंग सैण्टर खोला जाना चाहिए ताकि अनपढ़ लड़के भी, ट्रेडीशनल काम करने वाले लोग अच्छे से अच्छा काम कर सकें, कच्चा बरतन बनाने का काम, लोहा बनाने का काम, पत्तल बनाने का काम, अगर इनको ट्रेनिंग मिल जाएगी तो मैं समझता हूं कि ये अच्छे कारीगर बन सकेंगे, अच्छी प्रकार से कुछ चीजें बना सकेंगे, जो कुटीर उद्योग धन्धों के रूप में उत्पादन कर सकेंगे। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर के माध्यम से भी उद्योग का विकास होता है। हमारे यहां आजमगढ़ में, जहां से मैं आता हूं, ईख बहुत पैदा होती है लेकिन वहां केवल एक चीनी मिल है हमारे किसान जब वहां गन्ना लेकर जाते हैं तो 8-8, 10-10 दिन गन्ना लेकर वहां खड़े रहते हैं और गाड़ियां वापस हो जाती हैं, कहीं पेराई नहीं हो पाती, उनका गन्ना खेतों में सूख जाता है, उसी तरह आलू पैदा होता है, दूसरी चीजें पैदा होती हैं लेकिन सड़ जाती हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि क्या किया जाय, कैसे उसका औद्योगिक विकास किया जाय, गांव के लोगों को यह नहीं बताया जाता।···(**व्यवधान**)···आजमगढ़ में केवल एक चीनी मिल है। जहां पर बहुत गन्ना उत्पादन होता है लेकिन गन्ना सूख जाता है क्योंकि सरकार की नीति ऐसी है। चीनी मिलें न खुलने की वजह से किसानों ने हतोत्साहित होकर गन्ना बोना छोड़ दिया है तो मैं चाहूंगा कि खेती में उत्पन्न हुई चीजों के माध्यम से भी उद्योग का विकास किया जाना चाहिए ताकि किसानों को उसमें बढ़ने का मौका मिले।

सबसे बड़ी चीज जो मैं मानता हूं कि इस देश में या दुनिया के किसी देश में उद्योग धन्धा

चलाने के लिए बिजली की बहुत आवश्यकता है। हमारे देश में भी सैकड़ों उद्योग धन्धे ऐसे बीमार पड़े हुए हैं या उनका काम बन्द हो गया है क्योंकि बिजली नहीं मिलती है तो सारे उद्योग धन्धों से बिजली की उत्पत्ति का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है इसमें सरकार को चाहिए कि बिजली का उत्पादन ज्यादा करें ताकि छोटे-मोटे उद्योग धन्धे जो गांवों में लगाए जाते हैं, वह भी बिजली के माध्यम से अपना कारोबार कर सकें, बड़े-बड़े उद्योग धन्धे तो बिजली से चलते हैं, गांवों में भी बिजली के माध्यम से छोटे-छोटे उद्योग धन्धे चलाए जा सकें और जब गांवों में इनका विकास हो जाएगा तो मैं समझता हूं कि उद्योग धन्धों की कड़ी के रूप में हमारे गांव विकसित हो जायेंगे।

दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि हमारे देश में बड़े अच्छे-अच्छे टैक्नीशियन पैदा होते हैं, ओवरसियर पैदा होते हैं, इंजीनियर पैदा होते हैं, जानवर लोग पैदा होते हैं लेकिन किन्हीं कारणों मे विदेशों में जाकर, अच्छे पैसे के लालच में चले जाते हैं जिससे हमारे देश का बड़ा नुकसान होता है। वह हमारे देश में पढ़ते हैं, हमारे देश में शिक्षा पाते हैं, हमारे देश में उनकी जानकारी बढ़ती है लेकिन पैसे के लालच में वह विदेशों में चले जाते हैं। सरकार की ऐसी नीति होनी चाहिए कि ऐसे लोग जो देश में इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, ओवरसियरी पढ़ते हैं, उनका विदेशों में जाना कुछ दिनों के लिए बन्द कर दिया जाना चाहिए ताकि हमारे देश में अच्छे से अच्छी क्रीम पैदा हो करके इंजीनियरी, ओवरसियरी करके अच्छा उत्पादन हो सके और अपने देश की प्रतिभा को बढ़ा सके।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि हमारे यहां मानसिकता का भी दोष है। हमारे देश में उत्पादन और निर्माण, दुनिया के किसी देश में उत्पादन और निर्माण विकास के साधन होते हैं लेकिन हमारे देश के राजनीतिज्ञों का या हमारे देश के लोगों का उत्पादन और निर्माण की नीति में विश्वास नहीं रह गया है, यहां की शिक्षा नीति क्लर्क पैदा करती है, आई० ए० एस० आफिसर पैदा करती है, आई० पी० एस० आफिसर पैदा करती हैं और उसका उत्पादन और निर्माण में विश्वास नहीं है। श्रम शक्ति का भी इस देश में सम्मान नहीं होता है, लोगों का विश्वास पूंजीवादी व्यवस्था में है। मैं चाहता हूं कि लोगों की मानसिकता में बदलाव हो, सारे देश के श्रम शक्ति में विश्वास करें, श्रम करने वाले लोगों की मान्यता होनी चाहिए उनका सम्मान होना चाहिए, पूंजी का ही सम्मान नहीं होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : सभापति महोदय, एक चौंकाने वाली खबर मिली है कि विज्ञान भवन में भयंकर आग लगी हुई है। वहां सभी राज्यों के पुलिस अधिकारियों का सम्मेलन चल रहा था। भयानक आग लगी हुई है। हम उनकी सुरक्षा के बारे में चिन्तित हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में वक्तव्य दें। विज्ञान भवन में जो सम्मेलन चल रहा है वह विभिन्न राज्यों के शीर्ष पुलिस अधिकारियों का है।

सभापति महोदय : आपने समाचार दे दिया है। सम्बन्धित व्यक्ति इसकी छानबीन करेंगे।

श्री ए० चार्ल्स : हम इस बारे में गृह मंत्री महोदय का वक्तव्य चाहते हैं।

सभापति महोदय : यदि इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने की जरूरत हुई तो वह दे देंगे।

श्री हरीश रावत : यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। हम सभी इस बारे में चिन्तित हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : हमें भी इस बारे चिंता है।

सभापति महोदय : हां तो, श्री यादव आप जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री राम कृष्ण यादव : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि मानसिकता में बदलाव होना चाहिए और श्रम शक्ति की महत्ता ज्यादा होनी चाहिए और पूंजी की महत्ता कम होनी चाहिए। इस देश में श्रम करने वालों का सम्मान नहीं होता है, उत्पादन करने वालों का सम्मान नहीं होता है, निर्माण करने वालों का सम्मान नहीं होता है। जो लोग कलर्की करते हैं, आई० ए० एस० आफिसर हैं, आई० पी० एस० आफिसर हैं, इन लोगों का सम्मान होता है। मानसिकता में जब तक बदलाव नहीं आएगा, तब तक मैं समझता हूं कि हमारी उद्योग नीति में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। मैं चाहूंगा कि पूंजीवादी व्यवस्था से निकल कर उद्योग धन्धों में समाजवादी व्यवस्था को बढ़ाने के लिए औद्योगिक विकास होना चाहिए, ताकि हमारे देश में औद्योगिक विकास का एक स्वच्छ वातावरण बनें।

इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा० एस० पी० यादव (सम्भल) : सभापति महोदय, मैं उद्योग मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करते हुए, आपके माध्यम से मैं उद्योग मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि पूरे देश के अन्दर जो उद्योग की स्थिति है, उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि उद्योगों के सम्बन्ध में जो भी नीति निर्धारित की गई थी, वह चालीस साल पुरानी कांग्रेस सरकार द्वारा बनाई गई घिसी-पिटी नीति थी, जिससे देश का बहुत ही कम विकास हुआ। ग्रामीण अंचलों का विकास आवश्यक है, लेकिन ग्रामीण अंचलों के विकास में उद्योगों की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। ग्रामीण अंचलों का विकास किस प्रकार से किया जाए, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ग्रामीण अंचलों में जो बंजर भूमि पड़ी हुई है, उस बंजर भूमि पर भी उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए। बहुत से ऐसे उद्योग हैं, जो कि कैमिकल्स से सम्बन्धित हैं और प्रदूषण करते हैं। जैसे गजरौला में लगा हुआ एक कैमिकल का कारखाना है, उस उद्योग के कारण हमारे पूरे क्षेत्र के अन्दर इतना भयंकर प्रदूषण है कि नदियों का पानी काला और जहरीला हो गया है। उस क्षेत्र के जानवर, पशु उस पानी को पी नहीं सकते हैं और यदि पीते हैं तो मर जाते हैं। इसकी वजह से ही गांवों के अन्दर मच्छरों का प्रकोप बना हुआ है। ऐसे क्षेत्रों में जो बंजर भूमि है, उन क्षेत्रों में उद्योगों का विकास होना चाहिए।

एक तरफ तो यह स्थिति है और दूसरी तरफ उद्योगों का विकास शहरी क्षेत्रों में हो रहा है। शहर विकसित हो रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। इस औद्योगीकरण से शहरों की आबादी बढ़ती चली जा रही है और इस कारण एक समस्या शहर में बनती चली जा रही है। इसलिए उद्योगों का विकास उन क्षेत्रों में होना चाहिए, जिन क्षेत्रों में बंजर भूमि पड़ी हुई है और बेकार हो, उस पर आसानी से उद्योग लगाए जा सकते हैं।

उद्योगों के सम्बन्ध में एक और समस्या है। देश के विभिन्न राज्यों में फाइनेंशियल कारपोरेशन द्वारा उद्योगों को ऋण दिया जाता है। यदि किसी कारण से वह उद्योग सिक हो जाता है, तो फाइनेंशियल कारपोरेशन ऋण की, राशि कम होते हुए भी उद्योग को नीलाम करा देते हैं और फैमिली के लोगों की बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। इसी प्रकार का एक उदाहरण मैं आपको देता हूं उत्तर प्रदेश के चन्दौसी कस्बे में एक छोटा सा यूनिट अरोमा कैमीकल्स के नाम से लगाया गया था जो पिपरमेंट बनाता था। उसके लिए एक पढ़े हुए कैमिकल्स इंजीनियर को दो लाख का लोन दिया गया था सन्

1972 में, लेकिन कांग्रेस के कुशासन, कुचक्र नीति के कारण कभी उस मैंथा का दाम सौ रुपए होता था और कभी चार सौ रुपए किलो हो जाता था। इतना धलक्चूएशन इस इण्डस्टरी के अन्दर रहा जिसके कारण ऐरोमा कैमिकल्स नहीं चल सका। यू० पी० फायनेंशियल कारपोरेशन के लोगों ने क्या किया? उन्होंने उस उद्योग की सम्पत्ति जो 10 लाख की थी उसको 1 लाख 15 हजार में बेच दिया और उन्होंने बहुत बड़ा धन नम्बर दो का प्राप्त किया। इस प्रकार की स्थिति जिस देश की रही हो, जहां लोग इस तरह से नम्बर दो में पैसा लेकर इन यूनिट्स को तबाह करते रहे हों, अध्यक्ष महोदय, यह आवश्यक है कि सरकार की नीति के अन्दर वे सब बातें आनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि हमारा कितना लोन था। लोन था 2 लाख, उस पर ब्याज 2 लाख और उन लोगों ने बेच दिया 1 लाख 15 हजार में। ऐसे लोग सरकारी तन्त्र के माध्यम से या सरकार के नुमाइन्दों के माध्यम से या किसी कारपोरेशन के माध्यम से मठाधीश बने हुए हैं और उन लोगों ने किस प्रकार से उन क्षेत्रों में तबाही मचा दी है। रोजाना अखबार के अन्दर इण्डस्टरी नीलामी के बारे में आता रहता है और हाई कोर्ट से ऐसे लोगों के लिए बेनाने कैंसिल कर दिए गए हैं।

मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ऐसे क्षेत्रों का सर्वेक्षण करवाएं कि कितने क्षेत्रों की इण्डस्टरी को यू० पी० फायनेंशियल कारपोरेशन ने बहुत कम पैसे में नीलाम किया है, जिससे सरकार का धन भी वसूल नहीं हुआ। और यूनिट भी तबाह हो गए हैं। छोटे उद्योग किस प्रकार पनप सकते हैं, सरकार का सर्वेक्षण भी ऐसे छोटे उद्योगों के लिए मिलना चाहिए जो ग्रामीण अंचलों में लग रहे हैं। मैं इस प्रकार का एक और उदाहरण पेश करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना ग्लास वर्क का क्षेत्र बहजोई है। मुरादाबाद जिले में बहजोई एक कस्बा है, जहां सबसे पुराना ग्लास वर्क का काम होता है और पुरानी सरकार की नीतियों के कारण ध्वस्त हो गया है। पता नहीं कितने मजदूर बेकार हो गए। वहां ग्लास वर्क बहुत अच्छी क्वालिटी का होता था, वह आज मृतप्राय: हो गया है, समाप्त हो गया है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि ऐसे जो यूनिट सिक हो गए हैं उनका भी ध्यान रखें कि उन यूनिटस को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है या पुनर्जीवित किया जा सकता है।

इसके साथ ही, मेरे क्षेत्र के अन्दर, जहां से मैं चुन कर आता हूं, सम्भल लोक सभा क्षेत्र एक पिछड़ा क्षेत्र है उसमें कुछ एग्रो बेसड इण्डस्टरी लगाई जाए जिससे वहां का काम बढ़ सके। सम्भल के अन्दर सींग के खिलौने और शो-पीस तथा बहुत अच्छी-अच्छी ज्वैलरी तैयार होती है। मान्यवर, मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि सम्भल के सींग के कारखानों के लिए सींग का काम करने वाले छोटे कारीगरों के लिए इस प्रकार से प्रोत्साहन देने की कृपा करें ताकि सम्भल के लोग अपनी जीविका आगे बढ़ा सकें।

मान्यवर, बहुत छोटे उनके यूनिट्स हैं और उनके लिए सरकारी सर्वेक्षण पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाता, सरकारी सहायता और सहयोग उन्हें नहीं मिल पाता। वे बहुत बड़ा निर्यात का काम भी करते हैं, विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि उनका सर्वेक्षण करवा कर उन्हें सहायता व सहयोग दिया जाए। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि उन क्षेत्रों का सर्वेक्षण करवाएं और देखें कि कहां कौन-सी चीजों के रॉ-मैटीरियल मिलते हैं, जिनकी सहायता से छोटी-छोटी यूनिट लगायी जा सकती हैं। तो मैं चाहूंगा कि वहां इण्डस्टरी डिवेलेप की जाए।

मेरे क्षेत्र का एक और स्थान है दफ्तरा। वहां पर टमाटर की पैदावार बहुत अधिक मात्रा में होती है। अगर वहां टमाटर सोस की फैक्टरी लगा दी जाए तो मैं समझता हूं कि बहुत से लोगों के लिए काम मिलेगा, कारीगर तैयार होंगे और मजदूरों को काम मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं और अधिक नहीं कहना चाहूंगा, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी इस प्रकार की नीति अवश्य बनाएं कि कांग्रेस शासन के अन्दर उद्योगों में जो भ्रष्टाचार था वह निकल सके और उद्योगों का विकास हो सके।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब, श्री डेनिस।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलिकरा) : महोदय, मैं, आग के बारे में कुछ जानकारी चाहता हूं···

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : उन्हें पूछताछ करने दें। मैं उन पर दबाव नहीं डाल सकता।

प्रो० पी० जे० कुरियन : श्री दण्डवते ने आग के बारे में खबर सुनी है। हम जानना चाहते हैं यदि उन्हें कुछ जानकारी है तो उन्हें वह सदन को बतानी चाहिए।

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : कुरियन जी, कठिनाई यह है कि यदि आज मैं संसदीय कार्य मन्त्री से प्राप्त जानकारी के आधार पर कोई सूचना दे दूं और यदि उसमें कुछ गायब हुआ तो कल मुझे विशेषाधिकार प्रस्ताव का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, यह बेहतर होगा कि सम्बन्धित मन्त्री द्वारा विस्तृत वक्तव्य पर सूचना दी जाए।

मैं इस मामले में प्रथम दृष्टया कुछ पता लगाया है कि यह कैसे आरम्भ हुई। शार्ट सर्किट कैसे हुआ और किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई आदि। किन्तु मैं अधिकारिक रूप से यह नहीं कहूंगा।

प्रो० पी० जे० कुरियन : दण्डवते जी, आपके पास जो जानकारी है कृपया हमें बताएं।

प्रो० मधु दण्डवते : वह प्राप्त हो जाएगी। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : अब श्री डेनिस।

श्री एन० डेनिस (नागरकोइल) : महोदय, हमारा देश मूलतः एक कृषि प्रधान देश है और लगभग 75 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। किन्तु अकेले कृषि से देश की बेरोजगारी तथा अन्य आर्थिक समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता। हमें कृषि पर निर्भर करने वाले लोगों की संख्या कम करनी होगी तथा उन्हें उद्योगों को अपनाना होगा।

कृषि क्षेत्र में, हमने वास्तव में आत्म-निर्भरता का लक्ष्य पूरा कर लिया है। इसलिए हमें देश के औद्योगिक विकास की ओर ध्यान देना होगा। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय हमारे यहां औद्योगिक विकास बिल्कुल नहीं हुआ था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद यहां औद्योगिक वातावरण तैयार किया गया और अब हमारा औद्योगिक उत्पादन 1951 में हो रहे औद्योगिक उत्पादन से दो गुना है। किन्तु यह प्रगति पर्याप्त नहीं है। वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों की संख्या के मामले में विश्व में हमारा तीसरा स्थान

है; किन्तु, औद्योगिक उत्पादन में हमारा दसवां स्थान है। हमारे वैज्ञानिक नौकरियों के लिए विदेशों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। उनके ज्ञान और अनुभव का देश के औद्योगिक विकास के लिए बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है।

जापान ने बहुत औद्योगिक प्रगति की है तथा इसी प्रकार कोरिया जैसे कुछ दूसरे देशों ने भी की है। जापानी लोग अपने माल पर 'मेड इन जापान' का लेबल लगा कर उसे प्रतिष्ठित माल के रूप में मानते हैं। वह अपने माल का उच्च स्तर बनाए रखते हैं। वह कड़ी मेहनत करते हैं और प्रौद्योगिकी प्रथा आधुनिकीकरण में उन्होंने बहुत उन्नति की है। हम उनका अनुसरण कर सकते हैं।

उनका बाजार किसी विशेष गांव, जिला या राज्य तक सीमित नहीं है। उसका अन्तर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है। इसलिए, कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए हमारे माल का स्तर अन्तर्राष्ट्रीय होना चाहिए।

4.44 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यदि हमने अपने निर्यात को बढ़ावा देना है तो हमारी वस्तुओं की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी की चीजों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जहां तक प्रौद्योगिकी का सम्बन्ध है हमने आधुनिक समय की तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी के साथ मिलकर चलना होगा। किन्तु हम विदेशों से प्रौद्योगिकी का आयात कर रहे हैं। हम उन उपकरणों का भी आयात कर रहे हैं जिनका हम अपने देश में निर्माण कर सकते हैं। हम स्वदेशी प्रौद्योगिकी को विकसित नहीं कर रहे हैं। हम विदेशों से आयात किए गए विभिन्न पुर्जों को जोड़ रहे हैं। इस तरह से हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे। हमारे देश में श्रम अपेक्षाकृत सस्ता है। इसी तरह से कच्चा माल भी उपलब्ध है। सस्ते श्रम और कच्चे माल से हम औद्योगिक प्रगति कर सकते हैं।

उद्योगों के विकास के लिए विद्युत एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका कुशलतापूर्वक उत्पादन करना होगा। पिछड़े क्षेत्रों के सम्बन्ध में हमारी नीति असन्तुलन को दूर करने की है। 1956 का औद्योगिक नीति संकल्प उद्योगों को महानगरों और शहरों से दूर ले जाने के बारे में है। किन्तु महानगरों और नगरों में उद्योग लगाए जा रहे हैं और ग्रामीण जनता नगरों और कस्बों की ओर आ रही है। शहरों में उद्योगों की भीड़भाड़ और जमाव है इसलिए, उद्योग स्थापित करने के लाइसेंस बड़े शहरों और नगरों के लिए न दिए जाकर पिछड़े क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दिए जाने चाहिएं।

कुछ जिलों को पिछड़ा जिला माना गया था किन्तु वह औद्योगिकरण के अभाव में आज भी पिछड़े हुए हैं। इन क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। औद्योगिक विकास के लिए परिस्थितियों और स्थान के अनुसार विशेष दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

उनके औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत ढांचे सम्बन्धी सुविधाएं भी जुटानी होंगी। कन्या कुमारी जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ माना गया है। परन्तु सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र में एक भी कारखाना यहां स्थापित नहीं किया गया है। केवल किसी जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित कर देने से ही समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। योजनाओं के कार्यान्वयन की नीति दूरी बढ़ने के साथ-साथ कम होती जाती है और कन्याकुमारी जैसे दूरस्थ स्थानों तक पहुंचते-पहुंचते

कार्यान्वियन के लिए कुछ बचता ही नहीं। इसलिए ऐसे दूरस्थ स्थानों के औद्योगिक विकास की ओर भी ध्यान देना होगा जोकि केन्द्रीय तथा राज्य की राजधानियों क्रमश: नई दिल्ली और मद्रास से काफी दूरी पर हैं। कन्याकुमारी में रबर उद्योग, टिटेनियम, जर्कोनियम, नारियल जटा उद्योग तथा रेशा उद्योग की स्थापना के लिए पर्याप्त अवसर हैं; इनके लिए वहां पर पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध है। इसलिए सरकार को वहां पर इन उद्योगों को स्थापित करने की ओर ध्यान देना चाहिए। कन्याकुमारी जिले को 'विकास केन्द्र योजना' के अन्तर्गत शामिल किया जाना चाहिए। पहले स्तर पर इन 'विकास केन्द्रों' की संख्या में वृद्धि करनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त, सरकारी निवेश सम्बन्धी राज-सहायता की छूट की योजना को बन्द नहीं करना चाहिए। इसे फिर से शुरू किया जाना चाहिए। अन्यथा 'विकास केन्द्र योजना' के कार्यान्वियन से पहले पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए कोई भी योजना नहीं रह जाएगी। तमिलनाडु में पिछले 20 वर्षों से सरकारी क्षेत्र में एक भी उद्योग स्थापित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में विचार किया जाना चाहिए और वहां पर उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए।

जब सार्वजनिक क्षेत्र में कारखानों को स्थापित करने की योजना बनाई गई थी; तब यह आशा की गई थी कि इस क्षेत्र से प्राप्त धन को और अधिक उद्योगों की स्थापना तथा विकास के कार्यों में लगाया जाएगा। सरकारी क्षेत्र के उद्योग घाटे में चल रहे हैं जबकि निजी क्षेत्र में यही उद्योग लाभ कमा रहे हैं। इसका कारण इन उद्योगों में कुप्रबन्ध तथा अनुत्पादक कार्यों पर अनावश्यक रूप से प्रबन्धकों द्वारा अधिक खर्च करना है। इसीलिए, वहां पर लाभ कम होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों को चलाने के लिए उन लोगों को नियुक्त किया जाना चाहिए जो अपने कार्य के प्रति निष्ठावान हों। उनके मनमाने रूप से खर्च करने पर भी रोक लगाई जानी चाहिए।

बड़े उद्योगों में अधिक लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता। इसलिए लघु उद्योगों में करीब एक करोड़ लोग कार्यरत हैं। परन्तु इस क्षेत्र को जो प्रोत्साहन दिए जाते हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं। लघु उद्योगों को चलाने के लिए पर्याप्त कार्यकारी पूंजी उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वे लाभ-कारी इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें। इन उद्योगों को उचित समय पर राजसहायता नहीं दी जाती और इस विलम्ब को भी दूर किया जाना चाहिए।

इस समस्या का दूसरा पहलू यह है कि लघु उद्योगों के क्षेत्र में बड़े उद्योगों के आने पर रोक लगाई जानी चाहिए। बड़े उद्योग लघु उद्योगों के लाभों को छीन रहे हैं और इसे रोका जाना चाहिए।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग तथा राज्य खादी बोर्डों को ऐसे कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योग शुरू करने चाहिएं जिससे अधिक रोजगार प्रदान किया जा सके। उन्हें इन उद्योगों को जिला मुख्यालयों तथा नगरों में स्थापित न करके गांवों में स्थापित करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री चांद राम (हरदोई) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मुझे इस बात की खुशी है कि इण्डस्ट्रीज महकमा हमारे चौधरी चरण सिंह जी के सुपुत्र चौधरी अजित सिंह जी के पास है। आप जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह हमेशा से इस देश में गांव के समर्थक रहे हैं, वे चाहते थे कि हमारे देहातों का नक्शा बदले, गांव तरक्की करें, तभी हम भावी हिन्दुस्तान का नक्शा बदल सकते

हैं। मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है जब जनता दल की सरकार को अपनी औद्योगिकीकरण नीति पर फिर से विचार करना होगा, उसकी नजरछानी करनी होगी। महात्मा गांधी जैसा चाहते थे और जब मैं लाहौर में पढ़ता था हमारे विश्वेश्वरैया साहब ने एक औद्योगिकीकरण प्लान भी बनायी थी, यदि हम उस प्लान को सिर्फ क्रियान्वित ही कर दें, उससे भी काफी समस्या हल हो सकती है। उनकी प्लान यह थी कि गांवों में स्थित छोटी कुटीर इण्डस्ट्रीज को बिल्कुल हानि न पहुंचायी जाए बल्कि उन्हें हर तरह का प्रोत्साहन मिलना चाहिए। हम अपने देश में कोई इण्डस्ट्री ऐसी न लगाएं जिससे कोई आदमी बेकार होता हो, बेरोजगार होता हो। यदि हमारा इण्डस्ट्रीज का आधार, औद्योगीकरण का आधार ऐसा बन जाए तो मैं समझता हूं कि हमारा प्लानिंग कमीशन और भारत सरकार जिस तरह से इस देश का विकास करने की कोशिश कर रही हैं, कि हम बेकारी को दूर करेंगे, देश से गरीबी को दूर करेंगे, उसके लिए चाहे हम कितनी ही योजनाएं क्यों न बना लें, कितना पैसा आवंटित क्यों न कर दें, देश में कितनी ही इलैक्ट्रॉनिक्स इण्डस्ट्रीज क्यों न लगा लें, बेकारी दूर होने वाली नहीं है। बेकारी दूर करने की मात्र एक ही कुंजी है, जो गांधी जी ने प्लान बनाई थी, चौधरी चरण सिंह जिसके पोषक रहे हैं, उस ओर चलना आरम्भ करें। यहां बहुत चर्चा आती है कि अनेकों टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज इस देश में बीमार कर दी जाती हैं, रुग्ण बना दी जाती हैं, फिर उन्हें सरकार की ओर से 800 करोड़ की सब्सिडी या दूसरी सहायता दी जाती है ताकि उन बीमार रुग्ण इण्डस्ट्रीज को पुनर्जीवित किया जा सके परन्तु उनकी हालत ठीक होने के बाद फिर उन इण्डस्ट्रीज को उनके मालिकों के हवाले कर दिया जाता है, यह कौन सी नीति है, मेरी समझ में नहीं आया। चौधरी चरण सिंह ने फीगर्स देकर बताया था कि एक मिल के लगने से कितने वीवर्स बेरोजगार होते हैं, मैंने आदरणीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को एक चिट्ठी लिखी थी कि प्लानिंग कमीशन में बड़े-बड़े अंग्रेजी बोलने वाले विद्वान लोग वहां लगा दिए, लेकिन जो गांव का आदमी जो गरीबी और बेकारी को जानता है उनमें से कितने आदमियों को लगाया गया ? कोई दलित और बैकवर्ड सदस्य योजना आयोग में नहीं लिया।

"जिसके पैर फटी न बिवाई,
वह क्या जाने पीर पराई।"

मैं इस सम्बन्ध में जूते की मिसाल देता हूं। बाटा कम्पनी जो कि जूते बनाती है अगर आप इसको बन्द कर दें या जूता निर्यात करने के लिए ही पाबन्द कर दें तो जूते बनाने वाले लाखों-करोड़ों लोगों को रोजगार मिल जाएगा। हमने यह देखा है कि बाटा कम्पनी आगरा, दिल्ली या गांव के लोगों से जूता बनवा लेती है और उस पर मोहर बाटा की लगा देती है। मेहनत गांव वाले करते हैं या गरीब व जूता बनाने वाले लेकिन बाटा कम्पनी वालों को इसका लाभ मिल जाता है। स्टेट ट्रेड कारपोरेशन निर्यात आर्डर तथा लाइसेंस भी बिचौलियों को देते हैं।

एक वीविंग का धन्धा है और हैंडलूम और पावरलूम है। अंग्रेज राज में अंगूठी से सारा मलमल का थान जो निकल जाता है वैसा कपड़ा हमारे यहां बनता है। लेकिन हिन्दुस्तान में अब वीवर्स मारे-मारे फिर रहे हैं। उनको धागा नहीं मिलता है हाठ नहीं मिलता है। सीधी सी बात है कि आप गांव के लोगों को काम दो और बड़ी-बड़ी इण्डस्ट्रीज को बन्द कर दो। जितनी भी लार्ज इण्डस्ट्रीज हैं वह इस कारण बन्द हो रही हैं कि वह घाटे में चल रही हैं और बिचौलिए भी एक्सप्लायट करते हैं। गांव के जो कारीगर हैं उनकी हालत तो बहुत खराब है और जिनको वे अपना माल देते हैं वे अरबपति हो गए हैं। यह कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। अगर हमारे प्लैनर सोच लें कि क्या करमा है और गरीबी व

बेकारी कैसे दूर करनी है तो इन समस्याओं को सुलझाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें ज्यादा इन्जिन्युइटि की जरूरत नहीं है।

हमने गांधी जी की तस्वीर हर डिपार्टमेंट व मंत्रालय तथा संसद में लगायी हुई है लेकिन उनकी कही बातों को मानने में आनाकानी तथा कोताही करते हैं। यह बेकारी की बीमारी क्या है ? इसकी खोज करने में इतने साल क्यों लगा दिए। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मैं एक छोटे से हरियाणा से उठ कर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के क्षेत्र हरदोई से चुनकर आया हुआ है। यू० पी० की पर-कैपिटा इनकम बाकी जगहों से सबसे कम है। वहां कोई इण्डस्ट्री नहीं है। वह इतना बड़ा स्टेट है और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वहां से आते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश की ओर ध्यान कम ही दिया है। ऐसा कुछ भी वहां देखने को नहीं मिलता है। हरदोई के लोगों ने हमसे चुनाव के बीच कहा कि एक इण्डस्ट्री आप हमें देंगे ? मैं उनकी यह बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। केवल एक इण्डस्ट्री वहां लगने से लोग वोट दे देंगे। ऐसे में मुझे वायदा करना पड़ा और कहा कि मैं एक इण्डस्ट्री वहां जरूर लगवा दूंगा। अब मैंने उनसे यह कहा है कि अगर तीन महीने में इण्डस्ट्री नहीं दूंगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब आपको इस पर सोचना चाहिए।

मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। जो हमारा प्लानिंग प्रोसेस है उस पर आपको बहुत गहराई से सोच विचार करना चाहिए। हमारे वित्त मन्त्री वहां मौजूद हैं और वह समाजवादी हैं। मन्त्री जी को बैक टू पैवेलियन यानी कि बैक टू गांधी जी और बैक टू चरणसिंह जी की नीतियों पर जाना चाहिए। अब उनको उनकी नीतियों पर अमल करने का मौका मिला है, इतिहास को पलटने का मौका मिला है, अतः वे इस मौके का पूरा फायदा उठाएं।

महोदय, मैं आंकड़ों के जाल में नहीं जाना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि चौधरी चरण सिंह जी के सुपुत्र चौधरी अजित सिंह सारी व्यवस्था को और सारे दृष्टिकोण को बदलेंगे। गांव के लोग गांव छोड़ कर दिल्ली में जो आ रहे हैं और झुग्गी-झोंपड़ियों में रह रहे हैं, ऐसी व्यवस्था करने के बाद वे दिल्ली में नहीं आएंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

5.00 म० प०

[अनुवाद]

उद्योग मंत्री (श्री अजीत सिंह) : मैं उन माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और औद्योगिक विकास का उचित वातावरण तैयार करने के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए अपनाई जाने वाली नीति के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये हैं।

माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों के उत्तर देना इतने थोड़े से समय में संभव नहीं विशेषकर हरदोई में उद्योग के सम्बन्ध में। फिर भी मैं औद्योगिक विकास की नीति के कुछ पहलुओं पर प्रकाश डालूंगा।

बड़े दुख की बात है कि यद्यपि हमारी आर्थिक व्यवस्था पिछले कुछ वर्षों में काफी सुदृढ़ हुई है, परन्तु इस विकास के लाभ हर जगह नहीं पहुंचे हैं। जबकि औद्योगिक विकास के साथ सातवीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक उत्पाद में औसतन 7.8 प्रतिशत वृद्धि हुई है, परन्तु उद्योग अपेक्षित

संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में असफल रहे हैं। अत: यह क्षेत्र बेरोजगारी की समस्या को हल करने में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सका। हमारी औद्योगिक नीति का उद्देश्य यह होगा कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके, जैसे कि हमारे चुनाव घोषणा पत्र में कहा गया है। हमारा निवेश भी सही दिशा में नहीं रहा है। सम्पन्न वर्ग के इस्तेमाल की वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई है जबकि सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाई है। इसके अतिक्ति हमारा औद्योगिक विकास क्षेत्रीय असमानता को दूर करने में सफल नहीं हुआ है और औद्योगिक विकास के लाभ कुछ क्षेत्रों तक ही सिमट कर रह गए हैं। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग तथा ग्राम उद्योग की ओर भी पूरा ध्यान न दिए जाने से यह समस्या और भी जटिल हो गई है। इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी विकास तथा आधुनिकीकरण प्रक्रिया की गति भी इतनी नहीं बढ़ाई जा सकी जितनी कि आवश्यकता थी और इसके परिणामस्वरूप हमारा उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धा में पूरा नहीं उतर सका। और अन्त में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस कमी की ओर दिलाना चाहता हूं कि कृषि विकास के सारे लाभ औद्योगिक क्षेत्र को नहीं मिल पाए हैं। दोनों क्षेत्र आपस में एक सामञ्जस्य स्थापित नहीं कर पाए हैं जो कि एक सुदृढ़ और सन्तुलित आर्थिक व्यवस्था के निर्माण के लिए आवश्यक है।

औद्योगिक विकास के लिए नीति बनाते समय हमें अपनी पिछली कमियों को ध्यान में रखना होगा। हमें अपनी सामाजिक-आर्थिक प्रगति की नीति को भी ध्यान में रखना होगा जिसका उद्देश्य लोगों का कल्याण, उनके लिए उत्पादक तथा लाभकारी कार्य उपलब्ध कराना तथा उनकी गरीबी को समाप्त करना है। इस संदर्भ में, औद्योगिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य उद्योगों का इस प्रकार से विकास करना है जिससे कि रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध करवाये जा सकें। इस उद्देश्य की प्राप्ति केवल उत्पादन के श्रम-प्रधान क्षेत्रों में पूंजी निवेश बढ़ाकर ही प्राप्त नहीं की जा सकती परन्तु इसके लिए वैकल्पिक श्रम-प्रधान उपलब्ध तकनीकों को भी प्राथमिकता देनी होगी। जबकि राष्ट्रीय उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 25 प्रतिशत से अधिक है, परन्तु इस क्षेत्र से केवल 12 प्रतिशत लोगों को ही रोजगार मिलता है। इसलिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए औकोगिक क्षेत्र को और व्यापक बनाना होगा। इसके परिणामस्वरूप भारतीय मण्डियों का जो विकास होगा, उससे औद्योगिक विकास को भी बल मिलेगा। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि बड़े उद्योगों के क्षेत्र में एक इकाई स्थापित करने के लिए लघु उद्योग क्षेत्र की तुलना में लगभग नौ गुना अधिक निवेश करना पड़ता है। इसलिए, लघु उद्योग क्षेत्र की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। हम इस क्षेत्र के विकास को सर्वाधिक महत्व देते हैं क्योंकि इसके विकास के द्वारा बड़ी संख्या में लोगों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ इसके माध्यम से हम उद्योगों के क्षेत्रीय विकास में विद्यमान असन्तुलन को भी दूर कर सकते हैं।

यह हमारे निर्धनता को कम करने के नियत प्रयास में भी हमारी सहायता करेगी और हमारे लोगों की आय, धन तथा जीवन स्तर में असमानता को भी कम कर करेगी। यह क्षेत्र में उद्योग लगाने में कम समय लगता है और यह अर्द्ध-शहरी एवं ग्रामीण वातावरण के अनुकूल है, जहां मूलभूत ढांचा पूर्णरूप से विकसित नहीं है। इस क्षेत्र में छोटी बचतों को आकृष्ट करने और उन्हें उत्पादक कार्यों में लगाने की क्षमता है।

लघु पैमाने के क्षेत्र का दीर्घकालिक विकास आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी के निरन्तर विकास के बिना सम्भव नहीं है। यह लघु पैमाने की इकाइयों द्वारा उचित कीमत पर अच्छे सामान

का उत्पादन करने दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है जबकि ये इकाइयां पहले से ही निर्यात के प्रयास में योगदान दे रही हैं, इससे उनकी अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धा तथा निर्यात में वृद्धि की क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। लघु पैमाने के क्षेत्र में विद्यमान जन्मजात लचीलेपन और गतिशीलता के कारण इस क्षेत्र में उत्पादित किए जाने वाले उत्पादनों की सीमा आसानी से बढ़ सकती है। क्योंकि लघु क्षेत्र पहले से ही विस्तृत रूप से बिखरा हुआ है, हम इन सहायक नीतियों के द्वारा उद्योगों की क्षेत्रीय वृद्धि के असन्तुलन को दूर करने में सक्षम होंगे ताकि देश के सभी क्षेत्र औद्योगीकरण के लाभ, अधिक समान तरीके से प्राप्त कर सकें।

इस क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस सरकार ने 'विनियोग छूट योजना' को बहाल करने का निर्णय लिया है जिसे अक्तूबर, 1988 में समाप्त कर दिया गया था। इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह किया गया है कि यह छूट केवल ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों के लघु क्षेत्र के एककों को ही दी जायेगी। हमें लघु क्षेत्र की तीव्र वृद्धि दर को कायय रखने के लिए समय से पर्याप्त मात्रा में धन के उपलब्ध नहीं होने की समस्या को सुलझाना है। सरकार का लघु उद्योग विकास कोष को स्थापित करने का निर्णय इस समस्या का समाधान ढूंढ़ना है। इसके अतिरिक्त, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में राष्ट्रीय समानता कोष और राज्य वित्त निगम में "सिंगल विन्डो" योजना को लागू करना इस क्षेत्र की इकाइयों को धन प्रदान करने को सुनिश्चित करना है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने इस वर्ष 2 अप्रैल से कार्य आरम्भ कर दिया है। क्योंकि यह लघु एव छोटी इकाइयों की एक मात्र पुनर्वित्त की आवश्यकताओं को पूरा करेगा, यह विशेष रूप से नई इकाइयों के विकास और विद्यमान इकाइयों को सुदृढ़ बनाने में सहायता करेगा।

वित्त के अतिरिक्त, लघु इकाइयों के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार ने केवल लघु क्षेत्र में ही उत्पादित होने वाली मदों की सूची की घोषणा की है। इस सूची में 836 मदें हैं। बड़े एवं मध्यम क्षेत्र की इकाइयों के द्वारा सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश की शिकायतें की गई है। सरकार ने एवं मामलों से प्रभावी एवं तीव्र ढंग से निपटने के लिए एक समिति स्थापित की है।

सरकार लघु क्षेत्र को वित्त की आपूर्ति और सुरक्षित सूची के उल्लंघन पर की गयी कार्यवाही की भी ध्यानपूर्वक देखभाल करना चाहती है ताकि लघु क्षेत्र की इकाइयां सरकार के सभी नीति उपायों का पूरा लाभ प्राप्त कर सकें, जो कि इस क्षेत्र के विकास के लिए हैं।

लघु क्षेत्र में संयन्त्र तथा मशीनरी में वर्तमान विनियोग सीमा 35 लाख रुपए और सहायक उद्योगों के लिए 45 लाख रुपये निर्धारित की गयी है। यह अनुमान लगाया गया है कि लघु क्षेत्र की लगभग 90 प्रतिशत इकाइयों का विनियोग 2 लाख रुपये से नीचे होता है और लगभग 95 प्रतिशत इकाइयों का विनियोग 5 लाख रुपये से नीचे रहता है। कुछ उद्योग संघों और औद्योगिक इकाइयों ने सुझाव दिया था कि अधिकतम सीमा में संशोधन किया जाना चाहिए। वर्तमान सीमाएं 1985 में निर्धारित की गयी थीं और यदि हम संयन्त्र एवं मशीनरी की लागत में वृद्धि और आधुनिकीकरण की आवश्यकता तथा प्रौद्योगिकी की वृद्धि आदि की गणना करें तो पायेंगे कि इस सीमा को बढ़ाया जाये। इसके विपरीत उद्योग के एक वर्ग में यह तीव्र भावना है कि लघु क्षेत्र की 90 प्रतिशत इकाइयों का विनियोग 2 लाख रुपये से कम है, अतः इस विनियोग को बढ़ाने की कोई बात ही नहीं है।

सरकार नीति प्रारूप प्रस्तुत करते समय इन सभी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखेगी हमारा यह दृष्टिकोण है कि हम लघु क्षेत्र के तीन विभिन्नि उप-क्षेत्रो के अस्तित्व को समझें और उन्हें

उपयुक्त महत्व दें। प्रथम एवं सबसे महत्वपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र है जिसमें कुटीर अथवा घरेलू उद्यम आते हैं। इस उपक्षेत्र में, काम के अवसर प्रदान करके और स्थानीय संसाधनों तथा कारीगरी का सदुपयोग करके, बहुत कम पैसा लगाकर और कम से कम विस्थापन के द्वारा गरीबी से निपटने की विशाल क्षमता है। दूसरा उपक्षेत्र छोटे क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और इसमें लघु क्षेत्र की अधिकांश इकाइयां आती हैं। इस क्षेत्र नेविकास एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा प्रौद्योगिकी के विकास आदि में अपनी क्षमता दर्शायी है। इस छोटे क्षेत्र को पूरा संरक्षण और सहयोग दिया जायेगा ताकि ऋण प्राप्त करने, मार्केट शेयर, और आर्थिक क्षनता में कोई कमी न आये।

तीसरा उपक्षेत्र आधुनिक लघु क्षेत्र के नाम से जाना जाता है जिसमें आत्मनिर्भरता लाने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा प्राप्त करने की क्षमता है। सरकार इस अन्तर को ध्यान में रखते हुए ऐसी नीतियां बनायेगी जिनसे यह सुनिश्चित हो कि ये सभी तीनों उप-क्षेत्र अपनी पूर्ण शक्ति को अनुभव करें और वृद्धि, रोजगार एवं व्यापार में अपना योगदान दे सकें।

ग्रामीण एवं खादी उद्योग अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है। क्योंकि इस क्षेत्र के कारीगर बहुत व्यापक क्षेत्र में फैले हैं, अतः यह आवश्यक है कि इसके निरन्तर विकास की ओर ध्यान दिया जाए। यह कारीगरों की आय के स्तर को बढ़ाने, स्वतन्त्र व्यवसाय के मार्ग पैदा करने और इन कलाओं के जरिये स्थानीय बाजारों में सामान एवं सेवाओं की नियमित आपूर्ति करने में भी सहायता करेगा। यह देश के गौरवशाली कौशल और कलात्मक विरासत को बरकरार रखने में भी सहायता करेगा। इस क्षेत्र के समर्थन के लिए बनाया गया कार्यक्रम रोजगार के अवसर उत्पन्न करने और ग्रामीण क्षेत्रों से कस्बों तथा शहरों की ओर अवांछनीय पलायन को रोकने में भी एक अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इस सन्दर्भ में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग का उपयोग एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए किया जायेगा। क्योंकि आयोग के कार्यक्रमों का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों और स्त्रियों को भी अधिक से अधिक रोजगार प्रदान कराना है, आयोग के कार्यकलापों को सुदृढ़ करने से इन श्रेणियों के लोगों की दशा सुधारने के सरकार के महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। इस क्षेत्र में हमारी नीति का मुख्य उद्देश्य उन्नत यंत्र एवं उपकरण तथा कच्चे माल की आपूर्ति करके कारीगरों की प्रौद्योगिकी को अद्यतन करना, विपणन समर्थन और प्रशिक्षण के द्वारा उनकी कार्यदक्षता में सुधार करना होगा। विपणन समर्थन के सम्बन्ध में हमारी नीति इस क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों की इकाइयों में सार्वजनिक उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी। सरकार का एक विपणन संगठन स्थापित करने का विचार है जो अखिल भारतीय स्तर पर कार्य करेगा। इन यह उद्योगों को विपणन समर्थन प्रदान करायेगा और जहां तक सम्भव होगा, बड़े कस्बों एवं महानगरों में उनके माल की बिक्री-प्रदर्शनी लगायेगा। यह इन सामानों के नियति की पूरी संभावनाओं का पता लगाने में भी सहायता करेगा।

इन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार ने पहले ही उद्योग मत्रालय में एक नये विभाग की स्थापना कर दी है। यह विभाग लघु उद्योगों, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों और कृषि पर आधारित उद्योगों के लिए भी उत्तरदायी होगा। विश्वसनीय एवं विस्तृत आंकड़े एकत्रित करने के लिए जिनके आधार पर विस्तृत योजनाएं बनायी जा सकें, सरकार ने पंजीकृत लघु इकाइयों की दूसरी अखिल भारतीय गणना पहले ही आरम्भ कर दी है। इस प्रकार नया विभाग वास्तविक योजना बनायेगा और पहले से तैयार योजनाओं का उद्देश्यपूर्ण तरीके से कार्यान्वयन करेगा।

लघु, ग्रामीण एवं कृषि पर आधारित उद्योग क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ मैं इस बात के लिए भी पूर्ण रूप से सचेत हूं कि हमें मध्यम और बड़े पैमाने के क्षेत्रों के उद्योगों की समस्याओं पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

हमारे विकास की वर्तमान अवस्था में अनेके क्षेत्र ऐसे हैं जो गहरी चिंता के विषय हैं। हमारी भुगतान सन्तुलन स्थिति बहुत खराब है। औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशों की तुलना में हमारी उत्पादकता कम है। एक सामान्य अवधारणा यह है कि भारतीय उद्योग के द्वारा उत्पादित सामान की गुणवत्ता अपेक्षित स्तर की नहीं है और उनमें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पर्धा करने की शक्ति नहीं है। हमें एक निर्णायक तरीके से इन सभी समस्याओं का निकट भविष्य में समाधान करना है और मैं इसे करने के लिए दृढ़ संकल्प हूं। हमें द्रुतगामी और निरन्तर औद्योगिक विकास के रास्ते पर चलना है। इसको करने के लिए बड़े एवं मध्यम क्षेत्रों भी आधुनिकीकरण में पर्याप्त विनियोग और प्रौद्योगिकी विकास करना होगा। हमें घरेलू बाजार में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा को लागू करके अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी स्पर्धा में वृद्धि करनी होगी। दुर्भाग्यवश, भारतीय उद्योग के लिए घरेलू बाजार में अब तक लागू की गयी संरक्षण नीतियों से केवल अक्षमता को ही बढ़ावा मिला है। हम ऐसी नीति को जारी नहीं रख सकते। अत: हम घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करेंगे और धीरे-धीरे अपने उद्योगों को अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धा की ओर भी अभिव्यक्त करेंगे। औद्योगिक क्षेत्र में उच्च विकास दर प्राप्त करने के लिए हमें अपने उद्यमियों को नियम एवं विनियमों से मुक्त रखने की भी जरूरत है जो कि उनके प्रयास को रोकते हैं। अफसरशाही नियन्त्रण को कम करना होगा। अधिकांश उद्योगों को बिना किसी नियन्त्रण के कार्य करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से लाइसेंस देने की प्रणाली में परिवर्तन किये जायेंगे।

मैं पहले ही वर्तमान नीति की समीक्षा कर रहा हूं और शीघ्र ही नई संशोधित नीति लाने की आशा करता हूं। मैं आशा करता हूं कि, उसके बाद, नियम और विनियम अधिक सुस्पष्ट होंगें। इन समीक्षाओं से यह होगा कि इससे स्वविवेकाधिकार के अवसर कम होंगे, जो प्रायः स्वैच्छिक होते हैं, व जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।

माननीय सदस्यों ने हमारे सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की कमजोरियों का उल्लेख किया है। हमारी अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों के विकास में उनकी अपेक्षित भूमिका का उल्लेख किया गया है। हांलाकि, यह कहा गया है कि वे ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। मैं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की कमजोरियों से अवगत हूं। ये कमजोरियां संसाधनों का समुचित उपयोग न किया जाना, खराब योजना प्रबंध, उत्पादन में लगने वाली पूंजीनिवेश का उच्च अनुपात, कर्मचारियों की अधिक संख्या, उत्पादन की लागत का अधिक होना और अद्यतन तकनीकी का अभाव तथा अनुसंधान और विकास पर समुचित ध्यान न देना आदि हैं। यही वास्तविक कठिनाइयां हैं जो विशेषतौर पर सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाती हैं। हालांकि इन उपक्रमों के प्रबंध में कुछ सुधार विचारणीय हैं, फिर भी, सुधार के लिए अभी भी गुजांइश है। कार्य क्षमता और उत्पादता में सुधार करने की आवश्यकता है, और आंतरिक संसाधनों का पर्याप्त मात्रा में सृजन किया जाना चाहिए चाहिए ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश और वृद्धि की मांग को उसमें से ही पूरा किया जा सके व साथ ही साथ वह संपूर्ण राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि में भी सहायक हो सके।

हम सार्वजनिक क्षेत्र पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित करने जा रहे हैं जिसमें इन पहलुओं पर गौर

किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए अनिवार्य उपायों के प्रति मैं सजग हूं। ये उपाय हैं प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, प्रतिष्ठानों की सामान्य शेयर पूंजी में कर्मचारियों और जनता की भागीदारी और कार्य करने की स्वायत्तता के साथ-साथ जनता के प्रति उत्तरदायित्व की भावना के प्रति ज्यादा वचनबद्धता। घाटे में चलने वाले उपक्रमों की कार्यप्रणाली की एक आलोचनात्मक पुनरीक्षा करनी होगी और उन्हें अधिक लाभकर बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के वे उपक्रम जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई, या जिनके कार्य निष्पादन में सुधार की संभावना नहीं है, उनके मामले में कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है।

बड़े औद्योगिक घरानों के कार्य-कलापों और बाजार में होने वाली अवरोधक और अनुचित प्रवृत्तियों के विषय में कुछ चिन्ता प्रकट की गई है जिनसे सामान्य जनता के हित बुरी तरह प्रभावित होते हैं। यहां, हमें बड़ी कम्पनियों की वैध औद्योगिक नीति और व्यापारिक गतिविधियों और ग्राहकों के हितों के प्रतिकूल जाने वाली औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों में अन्तर करना होगा। इसके लिए एकाधिकारपूर्ण अवरोधक और अनुचित व्यापार के तरीके इस्तेमाल करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान के खिलाफ कड़े कानूनी कदम उठाए जाएंगे। अनुचित तरीके यह हैं—उत्पादन की लागत से बहुत अधिक कीमत वसूल करना, कीमतों में हेरा-फेरी कर उपभोक्ताओं पर ज्यादा कीमत थोपना, झूठे विज्ञापनों के जरिए उपभोक्ताओं को भ्रमित करना, और घटिया स्तर का सामान देना। इन गतिविधियों से सम्बन्धित वर्तमान कानूनी प्रावधानों को और भी कठोर बनाया जाएगा।

जमाकर्ताओं की ओर से कई शिकायतें मिली हैं कि अवधि पूरी होने पर भी निश्चित जमा राशि योजना के अन्तर्गत उन्हें भुगतान नहीं किया जाता और इन जमा राशि पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता। पहले, सहायता के लिए दीवानी अदालत में जाने या चूककर्ता कम्पनियों को समाप्त करने के लिए कहने के अलावा जमाकर्ताओं के पास अपनी राशि वापस लेने का कोई अन्य साधन नहीं था। अब हमने कम्पनी विधि बोर्ड को ऐसे अधिकार दिए हैं जिससे वह ऐसे मामलों में आवेदन पत्रों पर सुनवाई कर सकता है और दोषी कम्पनियों को देय राशि लौटाने का आदेश दे सकता है।

माननीय सदस्यों नेलघु क्षेत्र, बड़े और मध्यम क्षेत्रों में फैली व्यापक रुग्णता पर गहरा दु:ख प्रकट किया है। मैं उनकी चिन्ता को समझता हूं। जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं, औद्योगिक और आर्थिक पुनर्गठन बोर्ड नामक एक वैधानिक संस्था पहले से ही है जिसका गठन विशेषरूप से बड़े और मध्यम क्षेत्रों की औद्योगिक रुग्णता पर गौर करने के लिए और ऐसे उद्योग जिन्हें अर्थक्षम बनाया जा सकता हैं, उन्हें दुबारा शुरू करने की योजनाएं बनाने के लिए किया गया है।

श्री हरीश रावत (अलमोड़ा) : क्या कोई सिफारिश की गई है ?

श्री अजित सिंह : जी हां, वी० आई० एफ० आर० नेकई सुझाव दिए हैं। (**व्यवधान**) हम कई लघु क्षेत्र में व्याप्त रुग्णता को रोकने या समाप्त करने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं। माननीय सदस्यों ने राष्ट्रीकरण के बारे में भी कहा है। इस समय, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि राष्ट्रीयकृत और अधिगृहित औद्योगिक एककों के संचालन में सरकार का पुराना अनुभव सन्तोषजनक नहीं है। ज्यादातर राष्ट्रीयकृत और अधिगृहित एककों को अर्थक्षम आधार पर चलाने में हम सफल नहीं हुए हैं। अत:, हमारी नीति यह है कि औद्योगिक एककों का भविष्य में राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा। माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि देश के सीमित संसाधनों का भी ऐसे एककों पर अपव्यय नहीं किया जा सकता जिन्हें लाभ में नहीं चलाया जा सकता।

श्री मुरली देवरा (दक्षिण बम्बई) : आप राष्ट्रीयकरण की नीति को रद्द कर रहे हैं।

श्री अजित सिंह : हम इनका प्रबन्ध अपने हाथ में नहीं लेंगे। राज्य सरकार इनका उत्तरदायित्व ले रही हैं।

तथापि, मैं कहना चाहूंगा कि अगर राज्य सरकार किसी रुग्ण एकक का राष्ट्रीयकरण करना चाहती है और अपने संसाधनों से इसे चलाना चाहती है तो मैं ऐसे अनुरोध के मामलों पर विचार करने को तैयार हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आप क्या देंगे ?

श्री अजित सिंह : हम अनुमोदन करेंगे। यह वित्त मंत्री के ऊपर है कि वे जो कर सकते हैं करें।

इस संदर्भ में, मैं माननीय सदस्यों से सिफारिश करूंगा कि इस प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार करें कि ऐसे रुग्ण एकक, जो लाभ नहीं दे रहे, उनके स्थान पर एक नया औद्योगिक उपक्रम शुरू किया जाए जिसमें उस रुग्ण एकक के श्रमिकों को प्रशिक्षण देने के पश्चात् रोजगार दिया जाए। इससे दो मसले हल हो जाएंगे—एक तो लाभप्रद उत्पादन के लिए पूंजी निवेश और दूसरा बेरोजगार हुए श्रमिकों के लिए रोजगार की व्यवस्था।

मैं माननीय सदस्यों को औद्योगिक विकास में दिखाई गई उनकी रुचि और इस संदर्भ में उनके मूल्यवान विचारों के लिए पुनः धन्यवाद देता हूं। अब मैं सदन से उद्योग मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांग को पारित करने के लिए अनुरोध करता हूं। (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : माननीय मंत्री ने आज कहा है कि सरकार ने किसी भी उद्योग को राष्ट्रीयकृत न करने की नीति अपनाई है।

अगर एक उद्योग जो कुप्रबन्ध के कारण रुग्ण हो गया है और जिसे अच्छे प्रबन्ध के द्वारा जिसे दोबारा शुरू किया जा सकता है, क्या ऐसे उद्योगों के सम्बन्ध में भी सरकार की यही नीति है कि इन्हें राष्ट्रीयकृत नहीं किया जाएगा ? मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इसे सुस्पष्ट करें। बी० आई० एफ० आर० की भविष्य में क्या भूमिका होगी ? श्रीमती सुभाषिनी अली ने बताया है कि बी० आई० एफ० आर० विभिन्न कम्पनियों के प्रस्तावों और मामलों पर गौर नहीं कर रहा है और कंपनियों को बन्द करने के प्रयास के अतिरिक्त वह अपना काम अच्छी तरह नहीं कर रहा है।

इन मामलों में जहां रुग्णता कम नहीं हो रही—दुर्भाग्य से बढ़ रही है—हमें कामगारों के भविष्य के बारे में एक उचित नीति अपनानी होगी। माननीय मंत्री ने कहा है कि श्रमिकों को पुनः रोजगार देंगे। कतिपय बन्द उद्योगों के संदर्भ में उन्हें कैसे दोबारा रोजगार दिया जाएगा ? उन्हें चलाने का उत्तरदायित्व कौन लेगा ? पूंजी कहां से आएगी ? अगर आप राज्य सरकारों पर ये जिम्मेवारी लादते हैं तो वे कहां से संसाधन प्राप्त करेंगे। अतः, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इसे थोड़ा और स्पष्ट करें क्योंकि अभी भी यह स्पष्ट नहीं है। हम इस सरकार की नीति को समझने में असमर्थ हैं।

श्री अजित सिंह : पिछले कुछ समय से सरकार की यह नीति रही है कि रुग्ण एककों का

राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा। जहां तक राज्य सरकारों का सवाल है, जैसा मैंने कहा है, यह उनकी जिम्मेवारी है कि इन एककों की रुग्णता के कारणों का पता लगाएं और यदि सम्भव हो तो इनका प्रबन्ध अपने हाथ में लें।

जहां तक श्रमिकों के पुनर्नियोजन का सम्बन्ध है, जैसा मैंने कहा, यह सुझाव है कि रुग्ण कम्पनियों की परिसम्पत्ति के उपयोग करने पर विचार करना चाहिए और उस अर्थ में, श्रमिकों को भी इसमें शामिल करें ताकि उसी परिसम्पत्ति का उपयोग करके अर्थक्षम एककों की स्थापना की जा सकें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : देयताओं के सम्बन्ध में क्या किया जाएगा ?

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : पूरा डिसकशन अभी-अभी हुआ है, करीब-करीब 8-9 घंटे हम इस पर डिसकश कर चुके हैं···

श्री मुरली देवरा : जवाब नहीं दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको प्रश्न पूछने के लिए वक्त दे रहा हूं, मगर आपका प्रश्न प्रश्न ही होना चाहिए। बहुत सारे हाथ ऊपर उठ रहे हैं, समय ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। माननीय मंत्री चाहें तो सारे प्रश्नों का एक साथ जवाब दें या अलग-अलग प्रश्नों का अलग-अलग जवाब दें।

श्री ईश्वर सिंह : बिहार का गया जिला जो अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्थान है वहां पर पिछले 42 वर्षों में एक भी उद्योग नहीं लगाया गया है। इसके चलते वहां पर उग्रवाद काफी फैल रहा है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि रोहतास उद्योग समूह बरसों से बन्द है। जिससे 15 से 20 हजार लोग बेकार हो चुके हैं और भुखमरी से बर्बाद हो चुके हैं, यहां तक कि वे अपने कपड़े, मकान आदि तब बेचकर खा चुके हैं और वहां पर आत्महत्या कर रहे हैं। क्या सरकार गया में नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत कोई उद्योगी और क्या रोहतास उद्योग समूह को फिर से स्थापित करने पर विचार करेगी ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आठ-दस घंटे हो चुके हैं, अगर वन बाई वन चलेंगे तो इतना ही और समय लग जाएगा।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, मैं केवल तीन प्रश्न करना चाहूंगा। मेरा प्रथम प्रश्न है : क्या सरकार परिवहन राजसहायता शुरू करने पर विचार कर रही है जोकि दी जानी है। माननीय मंत्री के उत्तर से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। दूसरे, पहले, पिछड़े जिलों विशेषकर पर्यटन के विकास के लिए होटल उद्योग के लिए राजसहायता होती थी। माननीय वित्त मंत्री ने एक दिन कहा था कि यह लघु उद्योगों के लिए है। लेकिन होटल लघु उद्योगों में नहीं आते। क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है ? तीसरे, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है सरकार को निरन्तर रुग्ण पड़े सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्योगों को बन्द करने का सख्त विकल्प अपनाने पर सोचना है। क्या माननीय मंत्री एक या दो उदाहरण दे सकते हैं ? ऐसे बन्द किए जाने वाले उद्योग कौन-से हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न स्पष्ट व सीमित होना चाहिए। अब श्री सैफुद्दीन चौधरी अपना प्रश्न करें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, मैंने तो एकदम स्पष्ट प्रश्न किया है। माननीय मंत्री ने कहा है कि वे और अधिक रुग्ण उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नहीं कर रहे हैं... (**व्यवधान**) मैं रुग्ण उद्योग के बारे में पूछ रहा हूं। अन्यथा, राष्ट्रीयकरण का कोई मुद्दा नहीं है।

वित्त मंत्री (श्री मधु दण्डवते) : क्या आप घाटों वाले उद्योगों का राष्ट्रीयकरण और मुनाफे वाले उद्योग का निजीकरण चाहते हैं? (**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैंने यह नहीं कहा है। मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय मंत्री ने कहा कि अनुभव यह रहा है कि अधिग्रहीत अथवा राष्ट्रीयकृत की गई इकाइयों ने अच्छा कार्य नहीं किया। उन्होंने अच्छा कार्य क्यों नहीं किया? क्या उन्होंने इसकी कोई समीक्षा की है? इस बारे में एक श्वेत पत्र लाया जाए। वह तो बगैर विचार किए ही कह रहे हैं कि और अधिक राष्ट्रीयकरण नहीं होगा। हम इससे सहमत नहीं हैं।

श्री मुरली देवरा : महोदय, मैं पहले ही पिछले सप्ताह के सेमीनार के सम्बन्ध में माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित कर चुका हूं। पिछले सप्ताह दिल्ली में 'विश्व आर्थिक मंच' के तहत सेमीनार हुआ था। आज टाइम्स आफ इंडिया में एक सम्पादकीय छपा है। इसमें भारत के लोगों का ध्यान सरकार के माननीय सदस्यों द्वारा उत्पन्न भ्रान्ति की ओर आकर्षित किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने भाषण में जो कह चुके हैं उसे पुनः दोहरा रहे हैं।

श्री मुरली देवरा : श्री जार्ज फर्नान्डीज, श्री अजित सिंह और प्रधानमंत्री ने विदेशी निवेश पर कुछ कहा है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस बारे में स्थिति स्पष्ट करें।

श्री धर्मपाल शर्मा (उधमपुर) : महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि उनका मंत्रालय श्रीनगर में एच० एम० टी० की फैक्टरी पुनः चालू करने के लिए कौन-से कारगर कदम उठा रहा है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कह चुके, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[**हिन्दी**]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (सीतामढ़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि बड़े उद्योग और कुटीर उद्योग में जो प्रतिस्पर्धा है देश में और कुटीर उद्योग में जिन वस्तुओं का उत्पादन हाथ से, मानव श्रम से होता है उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन क्या बड़े उद्योगों में प्रतिबन्धित करेंगे? चौधरी चरण सिंह ने जो नीति दी थी क्या उस पर विचार करेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय, जब कई कारखाने सिक हो जाते हैं तो सरकार उसको अपने हाथ में लेकर बढ़िया एवं मजबूत बनाकर तथा स्वस्थ करके फिर कारखानेदार को दे देती है तो मैं किसान होने के नाते सरकार से जानना चाहता हूं कि उसी तरह से जब कोई गाय, भैंस दूध देना बन्द कर देगी तो उसको भी सरकार अपने हाथ में लेकर दूध देने वाली बनाकर हमें वापिस कर देगी या फिर यह नियम केवल कारखाने वालों के लिए ही रहेगा?

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : मेरा प्रश्न बहुत सरल है। अनेक रुग्ण इकाइयां हैं। लेकिन रुग्ण मालिक नहीं हैं। मेरा प्रश्न है कि रुग्ण स्वामियों के प्रति अपनाई गई नीति क्या है? दूसरा प्रश्न यह है कि देश में विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में क्या नीति है? पहले एक प्रकार की नीति होती थी। हाल ही में, मैं भी इस बारे में भ्रमित हूं। मैं भारतीय उद्योग पर विदेशी पूंजी के हमले से सम्बन्धित वक्तव्य पर बिस्तार से जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि गुजरात के अन्दर 35 सूती कपड़ा मिलें बन्द हैं और खासकर अहमदाबाद में 19 मिलें बन्द हैं। और 9 मिलें एन० टी० सी० चलाती है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार...

उपाध्यक्ष महोदय : इंडिविज्युल बात के लिए कोई टाईम नहीं है।

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि अनेक माननीय सदस्यों ने महसूस किया है, महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि बी० आई० एफ० आर० के पास अनेक मामले लम्बित पड़े हैं। हमें विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है कि यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि बी० आई० एफ० आर० की पुनर्निर्माण योजना को लागू करने के लिए वित्तीय संस्थाओं से आवश्यक सहयोग नहीं मिलता। इसके अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं जो आवश्यकता होने पर बाद में दिए जा सकते हैं। मैं नीति के तौर पर उद्योग मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वह उस अधिनियम जिसके अन्तर्गत बी० आई० एफ० आर० का गठन किया गया है संशोधन करेंगे, जिससे बी० आई० एफ० आर० को इसके लिए प्राधिकृत किया जा सके ताकि वह वित्तीय संस्थाओं से सहयोग सुनिश्चित कर सके।

[हिन्दी]

श्री फूलचन्द वर्मा (शाजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि मैं मध्य प्रदेश के निर्वाचन क्षेत्र शाजापुर से आता हूं। एक कारखाने का मामला उद्योग मंत्रालय में पेंडिंग पड़ा हुआ। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में उद्योग खोलने के लिए और विशेषकर शाजापुर में खोलने के बारे सरकार क्या कर रही है?

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसके बारे में मंत्री महोदय को लिखकर दीजिए, वे इसका जवाब देंगे।

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार (क्विलोन) : मंत्री महोदय यह मानेंगे कि औद्योगिक नीति का एक मुख्य ध्येय सरकारी अथवा निजी क्षेत्र दोनों में ही विद्यमान का उपयोग करना होना चाहिए। इसी आधार पर लाइसेंस प्रणाली शुरू की गई है और नई इकाइयों की स्थापना को रोका गया है जैसे कपड़ा क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में पटसन क्षेत्र तथा अनेक अन्य राज्यों में कुल चीनी मिलों के सम्बन्ध में ऐसा किया गया है। परम्परागत रूप से काजू उद्योग केरल में केन्द्रित है। वहां पर पहले से ही क्षमता

का कम उपयोग हो रहा है और काजू श्रमिक। बल को कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण एक वर्ष में केवल 100 दिन का काम मिल रहा है। क्या सरकार काजू उद्योग में लाइसेंस प्रणाली शुरू करने पर विचार करेगी ताकि केरल या किसी अन्य राज्य में नई इकाइयों की स्थापना को रोका जा सके ?

[हिन्दी]

श्री जनार्दन तिवारी (सीवन) : मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस देश में बड़े-बड़े पूंजि-पतियों ने अरबों रुपया कमजोर उद्योग के नाम पर घोटाला करके दूसरे उद्योग में लगा दिया है, उनके बारे में सरकार क्या कर रही है ?

श्री बाला साहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) : जो उद्योग डिपॉजिट लेकर समय पर नहीं देते उसके लिए गाईडलाइन्स कानून संशोधन करके क्या मैंडेटरी प्रॉविजन करेंगे क्योंकि 10-10 साल तक डिपॉजिट नहीं मिलते हैं। इसमें कानून संशोधन की मांग कर रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री बाल गोपाल मिश्र (बोलनगीर) : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वह सरकारी क्षेत्र की इकाइयों में प्रतिनियुक्ति पर जाने की व्यवस्था को बन्द करेंगे क्योंकि सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले लोग इन इकाइयों के कल्याण की चिन्ता नहीं करते वे अपने निजी कल्याण के बारे में अधिक सोचते हैं, जिसके फलस्वरूप सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को भारी नुकसान हो रहा है।

दूसरा, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकारी क्षेत्र की इकाइयों में जिम्मेवारी डाली जाएगी और इन इकाइयों के कर्मचारियों को लाभ और हानि के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।

तीसरे, मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार देश के पिछड़े जिलों में भारी उद्योग स्थापित करने का निर्णय लेगी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, इस तरह से रेगुलर डिबेट हो जाती है। आठ घन्टे पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद भी यदि खास कोई आपके मन में शंका रह जाती है तो उसी के लिए मैंने टाइम दिया है।

मैं इन्डीवीज्यूअल प्रश्न करने की इजाजत नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

आप लिखकर भेज दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अजित सिंह : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि यदि उनके प्रश्न किसी एक इकाई से सम्बन्धित हैं और उनके जिले में कोई समस्या है या उन्हें कोई विशेष मुद्दा उठाना है, तो वे बाद में मुझ से मिल सकते हैं और इस पर चर्चा कर सकते हैं। हम आज केवल नीति सम्बन्धी प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं···(**व्यवधान**)

पहला प्रश्न परिवहन पर राजसहायता से सम्बन्धित था; सरकार की योजना इसे जारी रखने की है। सरकार सरकारी क्षेत्र पर एक श्वेत पत्र ला रही है। एक सदस्य ने यह प्रश्न किया है। अकुशल इकाइयों, लाभप्रद तथा गैर-लाभप्रद इकाइयों का क्या किया जाए, इन प्रश्नों पर उस श्वेत-पत्र में चर्चा की जाएगी।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में कई जिले ऐसे हैं जहां उद्योग के क्षेत्र में विकास नहीं के बराबर हुआ है। उन जिलों को उद्योग-शून्य जिले घोषित करके क्या उनके विकास पर ध्यान दिया जाएगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों के लिए यह ठीक नहीं है। अब हमने उद्योग से संबंधित अनुदान मांगों पर लगभग 10 घंटों तक चर्चा की है। माननीय मंत्री भी उत्तर दे चुके हैं। मैं तो केवल आपको नीति के मामले पर एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने का अवसर देना चाहता था। आप मंत्री के सम्मुख सारे प्रश्न करके सभा में उनके द्वारा उत्तर प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कृपया मंत्री महोदय को लिखें या उनसे मिलें। यदि वह समझते हैं कि वह उत्तर दे सकते हैं या आपको आश्वस्त कर सकते हैं तो वह या तो आपको उत्तर देंगे या आपको आश्वस्त करेंगे। यदि मामला महत्वपूर्ण नहीं है, तो वह अपने विवेक के मुताबिक इससे उचित तरीके से निटेंपगे। अब और प्रश्न न करें। उन्हें केवल नीति सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने दें और तब मैं मांगों को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, आप ऐसी बात नहीं कर सकते।

(**व्यवधान**)

आप तो हाउस के एक सीनियर मैम्बर हैं और आप जानते हैं कि ऐसा नहीं पूछा करते।

(**व्यवधान**)

इस प्रकार से नहीं। आप बैठ जाइए।

(**व्यवधान**)

श्री अजित सिंह : कुछ सदस्यों ने यहाँ सिक इंडस्ट्रीज के बारे में जिक्र किया और बी० आई० एफ० आर० का क्या रोल है, का जिक्र किया, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि जब फाइनांस मिनिस्ट्री की डिमांड्स डिसकस होंगी तब यह सवाल उठाएं, नहीं तो क्वश्चन ऑवर में इसको उठाएं।

रिजर्वड् आइटम्स के बारे में हुकमदेव नारायण जी ने जो सवाल उठाए, मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा कि 836 आइटम्स रिजर्वड् लिस्ट में हैं। इसके अलावा बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज या मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में जो शिकायतें मिली हैं, उसके लिए हम कमेटी बना रहे हैं। सरकार जो भी कदम इसके लिए उठाना होगा, वह उठायेगी।

मैं रोहतास के बारे में भी माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि यह नेशनलाइज होना है। यह काम तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। जो सेंटर के ऊपर जिम्मेदारी डाली है उसको सेंटर पूरा कर चुका है। बाकी काम स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब उद्योग मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ सभा में मतदान के लिए रखता हूं, बशर्ते कि कोई माननीय सदस्य यह न चाहे कि उसका कोई कटौती प्रस्ताव अलग से मतदान के लिए रखा जाए।

कटौती प्रस्ताव संख्या 6 से 15, 62 और 63 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं उद्योग मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में उद्योग मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 51 से 53 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां, भारत की संचित निधि में राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1990-91 के लिए उद्योग मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें

मांग सं०	मांग का नाम	28 मार्च, 1990 को लोकसभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की राशि		लोक सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०	राजस्व रु०	पूंजी रु०
51.	औद्योगिक विकास विभाग	95,38,00,000	68,40,00,000	286,15,00,000	205,21,00,000
52.	कम्पनी कार्य विभाग	2,25,00,000	1,00,000	6,74,00,000	—
53.	सरकारी उद्यम विभाग	12,63,00,000	74,68,00,000	37,87,00,000	224,03,00,000

उपाध्यक्ष महोदय : उद्योग मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें पारित हुईं।

5.50 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1990-91

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 47 से 50 पर चर्चा और मतदान करेगी। इसके लिए 10 घंटे का समय नियत किया गया है।

सदन में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के अनुदानों की मांगों से सम्बन्धित कटौती प्रस्ताव परिचालित किए जा चुके हैं; वे यदि अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 15 मिनट के भीतर सभा-पटल पर पर्चियां भेज दें जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की संख्याएं लिखी हों, जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया माना जाएगा।

इस प्रकार प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली एक सूची तुरन्त सूचनापट्ट पर लगा दी जाएगी। यदि किसी सदस्य को उस सूची में कोई गलती मिले तो उसे उसकी सूचना अविलम्ब सभा-पटल पर कार्यरत अधिकारी को देनी चाहिए।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 47 से 50 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1990-91 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें

क्रम सं०	मांग का नाम	28 मार्च, 1990 को लोकसभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०	राजस्व रु०	पूंजी रु०
47	शिक्षा विभाग.	424,39,00,000	25,00,000	1285,10,00,000	75,00,000
48.	युवा कार्य और खेल विभाग	26,27,00,000	57,00,000	78,81,00,000	1,71,00,000
49.	कला और संस्कृति	28,90,00,000	5,00,00,000	87,71,00,000	15,00,00,000
50.	महिला और बाल विकास विभाग	92,82,00,000	25,00,000	273,77,00,000	75,00,000

श्री के० एस० राव० (मछलीपटनम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

[अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिक से अधिक योग्य छात्रों को विवेकाधीन अनुदान के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता। (37)

कि शिक्षा विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

[विभिन्न राज्यों में शिक्षा के स्तर में असमानता को दूर करने के लिए पूरे देश में स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम को एक समान बनाने की आवश्यकता।] (38)

कि शिक्षा विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

[अधिक से अधिक अध्यापकों को रा० शि० आ० प्र० प० की पद्धति पर प्रशिक्षित करने की आवश्यकता ।] (39)

कि शिक्षा विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों के लिए और अधिक केन्द्रीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता ।] (40)

कि शिक्षा विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[सभी केन्द्रीय विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में प्रध्यापकगण उपलब्ध कराने की आवश्यकता ताकि वार्षिक परीक्षाओं से पहले पाठ्यक्रम समाप्त किए जा सकें ।] (41)

कि शिक्षा विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने की आवश्यकता । (42)

कि शिक्षा विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[सभी राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में सभी बालिकाओं को उच्चत्तर माध्यमिक स्तर तक नि:शुल्क शिक्षा देने की आवश्यकता ।] (43)

कि शिक्षा विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[सभी राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में खंड/उपमंडलीय मुख्यालयों में और अधिक व्यायसायिक संस्थान खोलने की आवश्यकता ।] (44)

कि शिक्षा विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को उदार अनुदान देकर उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कम्प्यूटर पाठ्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता ।] (45)

कि शिक्षा विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को उदार सहायता देकर उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में योजना के अन्तर्गत आने वाले छात्रों के लिए प्रयोगशालाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता ।] (46)

कि शिक्षा विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के और अधिक क्षेत्रीय केन्द्र खोलने की आवश्यकता ताकि और अधिक छात्रों को उनके अन्तर्गत लाया जा सके ।] (47)

कि शिक्षा विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के सभी अध्यापकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक समान वेतनमान लागू करने की आवश्यकता ।] (48)

कि शिक्षा विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[देश में पोलिटैक्निक्स के लिए तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता ।] (49)

कि शिक्षा विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

[भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे और संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता।] (50)

कि शिक्षा विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

[क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेजों की ओर अधिक राज्यों में स्थापना करने की आवश्यकता।] (51)

कि शिक्षा विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

[शिक्षुओं, इन्जीनियरी स्नातकों तथा डिप्लोमा धारकों की मासिक छात्रवृत्ति में वृद्धि करने की आवश्यकता।] (52)

कि शिक्षा विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

[भारतीय प्रबंध संस्थान की और शाखायें खोलने की आवश्यकता।] (53)

कि युवा कार्य और खेल विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

[राष्ट्रीय अखण्डता के सम्वर्धन के लिए युवक कल्याण सम्बन्धी गतिविधियों को बेहतर ढंग से संगठित किए जाने की आवश्यकता।] (54)

कि युवा कार्य और खेल विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

[ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन में सुधार लाने के लिए विशेष रूप से अशिक्षा दूर करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना को नए सिरे से बनाए जाने की आवश्यकता।] (55)

कि युवा कार्य और खेल विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

[सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अधीन युवा शिष्टमण्डलों के अन्तर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान में ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता।] (56)

कि युवा कार्य और खेल विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

[भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रबन्ध को सुचारू बनाए जाने की आवश्यकता ताकि देश में खेल गतिविधियों में बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सके।] (57)

कि युवा कार्य और खेल विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

[बहुत छोटी आयु में ही खेलों में प्रतिभा रखने वाले बच्चों को पता लगाने और व्यापक कोचिंग कार्यक्रम चलाकर उन्हें राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किए जाने की आवश्यकता।] (58)

कि युवा कार्य और खेल विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

[ओलम्पिक और एशियाड प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए एथलीटों के व्यापक कोचिंग और प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न खेल विभागों में कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता।] (59)

कि युवा कार्य और खेल विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

[खेलों से सम्बन्धित गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए बेहतरीन खिलाड़ियों को आकर्षक प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता।] (60)

कि युवा कार्य और खेल विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

[अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए एथलीटों का निष्पक्ष रूप से चुनाव करने की आवश्यकता।] (61)

कि युवा कार्य और खेल विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

[खिलाड़ियों के लिए अधिक राष्ट्रीय पुरस्कारों की व्यवस्था किए जाने और बेहतरीन खिलाड़ियों की एक समिति द्वारा पुरस्कारों का चयन किए जाने की आवश्यकता।] (62)

कि युवा कार्य और खेल विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

[राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को और अधिक केन्द्रीय सहायता प्रदान करके क्षेत्रीय खेल कोचिंग केन्द्रों को स्थापित करने की आवश्यकता।] (63)

कि कला और संस्कृति शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

[सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए और अधिक क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता।] (64)

कि कला और संस्कृति शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

[देश की छवि प्रस्तुत करने के लिए विदेशों में आयोजित किए जाने वाले भारत महोत्सव/प्रदर्शनियों में बड़े पैमाने में भाग लिए जाने की आवश्यकता।] (65)

कि कला और संस्कृति शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

[ऐसे क्षेत्रों में व्यापक पुरातत्व सम्बन्धी सर्वेक्षण किए जाने की आवश्यकता जहां सर्वेक्षण नहीं हुआ हो।] (66)

कि कला और संस्कृति शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

[केन्द्रीय संरक्षित ऐतिहासिक स्मारकों के अधीन संरक्षण और प्रारक्षण के लिए और अधिक स्मारकों और स्थलों को शामिल किए जाने की आवश्यकता।] (67)

कि कला और संस्कृति शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

[और अधिक राज्यों में विशेष रूप से दक्षिणी क्षेत्र में पुरातत्व संग्रहालयों को स्थापित करने और उनका अनुरक्षण करने की आवश्यकता।] (68)

कि कला और संस्कृति शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

[सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद के लिए और अधिक कलात्मक वस्तुओं और प्राचीन वस्तुओं को एकत्रित करके इस संग्रहालय का और अधिक विकास किए जाने की आवश्यकता।] (69)

कि कला और संस्कृति शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[हैदराबाद में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की स्थापना किए जाने की आवश्यकता ।] (70)

कि कला और संस्कृति शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[दक्षिणी क्षेत्र में विशेष रूप से हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रन्थालय, कलकत्ता के समान ही एक और राष्ट्रीय ग्रन्थालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता ।] (71)

कि महिला और बाल विकास विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को समेलित बाल-विकास सेवाओं के लिए उदार सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता ।] (72)

कि महिला और बाल विकास विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[दिन में बच्चों की देखभाल के लिए और अधिक शिशुसदन और स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों की स्थापना के लिए स्वैच्छिक संगठनों को उदार सहायता देने की आवश्यकता ।] (73)

कि महिला और बाल विकास विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में उपेक्षित वर्गों के और अधिक बच्चों के लिए अधिक बाल शिक्षा केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता ।] (74)

कि महिला और बाल विकास विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

['दक्षेस' बालिका वर्ष के अवसर पर सम्पूर्ण देश में लिंग निर्धारण परीक्षण पर टोक लगाने के लिए तुरन्त विधान बनाए जाने की आवश्यकता ।] (75)

कि महिला और बाल विकास विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[स्वैच्छिक संगठनों को महिलाओं के लिए प्राथमिक/मिडिल/हाई स्कूल स्तर की परीक्षाओं में संक्षिप्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए उदार सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता जिससे कि और अधिक महिलाओं को इसके अन्तगंत लाया जा सके ।] (76)

कि महिला और बाल विकास विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[कामकाजी महिलाओं के लिए और अधिक हास्टलों की स्थापना के लिए स्वैच्छिक संगठनों को उदार सहायता दिए जाने की आवश्यकता ।] (77)

"कि महिला और बाल विकास विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[स्वैच्छिक संस्थाओं को आय अर्जक कार्य के लिए उदार वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता जिससे कि जरूरतमंद महिलाओं को इसके अन्तर्गत लाया जा सके ।] (78)

"कि महिला और बाल विकास विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[जरूरतमंद महिलाओं और बच्चों को शीघ्रतापूर्वक सहायता देने के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाने की आवश्यकता ।] (79)

"कि महिला और बाल विकास विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[स्वैच्छिक संगठनों को निस्सहाय महिलाओं के लिए अल्पावधि आवास गृहों की स्थापना के लिए उदार सहायता दिए जाने की आवश्यकता।] (80)

"कि महिला और बाल विकास विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए अधिक संख्या में प्रशिक्षण और उत्पादन केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता।] (81)

श्री सन्तोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'शिक्षा विभाग' शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[देश के शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार सृजन करने की दृष्टि से ठोस शिक्षा नीति बनाने में असफलता।] (99)

"कि 'शिक्षा विभाग' शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[राज्य सरकार, विशेषकर उत्तर पूर्व क्षेत्र और त्रिपुरा राज्य की सरकार को अनुसूचित जन-जातियों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता।] (100)

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'युवा कार्य और खेल विभाग' शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[देश की मुख्यधारा में लाने के विचार से उत्तर-पूर्व क्षेत्र और त्रिपुरा राज्य के आदिवासी युवाओं से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में ठोस नीति बनाने की आवश्यकता।] (107)

"कि 'युवा कार्य और खेल विभाग' शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[देश में ग्रामीण खेल विकास के लिए एक नीति बनाने की आवश्यकता।] (108)

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रथम वक्ता प्रो० एन० टोम्बी सिंह होंगे।

प्रो० एन० टो० सिंह (आन्तरिक मणिपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, महोदय, अब वाद-विवाद का विषय उद्योग मंत्रालय से हटकर मानव संसाधन मंत्रालय होगा। (**व्यवधान**) हम एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय से दूसरे विषय पर जा रहे हैं जो इतना ही महत्वपूर्ण है। इन पर अधिक जोर देने के लिए हमने उद्योग मंत्रालय के सम्बन्ध में प्रश्नों और उत्तरों के रूप में इस सदन में मांगों पर चर्चा की है। महोदय, मैं यह कहता हू कि मानव संसाधन मंत्रालय उस मंत्रालय के अनेक विभागों के लिए जिम्मेदार है। जैसा कि हम सभी इस बात से अवगत हैं कि हम इस मांग पर इस संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं कि वर्तमान सरकार मानव संसाधन विकास के प्रभारी एक कैबिनेट मंत्री नहीं नियुक्त कर सकी है। प्रो० मैनन अत्यन्त जानकार तथा काबिल व्यक्ति हैं। किंतु उन्हें कैबिनेट मंत्री का स्तर नहीं दिया गया है। समाचार यह प्राप्त हुआ है कि सरकार फेरबदल के दौरान अधिक कैबिनेट मंत्री नियुक्त कर रही है। हम आशा करते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए अलग से कैबिनेट मंत्री होगा।

माननीय प्रधान मंत्री महोदय, जो इस समय मानव संसाधन विकास के प्रभारी मंत्री भी हैं, ने सदन के बाहर यह कहा है कि शिक्षा नीति की पुनरीक्षा की जा रही है।

सरकार की शिक्षा नीति एक व्यापक विषय है। यह एक ऐसा विषय है जिस पर दोनों ओर से सहयोग की अपेक्षा की जाती है। इसमें राजनीति और दलगत राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं है। इस अधिक महत्वपूर्ण मांग के संबंध में वाद-विवाद आरम्भ करने के लिए कुछ टिप्पणियां करते समय मैं राजनीतिक अथवा दलगत भावना से प्रभावित नहीं हूं। जहां तक मानव संसाधन विकास का सम्बन्ध है इस बारे मैं केवल शैक्षिक दृष्टकोण ही रखता हूं। इसके अन्तर्गत सामान्य शिक्षा आती है। इसके अतिरिक्त इसके दूसरे पहलू भी हैं जो समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। यह हैं : संस्कृति, कला, महिला और बाल विकास, युवा मामले और खेल जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं।

मैं इस मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन, भाग तीन के प्राक्कथन से कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा क्योंकि यह एक नई शिक्षा नीति के अभाव में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। नई शिक्षा नीति से अमूल चूल परिवर्तन की अपेक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि इसमें अनेक अड़चनें और कारण हैं। प्रधानमंत्री ने स्वयं संकेत दिया है कि नीति में परिवर्तन होगा। प्रारंभिक पंक्तियां यह हैं।

> "मानव विकास के व्यापक संदर्भ में नब्बे के दशक के लिए "यूनिसेफ" की विश्व में बच्चों की स्थिति 1990 की रिपोर्ट में कहा गया है कि नब्बे के दशक के लक्ष्यों और नीतियों की निर्धारण अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय करता है इसलिए आमराय यह बन रही है कि मानव विकास को अब महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए।"

आर्थिक विकास हमारी योजना का लक्ष्य है। मानव विकास आर्थिक विकास पर निर्भर है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मानव की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने का बहुत बड़ा काम अपने ऊपर लिया है। इस सम्बन्ध में हमें देश के सम्पूर्ण सर्वेक्षण की आवश्यकता है, उन विभिन्न क्षेत्रों की जहां विभिन्न समस्याएं हैं और शिक्षा के काम में अपने स्वतन्त्र भारत के विकास का इतिहास समझना है। केवल इसलिए कि एक नई सरकार बनी है और यह नई सरकार अपने आप को सभी मामलों में यह कह कर बचाती है कि हम कुछ दिन पुराने हैं और जो कुछ हो गया है वह हो गया है और इसका अपयश पिछली सरकार को ही मिलना चाहिए। मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं जो दलगत दृष्टिकोण से अथवा किसी दल के पक्ष में है क्योंकि यह पूर्ण रूप से एक शैक्षिक मुद्दा है। यह महत्वपूर्ण है। हमारे जैसे देश की शिक्षा अत्यन्त यथार्थपरक होनी चाहिए। प्रस्तावित नीति किसी दलगत भावना पर आधारित नहीं होनी चाहिए। यह अत्यन्त असम्भव है जैसा मैंने पहले कहा है। वस्तुस्थिति और संसाधन क्या हैं? हम अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं सुबह प्रश्न काल के दौरान हमने प्रो० मेनन को इस क्षेत्र की समस्याओं के कुछ पहलुओं के सम्बन्ध में कहते हुए सुना। इस मामले में अधिक भार तो इस सरकार के ऊपर है। हम प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा पर चर्चा कर सकते हैं। हम इन पर शैक्षिक रूप में चर्चा कर सकते हैं और खुले मन से विचार कर सकते हैं। किंतु जब हम विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां कुछ सीमाएं होती हैं क्योंकि हमारे देश में विकास के विभिन्न क्षेत्र तथा विभिन्न स्तर हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास स्तर पूरे देश में असमान हैं। चाहें हम प्राथमिक अथवा माध्यमिक स्तर पर आरम्भ करें और फिर विश्वविद्यालय स्तर पर आएं, हम यह नहीं कह सकते हैं कि कोई विशेष स्तर पूरे देश के लिए

उचित होगा। हमें यह देखना है कि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार का समन्वयन करना है। विश्वविद्यालय स्तर पर चर्चा बेहतर रहेगी। इसलिए मैं विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा से आरम्भ करता हूं क्योंकि आज देश भर में अधिक से अधिक विश्वविद्यालय की मांग की जा रही है। शिक्षित बेरोजगारों की समस्या सभी जगह बढ़ती ही जा रही है।

पहले जिन राज्यों में यह समस्याएं नहीं थी उनको भी अब इनका सामना करना पड़ रहा है। मैं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। वहां कोई उद्योग नहीं है। किसी भी अन्य क्षेत्र की तरह शिक्षा का विकास हो रहा है, क्योंकि बच्चों को किसी शैक्षणिक संस्थान या किसी विश्वविद्यालय में भेजकर व्यस्त रखना है। यह स्वयं रोजगार का विकल्प बन जाता है। समाज को किसी भी तरह से बच्चों को व्यस्त रखना है। यदि युवक किसी रोजगार में नहीं हैं तो विश्वविद्यालय शिक्षा उन्हें व्यस्त रखने का ही एक साधन है। जैसे ही शिक्षा समाप्त होती है, यह शिक्षित बेरोजगारी की समस्या बन जाती है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, शिक्षित बेरोजगारों की संख्या विशेष रूप से मेरे क्षेत्र में अधिक है। आप असम को छोड़ दें। कुल मिलाकर अनेक समस्याओं वाला बड़ा राज्य है। असम को छोड़कर यदि आप तस्वीर को देखें तो पाएंगे कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अनेक विश्वविद्यालय हैं जैसे मणिपुर विश्वविद्यालय, गुहाटी विश्वविद्यलय, डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय और त्रिपुरा विश्वविद्यालय। असम केन्द्रीय विश्वविद्यालय और नागालैण्ड विश्वविद्यालय की स्थापना होने वाली हैं। इन विश्वविद्यालयों से अनेक लोग उपाधियां प्राप्त कर निकलेंगे परन्तु उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा क्योंकि इन छोटे राज्यों में पर्याप्त रोजगार अभिकरण नहीं हैं। अब समस्या यह होगी कि यह शिक्षित बेरोजगार लोग विद्रोही हो जाएंगे। परन्तु वहां स्थिति पंजाब या कश्मीर जैसी खराब नहीं हो सकती। परन्तु, इसका अपना इतिहास है और जहां उस क्षेत्र का सम्बन्ध है उसका देश की राजनीतिक व्यवस्था पर बुरा प्रभाव है। जब हम पूरे देश के लिए शिक्षा नीति के बारे में सोचते हैं तो हमें शिक्षा के व्यवसायीकरण के साथ-साथ इसके रोजगारोन्मुख होने के बारे में भी विचार करना है। हम केवल तभी उन लोगों के साथ न्याय कर पाएंगे, जिन्हें हमने विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा दी है। ठीक इसी प्रकार यदि हम व्यावसायिक और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित युवकों और युवतियों को विश्वविद्यालय स्तर पर तैयार करना चाहते हैं तो इसके लिए उच्चतर माध्यमिक स्तर पर ही तैयारी आरम्भ की जानी चाहिए। जैसे कि सुबह हमने एक प्रश्न पर विचार-विमर्श किया और माननीय मन्त्री महोदय के उत्तर में यह बताया गया कि सरकार इस स्थिति में नहीं है कि वह केन्द्रीय विद्यालयों में छात्रों की शिक्षा समाप्त होने के बाद उन्हें रोजगार दिलाने में सहायक पर्याप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध करवा सके। सारे देश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का निःसन्देह कुछ प्रतिशत ही केन्द्रीय विद्यालय हैं। फिर भी हम केन्द्रीय विद्यालयों के लिए भी धन और कक्षा के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा सकते। यदि ऐसी स्थिति केन्द्रीय विद्यालयों की है तो सारे देश में सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या होगी ? वहां स्थिति अत्यन्त शोचनीय है। अब सारे देश में शिक्षा एक व्यापार बनकर रह गया है। इस स्थिति में जब हम इन्जिनियरिंग कालेजों में या मैडिकल कालेजों में प्रति व्यक्ति शुल्क की बात करते हैं तो वह कुछ-कुछ समझ में आती है। परन्तु जब हमें एक बच्चे की शिक्षा आरम्भ करने के लिए नर्सरी और प्रारम्भिक शिक्षा में हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं और तत्पश्चात आधुनिकता के नाम पर अच्छे पब्लिक स्कूलों या निजी संस्थाओं में उच्च शिक्षा के लिए उन्हें तैयार करने के लिए हजारों रुपये प्रति माह खर्च करने पड़ते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि शिक्षा वास्तव में व्यापार बन कर रह गया है। इस प्रकार राज्यों में राजकीय विद्यालय केवल शिक्षकों के रोजगार की सुरक्षा बन कर गए हैं। परन्तु जहां तक बच्चों के प्रति उनकी सेवाओं का सम्बन्ध है, इनका स्तर बहुत निम्न

है और तरीका पुराना है। इस प्रकार बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाए बिना हम इन राजकीय विद्यालयों पर अनावश्यक धन खर्च कर रहे हैं। इन स्कूलों में बुद्धिमान विद्यार्थियों की संख्या भी अधिक नहीं होती और इनमें शिक्षा प्राप्त करने वाले हम मानक शिक्षा भी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। उन्हें आवश्यक व्यावसायिक या उपयोगी शिक्षा प्राप्त नहीं होती जिससे वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार हो सकें।

इसके ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो भी पुनरवालोकन या परिवर्तन किया जाए या मानव संसाधन विकास में जो भी बड़े पैमाने पर परिवर्तन किया जाए, वह वर्तमान उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाए।

मैं अब विश्वविद्यालयीय शिक्षा के दूसरे पहलू पर आता हूं। हमारे देश में पिछड़े और उन्नत क्षेत्र हैं। यहां दिल्ली, मद्रास, और कलकत्ता जैसे महानगर हैं। यहां का वातावरण बिल्कुल भिन्न है। यद्यपि वही केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वहां पर भी है परन्तु महानगरों में शिक्षा का स्तर, संसाधन और माहौल अलग ही है। इन महानगरों के अतिरिक्त कुछ विकसित क्षेत्र भी हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा है, यदि हम इन पिछड़े क्षेत्रों की ओर देखें, उदाहरण के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तब हम पाएंगे…

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना भाषण आज ही समाप्त करना चाहते हैं या कल जारी रखेंगे?

प्रो० एन० टोम्बी सिंह : महोदय, यदि आप मुझे कल बोलने का अवसर दें तो मैं आपका आभारी होऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल 11.00 बजे म० पू० पर समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 17 अप्रैल, 1990/27 चैत्र, 1912 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : दी स्टील स्लेट, मैन्यु० कं० (प्रैस विभाग), अजमेरी गेट, दिल्ली-6